

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च, 2005 को समाप्त हुए वर्ष के लिये

(सिविल)

उत्तर प्रदेश सरकार

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च 2005 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

(सिविल)
उत्तर प्रदेश सरकार

विषय–सूची

विवरण	संदर्भ	
	प्रस्तर संख्या	पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन		vii
विहंगावलोकन		ix
अध्याय –1		
राज्य सरकार के वित्त		
प्रस्तावना	1.1	1
गत वर्ष के सन्दर्भ में वित्त की प्रवृत्ति	1.2	3
वर्ष में प्राप्तियों एवं संवितरणों का सारांश	1.3	3
लेखापरीक्षा प्रणाली	1.4	4
मुख्य सूचकों के अनुसार राज्य के वित्त	1.5	5
संसाधनों का उपयोग	1.6	7
आबंटनीय प्राथमिकताओं द्वारा व्यय	1.7	11
परिसम्पत्तियां तथा देयतायें	1.8	14
घाटे का प्रबन्धन	1.9	19
राजकोषीय अनुपात	1.10	20
अध्याय–2		
आबंटनीय प्राथमिकतायें एवं विनियोग		
प्रस्तावना	2.1	23
विनियोग लेखे का संक्षिप्त विवरण	2.2	23
आबंटनीय प्राथमिकतायें द्वारा विनियोग	2.3	24
असमाधानित व्यय	2.4	27
व्यय का बाहुल्य	2.5	27

अध्याय–3

निष्पादन समीक्षायें

परिवार कल्याण विभाग

प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 3.1 29

खाद्य एवं रसद विभाग

उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी अधिनियम एवं नियमों का कियान्वयन 3.2 41

गृह विभाग (पुलिस)

पुलिस बल का आधुनिकीकरण 3.3 54

चिकित्सा शिक्षा विभाग

संजय गांधी स्नातकोत्तर आर्युविज्ञान संस्थान लखनऊ 3.4 65

महिला एवं बाल कल्याण विभाग

समेकित बाल विकास सेवायें–।।। 3.5 79

अध्याय–4

लेन–देनों की लेखापरीक्षा

कपटपूर्ण आहरण/दुर्विनियोजन/गबन/हानि/अधिक भुगतान

लोक निर्माण विभाग

विटुमिन का संदेहास्पद दुर्विनियोजन 4.1.1 95

अधिक भुगतान/निरर्थक/निष्फल व्यय

पर्यावरण विभाग

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन को बनाने में निरर्थक व्यय 4.2.1. 96

बैराज पर निरर्थक व्यय 4.2.2 96

निरर्थक व्यय 4.2.3 97

कर एवं निबन्धन विभाग

एप्लीकेशन साफ्टवेयर पर निरर्थक व्यय 4.2.4 98

संविदात्मक बाध्यता का उल्लंघन/ठेकेदारों को अनुचित लाभ/परिहार्य व्यय

सिंचाई विभाग

सिंचाई नहर प्रणाली पर निष्फल व्यय 4.3.1 99

दोषपूर्ण योजना के कारण निष्फल व्यय	4.3.2	100
जल सेतु पर अलाभकारी व्यय	4.3.3	101
गंगा बैराज के निर्माण पर परिहार्य व्यय	4.3.4	102
दो सेतुओं के निर्माण पर निष्फल व्यय	4.3.5	103
अतिरिक्त परिहार्य व्यय	4.3.6	103
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग		
उच्च दरों पर दवाईयों की खरीद पर अधिक व्यय	4.3.7	104
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन के निर्माण पर निष्फल व्यय	4.3.8	105
लोक निर्माण विभाग		
निष्फल व्यय	4.3.9	105
अपूर्ण सेतु पर निष्फल व्यय	4.3.10	106
परिहार्य व्यय	4.3.11	107
अतिरिक्त व्यय	4.3.12	108
ग्रिट स्टोन की खपत पर अतिरिक्त परिहार्य व्यय	4.3.13	108
सड़क के सुधार कार्य पर परिहार्य व्यय	4.3.14	109
परिहार्य व्यय	4.3.15	110
सड़क पर परिहार्य व्यय	4.3.16	111
व्यर्थ निवेश/व्यर्थ स्थापना/निधि को अवरूद्ध रखना; उपकरणों के परिचालन में हुई देरी ; व्यवर्तन/निधि का दुरूपयोग		
खाद्य एवं रसद विभाग		
शासकीय लेखे के बाहर धन का अवरोधन	4.4.1	112
वन विभाग		
कार्पस निधि को निवेश न किये जाने के कारण ब्याज की हानि	4.4.2	113
श्रम विभाग		
दन्त उपकरणों पर व्यर्थ निवेश	4.4.3	114
नगर विकास विभाग		
शासकीय आदेशों के अनुपालन न करने के कारण निधि का अवरोधन	4.4.4	114
शासकीय राजस्व का बैंक में अवरोधन	4.4.5	115

नियमितता एवं अन्य प्रकरण

शिक्षा (उच्च) विभाग

अनुदान को अनियमित रुप से मुक्त करना 4.5.1 116

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं श्रम विभाग

सरकारी आवासों के अध्यासियों से विद्युत प्रभार की वसूली न किया जाना 4.5.2 117

लोक निर्माण विभाग

सलाहकारी फर्म को अविवेकपूर्ण भुगतान 4.5.3 118

सड़क के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण पर अनुपयुक्त सामग्री का उपयोग 4.5.4 119

ग्रामीण विकास विभाग

प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना निधि की अनियमित अवमुक्ति/उपयोग 4.5.5 120

अध्याय–5

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की दक्षता

माध्यमिक शिक्षा विभाग

माध्यमिक शिक्षा विभाग में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली 5 121

परिशिष्ट

परिशिष्ट संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.1	31 मार्च 2005 को उत्तर प्रदेश सरकार की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त सार	133
1.2	वर्ष 2004–05 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार	134
1.3	वर्ष 2004–05 के लिए निधियों के स्रोत एवं उपयोग	137
1.4	राज्य सरकार के वित्त के समयबद्ध आंकड़ें	138
1.5	अध्याय–1 में प्रयुक्त शब्दों की सूची तथा उनकी गणना के लिए आधार	140
1.6	विभागवार/वर्षवार प्रकरणों का विघटन जिनमें अंतिम कार्यवाही दिसम्बर 2005 तक लम्बित थी	141
1.7	दिसम्बर 2005 तक चोरी, दुर्विनियोजन/सरकारी सामग्री की हानि और आग/दुर्घटना के प्रकरणों का विभागवार विवरण	142
2.1	विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत प्रावधानों के विरुद्ध बचतों का विवरण	143
2.2	अनुदानों/भारित विनियोगों से अधिक व्यय	147

2.3	प्रत्येक प्रकरण में 1 करोड़ रुपये से अधिक बचतों का विवरण जो कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से भी अधिक थी	148
2.4	1990–91 से 2003–04 तक से सम्बंधित विगत वर्षों में प्रावधान के सापेक्ष अधिक व्यय	150
2.5	अनुदान जिनमें प्राप्त अनुपूरक प्रावधान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुए	152
2.6	आधिक्य व्यय के आच्छादन हेतु अपर्याप्त अनुपूरक अनुदान	154
2.7	बचतों का विवरण जो अभ्यर्पित नहीं की गई	155
2.8	बचतें जो मार्च 2005 में अभ्यर्पित की गई	157
2.9	व्यय का बाहुल्य	158
3.1	भारत सरकार से प्राप्त विभिन्न गर्भनिरोधक साधनों की उपलब्धता की स्थिति	159
3.2	प्रतिरक्षण टीकों के सम्बंध में लक्ष्य एवं उपलब्धि	159
3.3	निदेशालय स्तर पर वर्ष 2000–05 के दौरान विभिन्न टीकों के भण्डारण की स्थिति	160
3.4	कार्यकारी सारांश	162
3.5	उपभोक्ता न्यायालय में आवश्यक पदों, स्वीकृत पदों और तैनात व्यक्तियों की एक तुलना	164
3.6	दिनांक 31.3.2005 तक धारा 25(3) के तहत स्थिति	165
3.7	दिनांक 31.3.2005 तक धारा 27(1) के तहत स्थिति	165
3.8	वर्ष 2000–05 के दौरान लक्ष्य, दिये गये एवं पूर्ण किये गये आवासीय भवनों का विवरण	166
3.9	वर्ष 2000–05 के दौरान प्रस्तावित भवनों के विरुद्ध कमी का जिलेवार विवरण	167
3.10	वर्ष 2000–05 के दौरान लक्ष्य, दिये गये एवं पूर्ण किये गये अनावासीय भवनों का विवरण	168
3.11	लेखाओं में विभिन्नता	169
3.12	औषधियों का अधिक भण्डारण	170
3.13	मूल्यवृद्धि एवं समयवृद्धि	170
3.14	आई.सी.डी.एस.–तृतीय परियोजना के तहत विभिन्न हस्तक्षेप	171
3.15	अधिप्राप्ति की स्थिति	172
3.16	नवीन क्रियाकलापों के तहत वर्षवार आवंटन एवं व्यय	173

3.17	परियोजना के तहत छपी सामग्री के वितरण की स्थिति	174
4.1	यू.पी.डी.पी.एल. को अपरिहार्य भुगतान	175
4.2	अतिरिक्त ग्रिट की खपत का मूल्य	176
4.3	बन्धक दस्तावेज/उपयोगिता प्रमाणपत्रों की स्थिति	176
4.4	ठेकेदारों द्वारा कार्यों के निष्पादन का विवरण	177
5.1	कन्या विद्याधन योजना	179
5.2	क्षेत्रीय कार्यालयों एवं विद्यालयों का अपर्याप्त निरीक्षण	179

प्राक्कथन

1. यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

2. इस प्रतिवेदन के अध्याय 1 और 2 में 31 मार्च 2005 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य सरकार के क्रमशः वित्त लेखे और विनियोग लेखे की जांच से उत्पन्न मामलों तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित उपक्रमों के कार्यकलापों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां सम्मिलित है।

3. शेष अध्याय निष्पादन लेखा परीक्षा के निष्कर्षों, लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग सहित विभिन्न विभागों में लेन–देनों की लेखापरीक्षा तथा स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा से सम्बंध रखते हैं।

4. सांविधिक निगमों, बोर्डों, सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा और राजस्व प्राप्तियों से सम्बंधित टिप्पणियों वाले प्रतिवेदन अलग से प्रस्तुत किये जाते है।

5. प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले उनमें से है जो वर्ष 2004–05 के दौरान लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये तथा उनमें से जो पूर्व वर्षों में ध्यान में आये थे परन्तु पूर्व प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किये जा सके।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में वर्ष 2004–05 हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखा तथा विनियोग लेखा पर आधारित लेखा परीक्षा टिप्पणी के दो अध्याय तथा तीन अन्य अध्याय जिसमें छः समीक्षायें और 31 प्रस्तर जो कुछ चयनित योजनाओं, कार्यक्रमों तथा राज्य सरकार के वित्तीय लेन–देन पर आधारित हैं, शामिल हैं। लेखा परीक्षा समीक्षाओं के निष्कर्षों का सारांश तथा अति महत्वपूर्ण प्रस्तरों को इस विहंगावलोकन में प्रस्तुत किया गया है।

1. राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति

राज्य की राजस्व प्राप्तियां वर्ष 2000–01 में 24743 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2004–05 में 37617 करोड़ रुपये हो गयी। वर्ष 2004–05 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में 18.90 प्रतिशत की सामान्य बढ़ोतरी पाई गई जो मुख्यतया व्यापार कर में 16 प्रतिशत तथा केन्द्रीय करों के राज्यांश में 13 प्रतिशत बढ़त के कारण थी। मार्च 2005 तक राजस्व का बकाया 7922 करोड़ रुपये कर एवं कर–भिन्न राजस्व का 43 प्रतिशत था।

राज्य का राजस्व व्यय वर्ष 2000–01 में 31030 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2004–05 में 44610 करोड़ रुपये हो गया।

वेतन (14058 करोड़ रुपये), ब्याज भुगतान (11873 करोड़ रुपये) एवं पेंशन (3561 करोड़ रुपये)मिलकर राज्य के कुल राजस्व प्राप्तियों का 78 प्रतिशत था।

राज्य का राजस्व घाटा वर्ष 2000–01 में 6287 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2004–05 में 6993 करोड़ रुपये हो गया। राजकोषीय घाटा, जो सरकार के कुल ऋणों तथा उसके स्रोत में अन्तर को प्रदर्शित करता है, भी वर्ष 2000–01 में 10177 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2004–05 में 12997 करोड़ रुपये हो गया। वर्ष 2004–05 के दौरान चालू राजस्व से अवशेष भी निरंतर ऋणात्मक ही था।

राज्य की कुल राजकोषीय देयतायें वर्ष 2000–01 में 80331 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2004–05 में 131401 करोड़ रुपये हो गयी तथा इस अवधि के दौरान जी एस डी पी के संदर्भ में प्रतिशतता 44.4 से बढ़कर 55.8 हो गयी। वर्ष के दौरान ऋण निधियों से शुद्ध उपलब्धता ऋणात्मक थी। वर्ष के दौरान संपत्ति–देयताओं का अनुपात 0.45 सबसे कम था, जो यह इंगित करता है कि 55 प्रतिशत देयतायें संपत्ति से समर्थित नहीं थीं। 10354 करोड़ रुपये की प्रतिभूतियां बकाये में थी।

वर्ष के दौरान वैधानिक निकायों और ज्वॉइण्ट स्टाक कम्पनियों में सरकार द्वारा निवेशित 9535.57 करोड़ रुपये की धनराशि पर प्रतिफल शून्य था।

(प्रस्तर : 1.1 से 1.10)

अनुदान एवं विनियोगों के 167 मामलों में कुल 5239.56 करोड़ रुपये की बचत के परिणामस्वरूप अनुदानों एवं विनियोगों में 3340.23 करोड़ रुपये की शुद्ध बचत थी जिसका आंशिक प्रति संतुलन अनुदानों एवं विनियोगों के 22 मामलों में 1899.33 करोड़ रुपये के अधिक व्यय के द्वारा हुआ।

(प्रस्तर : 2.2)

2. राज्य में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम

राज्य में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर सी एच) जो पूर्णतया केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना है, का कियान्वयन अप्रैल 1998 से किया गया। मन्द वित्तीय व्यवस्था, प्रजनन रोकथाम के स्थायी उपायों को लोकप्रिय बनाने एवं सुरक्षित तथा संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित किये जाने में विफलता, प्रथम संदर्भित इकाईयों एवं सहायता परिवहन केन्द्रों के असंचालन, राजनैतिक एवं सामुदायिक नेताओं की बहुत कम भागीदारी तथा ए.एन.एम. की कमी उपलब्धि में कमी के मुख्य कारण थे। सूचना,

शिक्षा एवं संचारण का प्रयास भी समुचित नहीं था क्योंकि लक्षित जन संख्या के मध्य प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रति जागरुकता पैदा करने में यह असमर्थ था। अनुश्रवण प्रकिया भी प्रभावकारी नहीं थी।

(प्रस्तर : 3.1)

3. उपभोक्ता संरक्षण संबंधी अधिनियम एवं नियमों का कियान्वयन

उपभोक्ता संरक्षण संबंधी अधिनियम एवं नियमों का कार्यान्वयन प्रभावीकरण प्रणाली के संरचानाओं के सृजन तथा सुदृढ़ीकरण तथा उपभोक्ताओं के सशक्तीकरण एवं जागृति के उन्नयन हेतु राज्य/जिला प्रशासन/ अशासनिक संगठनों के अधिकाधिक सम्बद्धता हेतु कोई नीति न होने से बाधित हुआ। उपभोक्ता फोरमों के कार्यशील होने के लिये शासन द्वारा उपलब्ध कराया गया धन तथा आधारभूत ढांचा यथा भवन तथा कर्मचारी अपर्याप्त थे। वादों की लम्बिता लगातार बढ़ती जा रही तथा उनके निस्तारण में गति लाने हेतु कोई कार्य योजना नहीं बनायी गयी। राज्य की उपभोक्ता संरक्षण परिषदें अकियाशील थीं तथा उपभोक्ता जागरण एवं कल्याण योजनायें प्रारम्भ नहीं की गयी थीं। राज्य में 'खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम' के प्रवर्तन के प्रावधान भी कमजोर थे जो उपभोक्ताओं के हितों पर विपरीत प्रभाव डाल रहे थे।

(प्रस्तर : 3.2)

4. पुलिस बल का आधुनिकीकरण

बढ़ते हुए अपराधों, आतंकवादी एवं नक्सली गतिविधियों एवं आन्तरिक सुरक्षा की कमियों से प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए राज्य पुलिस को अतिरिक्त आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार द्वारा पुलिस बल की आधुनिकीकरण योजना 1969 में लागू की गयी । प्रदेश में योजना का कार्यान्वयन त्रुटिपूर्ण था। पर्याप्त धन की उपलब्धता के बावजूद आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों के निर्माण में लक्ष्य के सापेक्ष कमशः 75 प्रतिशत तथा 77 प्रतिशत की कमी रही। पुलिस गतिशीलता में वृद्धि हेतु वाहनों के विद्यमान बेड़े में कोई बढ़ोतरी नहीं की गयी। नगर नियंत्रण कक्ष ठीक प्रकार से सुसज्जित नहीं थे। 80 प्रतिशत समयातीत हथियार पुलिस दल द्वारा अब भी प्रयोग में थे। प्रशिक्षण के विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की क्षमता में कोई वृद्धि नहीं हुई। कार्यालय स्वचलन कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई तथा पुलिस थानों में कम्प्युटरीकरण में प्रगति अत्यंत न्यून रही। सरकार/विभाग दोनों स्तरों पर एक दक्ष अनुश्रवण तंत्र का अभाव था।

(प्रस्तर : 3.3)

5. संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान

लखनऊ में संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना 1983 में की गई थी। संस्थान का उददेश्य चिकित्सा परिचर्या, शिक्षा तथा उच्च स्तर की शोध सुविधा एवं पैरा चिकित्सा तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में प्रशिक्षण हेतु उत्कृष्ठ केन्द्र का सृजन करना था। स्टाफ की कमी के कारण चिकित्सा शिक्षा एवं शोध के क्षेत्र प्रभावित थे तथा पैरा चिकित्सा कियाकलापों में प्रशिक्षण प्रारम्भ नहीं किया जा सका था। वित्तीय एवं लेखों की व्यवस्था संतोषजनक नहीं थी। चिकित्सीय आधारभूत व्यवस्था का विकास, कल्पनानुरूप नहीं था तथा रोगी परिचर्या के अभिलेखों का रखरखाव यथा अनुरुप नहीं था। सामग्री कय एवं सामग्री प्रबन्धन में आन्तरिक नियंत्रण व्यवस्था असंतोषजनक थी।

(प्रस्तर : 3.4)

6. समेकित बाल विकास सेवायें–तृतीय

बाह्य सहायता प्राप्त समेकित बाल विकास सेवायें–तृतीय कार्यक्रम राज्य में वर्ष 1999–2000 में प्रारम्भ किया गया था । परियोजना लागत का 56 प्रतिशत स्थापना

पर व्यय किया गया जिसके परिणामस्वरूप बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य तथा शिक्षा जैसे तीन मुख्य सेवाओं पर ध्यान नहीं दिया जा सका। घोषित उददेश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका क्योंकि मूल स्तर पर पर्याप्त सेवाओं को प्रदान नहीं किया गया, सेवाओं की अधिप्राप्ति में विलम्ब हुआ तथा परियोजना के आवश्यक अवयव जैसे अभिनव कार्यकलापों, सूचना, शिक्षा, संचार तथा सामुदायिक भागीदारी आदि की उपेक्षा की गई थी।

(प्रस्तर : 3.5)

7. माध्यमिक शिक्षा विभाग में आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली

माध्यमिक शिक्षा विभाग के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के मूल्यांकन से वित्तीय, परिचाालन एवं अनुश्रवण नियंत्रण की कमियां परिलक्षित हुई। वित्तीय वर्ष के अंतिम चरणों मे धनराशि को विलम्ब से समर्पण किया गया था। गरीब बालिकाओं के लिए प्रोत्साहन योजना पात्र लाभार्थियों के सर्वेक्षण किये बिना ही प्रारम्भ कर दी गयी तथा नियमों/ शासकीय आदेशों का अनुपालन न करके बैंक से कपटपूर्ण आहरण हुआ। सहायता प्राप्त विद्यालयों द्वारा सामान्य भविष्य निधि के अभिलेखों का समुचित रखरखाव न करने के कारण प्रत्याहरण का पूर्ण खतरा था। आंतरिक लेखा परीक्षा प्रबंधन अपर्याप्त एवं वित्तीय अनियमितताओं के विरुद्ध आश्वासन प्रदान करने में सक्षम नहीं था।

(प्रस्तर : 5)

8. लेन–देनों की लेखापरीक्षा निष्कर्ष

दुर्विनियोजन/हानि

वर्ष 2000–02 में लोक निर्माण विभाग द्वारा विटुमिन के क्रय 80.72 लाख रुपये को भण्डार लेखे में नहीं लिया गया।

(प्रस्तर : 4.1.1)

संविदा निहित बाध्यताओं/परिहार्य/अलाभकारी व्यय

सिंचाई विभाग द्वारा वन संरक्षण अधिनियम के प्राविधानों एवं वित्तीय नियमों के अनुपालन न करने से संरेषण में सम्मिलित भूमि को प्राप्त नहीं करने से 17.97 करोड़ रुपये का आठ नहरों के निर्माण पर किया गया व्यय अलाभकारी रहा।

(प्रस्तर : 4.3.1)

शाखाओं के शीर्ष के निर्धारण में त्रुटिपूर्ण योजना एवं दूरदर्शिता के अभाव के कारण 6.36 करोड़ रुपये का अलाभकारी व्यय हुआ।

(प्रस्तर : 4.3.2)

भारत सरकार से वन अधिनियम के अंतर्गत बिना अनुमोदन प्राप्त किये ही अक्वाडेक्ट के निर्माण पर 3.64 करोड़ रुपये का अलाभकारी व्यय।

(प्रस्तर : 4.3.3)

मथुरा जिले में वृंदावन–माट मार्ग पर निर्मित पुल का पहुंच मार्ग के अपूर्ण रहने से 9.20 करोड़ रुपये का अलाभकारी व्यय।

(प्रस्तर : 4.3.9)

अधिशासी अभियन्ता, बैराज निर्माण शाखा–2, कानपुर द्वारा ठेकेदार को विलम्ब से ड्राइन्ग उपलब्ध कराये जाने के कारण 3.04 करोड़ रुपये का परिहार्य व्यय।

(प्रस्तर : 4.3.4)

उत्तर प्रदेश ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड से संविदा दर से अधिक दरों पर औषधियों का क्रय करने से 3.89 करोड़ रुपये का अधिक व्यय।

(प्रस्तर : 4.3.7)

निष्क्रिय निवेश/निष्क्रिय स्थापना/धन का अवरोधन/धन का दुरुपयोग

अन्नपूर्णा योजना की 9.08 करोड़ रुपये की धनराशि को व्यपगत होने से बचाने के लिये वित्तीय नियमों की अवहेलना कर बैंक में जमा किया जाना।

(प्रस्तर : 4.4.1)

वन विभाग द्वारा कार्पस फंड के अवशेषों को बाण्ड/सिक्योरिटीज या बैंकों में निवेश न करने के कारण 1.05 करोड़ रुपये की हानि।

(प्रस्तर : 4.4.2)

शासकीय निर्देशों का अनुपालन न किये जाने से 6 करोड़ रुपये नगर पालिका परिषद, मुजफ्फरनगर एवं फिरोजाबाद के वैयक्तिक लेखा खाते में अवरुद्ध रहा।

(प्रस्तर : 4.4.4)

अध्याय – एक

राज्य सरकार का वित्त

अध्याय 1

राज्य सरकार के वित्त

संक्षिप्त रूपरेखा

प्रत्येक वर्ष होने वाले बड़े राजस्व एवं राजकोषीय घाटे राज्य में लगातार बृहत आर्थिक असन्तुलन को प्रदर्शित करते हैं। राजस्व घाटा (6993 करोड़ रुपये) वर्ष 2000–01 के 6287 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2004–05 में 11.23 प्रतिशत बढ़ गया। राजकोषीय घाटा (12997 करोड़ रुपये) भी वर्ष 2000–01 के 10177 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2004–05 में 27.71 प्रतिशत बढ़ गया। वर्तमान राजस्व का शेष वर्ष 2004–05 में भी लगातार ऋणात्मक था।

राज्य की राजस्व प्राप्तियां वर्ष 2000–01 में 24743 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2004–05 में 37617 करोड़ रुपये हो गईं। वर्ष 2004–05 में राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि (18.90 प्रतिशत) मुख्यतया भारत सरकार के सहायक अनुदान में 67 प्रतिशत वृद्धि, व्यापार कर में 16 प्रतिशत वृद्धि एवं संघीय करों के राज्यांश के 13 प्रतिशत वृद्धि के कारण थी। 31–3–2005 को राजस्व बकाया 7922 करोड़ रुपये था जो राज्य के कर एवं कर–भिन्न राजस्व का 43 प्रतिशत था।

राज्य का कुल व्यय वर्ष 2000–01 में 35216 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2004–05 में 50892 करोड़ रुपये हो गया। राजस्व व्यय कुल व्यय का 88 प्रतिशत था।

वर्ष के दौरान राज्य के कुल राजस्व प्राप्तियों का 78 प्रतिशत व्यय वेतन (14058 करोड़ रुपये), ब्याज भुगतान (11873 करोड़ रुपये) तथा पेन्शन (3561 करोड़ रुपये) के रूप में हुआ। पूंजीगत व्यय में महत्वपूर्ण सुधार हुआ जो वर्ष 2000–01 में कुल व्यय का 9.53 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2004–05 में 11.25 प्रतिशत हो गया।

राज्य की कुल राजकोषीय देयतायें वर्ष 2000–01 में 80331 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2004–04 में 131401 करोड़ रुपये हो गई। इन देयताओं का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात वर्ष 2000–01 में 44.4 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2004–05 में 55.8 प्रतिशत हो गया। वर्ष के दौरान लिए गए ऋण की उपलब्धता ऋणात्मक थीं।

वित्तीय परिसम्पत्तियों से देयताओं का अनुपात वर्ष 2004–05 में निम्नतर 0.45 था। इस प्रकार, देयताओं का प्रमुख हिस्सा परिसम्पत्तियों के समर्थन बिना था।

सांविधिक निगमों, संयुक्त पूंजी कम्पनियों आदि में वर्ष के दौरान 9535.57 करोड़ रुपये के निवेश पर प्रतिफल शून्य था।

किसी राज्य के लिये ये असमान्य बात नहीं है कि वह सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे के आधार एवं अतिरिक्त आय उत्पादित करने वाली परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु कर्ज लें। फिर भी साल दर साल बड़े घाटे, निवेश पर कम अथवा शून्य प्रतिफल मिलकर यह दर्शाते हैं कि राज्य धीरे–धीरे ऋण के जाल में फंस रहा है। इसी प्रकार, राजस्व प्राप्तियों के सम्बन्ध में ऋण की उच्च उत्प्लावकता इसकी बढ़ती हुई अस्थिरता को प्रदर्शित करता है। राजस्व एवं राजकोषीय घाटे को कम करने के उद्देश्य से राजकोषीय स्थिरता एवं टिकाउपन को सुनिश्चित करने के लिये, राज्य द्वारा राजकोषीय दायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम फरवरी 2004 को पारित किया गया।

1.1 प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे में 19 विवरण होते हैं जो राज्य सरकार की समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा में आय एवं व्यय, राजस्व तथा पूंजी को प्रदर्शित करते हैं। वित्त लेखा की रुपरेखा बाक्स 1.1 में दर्शायी गयी है।

बाक्स 1.1
वित्त लेखे का खाका

विवरण संख्या 1 - राज्य सरकार के लेन–देनों के सारांश को प्रदर्शित करता है–राज्य के लोक लेखे, आकस्मिकता निधि तथा समेकित निधि में प्राप्तियों एवं व्यय, राजस्व तथा पूंजी, लोक ऋण प्राप्तियां तथा संवितरण इत्यादि।

विवरण संख्या 2 - में वर्ष 2004–05 के अन्त तक पूंजीगत परिव्यय आगे की ओर बढ़ने वाले व्यय का संक्षिप्त विवरण शामिल है।

विवरण संख्या 3 - सिंचाई निर्माण कार्यों के वित्तीय परिणाम, उनकी राजस्व प्राप्तियों, कार्यशीलव्यय तथा रखरखाव प्रभारों, पूंजीगत परिव्यय, शुद्ध लाभ अथवा हानि इत्यादि को देता है।

विवरण संख्या 4 - राज्य की ऋण स्थिति को संक्षिप्त में इंगित करता है जिसमें आन्तरिक ऋण, भारत सरकार से कर्ज़, अन्य दायित्व एवं ऋण सेवायें शामिल हैं।

विवरण संख्या 5 - सरकार द्वारा वर्ष के दौरान दिये गये ऋण एवं अग्रिमों, किये गये पुनर्भुगतानों लम्बित वसूलियों इत्यादि की संक्षिप्त रूप रेखा देता है।

विवरण संख्या 6 - सांविधिक निगमों, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थानों द्वारा लिये गये ऋण इत्यादि के पुनर्भुगतान हेतु सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रत्याभूतियों को संक्षिप्त में प्रस्तुत करता है।

विवरण संख्या 7 - रोकड़ शेष तथा इस तरह के शेषों से निवेश की संक्षिप्त रूपरेखा देता है।

विवरण संख्या 8 - 31 मार्च 2005 को समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अन्तर्गत शेष को प्रदर्शित करता है।

विवरण संख्या 9 - वर्ष 2004–05 के लिये विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत राजस्व तथा व्यय को कुल राजस्व/व्यय के प्रतिशतता के रूप में प्रस्तुत करता है।

विवरण संख्या 10 - वर्ष के दौरान किये गये दत्तमत्त एवं प्रभारित व्यय के बीच विभाजन को इंगित करता है।

विवरण संख्या 11 - लघु शीर्षों द्वारा राजस्व प्राप्तियों के विस्तृत लेखे को प्रदर्शित करता है।

विवरण संख्या 12 - पृथक रूप में आयोजनेत्तर, राज्य आयोजनागत तथा केन्द्र प्रयोजित योजनाओं के अन्तर्गत राजस्व व्यय को लघु शीर्षों द्वारा तथा पूंजीगत व्यय का मुख्य शीर्षवार लेखा प्रस्तुत करता है।

विवरण संख्या 13 - वर्ष 2004–05 के दौरान एवं अन्त तक किये गये विस्तृत पूंजीगत व्यय को प्रदर्शित करता है।

विवरण संख्या 14 - वर्ष 2004–05 के अन्त तक सांविधित निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त पूंजी कम्पनियों, सहकारी बैंकों एवं सोसाइटियों में राज्य सरकार के निवेश का विस्तृत विवरण दर्शाता है।

विवरण संख्या 15 - वर्ष 2004–05 के अन्त तक पूंजीगत तथा अन्य व्यय तथा प्रमुख स्रोत जिनसे निधियों को व्यय हेतु प्रदान किया गया, को प्रदर्शित करता है।

विवरण संख्या 16 - ऋण, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा के अन्तर्गत सम्बन्धित लेखा शीर्षों के प्राप्तियों, संवितरणों तथा शेषों का विस्तृत लेखा देता है।

विवरण संख्या 17 - उत्तर प्रदेश सरकार के ऋण तथा अन्य ब्याज सम्बन्धी दायित्वों का विस्तृत लेखा प्रदर्शित करता है।

विवरण संख्या 18 - उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम वर्ष के दौरान प्रतिदान की राशि, 31 मार्च 2005 का शेष तथा वर्ष के दौरान प्राप्त किये गये ब्याज को दर्शाता है।

विवरण संख्या 19 - रक्षित निधि के विशेष कार्य के लिये अलग से रखे गये शेष का विस्तृत विवरण देता है।

1.2 गत वर्ष के सन्दर्भ में वित्त की प्रवृत्ति

गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के राज्य सरकार का वित्त निम्नलिखित था :

(करोड़ रुपये में)

2003–04	क्रम संख्या	मुख्य समूह	2004–05
31638	1	**राजस्व प्राप्तियां (2+3+4)**	**37617**
13601	2	कर राजस्व	15693
2282	3	कर भिन्न राजस्व	2720
15755	4	अन्य प्राप्तियां	19204
12498	5	**ऋण रहित पूंजीगत प्राप्तियां**	**278**
12498	6	जिसमें ऋणों की वसूली	278
44136	7	**कुल प्राप्तियां (1+5)**	**37895**
53541	8	**आयोजनेत्तर व्यय (9+11+12)**	**40688**
46945	9	राजस्व लेखे पर	39512
10124	10	जिसमें ब्याज भुगतान	11873
5883	11	पूंजीगत लेखे पर	1035
713	12	ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण	141
7242	13	**आयोजनागत व्यय (14+15+16)**	**10204**
3276	14	राजस्व लेखे पर	5098
3437	15	पूंजीगत लेखे पर	4618
529	16	ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण	488
60783	17	**कुल व्यय (8+13)**	**50892**
18583	18	**राजस्व घाटा (9+14-1)**	**6993**
16647	19	**राजकोषीय घाटा (17-1-5)**	**12997**
6523	20	**प्राथमिक घाटा (19-10)**	**1124**

1.3 वर्ष में प्राप्तियों एवं संवितरणों का सारांश

सारणी 1 में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के वर्ष 2004–05 के वित्त का सारांश दिया गया है जिसमें वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियां एवं व्यय, पूंजीगत प्राप्तियां एवं व्यय, लोक ऋण प्राप्तियां एवं संवितरण, आकस्मिकता निधि प्राप्तियां एवं संवितरण तथा लोक लेखा प्राप्तियां एवं संवितरण जो कि वित्त लेखा के विवरण 1 तथा अन्य विस्तृत विवरणों से उद्घटित हुआ है।

सारणी 1: वर्ष 2004–2005 के लिये प्राप्तियों एवं संवितरणों का सारांश

(करोड़ रुपये में)

2003–04	प्राप्तियां	2004–05	2003–04	संवितरण	2004–05		
भाग अ : राजस्व							
					आयोजनेत्तर	आयोजनागत	योग
31637.96	1. राजस्व	37617.44	50221.11	1. राजस्व व्यय	39512.26	5098.09	44610.35
13601.22	कर राजस्व	15692.67	19540.53	सामान्य सेवायें	22692.09	69.34	22761.43
2282.08	कर भिन्न राजस्व	2720.29	10354.35	सामाजिक सेवायें	9621.41	3468.31	13089.72
13272.97	संघीय करों/शुल्कों का अंश	15055.20	18969.70	आर्थिक सेवायें	5415.83	1560.44	6976.27
2481.69	भारत सरकार से अनुदान	4149.28	1356.53	सहायक अनुदान/अंशदान	1782ण्93	-----	1782ण्93
भाग ब : पूँजी							
	2. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	----	9320.35	2.पूंजीगत परिव्यय	1034.62	4618.73	5653.35
12497.76	3.ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	277.63	1242.37	3. ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण	141.28	487.70	628.98
22109.53	4. लोक ऋण प्राप्तियां[1]	17463.25	8987.43	4. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	9156.70	----	9156.70
52.11	5. आकस्मिकता निधि	75.69	85.33	5. आकस्मिकता निधि	43.31	----	43.31
46875.31	6. लोक लेखा प्राप्तियां	45212.58	43497.74	6. लोक लेखा संवितरण	40262.49	----	40262.49
(-)32.59	प्रारम्भिक अवशेष	(-)196.25	(-)196.25	अंतिम अवशेष	95.16	----	95.16
113140.08	**योग**	***100450.34***	***113140.08***	**योग**	***90245.82***	***10204.52***	***100450.34***

[1]शुद्ध अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट भी सम्मिलित किये गये है।

1.4 लेखापरीक्षा प्रणाली

वित्त लेखे पर लेखापरीक्षा टिप्पणी वर्ष 2004–05 के वित्त लेखे के विवरणों तथा मुख्य राजकोषीय समूहों की प्राप्तियों एवं व्यय को प्रदर्शित करता है तथा आवश्यकतानुसार इनको समयबद्ध आंकड़ों ***(परिशिष्ट 1.1–1.4)*** तथा आवर्तक तुलनाओं के परिप्रेक्ष्य में दिखाता है।

प्राचलिक सूचनाओं को बाक्स 1.2 में प्रदर्शित किया गया है।

प्राचलिक सूचनायें
बाक्स–1.2

मुख्य राजकोषीय समूह जैसे कि कर एवं कर-भिन्न राजस्व तथा पूंजीगत व्यय, आंतरिक एवं वाह्य ऋण तथा राजस्व एवं राजकोषीय घाटे को वर्तमान बाजार भाव पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में प्रदर्शित किया गया है। वर्ष 1993–94 पर आधारित नई सकल राज्य घरेलू उत्पाद श्रृंखला राज्य सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी ब्यूरो प्रकाशन पर आधारित है।

कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, राजस्व व्यय इत्यादि उत्प्लावकता प्रक्षेप को अस्थिर वर्ग के अग्रेतर अनुमान हेतु भी प्रदान किया गया है जिसका आधार सकल राज्य घरेलू उत्पाद है।

अधिकांश अनुक्रमों हेतु वर्ष 2000–01 से 2004–05 के दौरान वृद्धि के प्रवृत्ति को दिखाया गया है। पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन दिनांक 9.11.2000 को पुनर्गठित राज्यों उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल में हुआ था। इसलिये सरकार के वित्तीय प्रदर्शन में संयुक्त उत्तर प्रदेश राज्य एवं उत्तरांचल की

8.11.2000 तक एवं 9.11.2000 से पुनर्गठित राज्य उत्तर प्रदेश के सन्दर्भ में वित्त लेखे के आंकड़ों को लिया गया है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष अनुपातों को भी दिखाया गया है। यहां पर प्रयोग में लाये गये कुछ शब्दों को ***परिशिष्ट -1.5*** में विस्तारित किया गया है।

उपयोग में लाये गये मुख्य सूचकों का उद्देश्य है : **(i)** परिमाण एवं साधन द्वारा संसाधन **(ii)** संसाधनों का उपयोग **(iii)** परिसम्पत्तियां एवं देयतायें तथा **(iv)** घाटों का प्रबन्धन। लेखापरीक्षा टिप्पणियों में संसाधन संग्रहण उपलब्धियों का संचयी प्रभाव, ऋण सेवा तथा शोधक राजकोषीय मापदण्ड को भी सम्मिलित किया गया है। राज्य सरकार को एक कारपोरेट बॉडी मानते हुये समस्त वित्तीय प्रदर्शन को अनुपातों के समूह जो सामान्यतः राजकोषीय समूह की सम्बन्धी व्याख्या हेतु लिया गया है द्वारा प्रदर्शित किया गया है।

राज्य सरकार के लेखों को तीन भागों में रखा गया है– **(i)** समेकित निधि **(ii)** आकस्मिकता निधि तथा **(iii)** लोक लेखा। इनका विवरण बाक्स -1.3 में दिया गया है।

बाक्स 1.3
राज्य सरकार की निधियां एवं लोक लेखा

समेकित निधि	आकस्मिकता निधि
राज्य सरकार की समस्त राजस्व प्राप्तियां, ट्रेजरी बिलों के जरिये उगाहे गये समस्त ऋण, आन्तरिक एवं वाह्य ऋण तथा सरकार द्वारा ऋणों के भुगतान हेतु प्राप्त समस्त धनराशि एक समेकित निधि का गठन करेगा जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अन्तर्गत गठित 'राज्य की समेकित निधि' नाम से जाना जाता है	संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अन्तर्गत राज्य की आकस्मिकता निधि का गठन होता है जो एक प्रकार का अग्रदाय है जिसमें से अति आवश्यक अनपेक्षित व्यय के पूरा करने हेतु अग्रिम लिया जाता है जो राज्यपाल के अधिकार में है। इस प्रकार के व्यय हेतु तथा बाद में इसी के बराबर की धनराशि के समेकित निधि से आहरण हेतु विधान मण्डल की संस्तुति प्राप्त की जाती है।
लोक लेखा	
समेकित निधि से संबंधित प्राप्तियों एवं व्यय के अतिरिक्त कुछ दूसरे लेनदेन भी सरकार के लेखों में शामिल होते हैं जिनके सम्बंध में सरकार एक बैंकर की तरह कार्य करती है। कुछ उदाहरण भविष्य निधि, लघु बचतों, अन्य निक्षेप, इत्यादि से सम्बन्धित लेन देन हैं। अतः इस प्रकार प्राप्त लोक धनराशि को संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अन्तर्गत लोक लेखा में रखा जाता है एवं सम्बन्धित संवितरण इसी से किया जाता है।	

1.5 मुख्य सूचकों के अनुसार राज्य के वित्त

1.5.1 परिमाण एवं साधन के द्वारा संसाधन

राज्य सरकार के संसाधनों में राजस्व प्राप्तियां एवं पूंजीगत प्राप्तियां शामिल होती हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, कर भिन्न राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश तथा केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायक अनुदान सम्मिलित हैं। पूंजीगत प्राप्तियों में विनिवेश से प्राप्त आगम जैसी विविध पूंजीगत प्राप्तियां ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियां, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ, जैसे बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों इत्यादि से लिये गये उधार, लोक लेखा से संभूति तथा भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं।

वर्ष 2004–05 में राज्य सरकार की कुल प्राप्तियां 100571 करोड़ रुपये थी जैसा कि सारणी 2 में प्रदर्शित है। इसमें राजस्व प्राप्तियां 37617 करोड़ रुपये थी जो कि कुल प्राप्तियों का मात्र 37 प्रतिशत थी। प्राप्तियों का शेष उधार एवं लोक लेखा प्राप्तियों से पूरित हुई।

सारणी 2 : उत्तर प्रदेश के संसाधन

(करोड़ रुपये में)

I. राजस्व प्राप्तियां	*37617*
II. पूंजीगत प्राप्तियां	*17741*
अ. विविध प्राप्तियां	
ब. ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	*278*
स. लोक ऋण प्राप्तियां	*17463*
III. लोक लेखा प्राप्तियां	*45213*
अ. लघु बचतें, भविष्य निधि, इत्यादि	*3226*
ब. आरक्षित निधि	*2710*
स. निक्षेप एवं अग्रिम	*2395*
द. उचन्त एवं विविध	*21787*
इ. प्रेषण	*5095*
कुल प्राप्तियां	*100571*

वर्ष 2000–2005 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद तथा विभिन्न शीर्षों में राजस्व प्राप्तियों के स्रोत को सारणी 3 में दिखाया गया है।

सारणी 3 : प्राप्तियों का संसाधन–प्रवृत्ति

(करोड रुपये में)

वर्ष	राजस्व प्राप्तियां	पूंजीगत प्राप्तियां			कुल प्राप्तियां	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
		ऋण रहित प्राप्तियां	ऋण प्राप्तियां	लोक लेखा में संभूति		
2000-01	24743	296	9251	37567	71857	180948
2001-02	25598	366	11383	36965	74312	187141
2002-03	27821	219	12390	37327	77757	202904
2003-04	31638	12498	22110	46875	113121	217573
2004-05	37617	278	17463	45213	100571	235678

1.5.2 राजस्व प्राप्तियां

वित्त लेखे का विवरण–11 सरकार के राजस्व प्राप्तियों को विवरणित करता है।समग्र राजस्व प्राप्तियां, इसकी वार्षिक वृद्धि दर, राज्य की सकल घरेलू उत्पाद (स रा घ उ) प्राप्तियों का अनुपात तथा इनकी उत्प्लावकता को सारणी 4 में प्रदर्शित किया गया है।

सारणी 4 : राजस्व प्राप्तियां – मुख्य प्राचल

(मूल्यः करोड़ रुपये में एवं अन्य प्रतिशत में)

	2000–01	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05
राजस्व प्राप्तियां	**24743**	**25598**	**27821**	**31638**	**37617**
अपना कर#	44.38	40.35	45.89	42.99	41.72
कर भिन्न राजस्व#	7.86	6.98	6.88	7.21	7.23
केन्द्रीय करों का स्थानान्तरण#	36.56	39.80	38.93	41.95	40.02
सहायक अनुदान#	11.21	12.86	8.30	7.85	11.03
वृद्धि दर♦	**15.11**	**3.46**	**8.68**	**13.72**	**18.90**
राजस्व प्राप्तियां/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	**13.67**	**13.68**	**13.71**	**14.54**	**15.96**
राजस्व उत्प्लावकता	**1.311**	**1.010**	**1.031**	**1.898**	**2.271**
सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि	**11.53**	**3.42**	**8.42**	**7.23**	**8.32**
अपना कर की राजस्व उत्प्लावकता	**1.457**	**(-) 1.731**	**2.802**	**0.903**	**1.848**

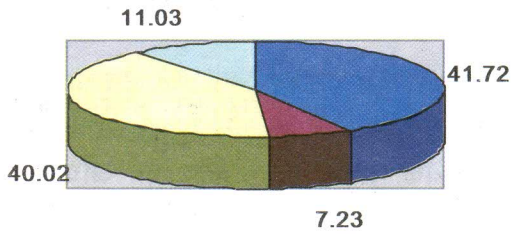
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में।

♦ नवंबर 2000 में राज्य के द्विभाजन के कारण राजस्व प्राप्तियों और अन्य प्राचलों में दृढता से तुलना नहीं की जा सकती जबकि यह सभी प्राचलों को समान रूप से प्रभावित करता है तो भी सम्बन्धित अंशो और उत्प्लावकता एवं प्राप्त निर्देशकों की तुलना की जा सकती है।

राज्य की राजस्व प्राप्तियां वर्ष 2000–01 में 24743 करोड़ रुपये से बढकर वर्ष 2004–05 में 37617 करोड़ हो गयी। पिछले वर्ष से वर्तमान वर्ष में 5979 करोड़ रुपये की वृद्वि मुख्यतया संघीय करों का अंश (1782 करोड़ रुपये), भारत सरकार से सहायता अनुदान (1667 करोड़ रुपये) एवं व्यापार कर (1204 करोड़ रुपये) के कारण थी।

जबकि राजस्व का औसतन 49 प्रतिशत भाग राज्य के अपने संसाधनों से प्राप्त हुआ, केन्द्रीय करों के स्थानान्तरण तथा सहायता अनुदान मिलकर कुल राजस्व के 51 प्रतिशत भाग को पोषित करते रहे। व्यापार कर राज्य के अपने कर का वृहद् भाग था जिसका योगदान कर राजस्व में 57 प्रतिशत था, इसके बाद राज्य आबकारी एवं मुद्रांक एवं पंजीकरण शुल्क (प्रत्येक 17 प्रतिशत) थे। कर–भिन्न राजस्व स्रोतों में मुख्य योगदान ब्याज प्राप्तियां (22 प्रतिशत), शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति (21 प्रतिशत), अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग (11 प्रतिशत) एवं ऊर्जा (9 प्रतिशत) का था।

वर्ष 2004–05 के लिए राजस्व प्राप्तियॉं
(प्रतिशत में)



राज्य सरकार द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के लागत की अल्प वसूली के कारण कुल राजस्व प्राप्तियों में कर–भिन्न राजस्व का भाग आपेक्षिक रूप से कम था सरकार द्वारा योग्य वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर लागत की वसूली[1] कर वर्तमान स्तर लोक निर्माण में 6.43 प्रतिशत, शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति में 7.99 प्रतिशत, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य में 2.58 प्रतिशत, जल आपूर्ति एवं सफाई में 0.04 प्रतिशत, वृहद् एवं मध्यम सिंचाई में 15.27 प्रतिशत एवं ऊर्जा में 16.80 प्रतिशत थी।

1.6 संसाधनों का उपयोग

1.6.1 प्रवृत्ति एवं वृद्धि

वित्त लेखे का विवरण 12 राजस्व व्यय को लघु शीर्षवार तथा पूंजीगत व्यय को मुख्य शीर्षवार दर्शाता है। राज्य का कुल व्यय वर्ष 2000–01 में 35216 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2004–05 में 50892 करोड़ रुपये हो गया। व्यय के वृद्धि दर के अन्तर्गत वर्ष 2000–01 में 7.21 प्रतिशत से लेकर वर्ष 2003–04 तक 61.93 प्रतिशत तीव्र अन्तरवर्षीय भिन्नतायें थी। पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष में व्यय 9891 करोड़ रुपये (16.27 प्रतिशत) घट गया। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2004–05 में व्यय की कमी वर्ष 2003–04 में ऊर्जा क्षेत्र के ऋण (12277 करोड़ रुपये) की असामान्य वृद्धि के अपलेखन के कारण हुई। वास्तव में, सही मायने में वर्ष के दौरान व्यय में कोई कमी नहीं हुई थी।

[1] लागत की वसूली को इन क्रियाओं से प्राप्त राजस्व को राजस्व व्यय से भाग देकर निकाला गया है।

राज्य के कुल व्यय, इसकी प्रवृत्ति तथा वार्षिक वृद्धि, राज्य के स रा घ उ से व्यय का अनुपात, राजस्व प्राप्तियां तथा राजस्व प्राप्तियों एवं स रा घ उ के सम्बन्ध में इसकी उत्प्लावकता को सारणी 5 में दिखाया गया है।

सारणी 5 : कुल व्यय –मुख्य प्राचल

(मूल्यः करोड़ रुपये में एवं अन्य प्रतिशत में)

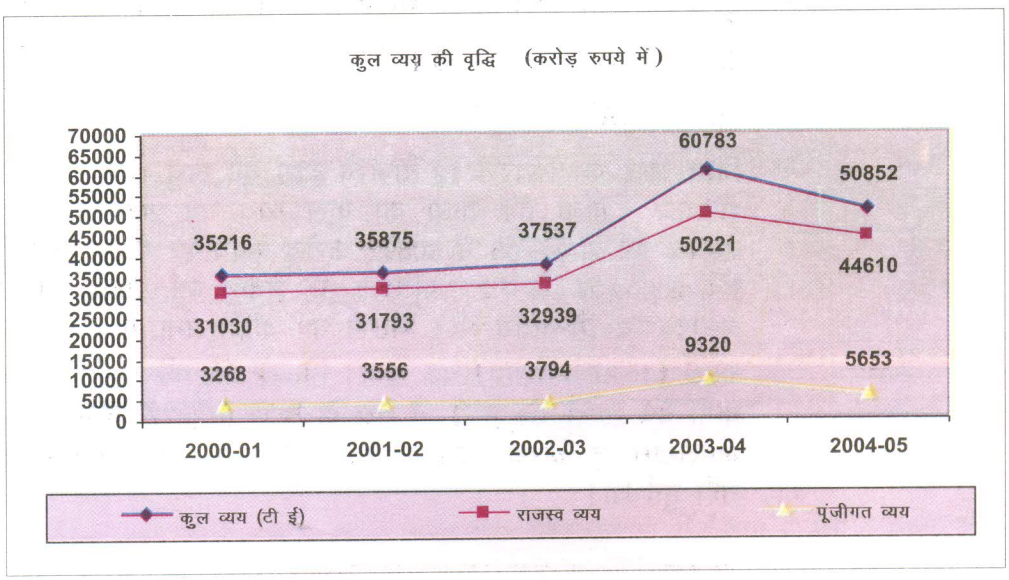
	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
कुल व्यय	35216	35875	37537	60783	50892
वृद्धि दर	7.18	1.87	4.63	61.93	(-)16.27
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	19.46	19.17	18.50	27.94	21.59
राजस्व प्राप्तियां/कुल व्यय	70.26	71.35	74.12	52.05	73.92
कुल व्यय की उत्प्लावकता					
स रा घ उ के साथ	0.623	0.547	0.550	8.566	--
राजस्व प्राप्तियों के साथ	0.475	0.542	0.533	4.514	--

राजस्व प्राप्तियों की कुल व्यय से अनुपात वर्ष 2000–01 में 70.26 प्रतिशत से बढ़कर आंशिक वर्ष 2002–03 में 74.12 प्रतिशत हो गया और वर्ष 2003–04 में घटकर 52.05 प्रतिशत हो गया जो वर्ष 2004–05 में पुनः बढ़कर 73.92 प्रतिशत हो गया। यह इंगित करता है कि वर्ष 2004–05 में व्यय का 93.92 प्रतिशत भाग इसके वर्तमान राजस्व से पूरित हुआ, अवशेष भाग को उधार से वित्त पोषित किया गया।

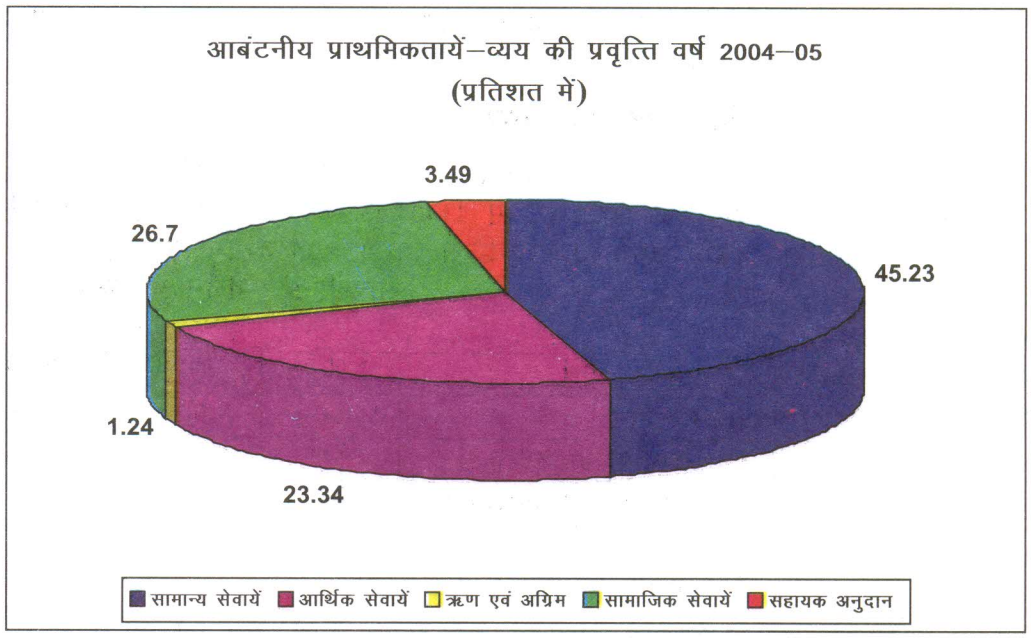
कार्यकलापों के सन्दर्भ में कुल व्यय को ब्याज भुगतान, सामान्य सेवायें, सामाजिक एवं आर्थिक सेवायें तथा ऋण एवं अग्रिमों पर व्यय के सुगठित रूप में समझा जा सकता है। इन घटकों के कुल व्यय में अनुपाती अंश को सारणी 6 में दर्शाया गया है।

सारणी 6 : व्यय के घटक–अनुपाती अंश (प्रतिशत में)

	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
सामान्य सेवायें	43.34	45.45	42.39	32.52	45.23
सामाजिक सेवायें	26.92	26.61	28.23	17.58	26.70
आर्थिक सेवायें	24.06	23.88	24.13	45.63	23.34
सहायक अनुदान	3.07	2.59	3.11	2.23	3.49
ऋण एवं अग्रिम	2.61	1.47	2.14	2.04	1.24



व्यय के इन घटकों के अनुपाती अंश का चलन यह इंगित करता है कि जबकि कुल व्यय में आर्थिक सेवाओं एवं सामाजिक सेवाओं का अंश वर्ष 2000–01 में 24.06 एवं 26.92 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2004–05 में 23.34 और 26.70 प्रतिशत हो गया, सामान्य सेवाओं का अनुपाती अंश वर्ष 2000–01 में 43.34 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2004–05 में 45.23 प्रतिशत हो गया। जबकि कुल व्यय में सामान्य सेवाओं का अंश 32.52 प्रतिशत (2003–04) से बढकर 45.23 प्रतिशत (2000–05) हो गया, आर्थिक सेवाओं का अंश उसी अवधि में 45.36 प्रतिशत से घटकर 23.34 प्रतिशत हो गया जो यह प्रदर्शित करता है कि सरकार ने वर्षावधि में विकास पर ध्यान न दिया।



1.6.2 राजस्व व्यय का प्रभाव

कुल व्यय में राजस्व व्यय का मुख्य अंश था। आमतौर पर राजस्व व्यय को परिसम्पत्तियों के वर्तमान स्तर को बनाये रखने एवं सेवाओं हेतु उपगत किया जाता है।

समस्त राजस्व व्यय, इसकी वृद्धि दर, राजस्व व्यय का राज्य के स रा घ उ से अनुपात तथा राजस्व प्राप्तियों एवं स रा घ उ, दोनों से इसकी उत्प्लावकता को सारणी 7 में दर्शाया गया है।

सारणी 7 : राजस्व व्यय–मुख्य प्राचल
(मूल्य : करोड़ रुपये में तथा अन्य प्रतिशत में)

	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
राजस्व व्यय	31030	31793	32939	50221	44610
वृद्धि दर	7.94	2.46	3.60	52.47	(-)11.17
राजस्व व्यय/स रा घ उ	17.15	16.99	16.23	23.08	18.93
कुल व्यय में राजस्व व्यय का प्रतिशत	88.11	88.62	87.75	82.62	87.66
राजस्व प्राप्तियों में राजस्व व्यय का प्रतिशत	125.41	124.20	118.40	158.74	118.59
राजस्व व्यय की उत्प्लावकता					
स रा घ उ के साथ	0.689	0.718	0.428	7.257	(-)1.343
राजस्व प्राप्तियों के साथ	0.525	0.712	0.415	3.824	(-)0.591

राज्य का राजस्व व्यय वर्ष 2000–01 में 31030 करोड से वर्ष बढ़कर 2004–05 में 44610 करोड़ रुपये हो गया।

वर्ष 2000–05 के दौरान, राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्तियों की तुलना में लगातार बढता रहा जिससे राजस्व घाटा हुआ। वर्ष 2004–05 के दौरान राजस्व घाटा में पूर्व वर्ष की तुलना में 62.37 प्रतिशत वृद्धि हुई। राजस्व व्यय का राजस्व प्राप्ति से अनुपात वर्ष 2000–01 में 125.41 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2004–05 में 118.59 प्रतिशत हो गया। राज्य की ऋणों पर निर्भरता, इसके वर्तमान व्ययों–वेतन (14058 करोड़ रुपये), ब्याज भुगतान (11873 करोड़ रुपये) और पेंशन (3561 करोड़ रुपये) जिस पर वर्ष 2004–05 में कुल राजस्व प्राप्तियों का 78 प्रतिशत भुगतान करना पडा, को पूरा करने के कारण वर्ष के दौरान स्थिर बनी रहीं।

वेतन पर उच्च व्यय

राज्य की राजस्व प्राप्तियों में वेतन पर व्यय का भाग लगभग 37 प्रतिशत था। वेतन पर व्यय वर्ष 2000–01 में 11464.43 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2004–05 में 14058.09 करोड़ रुपये हो गया जिसे सारणी 8 में दर्शाया गया है :

सारणी 8 : वेतन पर व्यय

(करोड़ रुपये में)

शीर्ष	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
वेतन पर व्यय'	11464.43*	10860.40*	12717.07**	12965.40*	14058.09
स रा घ उ से प्रतिशतता में	6.34	5.80	6.27	5.95	5.97
राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता में	46.33	42.43	45.71	40.98	37.37

* स्रोतः राज्य सरकार

** संशोधित अनुमान

यद्यपि वर्ष 2000–05 के दौरान वेतन व्यय का स रा घ उ एवं राजस्व प्राप्तियों से अनुपात घटते प्रवृत्ति का था, फिर भी यह अधिक था।

पेन्शन भुगतान पर भारी व्यय

पेन्शन भुगतान पर वर्ष 2000–01 में 2163.27 करोड़ रुपये से वर्ष 2004–05 में 3561.15 करोड़ रुपये, 64.62 प्रतिशत, की वृद्धि हुई।

वर्ष 2000–01 से 2004–05 के दौरान पेन्शन भुगतान पर व्यय का वर्षवार विवरण नीचे दिया गया है :

सारणी 9 : पेन्शन भुगतान

वर्ष	व्यय (करोड़ रुपये में)	कुल राजस्व से प्रतिशतता
2000-01	2163.27	8.75
2001-02	2391.74	9.34
2002-03	2751.13	9.89
2003-04	2900.10	9.17
2004-05	3561.15	9.47

पेंशन भुगतान में वर्ष 2004–05 में 2003–04 की तुलना में 23 प्रतिशत की वृद्धि का मुख्य कारण सेवानिवृत्ति का भुगतान था जिसे सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष से 60 वर्ष बढ़ा देने के कारण (नवम्बर 2001) स्थगित कर दिया गया था।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि के कारण, पेन्शन देयताओं की भविष्य में और अधिक बढ़ने की संभावना है। राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की तेजी से बढ़ रही पेन्शन देयताओं को पूरा करने हेतु किसी निधि का निर्माण नहीं किया है। बढ़ती हुई पेन्शन देयताओं की दर को देखते हुये, वर्तमान पेन्शन स्कीमों में सुधार विवेचनात्मक महत्व का है।

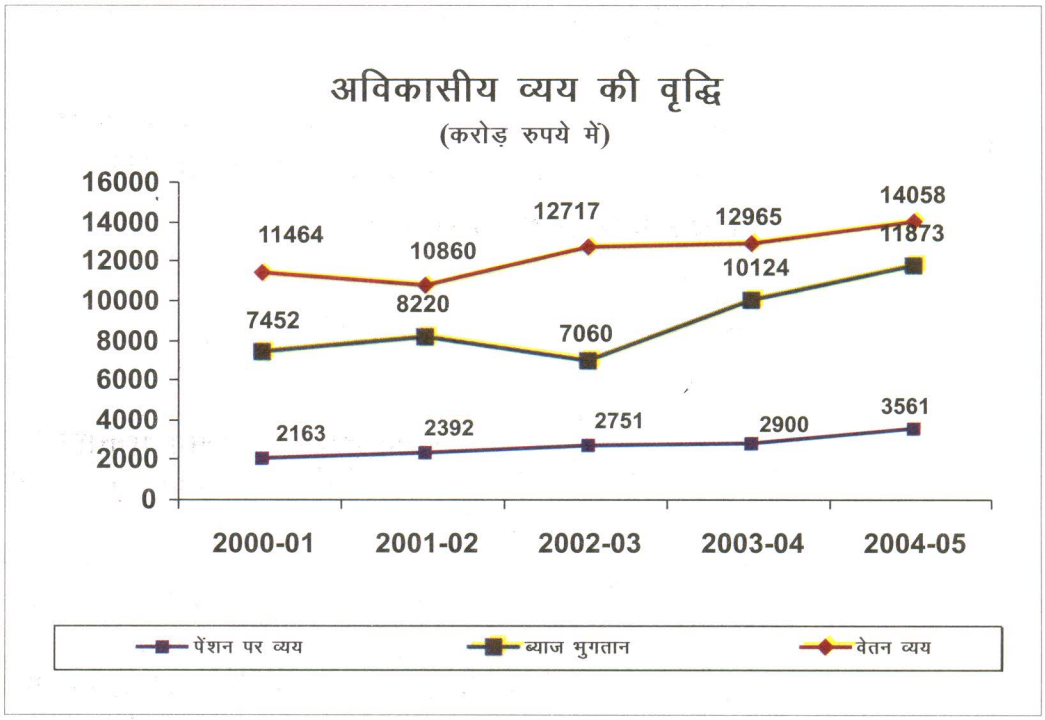
ब्याज भुगतान

ग्यारहवें वित्त आयोग (अगस्त 2000) ने अनुशंसा की थी कि एक मध्यम अवधि उद्देश्य के रूप में, राज्यों को ब्याज भुगतान का राजस्व प्राप्तियों से अनुपात 18 प्रतिशत रखने की कोशिश करनी चाहिये। लेकिन यह देखा गया कि विगत पांच वर्षों के दौरान ब्याज भुगतान की राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता 25 से 32 के बीच थी।

सारणी 10 : ब्याज भुगतान

वर्ष	ब्याज भुगतान (करोड़ रुपये में)	प्रतिशत के सन्दर्भ में ब्याज भुगतान	
		राजस्व प्राप्तियां	राजस्व भुगतान
2000-01	7452	30	24
2001-02	8220	32	26
2002-03	7060	25	21
2003-04	10124	32	20
2004-05	11873	32	27

वस्तुतः ब्याज भुगतान महत्तवपूर्ण बढ़ोत्तरी के साथ वर्ष 2000–01 में 7452 करोड़ रुपये से वर्ष 2004–2005 में 11873 करोड़ रुपये हो गया जिसका मुख्य कारण राजकोषीय घाटे के वित्त साधन हेतु ऋणों पर लगातार निर्भर होना था। फिर भी, वर्ष 2002–03 में ब्याज भुगतान में गिरावट आई जो कि वर्ष 2003–04 में पुनः 43 प्रतिशत बढ गया और आगे फिर वर्ष 2004–05 में 17 प्रतिशत बढ गया, जबकि पिछले कुछ वर्षों में ब्याज दर घटी है।



1.7 आबंटनीय प्राथमिकताओं द्वारा व्यय

आयोजनागत व्यय, पूंजीगत व्यय तथा विकासीय व्यय के रूप में राज्य का वास्तविक व्यय जो वित्त लेखे के विवरण 12 से प्रकट होता है राज्य की आवंटनीय प्राथमिकताओं को दर्शाता है। कुल व्यय में इन घटकों का अनुपात जितना अधिक होगा, व्यय की गुणवत्ता उतनी ही अच्छी होगी। सारणी 11 राज्य के कुल व्यय में इन घटकों के व्यय के प्रतिशत अंश को दिखाती है :

सारणी 11 : व्यय की गुणवत्ता (कुल व्यय' से प्रतिशत)

	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
आयोजनागत व्यय	19.09	17.63	18.88	11.27	19.33
पूंजीगत व्यय	9.53	10.06	10.33	15.65	11.25
विकासीय व्यय	52.34	51.25	53.51	64.53	50.66

कुल व्यय में ऋणों एवं अग्रिमों पर व्यय शामिल नहीं है।

विकासीय व्यय को छोडकर जो वर्ष 2000–01 में 52.34 प्रतिशत से 2004–05 में घटकर 50.66 प्रतिशत हो गया, के अतिरिक्त व्यय के अन्य दो घटकों ने वर्ष 2000–05 के दौरान पार्श्ववर्ती सुधार दर्शाया। पिछले वर्ष में पूंजीगत व्यय का भाग 15.65 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2004–05 में 11.25 प्रतिशत हो गया, इस प्रकार वर्ष के दौरान व्यय की गुणवत्ता घट गई।

सामाजिक सेवाओं पर व्यय (13586 करोड़ रुपये) विकासीय व्यय का 53 प्रतिशत रहा।इनमें से शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर (7379 करोड़ रुपये) चिकित्सा एवं परिवार कल्याण पर (2255 करोड़ रुपये) और समाज कल्याण एवं पोषण पर (1691 करोड़ रुपये) व्यय, सामाजिक क्षेत्र पर व्यय का 83 प्रतिशत था।

सारणी 12 : सामाजिक क्षेत्र पर व्यय

(करोड़ रुपये में तथा स रा घ उ कोष्ठक में)

	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
शिक्षा,खेलकूद,कला एवं संस्कृति	6173	6088	6137	6316	7379
चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	1459	1377	1579	1897	2255
समाज कल्याण एवं पोषण	532	549	1234	883	1691
योग	**8164**	**8014**	**8950**	**9096**	**11325**

वर्ष के दौरान आर्थिक सेवाओं पर व्यय (11878 करोड़ रुपये) विकासीय व्यय (25464 करोड़ रुपये) का 47 प्रतिशत रहा। ऊर्जा, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण तथा ग्राम्य विकास पर व्यय आर्थिक सेवाओं के व्यय का 60 प्रतिशत था।

सारणी 13 : आर्थिक क्षेत्रों पर व्यय

(करोड़ रुपये में)

	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
ऊर्जा	780	1091	746	19673	2490
सिंचाई एवं बाढ नियंत्रण	2153	2108	2265	2221	2459
ग्राम्य विकास	1854	1828	2040	2036	2209
योग	**4787**	**5027**	**5051**	**23930**	**7158**

1.7.1 स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

स्वायत्त निकाय एवं प्राधिकरण सामान्यतया अवाणिज्यिक कार्यों हेतु स्थापित किये जाते हैं। ये निकाय/प्राधिकरण सम्बन्धित राज्य तथा केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत/स्थापित होते हैं तथा नगरपालिका तथा स्थानीय निकायों के अन्तर्गत शैक्षिक संस्थाओं, चिकित्सालयों, चैरीटेबल संस्थानों का अनुरक्षण, विद्यालयों एवं चिकित्सालय भवनों का निर्माण तथा अनुरक्षण, सड़कों का सुधार तथा अन्य सम्पर्क सुविधाओं के अभीष्ट उद्देश्य हेतु पर्याप्त सरकारी अनुदान प्राप्त करते हैं।

वर्ष 2004–05 की अवधि में विभिन्न स्वायत्त निकायों एवं अन्य को विशेष उददेश्यों हेतु अनुदान/ऋण की धनराशि जो 721.43 करोड़ रुपये एवं सहायता 2818.28 करोड़

रुपये (कुल : 3539.71 करोड़ रुपये) दिये गये जिसे विस्तृत रुप से निम्नवत दर्शाया गया है:

सारणी 14 : स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	संस्थानों के नाम	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
1	विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थान	849.06	147.42	1.64	703.08	181.00
2	ऊर्जा	294.01	88.56	277.57	1224.35	1147.26
3	कृषि, भूमि सुधार तथा वानिकी	738.75	34.01	0.05	146.21	267.66
4	नगर निगम तथा नगरपालिकायें	1084.63	50.89	77.40	68.73	89.99
5	चिकित्सालय एवं चैरिटेबल संस्थायें	390.84	60.26	37.62	244.66	248.13
6	विकास अभिकरण	29.53	1300.62	---	835.46	288.49
7	श्रम एवं उद्योग	350.58	171.25	157.56	186.17	150.57
8	सहकारिता	43.86	47.18	---	5.78	10.81
9	पशुपालन, दुग्ध विकास तथा मत्स्य	17.30	9.91	5.00	33.92	10.38
10	चीनी एवं गन्ना	---	124.63	201.69	---	26.86
11	अन्य	40.00	4.13	---	4.47	1118.56
	योग	**3838.56**	**2038.86**	**758.53**	**3452.83**	**3539.71**
	गत वर्ष से बढ़ोत्तरी की प्रतिशतता	**(-) 44**	**(-) 47**	**(-) 63**	**355**	**2.52**
	राजस्व व्यय के सापेक्ष सहायता की प्रतिशतता	**12**	**7**	**2**	**7**	**8**

विश्वविद्यालयों तथा शैक्षिक संस्थानों में कमी का मुख्य कारण भारत सरकार द्वारा साहित्यिक एवं वैकल्पिक शिक्षा के लिए कम अनुदान दिया जाना था। 'अन्य' हेतु अधिक बढ़ोतरी का कारण राज्य वित्त आयोग की संस्तुति पर पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ करने हेतु सरकार द्वारा अतिरिक्त धन दिया जाना था।

लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

नियन्त्रक महालेखापरीक्षक अधिनियम 1971 (कर्तव्य, शक्तियां एवं शर्तें) की धारा 19 (3) एवं 20 (1) के अन्तर्गत सात स्वायत्त निकायों के एक से दस वर्षों की अवधि के लेखे प्रधान महालेखाकार को लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जिसका विवरण निम्नवत है।

सारणी 15 : लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

क्र. सं.	संस्था का नाम	नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को लेखों की लेखा परीक्षा प्रस्तुत किये जाने की अद्यतन अवधि	अवधि जबसे लेखे वांछित हैं (वर्ष)
		धारा 19(3)	
1.	उ0प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड	1998-2003	2002-03 (01)
		धारा 20(1)	
2.	आगरा जल संस्थान	2001-2010	1995-96 से 2004-05 (10)
3.	इलाहाबाद जल संस्थान	2001-2010	2000-01 से 2004-05 (5)
4.	झांसी जल संस्थान	2001-2010	2001-02 से 2004-05 (4)
5.	कानपुर जल संस्थान	2001-2010	1997-98 से 2004-05 (8)
6.	लखनऊ जल संस्थान	2001-2010	2004-05 (1)
7.	वाराणसी जल संस्थान	2001-2010	2001-02 से 2004-05 (4)

सांविधिक लेखापरीक्षा व्यवस्था

विकास प्राधिकरणों, नगर निगमों, शासकीय सहायता प्राप्त डिग्री कालेजों, विश्वविद्यालयों इत्यादि की सांविधिक लेखापरीक्षा निदेशक, स्थानीय निधि लेखा द्वारा की जाती है। सहकारी समितियों एवं पंचायतों की लेखापरीक्षा मुख्य लेखापरीक्षक, सहकारी समितियां एवं पंचायतें द्वारा की जाती है।

सहकारी समितियों की 13568 इकाईयों में से 8271 इकाईयों (60.96 प्रतिशत) की 2000–01 से 2004–05 की अवधि की सांविधिक लेखापरीक्षा बकाया थी।

1.7.2 दुरूपयोग, गबन इत्यादि

राज्य सरकार द्वारा दुरुपयोग,गबन इत्यादि के 92 मामले रिपोर्ट किये गये जिनमें 4.82 करोड रुपये का सरकारी धन सम्बद्ध था। ये मामले वर्ष 1966–67 से मार्च 2005 के अंत तक की अवधि के थे जिनमें दिसम्बर 2005 के अंत तक अन्तिम कार्यवाही नहीं की गई थी। विभागवार/वर्षवार एवं श्रेणीवार बकाया मामलों का विवरण ***परिशिष्ट -1.6 एवं 1.7*** में क्रमशः दिया गया है।

1.8 परिसम्पत्तियां तथा देयतायें

सरकारी लेखा प्रणाली सरकार के अपने भूमि, भवनों इत्यादि जैसी अचल परिसम्पत्तियों को विस्तृत लेखाबद्ध नहीं करती है। फिर भी सरकारी लेखे सरकार की वित्तीय देयताओं तथा व्यय द्वारा सृजित परिसम्पत्तियों को समाहित करते हैं। वित्त लेखे का विवरण 16 जिसका विस्तार विवरण 17 में होता है ऋण, निक्षेप तथा प्रेषण शीर्षों के वर्षान्त शेषों को प्रदर्शित करता है।

परिशिष्ट -1.1 31 मार्च 2005 को ऐसी देयताओं एवं परिसम्पत्तियों के सार को प्रस्तुत करता है जो 31 मार्च 2004 की तुल्य स्थिति से तुलना करती है। जबकि इस विवरण में मुख्यतया राज्य सरकार के ऋण की धनराशि होती है जैसे कि आन्तरिक ऋण, भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम लोक लेखा एवं रक्षित निधि से प्राप्ति, परिसम्पत्तियों में मुख्य रूप से पूंजीगत व्यय तथा राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम शामिल होते हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार की देयताओं को वित्त लेखे में दिखाया जाता है हांलाकि इसमें सेवारत/सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों को देय पेन्शन, अन्य सेवानिवृत्त लाभ, राज्य सरकार द्वारा जारी लेटर्स ऑफ कमफर्ट शामिल नही हैं। ***परिशिष्ट -1.4*** अवधि 2000–2005 के लिए राज्य सरकार के वित्त पर समयबद्ध आंकड़े दर्शाती है।

1.8.1 सिंचाई निर्माण कार्यों के वित्तीय परिणाम

जैसा कि सरकार द्वारा बताया गया था, मार्च 2005 के अन्त तक 16 वृहद् सिंचाई परियोजनाओं पर 3897.24 करोड़ रुपये का पूंजीगत परिव्यय किया गया। यह दर्शाता है कि वर्ष 2004–05 की अवधि के दौरान इनसे राजस्व की प्राप्ति (35.33 करोड़ रुपये) नगण्य (0.91 प्रतिशत) थी, जो वर्ष 2004–05 के दौरान प्रत्यक्ष कार्यशील व्यय (99.48 करोड़ रुपये) के पूंजीगत परिव्यय को भी पूरा करने में अक्षम था। कार्यशील एवं अनुरक्षण व्यय (100.47 करोड़ रुपये) तथा ब्याज व्यय (200.15 करोड़ रुपये) को पूरा करने के उपरान्त योजनाओं पर 265 करोड़ रुपये का घाटा हुआ।

1.8.2 अपूर्ण परियोजनायें

राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 31 मार्च 2005 तक एक करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली 35 परियोजनायें अपूर्ण थीं जिनपर 5804.47 करोड़ रुपये अवरुद्ध थे, विवरण नीचे दिया गया है :

सारणी 16 : अपूर्ण परियोजनायें

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	विभाग का नाम	परियोजनाओं की संख्या	मूल अनुमानित लागत	संशोधित अनुमानित लागत	मार्च 2005 तक व्यय	समय वृद्धि के कारण लागत वृद्धि की प्रतिशतता (प्रतिशत)
1	सिंचाई	08	1928.38	5026.16	2533.45	160.64
2	लोक निर्माण विभाग	27	13759.25	13838.74	3271.02	0.58
	योग	**35**	**15687.63**	**18864.90**	**5804.47**	**20.25**

परिणामस्वरूप इन परियोजनाओं पर (मार्च 2005) पर 5804.47 करोड़ रुपये का व्यय अनुत्पादक रहा। लागत वृद्धि (160.64 प्रतिशत) वृहद् एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से सम्बन्धित था।

1.8.3 निवेश एवं प्रतिफल

31 मार्च 2005 तक, सरकार ने सांविधिक निगमों, संयुक्त पूंजी कम्पनियों तथा सहकारिता में 9535.57 करोड़ रुपये का निवेश किया था। इन निवेशों पर सरकार का प्रतिफल शून्य था जैसा कि सारिणी 17 में नीचे दिखाया गया है:

सारणी 17 : निवेश पर प्रतिफल

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	वर्ष के अन्त तक निवेश	प्रतिफल	प्रतिफल की प्रतिशतता	सरकार द्वारा ऋण लेने पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)
2000-2001	3962.89	6.27	0.16	9.58
2001-2002	4033.27	6.24	0.15	9.49
2002-2003	9049.70[1]	7.26	0.08	7.22
2003-2004	9412.65[2]	7.40	0.07	9.13
2004-2005	9535.57	--	--	9.47

1.8.4 राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम

निवेश के अतिरिक्त, इनमें बहुत सी निकायों को सरकार ऋण एवं अग्रिम दे रही है। 31 मार्च 2005 (सारिणी 18) को ऋण एवं अग्रिमों का कुल बकाया अवशेष 8060 करोड़ रुपये था। कुल मिलाकर, इन अग्रिमों के विरुद्ध प्राप्त ब्याज वर्ष 2000–01 में 0.21 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2004–05 में 1.33 प्रतिशत हो गया। इन ऋण एवं अग्रिमों पर वर्ष 2004–05 की अवधि में वसूला गया व्यय 8.16 प्रतिशत था जो सरकार के औसत ऋण पर 9.47 प्रतिशत से कम था।

सारिणी 18 : राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण पर प्राप्त औसत ब्याज

(करोड़ रुपये में)

	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
प्रारम्भिक शेष	17596	18218	18379	18965	7709
वर्ष के दौरान दी गई राशि	918	527	805	1242	629
वर्ष के दौरान प्रतिदान की राशि	296	366	219	12498	278
अन्तिम अवशेष	**18218**	**18379**	**18965**	**7709**	**8060**
शुद्ध वृद्धि (+)/ कमी(–)	623	161	586	(-)11256	351
प्राप्त ब्याज (करोड़ रुपये में)	39	51	42	187	106
प्राप्त ब्याज, बकाया ऋण एवं अग्रिम के प्रतिशत के रूप में	0.21	0.28	0.22	2.43	1.31
राज्य द्वारा भुगतान किये गये ब्याज की औसत दर	9.58	9.49	7.22	9.13	9.47
ब्याज भुगतान तथा प्राप्ति में अन्तर	(-) 9.37	(-) 9.21	(-) 7.00	(-)6.70	(-)8.16

[1] इसमें 4044.60 करोड रुपये शामिल हैं, जिसका समाधान लम्बित है।

[2] इसमें 1834.60 करोड रुपये शामिल नहीं हैं जिसका समाधान लम्बित है।

1.8.5 वाणिज्यिक गतिविधियां

विभागीय वाणिज्यिक औद्योगिक संस्थानों में लोक निधि के उपयोग हेतु उत्तरदायित्व का अभाव

अर्द्ध–वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियों को कुछ सरकारी विभागों के विभागीय औद्योगिक संस्थान पूरा करते हैं। इन औद्योगिक संस्थानों को नियत किये गये फॉरमेट, जो वित्तीय प्रक्रिया का परिणाम दिखाती हैं, में प्रोफार्मा लेखे बनाने आवश्यक हैं जिससे सरकार उनकी कार्यविधि के परिणाम का आकलन कर सके। सरकार में विभागाध्यक्षों को यह सुनिश्चित करना है कि वे औद्योगिक संस्थान जिन्हें बजट के माध्यम से धन प्राप्त होता है, समय पर लेखे तैयार करें तथा लेखापरीक्षा हेतु महालेखाकार को प्रस्तुत करें।

मार्च 2005 तक उत्तर प्रदेश सरकार में इस तरह के 11 औद्योगिक संस्थान थे। इनमें से केवल दो[1] औद्योगिक संस्थानों ने 2004–05 तक अपने लेखे पूर्ण किये थे और नौ औद्योगिक संस्थानों के लेखे बकाया थे जो निम्नवत हैः

सारणी 19 : विभागीय वाणिज्यिक औद्योगिक संस्थानों में लेखे तैयार करने की स्थिति

क.सं.	विभाग	तैयार नहीं किये गये लेखे (औद्योगिक संस्थानों के नाम)	वर्ष जब से लेखे लम्बित हैं
1	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	खाद्यानों की लोक वितरण प्रणाली योजना	2002-03
2	पशुपालन	सरकारी पशुधन तथा कृषि फार्म के समेकित लेखे	1998-99
3	समाज कल्याण	क्रिमिनल ट्राइब्स सेटलमेन्ट टेलरिंग फैक्टरी (कानपुर)	1980-81
4	स्वास्थ्य	स्टेट फार्मेसी आफ आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी मेडिसिन्स	1988-89
5	सिंचाई	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, मेरठ	2004-05
6	सिंचाई	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, कानपुर	2004-05
7	सिंचाई	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, इलाहाबाद	2004-05
8	सिंचाई	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, गोरखपुर	2004-05
9	सिंचाई	इरेक्शन प्रखण्ड, फैजाबाद	1985-86

यह देखा जा सकता है कि समाज कल्याण विभाग से सम्बन्धित औद्योगिक संस्थान ने 24 वर्षों से अधिक से अपने लेखे तैयार नहीं किये थे, जबकि स्वास्थ्य विभाग तथा सिंचाई विभाग से सम्बन्धित दो औद्योगिक संस्थानों ने अपने लेखे 16 वर्षों से अधिक समय से नहीं तैयार किये थे।

1.8.6 रोकड़ शेष का प्रबन्धन

यह सामान्यतया आवश्यक है कि राज्य के संसाधनों का प्रचुर होना उसके व्यय के दायित्वों को पूरा करे। फिर भी, संसाधनों की प्रचुरता एवं व्यय के दायित्वों में किसी अस्थाई असंगति की देखभाल हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक (आर बी आई) से एक अर्थोपाय अग्रिम के साधन को बनाया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक से एक करार के अन्तर्गत, राज्य सरकार को बैंक के साथ सभी दिवसों पर 4.71 करोड़ रुपये का एक न्यूनतम शेष बनाये रखना है जो वर्ष 2004–05 में, यह न्यूनतम शेष 158 दिवसों पर कम था, जिसके लिये सरकार ने आर बी आई से अर्थोपाय अग्रिम (13982.12 करोड़ रुपये) लिया। ओवरड्राफ्ट लेना जो अर्थोपाय अग्रिम की सीमा के उपरान्त लिया जाता है, अधिक अवांछनीय है। वर्ष के दौरान राज्य ने ओवरड्राफ्ट सुविधा का 98 दिवसों पर उपयोग किया। जबकि ओवरड्राफ्ट (6268.88 करोड़ रुपये) का पूर्ण रुपेण भुगतान कर

[1] आई डब्ल्यू डीः बरेली, झांसी

दिया गया, अर्थोपाय अग्रिम (13982.12 करोड़ रुपये) में से 25.48 करोड़ रुपये का मार्च 2005 तक भुगतान नहीं किया गया।

सारणी 20 : सरकार के अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट तथा उन पर ब्याज भुगतान

(करोड़ रुपये में)

	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
अर्थोपाय अग्रिम					
वर्ष में लिये गये	2217.57	6146.49	7663.83	11526.87	13982.12
अवशेष	609.82	746.12	-----	-------	25.48
ब्याज भुगतान	27.56	21.70	28.67	34.08	40.91
ओवरड्राफ्ट					
वर्ष में लिये गये	7696.62	3282.11	3753.64	4904.18	6268.88
अवशेष	-----	-----	-----	-----	--
ब्याज भुगतान	12.04	4.79	4.31	9.56	8.23
राज्य द्वारा लिये गये ओवरड्राफ्ट के दिवसों की संख्या	161	88	88	100	98

1.8.7 अयुक्त देयतायें

राजकोषीय देयतायें–लोक ऋण एवं प्रत्याभूतियां

भारत के संविधान के अनुसार राज्य समय–समय पर विधायिका द्वारा नियत अधिनियम के अनुसार समेकित निधि की प्रतिभूति पर भारत की सीमा के अन्दर ऋण ले सकता है। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम फरवरी 2004 में पारित किया गया जो पांच वर्ष की अवधि के अन्दर राजकोषीय घाटे को अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का तीन प्रतिशत से अधिक नहीं होने के सरकार के संकल्प को इंगित करता है। विवरण 4 जिसे वित्त लेखे के विवरण 16 एवं 17 के साथ पढ़ा जा सकता है ऋण, निक्षेप एवं प्रेषण शीर्षों के वर्षान्त शेष को दिखाता है जिससे देयताओं का आंकलन किया गया था।

यह देखा जा सकता है कि राज्य की कुल राजकोषीय देयतायें वर्ष 2000–01 में 80331 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2004–05 में 131401 करोड़ रुपये हो गयी। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में ये देयतायें वर्ष 2000–01 में 44.4 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2004–05 में 55.8 प्रतिशत हो गई और यह राजस्व प्राप्तियों से साढ़े तीन गुना तथा इसके अपने संसाधनों जिसमें अपना कर एवं कर–भिन्न राजस्व शामिल है सात गुना अधिक थी।

सारिणी 21 राज्य की राजकोषीय देयताओं, इसकी वृद्धि दर, सकल राज्य घरेलू उत्पाद से इन देयताओं का अनुपात, राजस्व प्राप्तियां तथा अपने संसाधनों एवं इन मानकों के सम्बन्ध में इन देयताओं की उत्प्लावकता को प्रदर्शित करती है।

सारणी 21 : राजकोषीय असंतुलन – मुख्य प्राचल

(करोड़ रुपये में एवं अनुपात प्रतिशत में)

	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
राजकोषीय देयतायें	80331	92982	102485	119240	131401
वृद्धि दर	6.69	15.75	10.22	16.35	10.20
राजकोषीय देयताओं का अनुपात					
सकल राज्य धरेलू उत्पाद से	44.4	49.7	50.5	54.8	55.8
राजस्व प्राप्तियों से	324.7	363.2	368.4	376.9	349.3
अपने संसाधनों से	621.5	767.4	698.1	750.7	713.6

	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
राजकोषीय देयताओं की उत्प्लावकता					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद से	0.581	4.601	1.213	2.261	1.226
राजस्व प्राप्तियों से	0.443	4.558	1.177	1.192	0.540
अपने संसाधनों से	0.505	*	0.483	1.995	0.640

'वर्ष 2001–02 में अपने संसाधनों की वृद्धि ऋणात्मक थी।

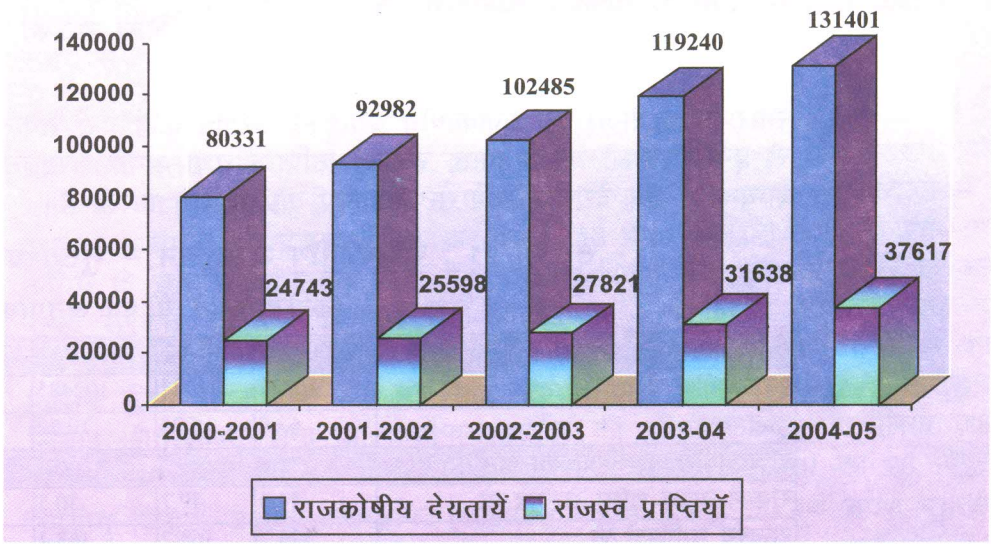
इन देयताओं के अतिरिक्त, सरकार ने अपने विभिन्न निगमों इत्यादि द्वारा लिये गये ऋणों पर प्रत्याभूति दी थी जो वर्ष 2004–05 में 10354 करोड़ रुपये थी। ये प्रत्याभूतियां राज्य की आकस्मिक देयताओं के स्वरूप में थीं एवं ऋणों के प्रतिदान नहीं होने की स्थिति में राज्य का यह दायित्व है कि वजह इन उत्तर दायित्वों को पूरा करें। वर्तमान में आकस्मिक देयताओं सहित राजकोषीय देयतायें राज्य के राजस्व प्राप्तियों से साढ़े तीन गुना अधिक थी। राज्य की प्रत्यक्ष राजकोषीय देयतायें सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर की तुलना में अधिक तीव्रता से बढ़ी है। बढ़ती हुई देयतायें राज्य सरकार के टिकाऊपन के विषय को उठाता है। राजकोषीय देयताओं को टिकाऊ तभी माना जा सकता है जबकि इन देयताओं पर भुगतान किया गया औसत ब्याज सकल राज्य घरेलू उत्पाद के वृद्धि दर से कम हो।

आकलित ब्याज दर के सन्दर्भ में ऋण टिकाऊपन, स रा घ उ वृद्धि दर तथा ब्याज विस्तार को सारणी 22 में इंगित किया गया है।

सारणी 22 : ऋण टिकाऊपन–ब्याज दर एवं स रा घ उ वृद्धि (प्रतिशत में)

	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
आकलित ब्याज दर	9.58	9.49	7.22	9.13	9.47
स रा घ उ वृद्धि	11.53	3.42	8.42	7.23	8.32
ब्याज विस्तार	1.95	(-)6.06	1.20	(-)1.90	(-)1.15

राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजकोषीय देयताओं की वृद्धि



ऋण के टिकाऊपन का एक अन्य महत्वपूर्ण सूचक पूर्व में करार किये गये देयताओं एवं ब्याज के मूल के भुगतान के बाद शुद्ध निधि की उपलब्धता है।

वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने 4867.16 करोड़ रुपये का बाजार ऋण लिया। बाजार ऋण का आकलित ब्याज दर वर्ष के दौरान 9.47 प्रतिशत था। इसके अलावा राष्ट्रीय लघु बचत निधि से 7181.49 करोड़ रुपये तथा भारत सरकार से 2840.87 करोड़ रुपये का ऋण भी लिया गया था। आन्तरिक ऋण तथा भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम के ब्याज एवं पुनर्भुगतान के बाद वर्ष 2000–2005 की अवधि में शुद्ध निधि की उपलब्धतता तेजी से घटकर 23 प्रतिशत से –15 प्रतिशत हो गई। इससे व्यक्त होता है कि सरकार ने लोक ऋण मद में प्राप्ति से अधिक भुगतान किया।

नीचे दिये गये सारणी 23 में प्राप्तियों एवं आन्तरिक ऋण के पुनर्भुगतान की पिछले पांच वर्षों की स्थिति को दिखाया गया है।

सारणी 23 : उधार निधियों की शुद्ध उपलब्धता

(करोड़ रुपये में)

	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
आन्तरिक ऋण'					
प्राप्तियां	6734	7935	9282	19029	14597
पुनर्भुगतान (मूल+ब्याज)	2641	4467	3895	7545	10412
उपलब्ध शुद्ध निधियां	4093	3468	5387	11484	4185
उपलब्ध शुद्ध निधियां (प्रतिशत)	61	44	58	60	29
भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम					
प्राप्तियाँ	3317	2757	3106	3081	2841
पुनर्भुगतान (मूल + ब्याज)	5080	5378	7747	10673	9640
उपलब्ध शुद्ध निधियां	(-)1763	(-)2621	(-)4641	(-)7592	(-)6799
उपलब्ध शुद्ध निधियां (प्रतिशत)	(-)53	(-)95	(-)149	(-)246	(-)239
कुल लोक ऋण					
प्राप्तियाँ	10051	10692	12388	22110	17438
पुनर्भुगतान (मूल + ब्याज)	7721	9845	11642	18218	20052
उपलब्ध शुद्ध निधि	2330	847	746	3892	(-)2614
उपलब्ध शुद्ध निधि (प्रतिशत)	23	8	6	18	--

'आंतरिक ऋण में अर्थोपाय अग्रिम सम्मलित नहीं है।

1.9 घाटे का प्रबन्धन

1.9.1 राजकोषीय असंतुलन

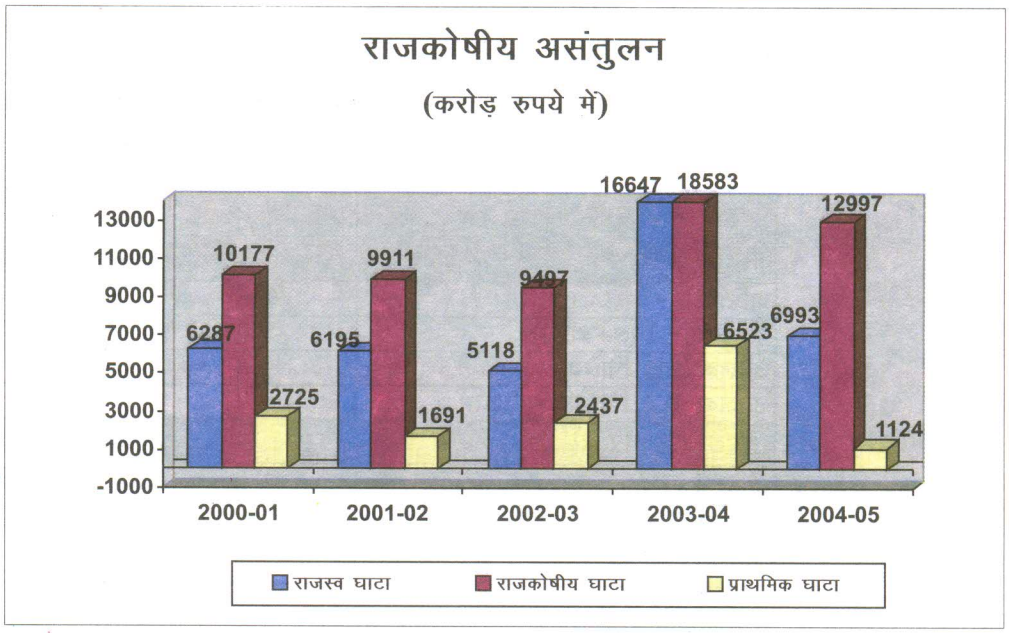
सरकारी लेखों में घाटे प्राप्तियों एवं व्यय के अन्तर को दर्शातें हैं। घाटे का प्रकार सरकार के राजकोषीय प्रबन्धन में सावधानी का सूचक है। इसके अतिरिक्त, जिस तरह से घाटे का वित्त साधन किया गया तथा पैदा किये गये संसाधनों का प्रयोग राजकोषीय स्वास्थ्य का संकेतक है।

राज्य का राजस्व घाटा (वित्त लेखा का विवरण 1) जो राजस्व प्राप्तियों से राजस्व व्यय की अधिकता प्रदर्शित करता है। राजस्व घाटा जो लगातार घटकर वर्ष 2000–01 में 6282 करोड़ रुपये से वर्ष 2002–03 में 5118 करोड़ रुपये हो गया, वर्ष 2003–04 में बढ़कर 18583 करोड़ रुपये हो गया और पुनः 2004–05 में घटकर 6993 करोड़ रुपये हो गया। राजकोषीय घाटा, जो सरकार के कुल ऋणों एवं उसके कुल संसाधनों में अन्तर को दर्शाता है, वर्ष 2000–01 में 10177 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2004–05 में 12997 करोड़ रुपये हो गया। इस अवधि में राज्य का प्रारम्भिक घाटा 2725 करोड़ रुपये से घटकर 1124 करोड़ रुपये हो गया।

सारिणी 24 : राजकोषीय असंतुलन मुख्य प्राचल

(मूल्य : करोड़ रुपये में तथा अनुपात प्रतिशत में)

	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
राजस्व घाटा	6287	6195	5118	18583	6993
राजकोषीय घाटा	10177	9911	9497	16647	12997
प्रारम्भिक घाटा	2725	1691	2437	6523	1124
रा घा/स रा घ उ	3.47	3.31	2.52	8.54	2.97
राजको घा/स रा घ उ	5.62	5.30	4.68	7.65	5.51
प्रा घा/स रा घ उ	1.51	0.90	1.20	3.00	0.48
रा घा/राजको घा	61.78	62.51	53.89	111.63	53.80



राजस्व घाटे का राजकोषीय घाटे से अनुपात घटकर वर्ष 2000–01 में 61.78 प्रतिशत से वर्ष 2004–05 में 53.80 प्रतिशत हो गया। स रा घ उ के अनुपात के रूप मे, राजस्व घाटा वर्ष 2000–01 में 3.47 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2004–05 में 2.97 प्रतिशत हो गया तथा राजकोषीय घाटा वर्ष 2000–01 में 5.62 से 5.51 प्रतिशत हो गया। निरन्तर राजस्व घाटा इंगित करता है कि राज्य की राजस्व प्राप्तियां वर्तमान अनुरक्षण व्यय को पूरा करने में अक्षम थीं तथा सरकार को उसके वर्तमान दायित्वों को पूर्ण करने हेतु उधार लेना पड़ा।

1.10 राजकोषीय अनुपात

किसी राज्य की वित्त व्यवस्था को टिकाऊ, लचीला एवं मजबूत होना चाहिये। सारिणी 25 मुख्य संकेतकों के संदर्भ में वर्ष 2000–2005 तक सरकार की वित्त व्यवस्था की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करती है, जो उपलब्ध संसाधनों एवं उसके प्रयोग की उपयुक्तता तथा क्षमता को आंकने में सहायक होता है, चिन्ता वाले विषयों को उजागर करता है तथा इसके महत्वपूर्ण पहलुओं को अभिग्रहण करता है।

राजस्व प्राप्तियों तथा राज्य के अपने करों का स रा घ उ से अनुपात संसाधनों की पर्याप्तता को इंगित करता है। राजस्व प्राप्तियों की उत्प्लावकता कर व्यवस्था का प्रकार तथा स रा घ उ में वृद्धि के साथ राज्य के संसाधनों तक पहुंच में वृद्धि का संकेत देता है।

राज्य के व्यय प्रबन्धन से सम्बन्धित विभिन्न अनुपात इसके व्यय की गुणवत्ता तथा संसाधनों की गतिशीलता से इसके सम्बंध को इंगित करते है। राजस्व व्यय का कुल व्यय से अनुपात कुल व्यय से अनुपात वर्ष 2000–01 के 88.11 की तुलना में वर्ष

2004–05 में मामूली घटकर 87.66 रह गया। विकासीय व्यय का कुल व्यय से प्रतिशत वर्ष 2000–01 में 52.34 से वर्ष 2004–05 में 50.66 हो गया। कुल व्यय की प्रतिशतता में पूंजीगत व्यय वर्ष 2003–04 में 15.65 से घटकर वर्ष 2004–05 में 11.25 हो गया। हालांकि 2000–01 (9.53 प्रतिशत) की तुलना में वर्ष 2004–05 में इसमें मामूली सुधार हुआ।

सारणी 25 : राजकोषीय दक्षता के अनुपात (प्रतिशत में)

राजकोषीय अनुपात	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
संसाधनों की गतिशीलता					
राजस्व प्राप्तियां/ स रा घ उ	13.67	13.68	13.71	14.54	15.96
राजस्व उत्प्लावकता	1.311	1.010	1.031	1.898	2.271
अपने कर/स रा घ उ	6.07	5.52	6.29	6.25	6.66
व्यय प्रबन्धन					
कुल व्यय/स रा घ उ	19.46	19.17	18.50	27.94	21.59
राजस्व प्राप्तियां/कुल व्यय	70.26	71.35	74.12	52.05	73.92
राजस्व व्यय/कुल व्यय	88.11	88.62	87.75	82.62	87.66
पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	9.53	10.06	10.33	15.65	11.25
विकासीय व्यय/कुल व्यय	52.34	51.25	53.51	64.53	50.66
राजस्व प्राप्तियों के साथ कुल व्यय की उत्प्लावकता	0.475	0.542	0.533	4.514	(-)0.861
राजस्व प्राप्तियों के साथ राजस्व व्यय की उत्प्लवाकता	0.525	0.712	0.415	3.824	(-)0.591
राजकोषीय असंतुलन का प्रबन्धन					
राजस्व घाटा (करोड़ रुपये में)	(-)6287	(-)6195	(-)5118	(-)18583	(-)6993
राजकोषीय घाटा (करोड़ रुपये में)	(-)10177	(-)9911	(-)9497	(-)16647	(-)12997
प्रारम्भिक घाटा (करोड़ रुपये में)	(-)2725	(-)1691	(-)2437	(-)6523	(-)1124
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	(-)61.78	(-)62.51	(-)53.89	(-)111.63	(-)53.80
राजकोषीय देयताओं का प्रबन्ध					
राजकोषीय देयतायें/स रा घ उ	44.4	49.7	50.5	54.8	55.8
राजकोषीय देयतायें/राजस्व प्राप्तियां	324.7	363.2	368.4	376.9	349.3
राजस्व प्राप्तियों के साथ राजकोषीय देयताओं की उत्प्लावकता	0.443	4.558	1.177	1.192	0.540
अपने संसाधनों के साथ राजकोषीय देयताओं की उत्प्लावकता	0.505	(-)2.519	0.483	1.995	0.640
अन्य राजकोषीय स्वास्थ्य संकेतक					
निवेश पर प्रतिफल	6.27	6.24	7.26	7.40	--
बी सी आर[1] (करोड़ रुपये में)	(-)3895	(-)4147	(-)1918	(-)15401	(-)3413
वित्तीय परिसम्पत्तियां/देयतायें	0.57	0.56	0.55	0.46	0.45

किसी राज्य के लिये यह असामान्य बात नहीं है कि वह अपने सामाजिक एवं आर्थिक आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिये तथा अतिरिक्त आय उत्पन्न करने वाली परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु ऋण लें। फिर भी साल दर साल बड़े राजस्व एवं राजकोषीय घाटे निवेश पर सूक्ष्म अथवा शून्य प्रतिफल के साथ मिलकर यह इंगित करते हैं कि राज्य धीरे–धीरे ऋण के जाल में फंसता जा रहा है। इसी प्रकार राजस्व प्राप्तियों के सन्दर्भ में ऋण की ऊंची उत्प्लावकता बढ़ते हुये अटिकाऊपन का द्योतक है। राज्य के लगातार गिरते हुए निवेश पर प्रतिफल अन्तर्निहित परिदान तथा निवेश हेतु बड़ी लागत पर ऋण को इंगित करता है। वर्ष 2004–05 में वित्तीय देयतायें सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं ऋण की उपलब्धता का 55.8 प्रतिशत थी। वर्ष 2004–05 में

[1] वर्तमान राजस्व से शेष

राज्य की वित्तीय सम्पत्ति का दायित्वों से अनुपात 0.45, जो न्यूनतम था। इस प्रकार, देयताओं को एक बड़ा भाग परिसम्पत्तियों को बढ़ावा दिये बिना है। यह इंगित करता है कि या तो राज्य अपने चालू परिसम्पत्तियों से और अधिक राजस्व उत्पन्न करें अथवा अपने ऋण दायित्वों को अपने वर्तमान राजस्व से पूरा करने की आवश्यकता है। राज्य का वर्तमान राजस्व से शेष का ऋणात्मक होना जारी है। वर्तमान राजस्व से शेष आयोजनागत परिणाम को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा ऋणात्मक वर्तमान राजस्व से शेष इस पर बुरा प्रभाव डालता है एवं अतिरिक्त आधारभूत ढांचे को बढ़ाने तथा अन्य राजस्व उत्पन्न करने वाले निवेश हेतु निधियों की उपलब्धतता को भी कम करता है।

अध्याय – दो

आवंटनीय प्राथमिकतायें एवं विनियोग

अध्याय–2

आबंटनीय प्राथमिकतायें एवं विनियोग

2.1 प्रस्तावना

विनियोग लेखे विभिन्न विशिष्ट सेवाओं पर पूंजीगत एवं राजस्व व्यय को दर्शाते हुए विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत व्यय के दोनों भारित एवं दत्तमत्त मदों सहित प्रतिवर्ष तैयार किये जाते हैं।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक विनियोग के लेखापरीक्षा द्वारा यह सुनिश्चित करते हैं कि विभिन्न अनुदानों में किये गये व्यय वास्तव में प्राधिकृत विनियोग अधिनियम के अन्तर्गत है या नहीं और जो व्यय भारित के लिये आवश्यक है वह अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप भारित किये गये हैं। यह भी निश्चित करता है कि जो व्यय किया जा रहा है वह अधिनियम के अनुरूप, आवश्यक कानून, अधिनियम एवं निर्देश के अनुरूप है।

2.2 विनियोग लेखे का संक्षिप्त विवरण

वर्ष 2004–05 में अनुदानों/विनियोगों के विरुद्ध वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति निम्नवत थी :

(करोड़ रुपये में)

	व्यय का स्वरूप	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	योग	वास्तविक व्यय	बचत (–) आधिक्य (+)
दत्तमत	I. राजस्व	29472.11	4236.03	33708.14	30737.60	(-)2970.54
	II. पूंजीगत	8385.30	2474.54	10859.84	10975.45	(+)115.61
	III. ऋण तथा अग्रिम	640.53	348.05	988.58	628.99	(-)359.59
योग – दत्तमत		**38497.94**	**7058.62**	**45556.56**	**42342.04**	**(-)3214.52**
भारित	IV. राजस्व	14207.33	348.65	14555.98	14239.29	(-)316.69
	V. पूंजीगत	9.51	0.50	10.01	4.47	(-)5.54
	VI. लोक ऋण	16413.81	12771.89	29185.70	29382.22	(+)196.52
योग–भारित		**30630.65**	**13121.04**	**43751.69**	**43625.98**	**(-)125.71**
कुल योग		**69128.59**	**20179.66**	**89308.25**	**85968.02**	**(-)3340.23**

नोट– वास्तविक व्यय के आंकड़े सकल आंकड़े है जिसमें दत्तमत राजस्व व्यय 366.52 करोड़ रुपये तथा पूंजीगत व्यय 5326.55 करोड़ रुपये तथा भारित राजस्व व्यय 0.02 करोड़ रुपये और भारित पूंजीगत व्यय 0.02 करोड़ रुपये के अन्तर्गत वसूलियां समायोजन के कमी के रूप में सम्मिलित किया गया है।

अनुदान एवं विनियोगों के 167 प्रकरणों में बचत 5239.56 करोड़ रुपये का शुद्ध परिणाम कुल बचत 3340.23 करोड़ रुपये उपरोक्तानुसार थी ***(परिशिष्ट 2.1)*** जिसे अनुदानों एवं विनियोगों के 22 प्रकरणों में 1899.33 करोड़ रुपये के आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया था ***(परिशिष्ट 2.2)***। बचत/आधिक्य (ब्योरेवार विनियोग लेखा) नियंत्रण अधिकारी को महत्वपूर्ण विचलन के व्याख्या के लिये भेजे गये थे जो अभी तक (दिसम्बर 2005) प्राप्त नहीं हुये।

2.3 आबंटनीय प्राथमिकतायें द्वारा विनियोग

2.3.1 अनुदानें जहां बचतें 250 करोड़ रुपये एवं अधिक की थीं

अनुदान संख्या 62–वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन)

(करोड़ रुपये में)

राजस्व (दत्तमत)		योग (मूल +अनुपूरक)	वास्तविक व्यय	बचत
मूल	3161.40	3161.40	2535.26	626.14
अनुपूरक	शून्य			

बचतें मुख्यतया शीर्ष 2071–पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति हित लाभ–अधिवर्षिता तथा सेवा निवृत्ति भत्ते; 288.84 करोड़ रुपये,राज्य सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के सेवा निवृत्त हित लाभ (138.95 करोड़ रुपये) एवं राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की पेंशन (119.18 करोड़ रुपये) के अन्तर्गत थी।

अनुदान संख्या–21 खाद्य एवं रसद विभाग

(करोड़ रुपये में)

पूंजीगत (भारित)		योग (मूल + अनुपूरक)	वास्तविक व्यय	बचत
मूल	900.01	1400.01	925.00	475.01
अनुपूरक	500.00			

बचतें मुख्यतया शीर्ष 6003–राज्य सरकार का आंतरिक ऋण– खाद्य पदार्थों के क्रय हेतु प्राप्त ऋणों का पुनर्भुगतान के अन्तर्गत थी।

अनुदान संख्या 51 – राजस्व विभाग (प्राकृतिक आपदा के सम्बंध में राहत)

(करोड़ रुपये में)

राजस्व (भारित)		योग (मूल + अनुपूरक)	वास्तविक व्यय	बचत
मूल	177.81	410.80	शून्य	410.80
अनुपूरक	232.99			

बचतें मुख्यतया शीर्ष 2245– प्राकृतिक आपदा के सम्बंध में राहत–आपदा राहत कोष का स्थानान्तरण (177.81 करोड़ रुपये) और एन.सी.सी.एफ. धनराशि का निधि में स्थानान्तरण (232.99 करोड़ रुपये) के अन्तर्गत थी।

अनुदान संख्या 83–समाज कल्याण विभाग (विशेष घटक योजना अनुसूचित जाति)

(करोड़ रुपये में)

राजस्व (दत्तमत)		योग (मूल+अनुपूरक)	वास्तविक व्यय	बचत
मूल	898.69	1154.35	860.00	294.35
अनुपूरक	255.66			

बचतें मुख्यतया शीर्ष 2225–अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण–शिक्षा–केन्द्रीय योजना/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें (196.61 करोड़ रुपये) और अनुसूचित जाति घटक योजना–केन्द्रीय येाजना/केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनायें (44.07 करोड़ रुपये) के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत थी।

अनुदान संख्या 71–शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)

(करोड़ रुपये में)

राजस्व (दत्तमत)		योग (मूल+अनुपूरक)	वास्तविक व्यय	बचत
मूल	4370.92	4995.75	4732.70	263.05
अनुपूरक	624.82			

बचतें मुख्यतया 2071–कर्मचारियों को पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति हित लाभ–पेंशन का भुगतान आदि (86.45 करोड़ रुपये) और बेसिक शिक्षा परिषद के मुख्यालय को सहायता/क्षेत्रीय कार्यालयों और प्राथमिक विद्यालयों और सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल और के.जी./नर्सरी विद्यालयों (50.37 करोड़ रुपये) के अन्तर्गत थी।

2.3.2 प्रत्येक प्रकरण में बचत एक करोड़ रुपये से अधिक एवं कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से भी अधिक थी

राजस्व; दत्तमत के 30 अनुदानों, पूंजीगत; दत्तमत के 21 अनुदानों, राजस्व; भारित के 6 अनुदानों तथा पूंजीगत; भारित के 5 अनुदानों के प्रत्येक प्रकरण में 1 करोड़ रुपये से अधिक एवं कुल प्रावधान का 10 प्रतिशत से भी अधिक की बचत थी। इस प्रकार की बचतों की कुल धनराशि 4116.06 करोड़ रुपये थी ***(परिशिष्ट 2.3)*** जो कुल बचत का 79 प्रतिशत था ***(परिशिष्ट 2.1)***। यह प्रदर्शित करता है कि बजट आकलन अवास्तविक था एवं जिसका वास्तविक आवश्यकता से कोई संबंध नहीं था।

2.3.3 अनवरत बचतें

सात प्रकरणों में जिनमें छः अनुदान/विनियोग सम्मिलित थे, विगत चार वर्षों से प्रत्येक प्रकरण में एक करोड़ रुपये से अधिक की अनवरत बचत थी, जिसका विवरण निम्नवत है :

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का विवरण	बचत की धनराशि प्रतिशत सहित कोष्ठक में			
			2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
		राजस्व–दत्तमत्त				
1	40	नियोजन विभाग	14.39 (32)	4.55 (12)	5.02 (12)	4.41 (10)
2	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	218.80 (42)	30.75 (07)	41.76 (10)	62.64 (8)
3	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें एवं अन्य व्यय)	1012.15 (52)	993.68 (46)	511.59 (27)	156.95 (8)
		पूंजीगत–दत्तमत्त				
4	7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	113.35 (42)	3.00 (03)	87.39 (73)	19.47 (23)
5	26	गृह विभाग (पुलिस)	90.89 (58)	43.81 (18)	77.79 (52)	108.80 (49)
6	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें एवं अन्य व्यय)	45.61 (80)	47.58 (82)	39.42 (68)	38.61 (67)
		राजस्व–भारित				
7	51	राजस्व विभाग (दैवी आपदा के संबंध में राहत)	153.59 (99)	162.87 (100)	169.33 (100)	410.80 (100)

2.3.4 आधिक्य के नियमन की आवश्यकता

विगत वर्षों के आधिक्य प्रावधान के नियमन की आवश्यकता

भारत के संविधान की धारा 205 के अन्तर्गत, राज्य सरकार के लिए आवश्यक है कि वह अनुदान/विनियोग से आधिक्य को राज्य विधान मंडल द्वारा विनियमित करा ले। जबकि, 1990–91 से 2003–04 तक आधिक्य व्यय 30496.09 करोड़ रुपये का अभी तक (दिसम्बर 2005) नियमन नहीं कराया गया। यह विनियोग पर विधायकी नियंत्राण का उल्लंघन था। विवरण ***परिशिष्ट 2.4*** में दिया गया है।

वर्ष 2004–05 के दौरान आधिक्य प्रावधान के नियमन की आवश्यकता

संविधान की धारा 205 के अन्तर्गत, 22 अनुदानों एवं विनियोगों के अन्तर्गत, वर्ष के दौरान
1899.33 करोड़ रुपये के आधिक्य के नियमन की आवश्यकता है। विवरण ***परिशिष्ट 2.2*** में दिया गया है।

2.3.5 मूल बजट एवं अनुपूरक प्रावधान

इस वर्ष के दौरान अनुपूरक प्रावधान (20179.66 करोड़ रुपये) था जो मूल प्रावधान (69128.59 करोड़ रुपये) का 29 प्रतिशत था जोकि विगत वर्श में 26 प्रतिशत था।

2.3.6 अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान

वर्ष के दौरान 55 प्रकरणों में अनुपूरक प्रावधान 982.47 करोड़ रुपये अनावश्यक सिद्ध हुये क्योंकि इन प्रकरणों में व्यय मूल अनुदान से भी कम था तथा बचतों को या तो अभ्यर्पित करना पड़ा या पुर्नर्विनियोजित करना पड़ा। ऐसी बचतें (2873.41 करोड़ रुपये) कुल बचतों की लगभग 55 प्रतिशत थी। विवरण ***परिशिष्ट 2.5*** में उपलब्ध है।

2.3.7 आधिक्य व्यय के आच्छादन हेतु अपर्याप्त अनुपूरक अनुदान

15 प्रकरणों में, 1890.82 करोड़ रुपये का अधिक व्यय था क्योंकि अनुपूरक अनुदान 14284.74 करोड़ रुपये अपर्याप्त सिद्ध हुये। अन्य 7 प्रकरणों में भी 8.51 करोड़ रुपये का अधिक व्यय होने के बावजूद भी अनुपूरक अनुदान की मांग नहीं की गयी। यह न केवल अतिरिक्त निधि की आवश्यकता के अनुमान हेतु विभाग की असफलता को दर्शाता है अपितु व्यय की प्रवृत्ति के अनुश्रवण की कमी को भी दर्शाता है (***परिशिष्ट 2.6***)।

2.3.8 अनवरत आधिक्य

महत्वपूर्ण आधिक्य जैसा कि नीचे दिया गया है लोक निर्माण विभाग (भवन) अनुदान संख्या
55–पूंजीगत–दत्तमत के अन्तर्गत था। विगत 6 वर्षों में यह 448 से 1030 प्रतिशत के मध्य रहा। अनवरत आधिक्य बजट नियंत्रण के कमी को दर्शाता है जिसकी सरकार के द्वारा जांच आवश्यक है।

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	आधिक्य (प्रतिशत)
1999-2000	20.49	171.95	739
2000-01	28.50	194.04	581
2001-02	18.75	120.12	540
2002-03	13.41	151.57	1030
2003-04	26.19	170.57	551
2004-05	29.53	161.70	448

2.3.9. अभ्यर्पित न की गई पूर्वानुमानित बचतें

नियमानुसार जब कभी बचतों की प्रत्याशा हो व्यय विभाग को अनुदान/विनियोग या आंशिक बचतों को वित्त विभाग को अभ्यर्पित कर देना चाहिये। फिर भी, वर्ष 2004–05 के अन्त में 55 ऐसे प्रकरण थे जिसमें 3226.23 करोड़ रुपये की बचतें जो प्रत्येक प्रकरण में 1 करोड़ रुपये से अधिक की थी, अभ्यर्पित नहीं की गई। 20 प्रकरणों में आंशिक अभ्यर्पण के पश्चात 535.97 करोड़ रुपये जिसमें बचतें प्रत्येक प्रकरण में 1 करोड़ रुपये से अधिक की थी, का अभ्यर्पण नहीं किया गया। विवरण ***परिशिष्ट 2.7*** में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, 37 प्रकरणों में 2171.78 करोड़ रुपये मार्च 2005 में अभ्यर्पित किये गये जो व्यय पर अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण दर्शाता है। विवरण ***परिशिष्ट 2.8*** में दिया गया है।

2.4 असमाधानित व्यय

प्रत्येक माह में व्यय के विभागीय आंकड़ों का समाधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के आंकड़ों से किया जाना चाहिये। फिर भी विभिन्न विभागों में समाधान कराया जाना बाकी था। नियंत्रण अधिकारियों की संख्या जिन्होंने अपने आंकड़ों एवं धनराशियों का समाधान नहीं कराया, विवरण निम्नवत था:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	नियंत्रण अधिकारियों की संख्या जिन्होंने आंकड़ों का समाधान नहीं कराया	असमाधानित धनराशि
2002-03	104	41275.93
2003-04	71	40152.99
2004-05	57	30314.72

वर्ष 2004–05 के अन्तर्गत 165 नियंत्रण अधिकारियों में से 57 नियंत्रण अधिकारियों ने आंकड़ों का समाधान नहीं कराया; 30314.72 करोड़ रुपये।

2.5 व्यय का बाहुल्य

वित्तीय नियमानुसार व्यय का वितरण समान रूप से पूरे वर्ष में करना चाहिये तथा माह के अन्त में व्यय के बाहुल्य से बचना चाहिये। फिर भी, ऐसा देखा गया कि मार्च 2005 में 28 लेखा शीर्षों में व्यय वर्ष के दौरान कुल व्यय का 60 प्रतिशत रहा। विवरण ***परिशिष्ट 2.9*** में दिया गया है।

अध्याय – तीन

निष्पादन समीक्षायें

निष्पादन समीक्षाओं में निम्न सम्मिलित हैं

- प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यकम
- उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी अधिनियम एवं नियमों का कियान्वयन
- पुलिस बल का आधुनिकीकरण
- संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के कियाकलाप
- समेकित बाल विकास सेवायें – तृतीय

अध्याय–3

निष्पादन समीक्षायें

इस अध्याय में पांच निष्पादन समीक्षाएं शामिल हैं, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, उपभोक्ता संरक्षण सम्बंधी अधिनियम एवं नियमों का क्रियान्वयन, पुलिस बल का आधुनिकीकरण, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान एवं समेकित बाल विकास सेवायें–तृतीय

परिवार कल्याण विभाग

3.1 प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम

मुख्य अंश

परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर.सी.एच.) अप्रैल 1998 से शत प्रतिशत केन्द्र पुरोनिधानित योजना के रूप में क्रियान्वित किया जा रहा था। कार्यक्रम का उद्देश्य परिवार कल्याण कार्यक्रम एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता एवं आच्छादन में सुधार कर टीकों द्वारा रोके जा सकने वाली बीमारियों के विस्तार पर नियंत्रण, सुरक्षित प्रसवों की दर में बढ़ोतरी एवं गर्भवती महिलाओं की देखभाल की सुविधाऐं उपलब्ध करवाना था। कार्यक्रम के 607.68 करोड़ रुपये के कुल व्यय में से 61 प्रतिशत टीकाकरण, जो इस कार्यक्रम का प्रमुख कार्य था, पर व्यय किया गया। कार्यक्रम के निष्पादन में महत्वपूर्ण कमियॉ थी, क्योंकि काफी प्रकरणों में सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित नहीं किये जा सके, गर्भ निरोध के स्थायी साधनों के उपयोग में लक्षित वृद्धि नहीं प्राप्त हो सकी तथा डीपीटी एवं खसरा टीकाकरण के लक्ष्य प्राप्त नही किए जा सके। कुछ अन्य बिन्दु जो समीक्षा के दौरान प्रकाश में आये, वह निम्नवत है:–

- उपलब्ध धनराशियों का उपयोग 64 से 78 प्रतिशत तक रहा। वर्ष 2000–05 की अवधि में अवशेष धनराशि 42.23 करोड़ रुपये से बढ़ कर 54.55 करोड़ रुपये हो गयी। दिनांक 31 मार्च 2005 को 16.75 करोड़ रुपये के अग्रिम असमायोजित रहे।

(प्रस्तर 3.1.9 एवं 3.1.10)

- प्रबन्धकीय हस्तक्षेप से परिवार कल्याण कार्यक्रम के प्रभाव में केवल आंशिक विस्तार हुआ क्योंकि गर्भ निरोध के स्थायी साधनों में से बन्ध्याकरण में 55 प्रतिशत वृद्धि के लक्ष्य के सापेक्ष वास्तविक वृद्धि मात्र 38 प्रतिशत रही तथा अन्तः गर्भाशयी साधनों में पांच प्रतिशत वृद्धि के लक्ष्य के सापेक्ष, वास्तविक वृद्धि मात्र तीन प्रतिशत रही।

(प्रस्तर 3.1.11)

- प्रयोज्य प्रसूति किटो के अभाव, प्रथम संदर्भन केन्द्रों के क्रियाशील न किए जाने, संदर्भन परिवहन सहायता के उपलब्ध न होने, एवं एएनएम की कमी के कारण विभाग में पंजीकृत प्राक्प्रसव प्रकरणों में से मात्र, 67 प्रतिशत प्रकरणों में सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित किया जा सका।

(प्रस्तर 3.1.12 से 3.1.16)

- हालांकि सघन पल्स पोलियों टीकाकरण के लक्ष्य प्राप्त कर लिए गये, डी.पी.टी. वैक्सीन दिए जाने का प्रतिरक्षण लक्ष्य 103 प्रतिशत से घट कर 98 प्रतिशत,

एवं खसरा टीकाकरण का प्रतिरक्षण लक्ष्य 97 प्रतिशत से घट कर 90 प्रतिशत रह गया। यह घटोत्तरी कर्मचारियों के सघन पल्स पोलियों टीकाकरण अभियानों में लगाये जाने के कारण हुई।

(प्रस्तर 3.1.18)

- समग्र निपुणता प्रशिक्षण लक्षित के केवल 35 प्रतिशत एवं विशिष्ट निपुणता प्रशिक्षण लक्षित के मात्र 27 प्रतिशत स्टाफ को प्रदान की गयी। फलस्वरूप स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं एवं चिकित्सकों की निपुणता में वांछित उच्चीकरण नहीं प्राप्त किया जा सका।

(प्रस्तर 3.1.19)

- पर्याप्त धन उपलब्ध रहने के बावजूद निदेशालय जन–जागरण का वांछित स्तर प्राप्त करने हेतु समुचित सूचना, शिक्षा एवं संचार कार्यक्रमों के आयोजन करने में विफल रहा।

(प्रस्तर 3.1..20)

3.1.1 प्रस्तावना

प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम केन्द्र पुरोनिधानित योजना के रूप में वर्ष 1998 से 673.67 करोड़ रुपये के अनुमानित लागत पर राज्य में कियान्वित किया जा रहा है। कार्यक्रम जो मार्च 2003 में समाप्त होना था; को मार्च 2005 तक बढ़ाया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रजनन दर, मृत्यु दर, शिशु एवं मातृ मृत्यु दरों को कम करना, दम्पति रक्षण दर और सुरक्षित प्रसव दर में वृद्धि तथा गर्भवती महिलाओं की देखभाल उपलब्ध कराना था । प्रजनन तंत्र संक्रमण एवं यौन संचारी संक्रमण की देखभाल भी कार्यक्रम का भाग था । इनकी प्राप्ति परिवार कल्याण कार्यक्रमों की गुणवत्ता एवं आच्छादन में सुधार तथा प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवाऐं उपलब्ध करवा कर करनी थी । उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता एवं स्तर, जो जिले की प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य स्थिति तथा चालू, अपरिष्कृत जन्म दर एवं महिला साक्षरता दर को प्रदर्शित करते हैं, के आधार पर जिलों को तीन श्रेणियो[1] में विभाजित किया गया।

3.1.2 कार्यक्रम हस्तक्षेप

कार्यक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति प्रबन्धकीय हस्तक्षेप, सेवा प्रदेयता हस्तक्षेप, प्रशिक्षण एवं सूचना शिक्षा एवं संचार कियाकलापों, निर्माण कार्य जैसे प्रशिक्षण तथा सेवा प्रदान करने की सुविधाओं को उच्चीकृत कर और विभिन्न कियाकलापों के अनुश्रवण एवं परिवार कल्याण क्षेत्र की प्रकियाओं तथा आधारभूत संरचनाओं के मूल्यांकन के माध्यम से करनी थी । स्वास्थ्य सेवाओं एवं सर्वागीण सुधार के लिए एक सेक्टर इनवेस्टमेन्ट प्रोग्राम भी कार्यक्रम में सम्मिलित था। कार्यक्रम हस्तक्षेपों का विवरण निम्नवत है:–

प्रबन्धकीय हस्तक्षेप

सार्वजनिक क्षेत्र के परिवार कल्याण कार्यक्रमों का प्रभाव एवं कुशलता बढ़ाना, निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना, अशासकीय संस्थाओं की परियोजना में वृद्धि, समाजिक विपणन का सदृढ़ीकरण तथा सामुदायिक भागीदारी में वृद्धि ।

सेवा प्रदेयता हस्तक्षेप

प्रथम संदर्भन केन्द्रों (एफ.आर.यू.) की स्थापना एवं कियाशीलीकरण 'आवश्यक पैकेज' में सन्निहित समस्त कियाओं को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्ध कराना, देखभाल के

[1] ए श्रेणी– कानपुर नगर

बी श्रेणी– बलिया, बाराबंकी, जालौन, झाँसी, कानपुर देहात, खीरी, लखनऊ, उन्नाव
सी श्रेणी– शेष 61 जिले

अनुश्रवण एवं गुणवत्ता में सुधार, सामुदायिक स्तर पर उचित सुविधाओं की उपलब्धता में सुधार, संचार एवं परिवहन की स्थापना, तथा मानक सूची के अनुरूप उपकरण, औषधियॉ एवं सामग्री उपलब्ध कराना ।

प्रशिक्षण कियाकलाप हस्तक्षेप

दाइयों, ए.एन.एम., स्थानीय स्वास्थ्य निरीक्षकों (एल.एच.वी.), स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारियों (एच.ई.ओ.) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्रथम संदर्भन केन्द्रों की नर्सो, प्रथम संदर्भन केन्द्रों के प्रसूति विशेषज्ञों, बाल चिकित्सकों एवं निश्चेतकों तथा निजी चिकित्सकों एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति व्यवसाइयों को व्यवहारिक प्राविधिक निपुणता प्रदान करना तथा तकनीकी एवं परामर्श, लिंग संवेदना, निपुणता का उन्नयन करने के साथ ही प्रशिक्षकों, प्रयोगशाला तकनीशियनों एवं स्वास्थ्य स्वयसेवकों को प्रशिक्षण देना ।

सूचना, शिक्षा एवं संचार कियाकलाप

असेवित, अल्पसेवित, दूरस्थ एवं जनजाति जनसंख्या के व्यवहार में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य उद्देश्यों के सहयोगी बदलाव लाने पर केन्द्रित सूचना, शिक्षा एवं संचार किया कलाप का समुचित बारम्बारता से सृजन एवं प्रचार

निर्माण कार्य

सेवा एवं प्रशिक्षण प्रदान की वतर्मान सुविधाओं का उच्चीकरण एवं चयनित स्थानों पर सुविधाओं की उपलब्धता के अन्तर को कम करने हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं नवीन सेवा केन्द्रों का निर्माण।

अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

कार्यक्रम कियान्वयन तथा कार्यक्रम उद्देश्यों की प्राप्ति का 'प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य सूचकों एवं दिग्दर्शकों' के माध्यम से अनुश्रवण एवं मूल्यांकन ।

3.1.3 संगठनात्मक ढॉचा

परिवार कल्याण निदेशालय कार्यक्रम का कियान्वयन प्रमुख सचिव, परिवार कल्याण की अध्यक्षता वाली स्टेट कमेटी आन वालन्टरी एजेन्सी(स्कोवा) के माध्यम से करता था। स्कोवा कार्यक्रम हेतु निधियॉ आवंटित करती थी तथा भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करती थी। स्कोवा बैंक खातों का परिचालन करती थी, तथ निर्धारित प्रारूप में व्यय विवरण बना कर भारत सरकार को प्रस्तुत करने, क्रय एवं लेखा पुस्तकों के रखरखाव के लिए उत्तरदायी थी। महानिदेशक, परिवार कल्याण स्कोवा के सदस्य सचिव थे। परिवार कल्याण विभाग मे सचिव, विशेष सचिव तथा संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के क्षेत्रीय निदेशक, निदेशक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान तथा अतिरिक्त निदेशक (एम.सी.एच.) स्कोवा के अन्य सदस्य थे।

कार्यक्रम का अनुश्रवण सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली संस्था 'स्टेट एम्पावर्ड कमेटी' द्वारा की जाती थी। जनपद स्तर पर कार्यक्रम का संचालन मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जाता था तथा अनुश्रवण सम्बन्धित जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली 'जिला कमेटी' द्वारा किया जाता था ।

3.1.4 लेखापरीक्षा आच्छादन

प्रतिदर्श चयन की 'पी.पी.एस. सिस्टमैटिक' कार्य पद्धति का प्रयोग कर 12 जिलों का चयन किया गया । इन बारह के अतिरिक्त लखनऊ एवं रायबरेली, जो सब प्रोजेक्ट कियान्वित किए जाने वाले दो जिलों[1] में से एक था, भी सम्मिल्लित थे । माह जुलाई

[1] रायबरेली एवं फिरोजाबाद ।

2005 से अक्टूबर 2005 के मध्य परिवार कल्याण निदेशालय एवं 14 जिलों[1] के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के कार्यालय में वर्ष 2000–05 की अवधि के अभिलेखों की नमूना जॉच की गयी । चयन 20 प्रतिशत जनपदों तथा 34 प्रतिशत[2] कार्यक्रम व्यय से आच्छादित था ।

3.1.5 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि–

- वित्तीय प्रबन्धन कुशल था;
- कार्यक्रम के घटकों का कियान्वयन प्रभावी था;
- स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं एवं चिकित्सकों आदि के कौशल के उन्नयन हेतु प्रशिक्षण प्रदान किए गये थे ।

3.1.6 लेखापरीक्षा मापदण्ड

कार्यक्रम के निष्पादन का मूल्यांकन निम्नाकित के संदर्भ में किया गया :–

- प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य प्रबन्धन, सेवा प्रदान करने, शिशु जीवितता एवं प्रशिक्षण माप दण्ड।
- दम्पत्ति रक्षण दर, टीको द्वारा रोके जा सकने वाली बीमारियों की रोकथाम, प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा सेवित प्रसवों आदि जैसे प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य सूचकों में बढ़त एवं शिशुओं, की जन्मदर, मृत्युदर में कमी ।

3.1.7 लेखापरीक्षा प्रणाली

लेखापरीक्षा उद्देश्यों एवं लेखा परीक्षा मापदण्डों पर विचार हेतु महानिदेशक, परिवार कल्याण के साथ माह जुलाई 2005 में परिचयात्मक गोष्ठी की गयी । लेखा परीक्षा कार्यक्रम के विभिन्न घटकों जैसे टीकाकरण, मूलभूत प्रसूति देखभाल, निर्माण कार्य, प्रशिक्षण, जनशक्ति एवं आर्थिक प्रबन्धन संबन्धी अभिलेखों की संवीक्षा की गयी । माह दिसम्बर 2005 में आयोजित समापन गोष्ठी में प्रमुख सचिव, परिवार कल्याण विभाग के साथ समीक्षा के निष्कर्ष एवं संस्तुतियों पर विचार किया गया ।

लेखापरीक्षा परिणाम

वित्तीय प्रबन्धन

3.1.8 निधियों के स्रोत

आर.सी.एच. कार्यक्रम राज्य में शत–प्रतिशत केन्द्र पुरोनिधानित योजना के रूप में कियान्वित किया गया । भारत सरकार बैंक ड्राफ्टों के माध्यम से धनराशियां सीधे स्टेट इम्पावर्ड कमेटी (एस.ई.सी.) के पक्ष में अवमुक्त करती थी, जो ब्याज अर्जित करने वाले बैंक खातों में जमा कर दिए जाते थे । तदुपरान्त एस.ई.सी. द्वारा चेकों/बैंक ड्राफ्टों के माध्यम से परिधीय इकाइयों को धनराशि वितरित की जाती थी ।

3.1.9 निधियों की उपलब्धता एवं उपयोग

वर्ष 2000–05 की अवधि में कार्यक्रम के लिए भारत सरकार ने 633.62 करोड़ रुपये अवमुक्त किए । इस अवधि में निधियों की उपलब्धता एवं उपयोग का विवरण निम्नवत रहा :–

[1] आजमगढ़, बरेली, बुलन्दशहर, गोरखपुर, हरदोई, लखनऊ, महराजगंज, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, रायबरेली, शाहजहॉपुर, सीतापुर, प्रतापगढ़ एवं मुरादाबाद

[2] व्यय का प्रतिशत 31 मार्च 2004 तक के व्ययों के सन्दर्भ में है क्योंकि प्रतिदर्श चयन के समय वर्ष 2004–05 का व्यय अप्राप्त था ।

वर्ष	कुल उपलब्ध[1] धनराशि	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अन्त में शेष	उपयोग का प्रतिशत
	(करोड़ रुपये में)			
2000–01	116.51	74.28	42.23	64
2001–02	124.96	84.38	40.58	68
2002–03	141.91	107.81	34.10	76
2003–04	201.03	146.40	54.63	73
2004–05	249.36	194.81	54.55	78
योग		607.68		

निधियों का उपयोग 64 से 78 प्रतिशत के मध्य रहा।

607.68 करोड़ रुपये के व्यय में सघन पल्स पोलियों पर व्यय किए गये 372.69 करोड़ रुपये संविदा कर्मियों पर 83.74 करोड़ रुपये सेक्टर इन्वेस्टमेन्ट कार्यक्रम पर 25.06 करोड़ रुपये प्रशिक्षण पर 21.71 करोड़ रुपये निर्माण कार्य पर 21.28 करोड़ रुपये एवं अन्य कार्यक्रम गतिविधियों पर 83.20 करोड़ रुपये सम्मिलित था। धनराशियों के कम उपयोग का कारण कार्यक्रम के कुछ घटकों को कियान्वित न किया जाना आंशिक रूप से कियान्वित किया जाना रहा; जैसा कि समीक्षा में वर्णित है।

3.1.10 असमायोजित अग्रिम

वर्श 2004–05 के अन्त में अग्रिमों की राशि 16.75 करोड़ रुपये असमायोजित थी

दिए गये समस्त अग्रिम वित्तीय वर्ष के अन्त तक या तो लेखा प्रस्तुत कर अथवा नगद वसूली द्वारा समायोजित कर लिए जाने चाहिए। कार्यक्रम निधियों से विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं, जैसे परिधीय इकाइयों, प्रशिक्षण संस्थानों तथा विशिष्ट कार्यों हेतु अभिकरणों को अग्रिम दिए गये । कार्यक्रम के वित्तीय लेखों से पाया गया कि, मार्च 2005 की समाप्ति पर 16.75 करोड़ रुपये के अग्रिम असमायोजित रह गये थे। निदेशालय के पास असमायोजित अग्रिमों का वर्ष वार विवरण उपलब्ध नही था । उत्तर में निदेशालय ने बताया (दिसम्बर 2005) कि 0.29 करोड़ रुपये (1.7 प्रतिशत) जो कि असमायोजित धनराशि की तुलना में नगण्य था, का समायोजन वर्ष 2005–06 में कर लिया जायेगा।

कार्यक्रम कियान्वयन

कार्यक्रम का लक्ष्य जन्म दर,मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर को कम करना, दम्पति रक्षण दर को बढ़ाना, गर्भवती महिलाओं की पूर्ण देखभाल उपलब्ध कराना तथा सुरक्षित प्रसवों की संख्या बढ़ाना था । उपलब्धियों का आंकलन प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य सूचकों के आधार पर किया जाना था । कार्यक्रम के लक्ष्य एवं उपलब्धियॉ निम्नवत थीः–

सूचक	कार्यक्रम के प्रारम्भ की स्थिति	कार्यक्रम के लक्ष्य	वर्ष 2003 की स्थिति
शिशु जन्म दर (प्रति 1000 जनसंख्या)	33.5	30.00	31.3
मृत्यु दर (प्रति 1000 जनसंख्या)	10.2	09.00	09.50
बाल मृर्त्यता दर (प्रति 1000 जनसंख्या)	85.00	70.00	76.00
मातृ मृर्त्यता दर (प्रति 1000 जनसंख्या)	5.79	3.50	उपलब्ध नहीं

इससे स्पष्ट है कि, कार्यक्रम की समीक्षा की मूल अवधि समाप्त होने के समय वर्ष 2003 तक, लक्ष्य पूर्ण रूप से प्राप्त नही हो सके थे । उसके बाद कार्यकाल 2005 तक बढ़ा दिया गया । आगे के प्रस्तरों में कार्यक्रम के विभिन्न घटकों के कियान्वयन का विवरण है ।

3.1.11 प्रबन्धकीय हस्तक्षेप

प्रबन्धकीय हस्तक्षेप का मूल उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के परिवार कल्याण कार्यक्रमों का प्रभाव एवं कुशलता, निजी क्षेत्र की भागीदारी एवं अशासकीय संस्थाओं की परियोजनाओं

[1] भारत सरकार द्वारा अवमुक्त 633.62 करोड़ रुपये में से वर्ष 1999–2000 में अव्ययित राशि 34.67 करोड़ रुपये तथा अन्य स्रोतो से प्राप्त राशि 35.04 करोड़ रुपये सम्मिलित है ।

की संख्या में वृद्धि, समाजिक विपणन का सघनीकरण एवं सामुदायिक भागीदारी बढ़ाना था । महानिदेशक, परिवार कल्याण के अभिलेखों में सार्वजनिक क्षेत्र के परिवार कल्याण कार्यक्रमों के प्रभाव, सामुदायिक भागीदारी, निजी साझेदारी अथवा सामाजिक विपणन में वृद्धि परिलक्षित नही थी । जैसा कि, निम्नांकित सारणी में इंगित है परिवार नियोजन साधनों, विशेषकर स्थाई साधनों के उपयोग करने वालों की संख्या में लक्षित वृद्धि के सापेक्ष कमी आई ।

वर्ष	प्रयोगकर्ताओं की संख्या (प्रकरण/प्रयोगकर्ता लाख में)											
	नसबन्दी			आई यू डी			कन्डोम प्रयोगकर्ता			गर्भनिरोधक गोली प्रयोगकर्ता		
	लक्ष्य	उप.	प्रति.	लक्ष्य	उप.	प्रति.	लक्ष्य	उप.	प्रति.	लक्ष्य	उप.	प्रति.
2000.01	6.13	3.65	60	24.51	20.37	83	22.45	17.81	79	9.03	8.49	94
2001.02	6.80	4.18	61	26.20	22.56	86	23.92	15.34	64	6.69	8.27	124
2002.03	8.10	4.70	58	24.82	20.64	83	17.26	17.61	102	9.98	7.87	79
2003.04	9.43	4.83	51	25.43	20.81	82	17.61	17.49	99	9.46	8.25	87
2004.05	9.50	5.04	53	25.85	20.94	81	19.84	15.73	79	19.78	17.86	90
वर्ष 2000–01 के संदर्भ में बढ़ोतरी	3.37	1.39		1.34	0.57		(-) 2.61	(-) 2.08		10.75	9.37	
प्रतिशतता वृद्धि	55	38		05	03		12	12		119	110	

उप :– उपलब्धि, प्रति :– उपलब्धि का प्रतिशत

परिवार नियोजन के स्थायी साधनों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी नही हुई।

वर्ष 2000–01 की तुलना में, स्थाई बन्ध्याकरण के प्रकरणों में लक्षित 55 प्रतिशत के सापेक्ष मात्र 38 प्रतिशत एवं अन्तः गर्भाशयी साधनों आई.यू.डी. के प्रयोग में लक्षित पांच प्रतिशत के सापेक्ष मात्र तीन प्रतिशत की वृद्धि हो सकी, जबकि आई.यू.डी. के समुचित भण्डार उपलब्ध थे **(परिशिष्ट 3.1)** । यह भी पाया गया था कि कण्डोम के प्रयोग में वर्ष 2002–03 में वृद्धि (102 प्रतिशत) एवं गर्भ निरोधक गोलियों के प्रयोग में वर्ष 2001–02 में वृद्धि (124 प्रतिशत) मुख्यतः लक्ष्यों के इन वर्षों में कम किए जाने के कारण रही ।

सेवा प्रदान करने का हस्तक्षेप

प्रजनन स्वास्थ्य घटक में प्रथम संदर्भन इकाई (एफ.आर.यू) के माध्यम से मूलभूत प्रसूति देखभाल, संचार, परिवहन, उपकरण औषधियॉ एवं आपूर्तियॉ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्ध कराना तथा प्रजनन तंत्र संक्रमण एवं यौन संचारी संक्रमण की देखभाल सम्मिलित थे। मूलभूत प्रसूति देखभाल में प्राक्प्रसव प्रकरणों का पंजीकरण एवं आवश्यक टीकाकरण व औषधीय अनुपूरक सम्मिलित थे । बाल स्वाथ्य घटक में अन्य के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर सार्वभौमिक टीकाकरण तथा दस्त, पेचिश व निर्जलीकरण के लिए मूलभूत औषधियॉ उपलब्ध कराना सम्मिलित था।

3.1.12 प्राक्प्रसव प्रकरणों का पंजीकरण तथा सुरक्षित प्रसव

प्राक्प्रसव प्रकरणों के पंजीकरण के लिए ए.एन.एम. उत्तरदायी थी । प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्त पंजीकृत प्राक्प्रसव प्रकरणों में आवश्यक टीकाकरण, औषधियॉ एवं देखभाल उपलब्ध करवाना था तथा सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करना था। पंजीकृत प्राक्प्रसव प्रकरणों एवं सुरक्षित प्रसवों का विवरण निम्नवत थाः–

वर्ष	पंजीकृत प्राक्प्रसव प्रकरण	सुरक्षित प्रसव		
		संस्थागत प्रसव	प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा	कुल सुरक्षित प्रसव
		लाख प्रकरणों में		
2000–01	55.46	8.74	25.08	33.82
2001–02	56.14	7.41	25.70	33.11
2002–03	53.36	17.05	20.48	37.53
2003–04	51.91	18.53	18.15	36.68
2004–05	52.45	19.43	19.47	38.00
योग	**269.32**	**71.76 (27%)**	**108.88 (40%)**	**180.04 (67%)**

इस प्रकार वर्ष 2000–05 में पंजीकृत 2.69 करोड़ प्राक्प्रसव प्रकरणों में से मात्र 1.80 करोड़ (67 प्रतिशत) प्रसव सुरक्षित (संस्थागत 27 प्रतिशत प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा 40 प्रतिशत) रहे। इस प्रकार कार्यक्रम के वर्ष 1998 से संचालित रहने के बावजूद, संस्थागत रूप से एवं प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा करवाये गये सुरक्षित प्रसवों की लोकप्रियता बढ़ायी न जा सकी। आई.एफ.ए.[1] तथा विटामिन 'ए' की गोलियॉ विभाग में पंजीकृत प्राक्प्रसव प्रकरणों में से क्रमशः केवल 88 प्रतिशत एवं 79 प्रतिशत प्रकरणों में ही वितरित की जा सकी।

सुरक्षित प्राक्प्रसव मात्र 67 प्रतिशत पंजीकृत प्रकरणों में ही सुनिश्चित किए गए।

निदेशालय ने अपने उत्तर में बताया (दिसम्बर 2005) कि आई.एफ.ए. तथा विटामिन 'ए' गोलियों के वितरण में कमी लाभार्थियों द्वारा स्वीकार न किए जाने के कारण रही। सुरक्षित प्रसवों के बारे में निदेशालय ने कहा कि अधिकतर जनसंख्या, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, अपने परिवार जनों द्वारा अकुशल दाइयों की सहायता से घरों पर करवाये गये प्रसवों को प्राथमिकता देती थे ।

3.1.13 समुचित डी.डी. किटों का उपलब्ध न होना

भारत सरकार द्वारा प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना(पी.एम.जी.वाई.) के अन्तर्गत प्रयोज्य प्रसव किटों (डी.डी. किटों) के क्रय हेतु वर्ष 2002–04 में 11.06 करोड़ रुपये[2] की धनराशि अवमुक्त की गयी थी । इस धनराशि का उपयोग वर्ष 2003–04 में 30.72 लाख डी.डी. किटों के लिए किया गया । आर.सी.एच. कार्यक्रम के अन्तर्गत गत वर्ष का अवशेष 2.74 करोड़ रुपये उपलब्ध होने के बावजूद वर्ष 2004–05 में डी.डी.किटों का क्रय नही किया गया । इस प्रकार वर्ष 2004–05 की अवधि में मात्र 30.72 लाख डी.डी. किट उपलब्ध थे । क्योंकि प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा सुरक्षित प्रसव कराने के लिए डी.डी. किट अत्यन्त आवश्यक थे, इस अवधि में डी डी किटों के समुचित मात्रा में उपलब्ध न होने के कारण प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा कराये गये 58.10 लाख प्रसवों में से बिना डी.डी. किट के करवाये गये 27.38 लाख (47 प्रतिशत) प्रसव असुरक्षित रहे।

निदेशालय ने उत्तर (दिसम्बर 2005) में डी.डी.किटों की आवश्यकता स्वीकार की तथा बताया कि वर्ष 2002–03 में धन के विलम्ब से प्राप्त होने के कारण पी.एम.जी.वाई के अन्तर्गत डी.डी. किटों का क्रय वर्ष 2003–04 में किया गया । अग्रेत्तर कि क्रय प्रकिया के पूर्ण न हो पाने के कारण वर्ष 2004–05 में इनका क्रय न किया जा सका (दिसम्बर 2005)।

3.1.14 प्रथम संदर्भन इकाइयॉ (एफ.आर.यू.)

आर.सी.एच. कार्यक्रम के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर प्रत्येक जिले में दो प्रथम संदर्भन इकाइयॉ(एफ.आर.यू)स्थापित एवं कियाशील किए जाने थे, जिनमें आपात प्रसूति सहायता, जटिल प्रसूति एवं जटिल बाल रूग्णता, 24 घण्टे प्रसव सुविधा, रूधिर आधान सुविधा तथा नवजात शिशु देखभाल सुविधाऍ उपलब्ध करायी जानी थी । आर. सी.एच. कार्यक्रम के अन्तर्गत, प्रथम चरण में एफ.आर.यू. स्थापित करने के लिए 138 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को चिन्हित किया गया ।

लेखा परीक्षा संवीक्षा में प्रकाश में आया कि चिकित्सीय एवं परामर्श कर्मियों की विकट कमी के कारण एफ.आर.यू. क्रियाशील नही किए जा सके । इन 138 एफ.आर.यू. में 31 प्रतिशत शल्य चिकित्सक, 40 प्रतिशत बाल रोग विशेषज्ञ, 46 प्रतिशत महिला चिकित्सक, 74 प्रतिशत निश्चेतक, 39 प्रतिशत स्टार्फ नर्स तथा 13 प्रतिशत प्रयोगशाला तकनीशियनों की कमी थी । अग्रेत्तर, एफ.आर.यू. स्तर पर सुरक्षित रक्त की उपलब्धता जैसा कि कार्यक्रम में निहित था, भी सुनिश्चित न की जा सकी । निदेशालय ने स्वीकार किया कि (दिसम्बर 2005) कर्मियों की घोर कमी के कारण एफ.आर.यू.

[1] आयरन फोलिक एसिड

[2] वर्ष 2002:03 में 6.51 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2003–04 में 4.55 करोड़ रुपये

कियाशील नही किये जा सके । एफ.आर.यू. स्तर पर सुरक्षित रक्त उपलब्ध न करवाने के सम्बन्ध में रक्त कोष लाइसेन्सिंग की कठिनाइयों को कारण बताया गया । इस प्रकार कार्यक्रम के प्रथम चरण के पूर्ण हो जाने के बाद भी, न तो चिन्हित एफ.आर. यू. पूर्णयता कियाशील किए जा सके, और न ही वहॉ सुरक्षित रक्त उपलब्ध करवाया जा सका ।

3.1.15 संदर्भन परिवहन सुविधाएं

कार्यक्रम में निहित था कि, निर्धन परिवारों की महिलाओं को प्राक्प्रसव की आपात अवस्थाओं में परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए सी श्रेणी' के जिलों के 25 प्रतिशत उपकेन्द्रों में स्थित 2172 ग्राम पंचायतों को 5000 रुपये प्रति ग्राम पंचायत की दर से धनराशि उपलब्ध करवाई जाए । इस धनराशि का उपयोग परिवहन सुविधा पर आने वाले व्यय के लिए किया जाना था । भारत सरकार ने इस कार्य हेतु वर्ष 1998–99 में 30 लाख रुपये उपलब्ध कराये जिसका भुगतान 600 ग्रम पंचायतों को कर दिया गया । तदुपरान्त शेष 1572 ग्राम पंचायतों के लिए भारत सरकार से कोई धनराशि प्राप्त नही हो सकी, क्योंकि उन ग्राम पंचायतों, जिन्हें पूर्व में धन आंवटित किया गया था, ने उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध नही करवाये । निदेशक ने स्वीकार किया (दिसम्बर 2005) कि भारत सरकार से और धन की मांग नही की जा सकी, क्योकि पिछले दो–तीन वर्षों में मात्र 10 से 15 प्रतिशत उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किए जा सके । इस प्रकार निदेशालय के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने में विफल रहने के कारण शेष ग्राम पंचायतें संदर्भन परिवहन सुविधा हेतु धन प्राप्त करने से वंचित रह गईं ।

3.1.16 आक्जीलियरी नर्स मिडवाइव्स (ए.एन.एम.)की कमी

निदेशालय के अभिलेखों के अनुसार विभाग में 21712 ए.एन.एम. की आवश्यकता के सापेक्ष मात्र 20505 (96 प्रतिशत) ए.एन.एम. उपलब्ध थी । आर.सी.एच. कार्यक्रम में विहित था कि सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए 'सी' श्रेणी के जिलों के 30 प्रतिशत दूरस्थ उपकेन्द्रों पर संविदा पर अतिरिक्त ए.एन.एम. नियुक्त की जाए । कुल 4819 नियुक्तियों के सापेक्ष मात्र 2210 ए.एन.एम. संविदा पर नियुक्त की गयी । इस प्रकार 3816[1] (14 प्रतिशत) ए.एन.एम. की कमी के कारण लक्षित क्षेत्रों को समुचित आच्छादन प्रदान नही किया जा सका, जिससे कार्यक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति पर कुप्रभाव पड़ा । निदेशालय ने बताया(दिसम्बर 2005) कि, शीघ्र ही नई नियुक्तियॉ कर ली जायेंगी, क्योंकि ए.एन.एम. प्रशिक्षण पुनः प्रारम्भ कर दिया गया था ।

भारत सरकार ने वर्ष 1999–2000 में 3.60 करोड़ रुपये ए.एन.एम. को मोपेड कय अग्रिम प्रदान करने के लिए रिवाल्विंगफण्ड बनाने के उद्देश्य से अवमुक्त किए । लेखा परीक्षा में पाया गया कि लगभग 5000 पात्र ए.एन.एम. में से केवल 2464 ए.एन.एम. को अग्रिम प्रदान किए गये (1999–2000) अग्रिमों की वसूली न किए जाने के कारण रिवाल्विगफण्ड का सृजन नही हो सका, जिससे शेष 2536 (51 प्रतिशत) ए.एन.एम. बिना मोपेड के रहीं, जिसने उनकी गतिशीलता एवं दूरस्थ क्षेत्रों में उनकी पहुॅच को प्रभावित किया । निदेशालय ने बताया (दिसम्बर 2005) कि, धनराशि की वसूली एवं उसका प्रार्थियों को पुनः वितरण किया जा रहा था तथा लेखा अनुभाग विसंगतियों को अनुश्रवण कर रहा था । उत्तर स्वीकार्य नही था, क्योंकि बैलेंस शीट में फण्ड के अवशेष प्रदर्शित नहीं थे ।

3.1.17 प्रजनन तंत्र संकमण (आर.टी.आई.)/यौन जनित संकमण(एस.टी.आई.)

स्त्रियों में प्रजनन तंत्र संक्रमण (आर.टी.आई.)/यौन जनित संक्रमण(एस.टी.आई.) को नियंत्रित करने के लिए कार्यक्रम में प्रथम संदर्भन केन्द्रों में आर.टी.आई./एस.टी.आई.

[1] निरीक्षित ए.एन.एम. की कमी = 1807 सहित वर्ष निरीक्षण कार्य नहीं = 2009 योग = 3816

क्लीनिक स्थापित किया जाना सन्निहित था । राज्य में ऐसे कुल 80 क्लीनिक[1] बनाये जाने थे । राज्य सरकार ने प्रशिक्षण के लिए चिकित्सा अधिकारियों तथा प्रयोगशाला तकनीशियनों को, तथा क्लीनिक स्थापना हेतु प्रथम संदर्भन इकाइयों को चिन्हित कर लिया था । भारत सरकार द्वारा जांच के लिए उपकरण रसायन तथा अभिकर्मक, तथा इलाज के लिए औषधियों के अतिरिक्त, चिकित्सा अधिकारियों तथा प्रयोगशाला तकनीशियनों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान में प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाना था । लेखा परीक्षा समीक्षा में पाया गया कि न तो चिकित्सा अधिकारियों एवं प्रयोगशाला तकनीशियनों का प्रशिक्षण ही हो पाया और न ही औषधियॉ प्राप्त हुई । इस प्रकार आर.टी.आई./एस.टी.आई. क्लीनिक कार्यक्रम के अनुसार कियाशील नही किए जा सके ।

बाल स्वास्थ्य

कार्यक्रम में सन्निहित था कि, टीकाकरण से निरोध्य व्याधियों पर नियंत्रण से शिशु मृत्यु दर एवं बाल मृत्यता दर कम की जा सकती है । इसलिए प्रतिरक्षण कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक था । इस पर वर्ष 2000–05 की अवधि में कुल 373 करोड़ रुपये (61 प्रतिशत) व्यय किया गया।

3.1.18 प्रतिरक्षण

प्रतिरक्षणों में घटोत्तरी थी।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गहन पल्स पोलियों प्रतिरक्षण अभियान के अन्तर्गत पोलियों ड्राप्स पिलाने के अतिरिक्त शिशुओं एवं बच्चों को अन्य संचारी व्याधियों से बचाने के लिए मीजिल्स, बीसीजी[2] तथा डीपीटी[3] के टीके भी लगाये जाने थे । भारत सरकार वैक्सीन की आपूर्ति करती थी, तथा विभाग उनके लगाये जाने की व्यवस्था प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत करता था । वार्षिक लक्ष्यों का निर्धारण प्रतिरक्षण निरोध्य व्याधियों के प्रसार को ध्यान में रखते हुए किया जाना था । वर्ष 2000–05 के प्राक्प्रसव प्रकरणों में टीकाकरण सम्बन्धी अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि इस अवधि में डी पी टी वैक्सीन टीकाकरण के लक्ष्य की प्राप्ति 103 एवं 88 प्रतिशत के बीच रही, पोलियों वैक्सीन खुराक की 104 एवं 81 प्रतिशत के बीच एवं बी0सी0जी0 103 एवं 75 प्रतिशत मीजिल्स वैक्सीन के लक्ष्य की प्राप्ति 97 से 89 प्रतिशत के बीच रही । वर्षवार विवरण ***परिशिष्ट 3.2*** में दिया गया है ।

वर्ष 2001–03 के दौरान अधिक उपलब्धि का कारण लक्ष्य से अधिक लोगो का स्वैच्छिक टीकाकरण के लिए सामने आना बताया गया । बाद के वर्षों में समस्त की उपलब्धि के प्रतिशत में कमी आयी । निदेशालय द्वारा डी पी टी आच्छादन में कमी के लिए टीकों की आपूर्ति में वर्ष 2003–04 में कमी तथा कर्मचारियों को सघन पल्स पोलियों प्रतिरक्षण अभियान में लगाया जाना बताया गया (दिसम्बर 2005) । मीजिल्स टीके में कमी का कोई कारण नहीं बताया गया । उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि निदेशालय के अभिलेखों में डी पी टी टीके की कमी परिलक्षित नही होती जैसा कि **परिशिष्ट 3.3** में दर्शित है ।

सघन पल्स पोलियों प्रतिरक्षण अभियान, विभाग द्वारा की गयी महत्वपूर्ण प्रतिरक्षण कार्यवाही रही । इन अभियानों के दौरान विभाग द्वारा शून्य से पॉच वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को पोलियों ड्राप्स पिलाने के लिए कैम्पों का आयोजन किया गया । घर घर जाकर प्रतिरक्षण आच्छादन इन शिविरों की अनुवर्ती किया थी । चिकित्सा कर्मी, अशासकीय संस्थाऐं एवं स्वयंसेवकों ने इन अभियानों में भाग लिया । विभाग द्वारा भाग लेने वाले अशासकीय संस्थानों एवं स्वयंसेवकों को प्रचार सामग्री जैसे होर्डिंग, पोस्टर,

[1] श्रेणी 'ए' के प्रत्येक जिलों में तीन, श्रेणी 'बी' के प्रत्येक जिले में दो, तथा श्रेणी 'सी' के प्रत्येक जनपदों में एक

[2] बैसिली फाल्ल्मेट–ग्यूरिन

[3] डिप्थीरिया, पंरटयूसिस, टिटनेस टाक्साइडस

बैनर व पम्पलेट के अतिरिक्त मानेदय का भी भुगतान किया गया । इन अभियानों में प्रतिरक्षण के लक्ष्य प्राप्त लिए गये ।

3.1.19 प्रशिक्षण

कर्मचारियों की जागरूकता बढ़ानें एवं कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में सन्निहित था। प्रशिक्षण में जागरूकता बढ़ाने एवं समन्वय के लिए समेकित कुशल प्रशिक्षण (आई.एस.टी) तथा विशेष कौशल के लिए 'विशेष कुशलता प्रशिक्षण(एस.एस.टी) सम्मिलित थी । यह प्रशिक्षण राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण संस्थान(एस. आई.एच.एफ.डब्लू.) द्वारा चिन्हित प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा किया जाना था । प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का चिन्हीकरण, आदेश प्रशिक्षण पाठ्चर्या बनाना तथा चिन्हित प्रशिक्षण संस्थानों को धन अवमुक्त कराना एवं प्रशिक्षण का पर्यवेक्षण/अनुश्रवण, एस.आइ.एच. एफ.डब्लू. द्वारा किया जाना था । कार्यक्रम कियान्वयन योजना(पी.आई.पी.) के अनुसार वर्ष 1998 से 2005 की अवधि में 54620 कर्मियों को एस.आई.टी. तथ 12782 को एस.एस.टी. प्रदान किया जाना था । वर्ष 2000–05 की अवधि में प्रशिक्षण पर 21.71 करोड़ रुपये व्यय किये गये । मार्च 2005 को प्रशिक्षण की प्रगति निम्नवत थी:–

चिकित्सकों एवं कर्मियों को आवश्यक प्रशिक्षण नही दिया गया।

समेकित कुशल प्रशिक्षण

कमांक	श्रेणी	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
1.	स्वास्थ्य कर्मी–महिला(ए.एन.एम.)	23640	9230	39
2.	स्वास्थ्य पर्यवेक्षक महिला	4020	1034	26
3.	स्वास्थ्य पर्यवेक्षक पुरूष	6220	1505	24
4.	स्टाफ नर्स	550	368	67
5.	चिकित्सा अधिकारी	6000	1923	32
योग		**40,430**	**14,060**	**35**

विशेष कुशल प्रशिक्षण

कमांक	श्रेणी	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
1	चिकित्सीय गर्भ समापन	260	220	85
2	लेप्रोस्कोपी	94	50	53
3	मिनी लेप्रोस्कोपी	198	39	20
4	अंतः गर्भाशयी साधन	12277	3088	25
5	धुरी विहीन नसबन्दी	980	शून्य	शून्य
योग		**13759**	**3397**	**25**

इस प्रकार आई एस टी उपलब्धि 35 प्रतिशत तथा एस.एस.टी. की उपलब्धि 25 प्रतिशत रही। अन्य श्रेणियों के 14190 कर्मचारियों[1] को काई भी आई एस टी प्रशिक्षण नहीं दिया गया।

3.1.20 सूचना शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी.)

इस क्रिया के उद्देश्य असेवित, अल्पसेवित, दूरस्थ एवं जनजातीय जनसंख्या में संदेशों का संचार कर उनके व्यवहार में बदलाव लाना था। महिला स्वास्थ्य संगठनों तथा धार्मिक व राजनीतिक नेताओं को भी इस क्रिया में सम्मिलित किया जाना था । मुद्रित, लोक एवं अन्य माध्यमों से जन जागृति हेतु प्रचार अभियान चलाये जाने थे। अभिलेखों की संवीक्षा में महिला स्वास्थ्य संगठनों तथा धार्मिक व राजनीतिक नेताओं को कार्यवाही में सम्मलित किए जाने का उल्लेख प्राप्त नही हुआ।

आई.ई.सी. गतिविधि जनजागरण में असफल रही।

भारत सरकार ने जन साामन्य के बीच जागृति उत्पन्न करने तथा निकट के स्थानों पर उपलब्ध प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य सुविधाओं को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2001–04 की अवधि में 4114 प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाने

[1] स्वास्थ्य कर्मी – पुरूष (9940), सांख्यकी सहायक– (80), प्रयोगशाला तकनीशियन – (140), फार्मासिस्ट – (980), भण्डारी –(980), जिला धन स्वास्थ्य नर्स मेड –(150), स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी –(1020), जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी एवं उनके डिपुटी –(150), स्त्रीरोग विशेषज्ञ (285), बालरोग विशेषज्ञ (285) एवं कार्यक्रम प्रबन्धक (150)

हेतु 6.60 करोड़[1] रुपये की धनराशि अवमुक्त की। अभिलेखों के अनुसार इस 2001–05 की अवधि में 5.32 करोड़ रुपये व्यय कर 3369 शिविर आयोजित किए गये। इस प्रकार 1.28 करोड़ रुपये की धनराशि मार्च 2005 के बाद अवशेष रह गयी। इस प्रकार निदेशालय में धन उपलब्ध रहने के बावजूद, जन जागृति बढ़ाने के लिए समुचित संख्या में शिविर आयोजित करने में असफल रहा। जागृति की कमी के कारण परिवार कल्याण के स्थायी साधनों की स्वीकार्यता अल्प रही, जैसा कि पूर्व के प्रस्तरों में इंगित किया गया है।

3.1. 21 वृहद निर्माण कार्य

कार्यक्रम के अन्तर्गत वृहद निर्माण कार्यों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रसव कक्ष एवं शल्य क्रिया कक्ष का निर्माण किया जाना था। जिस पर वर्ष 2000–05 की अवधि में 15.50 करोड़ रुपये का व्यय हुआ। भारत सरकार ने वर्ष 2002–03 में 39 जिलों के 159 वृहद निर्माण कार्यों, जो उसी वर्ष पूर्ण कराये जाने थे, के लिए 14.24 करोड़ रुपये अवमुक्त किए। अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि, सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारियों ने ठेकेदारों को कार्य प्रदान कर दिए थे, परन्तु मार्च 2005 तक केवल 14 कार्य 9.40 करोड़ रुपये व्यय के बाद पूर्ण हो पाये थे। 128 कार्यो की प्रगति 20 से 90 प्रतिशत के बीच थी तथा 17 कार्यों में कोई प्रगति नही हुई थी । निदेशालय ने अवगत कराया कि दिसम्बर 2005 तक 157 कार्य पूर्ण हो चुके थे। कार्य पूर्ण होने में विलम्ब से लाभार्थियों को प्रसव कक्ष एवं शल्य क्रिया कक्ष की सुविधा नही मिल सकी।

3.1.22 सेक्टर इन्वेस्टमेन्ट प्रोग्राम की धीमी प्रगति

सेक्टर इन्वेस्टमेन्ट प्रोग्राम (एस.आई.पी.) के उद्देश्यों में प्रथम संदर्भन इकाइयों को क्रियाशील करने के लिए उपलब्ध धन की कमी को दूर करना, लेप्रोस्कोप का क्रय, व्यैक्तिक सेवाओं का सुदृढ़ीकरण एवं सरलीकरण तथा बुनियादी प्रशिक्षण केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण सम्मिलित थे। अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि भारत सरकार द्वारा 2000–05 की अवधि में एस.आई.पी. के लिए अवमुक्त 43.53 करोड़ रुपये में से मात्र 25.06 करोड़ रुपये (58 प्रतिशत) का ही उपयोग हो पाया। धन के उपयोग में कमी का प्रमुख कारण धुरी विहीन शल्य क्रिया के लिए आवश्यक लेप्रोस्कोप का क्रय, उपकेन्द्रों का निर्माण, बुनियादी प्रशिक्षण संस्थानोंके सुदृढ़ीकरण तथा प्रथम संदर्भन इकाईयों आदि के क्रियाशील किए जाने की धीमी प्रगति रही ।निदेशालय ने बताया (दिसम्बर 2005) कि अब कार्यदायी संस्थाओं को धनराशियॉ अवमुक्त कर दी गयी हैं। इस प्रकार कार्यक्रम का लाभ, लक्षित जनता को, धन उपलब्ध रहने के बावजूद कार्यक्रम अवधि में न मिल सका।

3.1. 23अनुश्रवण

कार्यक्रम क्रियान्वयन की मन्द गति इंगित करती थी कि यद्यपि स्टेट एम्पावर्ड कमेटी तथा जिला कमेटियों की बैठके समय–समय पर विभिन्न कार्यकारियों द्वारा बनाये गये मासिक प्रगति विवरणों की समीक्षा करने के लिए होती रही; कार्यक्रम का अनुश्रवण प्रभावी नही रहा।

निदेशालय ने उत्तर (दिसम्बर 2005) में स्वीकार किया कि, निचले स्तर के अधिकारियों के स्वास्थ्य पर्यवेक्षक एवं उपमुख्य चिकित्साधिकारियों द्वारा अनुश्रवण की कमी से कार्यक्रम क्रियान्वयन कुप्रभावित हुआ।

3.1.24 निष्कर्ष

राज्य में आर.सी.एच. कार्यक्रम के निष्पादन में महत्वपूर्ण कमियॉ रहने के कारण केवल 67 प्रतिशत प्रकरणों में सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित किया जा सका। प्रबन्धकीय हस्तक्षेप का प्रभाव आंशिक रहने के कारण परिवार कल्याण के स्थायी साधनों के प्रयोग में वृद्वि

[1] इसमें युनिसेफ को दिसम्बर 2004 में अग्रिम के रूप में दिए गये 1.90 करोड़ रुपय की धनराशि सम्मिलित नही है ।

लक्ष्य से कम रही। यद्यपि सघन पल्स पोलियो प्रतिरक्षण (आई पी पी आई) के लक्ष्य प्राप्त कर लिए गये तथापि सघन पल्स पालियों प्रतिरक्षण अभियानों में कर्मचारियों को लगाए जाने के कारण डी पी टी एवं मीजिल्स टीकाकरण का निष्पादन अपूर्ण रहा। पर्याप्त मात्रा में प्रयोज्य प्रसव किट उपलब्ध न होने, प्रथम संदर्भन इकाइयों के कियाशील न होने, ए एन एम की कमी, स्वास्थ्य कर्मियों एवं चिकित्सकों के प्रशिक्षण में कमी तथा पर्याप्त सूचना, शिक्षा एवं संचार अभियानों का आयोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत सामान्य से कम निष्पादन के प्रमुख कारण थे।

संस्तुतियॉ

- उपलब्ध धनराशियों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम के अन्तर्गत
- प्रथम संदर्भन इकाइयों एवं आर.टी.आई./एस.टी.आई. देखभाल केन्द्रों को पूर्णतया कियान्वित करने के लिए ढ़ॉचागत कमियों जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर अपर्याप्त चिकित्सीय एवं परा–चिकित्सीय कर्मचारियों, सुरक्षित रक्त की उपलब्धि आदि दूर की जानी चाहिए।
- निदेशालय एवं निर्दिष्ट प्रशिक्षण संस्थानों के बीच परस्पर परामर्श कर प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- सूचना, शिक्षा एवं संचार कियाकलाप इस प्रकार आयोजित किए जाने चाहिए जिससे लक्षित जनसंख्या में अधिक जागृति उत्पन्न हो।
- आर.सी.एच. कार्यक्रम के अनुश्रवण तंत्र को सुदृढ़ किया जाना चाहिए, तथा कियाकलापों का प्रभावी अनुश्रवण होना चाहिए।

उपरोक्त बिन्दुओं को शासन को अक्टूबर 2005 में संदर्भित किया गया , उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2005)। तथापि विचार विमर्श (दिसम्बर 2005) के दौरान शासन ने तथ्यों एवं ऑकड़ों की पुष्टि की तथा संस्तुतियॉ स्वीकार की।

खाद्य एवं रसद विभाग

3.2 उपभोक्ता संरक्षण संबंधी अधिनियम एवं नियमों का कियान्वयन

मुख्य अंश

भारत सरकार द्वारा उपभोक्ताओं की शिकायतों के सरल, द्रुतगामी एवं अव्ययी निवारण हेतु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का अधिनियमन किया गया। राज्य में अधिनियम का प्रभावीकरण राज्य/जिला प्रशासन तथा अशासकीय संगठनों का उपभोक्ताओं के जागरुकता तथा सशक्तीकरण में संलग्न न होने, संरचनाओं की कमी तथा प्रभावी अनुश्रवण की कमी के कारण बाधित हुआ। उपभोक्ता संरक्षण परिषदें जिनका उद्देश्य अधिनियम के अन्तर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों को प्रोत्साहन देना तथा रक्षा करना था, कार्यशील नहीं थीं। राज्य में 1.15 लाख शिकायत वादों की वृहद् लम्बितता थी।

- **जिला फोरमों की स्थापना में दो से ग्यारह वर्ष का विलम्ब किया गया था तथा राज्य आयोग के सर्किट पीठो का गठन नही किया गया था।**

(प्रस्तर 3.2.8)

- **राज्य आयोग तथा 41 जिला फोरम के भवनों का निर्माण मुख्यतः निधि एवं भूमि की अनुपलब्धता के कारण नहीं हुआ। राज्य तथा जिला दोनो स्तरों पर उपभोक्ता फोरम कर्मचारी तथा मूल सुविधाओं से अभावग्रस्त था।**

(प्रस्तर 3.2.9)

- **राज्य में 31मार्च 2005 तक 1.15 लाख उपभोक्ता शिकायत (राज्य आयोग में 30990; जिला फोरमों में 83812) लम्बित थे।**

(प्रस्तर 3.2.12)

- **राज्य आयोग में प्राप्त वादों में से 23 प्रतिशत तथा 70 जिला फोरमों में प्राप्त वादों में से 26 प्रतिशत वाद 150 दिवस की समय सीमा में निस्तारित किये गये थे।**

(प्रस्तर 3.2.13)

- **खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के अन्तर्गत कियान्वयन प्रणाली शासकीय खाद्य निरीक्षकों के यथेष्ट न होने के कारण न्यून पायी गयी।**

(प्रस्तर 3.2.19)

- **राज्य एवं जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषदें अकियाशील थीं, उपभोक्ता कल्याण निधि संचालित नहीं थी।**

(प्रस्तर 3.2.20 तथा 3.2.21)

3.2.1 प्रस्तावना

भारत सरकार ने वस्तुओं के क्रय तथा प्राप्त सेवाओं के सम्बन्ध में उपभोक्ताओं की शिकायतों के सरल, शीघ्र अव्ययी प्रतितोष हेतु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 (अधिनियम) को अधिनियमित किया। अधिनियम 1 जुलाई 1987 से प्रभाव में आया, जो अलग से त्रि–स्तरीय अर्द्ध–न्यायिक विवाद प्रतितोष प्रणाली राष्ट्र, राज्य तथा जनपद स्तर पर (उपभोक्ता न्यायालय) स्थापित करने का प्रावधान करता है। उपभोक्ता न्यायालय विशेष प्रकृति की राहत देने तथा उपभोक्ताओं को क्षतिपूर्ति प्रदान कराने हेतु शक्तिकृत है। इस अधिनियम के प्रावधान अन्य वर्तमान कानूनों से अलग समाधान देते

हैं। परिवादों के शीघ्र निस्तारण को सुविधा जनक बनाने, कार्यकलापों को प्रवाहमान करने तथा उपभोक्ता आंदोलन को सुदृढ़ बनाने हेतु वर्ष 2002 में अधिनियम संशोधित किया गया था।

भारत सरकार ने उपभोक्ताओं को संरक्षण तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही हेतु खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 का भी अधिनियमन किया।

3.2.2 संगठनात्मक ढांचा

प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद विभाग अधिनियम के कियान्वयन हेतु प्रमुख अधिशासी संस्था हैं। निदेशक उपभोक्ता संरक्षण उ0प्र0 31 मार्च 2004 तक विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। तत्पश्चात अध्यक्ष, राज्य आयोग विभागाध्यक्ष के रूप में पदस्थापित हुए तथा जिला फोरम उनके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं। अध्यक्ष राज्य आयोग, राज्य आयोग तथा जिला फोरमों के कार्यकलापों के निदेशन एवं प्रशासन हेतु एक निबन्धक की सहायता प्राप्त करते हैं। राज्य आयोग मे एक अध्यक्ष और कम से कम दो अन्य सदस्य (एक महिला सदस्य को सम्मिलित करते हुए) होते है। जिला फोरमों में एक अध्यक्ष तथा दो सदस्य (एक महिला सदस्य को सम्मिलित करते हुए) होते हैं।

3.2.3 लेखा परीक्षा आच्छादन

प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद विभाग, राज्य आयोग, 74 जिला फोरमों मे से 16[1] (22 *प्रतिशत*) के 2000–.2005 तक की अवधि के अभिलेख जुलाई 2005 से अक्टूबर 2005 तक सम्प्रेक्षा में नमूना जांच किये गये। जन विश्लेषक लखनऊ, औषधि नियंत्रक लखनऊ तथा खाद्य नियंत्रक लखनऊ के अवधि 2000–.2005 तक के अभिलेख सम्प्रेक्षा में समीक्षित किये गये।

नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने ओ आर जी सामाजिक अनुसंधान केन्द्र (ए सी नेल्सन ओ आर जी मार्ग प्रा0 लि0 का एक प्रभाग) को भी उपभोक्ताओं, उत्पादकों, व्यापारियों इत्यादि में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के मौलिक संज्ञान की स्थिति तथा लोगों में पहुंचे लाभ के तथ्य संग्रहण के लिये राष्ट्व्यापी सर्वेक्षण हेतु नियोजित किया गया। 12[2] जनपदों में 3485 उपभोक्ता, 534 वादी, 10 उत्पादनकर्ता/सेवा प्रदाता, एक प्रयोगशाला और दो अशासकीय संस्थाओं (एन0 जी0 ओ0) को आच्छादित करते हुए जुलाई के द्वितीय सप्ताह से अगस्त 2005 के तीसरे सप्ताह की अवधि में सर्वेक्षण किया गया। उनके जांच परिणामों को समीक्षा में सुसंगत स्थानों पर सम्मिलित किया गया है; उनका कार्य सारांश ***परिशिष्ट 3.4*** में दिया गया है।

3.2.4 लेखा परीक्षा के उददेश्य

उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी अधिनियम तथा नियमों की समीक्षा इन दृष्टिकोणों के आंकलन हेतु सम्पादित की गयी कि क्या :

- निहित उद्देश्यों हेतु कोई अभिलेखगत नीति अस्तित्व में है तथा अधिनियम के कियान्वयन हेतु नियम सूत्रित एवं अधिसूचित है;
- किस सीमा तक न्यायिक प्रणाली सृजित की गयी है;
- प्रतिवादों के निस्तारण हेतु सृजित संरचनायें उपभोक्ताओं की आकांक्षाओं तथा अधिनियम के अधिनियमन उद्येश्यों को पूर्ण करती हैं;

[1] लखनऊ, इलाहाबाद, बहराइच,एटा, गाजीपुर, महोबा, रायबरेली, गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, आजमगढ़, बलिया, कानपुर नगर, बस्ती, हरदोई, उन्नाव, प्रतापगढ़

[2] गाजियाबाद, सहारनपुर, एटा ,हाथरस, सीतापुर, बहराइच, रायबरेली, महोबा, इलाहाबाद, गाजीपुर, कुशीनगर, बागपत

- कर्मचारियों के लिए एकरूप योजना तथा उसका संचालन निर्धारित था और जिला फोरमों व राज्य आयोग द्वारा उसका अनुपालन किया जा रहा है;
- उपभोक्ता संरक्षण परिषदें अधिसूचित एवं क्रियाशील हैं;
- भारत सरकार राज्य/सरकार की योजनायें सम्मिलित करते हुये विभिन्न कदम तथा पहल, सर्वजन में जागरुकता सृजन में सफल हुए ;
- क्या उपभोक्ता पीड़ाओं को समयान्तर्गत निस्तारण सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से यथेष्ट अनुश्रवण प्रणाली सृजित थी ;
- क्या न्यायिक प्रणाली की दक्षता के प्रचलित रीति को प्रवाहमान बनाने के लिये किसी स्वतंत्र संस्था द्वारा मूल्यांकन कराया गया है ।

3.2.5 लेखापरीक्षा के मापदंड

लेखापरीक्षा के निम्नलिखित मापदंड थे –

- उपभोक्ता संरक्षण संबंधी अधिनियम के प्रावधान तथा नियम।
- उपभोक्ता संरक्षण परिषद के गठन हेतु शासन द्वारा जारी अधिसूचना।
- कर्मचारियों तथा अन्य रचनाओं हेतु शासन/राज्य आयोग द्वारा निर्धारित सिद्धान्त तथा निर्गत आदेश।
- निर्धारित समय के विरुद्ध प्रतिवाद प्रकरणों की लम्बितता स्थिति।

3.2.6 लेखापरीक्षा प्रणाली

प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद विभाग के साथ अगस्त 2005 तथा अध्यक्ष राज्य आयोग के साथ सितम्बर 2005 में लेखा परीक्षा के उद्देश्यों तथा मानदण्डों पर विचारार्थ परिचयात्मक संगोष्ठी की गयी।

लेखा परीक्षा में राज्य आयोग, जिला फोरमों तथा खाद्य एवं रसद विभाग के भी कार्यकलापों का उपभोक्ता संरक्षण संबंधी अधिनियम एवं नियमों के प्रवधानों के अनुपालन के संदर्भ में मूल्यांकन किया गया। शासन एवं राज्य आयोग द्वारा निर्गत आदेशों तथा संगत नियमों व सिद्धान्तों के सन्दर्भ में संरचनाओं की उपलब्धता, कर्मचारियों की यथेष्टता तथा निधि देयता की भी सम्प्रेक्षा में जांच की गयी।

समीक्षा की प्राप्तियों एवं संस्तुतियों पर विचार करने हेतु दिसम्बर 2005 में शासन स्तर पर समापन संगोष्ठी की गयी।

लेखापरीक्षा परिणाम

3.2.7 नीति का निर्धारण तथा नियमों की अधिसूचना

उपभोक्ता नीति तथा सेवा नियम नहीं प्रख्यापित किये गये

न्यायिक प्रणाली के संरचनाओ के सृजन तथा सुदृढ़ीकरण तथा उपभोक्ताओं के सशक्तीकरण एवं जागृति के उन्नयन हेतु राज्य/जिला प्रशासन/अशासनिक संगठनों के अधिकाधिक सम्बद्धता हेतु शासन के पास कोई अभिलेखित नीति नहीं थी। स्थानीय प्रशासन तथा अशासनिक संगठन जैसे अभिकरण भी उपभोक्ताओं की सशक्तीकरण हेतु संबद्ध नहीं थे।

शासन द्वारा अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु नियम शासन द्वारा अगस्त 1987 में अधिसूचित किये गये थे । इन नियमों में जिला फोरमों एवं राज्य आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों के वेतन, सेवा शर्तों को अधिशासित करने, आवेदनों की सुनवाई प्रकिया, सभा आयोजित किये जाने का ढंग तथा प्रयोगशालाओं में वस्तुओ के परीक्षण हेतु अनुगमन की जाने वाली प्रकिया सन्निहित थी ।

राज्य आयोग ने अपने गैर न्यायिक कर्मचारियों हेतु सेवानियम की रचना करके शासन के पास स्वीकृति हेतु अक्टूबर 2002 में अग्रसारित किया । शासन द्वारा उक्त नियम, बहरहाल, स्वीकृत नहीं किये गये (दिसम्बर 2005)।

उल्लेख करने पर शासन ने सूचित किया (जनवरी 2006) कि सेवा नियम अन्तिम रुप में था। आगे बताया गया कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता नीति (एन.सी.पी.) तैयार की जा रही थी और शासन उसकी पूर्णता के पश्चात् नीति बनायेगा ।

3.2.8 न्यायिक प्रणाली का सृजन

शासन द्वारा जिला फोरमों की स्थापना में विचारणीय विलम्ब हुआ क्योंकि अधिनियम के जुलाई 1987 से प्रभाव में आने के दो वर्षों बाद 44 जिला फोरम, आठ वर्षों बाद चार फोरम नौ वर्षों बाद चार फोरम, दस वर्षों बाद आठ तथा 11 वर्षों बाद चार फोरम स्थापित किये गये। अध्यक्ष, सदस्यों तथा अन्य कर्मचारियों का पद सृजित न होने के कारण मई 1998 में सृजन के बावजूद चार जिलों[1] में फोरम अब तक कियाशील नहीं थे।

अधिनियम का अनुच्छेद 17 (ब) भी शासन को वादों के निस्तारण में गति देने हेतु राज्य सरकार को सर्किट पीठों के गठन की शक्ति प्रदान करता है। राज्य आयोग में 30990 वादों की भारी लम्बितता (मार्च 2005) के बावजूद सर्किट पीठ के गठन पर शासन ने विचार नहीं किया ।

राज्य आयोग ने उत्तर में कहा (दिसम्बर 2005) कि भूमि, भवन, स्थान तथा कर्मचारियों की अनुपलब्धता के कारण सर्किट पीठ तथा अतिरिक्त फोरमों की स्थापना नहीं की जा सकी ।

शासन ने अपने उत्तर (जनवरी 2006) में कहा कि चार नव सृजित जिले समाप्त कर दिये गये थें । शासन ने उन जिलों के वादों को उनके जन्मदाता जिलों में निस्तारण करने के आदेश निर्गत कर दिये थे ।

आधारभूत संरचनाओं की अपर्याप्तता

3.2.9 राज्य आयोग एवं जिला फोरमों हेतु भवन

राज्य आयोग तथा 41 फोरमों के भवन निर्मित नहीं किये गये

राज्य सरकार के प्रस्ताव के आधार पर भारत सरकार ने वर्ष 1995–99 की अवधि में 6·80 करोड़ रुपये का एकमुश्त अनुदान राज्य आयोग तथा 63 जिला फोरमों के भवन निर्माण एवं आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने हेतु(राज्य आयोग हेतु 50 लाख रुपये तथा 63 फोरमों हेतु 10 लाख रुपये प्रति फोरम की दर से 6·30 करोड़ रुपये) अवमुक्त किया। सम्प्रेक्षा में पाया गया कि 22 जिला फोरमों के भवन निर्माण पर 2·90 करोड़ रुपये व्यय कर दिया गया (जून 2003) तथा 2·95 करोड़ रुपये 63 फोरमों के अन्य सुविधाओं के प्रावधान हेतु उपयोग कर लिया गया। अवशेष 1·05 करोड़ रुपये (ब्याज सहित) राज्य आयोग के वैयक्तिक लेखा खाता में अप्रयुक्त पड़ा था ।

राज्य आयोग तथा शेष 41 फोरमों के भवनों का निर्माण मुख्यतः निधि की कमी तथा राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध न कराये जाने के कारण नहीं हो सका। किराये के भवन में अवस्थित राज्य आयोग तथा जिला फोरमों में पुस्तकालय ,अभिलेख कक्ष, न्ययालय कक्ष तथा उपभोक्ताओं एवं कर्मचारियों को मौलिक सुविधायें प्रदान करने हेतु उपलब्ध स्थान अपर्याप्त था। 10,000 वर्ग मी0 कुर्सी क्षेत्र की आवश्यकता के विरुद्ध राज्य आयोग वर्तमान में मात्र 840 वर्ग मी0 कुर्सी क्षेत्र(8 *प्रतिशत*)में अवस्थित था।

[1] औरैया, बागपत, कन्नौज, सन्त कबीर नगर,

आधारभूत सुविधाओं के प्रदान करने में राज्य सरकार की असमर्थता ने न्यायिक प्रणाली के कार्यकलापों में रुकावट ही नहीं डाला बल्कि सामान्य उपभोक्ताओं में प्रतितोष अभिकरण के अस्तित्व एवं स्थिति से संज्ञानित होना भी कठिन कर दिया।

ओ आर जी मार्ग सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि मात्र 13 *प्रतिशत* उपभोक्ता किसी उपभोक्ता विवाद प्रतितोष अभिकरण से संज्ञानित थे तथा यहां तक कि उनमें से लगभग 21 प्रतिशत अपने जिले में उपभोक्ता फोरमों की स्थिति को भी नहीं जानते थे।

शासन ने विचार–विमर्श (दिसम्बर 2005) में कहा कि राज्य आयोग को भवन हेतु भूमि अब निश्चित की जा चुकी है तथा राज्य आयोग द्वारा स्थल स्वीकृति होने के उपरान्त आवश्यक निर्माण कार्य प्रारंभ करा दिया जायेगा।

3.2.10 मौलिक संरचनाओ का अभाव

उपलब्ध मौलिक सुविधाएं अपर्याप्त थीं

जिला फोरमों के अभिलेखों की सम्प्रेक्षा से स्पष्ट हुआ कि आधारभूत सुविधाएं कार्यालय, कर्मचारी तथा उपभोक्ताओ के मूल आवश्यकताओं के लिये भी अपर्याप्त थीं। जबकि पांच फोरमों[1] में पेय जल सुविधा अनुपलब्ध थी तथा सात[2] में अपर्याप्त थी । ग्यारह फोरमों[3] में विद्युत कटौती काल में जेनरेटर सुविधा न होने के कारण विद्युत आपूर्ति यथेष्ट नही थी। आठ जिला फोरमों[4] में वर्तमान फर्नीचर अपर्याप्त थे। सात फोरमों[5] में फैक्स मशीन उपलब्ध नहीं थी, दो फोरमों[6] में खराब पड़ी थी तथा एक फोरम[7] में स्थानाभाव के कारण स्थापित नहीं थी। दो जिला फोरमों[8] में जिराक्स मशीन अनुपलब्ध थी एवं पांच फोरमों[9] में क्रियाशील नहीं थी। बारह जिला फोरमों[10] में अभिलेख कक्ष का स्थान यथेष्ट नहीं था तथा पुस्तकालय हेतु स्थान नमूना जांच के सभी जिलों में नहीं था।

मूलभूत सुविधाओं की कमी उपभोक्ता फोरमों में अधिक प्रभावकारी बाधा थी। उपरोक्त संरचनाओ में कमी/अपूर्णता का कारण स्थान तथा धन की कमी थी।

शासन ने उत्तर में कहा कि जिला फोरमों में अधिक सुविधा देने के लिये प्रयास किये जा रहे थे। बहरहाल, राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए सभी आवश्यकतायें तुरन्त पूरी नहीं की जा सकती थीं।

3.2.11 कर्मचारियों की अपर्याप्तता

राज्य आयोग तथा जिला फोरमों में भारी वाद लम्बित होने के बावजूद शासन ने न तो रिक्त पदों को भरनें की पहल की और न ही वर्तमान रिक्त पदों के उपयुक्तता की समीक्षा ही की। न्यायमूर्ति बागला समिति ने राज्य आयोग में कनिष्ठ लिपिकों के 124 पद,सहायकों के 124 पद तथा अन्य कर्मचारियों के 38 पद और जिला फोरमों में कनिष्ठ लिपिकों तथा सहायकों के 335 पद तथा 11 अन्य कर्मचारियों के पदों का अनुमोदन किया (जनवरी 2000)। राज्य सरकार ने, किसी प्रकार भी, प्रतिवेदन मे उल्लिखित अनुमोदन पर कोई कार्यवाही नहीं शुरू किया। ***परिशिष्ट 3.5*** स्वीकृत

1 आजमगढ़, प्रतापगढ़,उन्नाव,लखनउ,इलाहाबाद
2 बाराबंकी, बलिया,गौतमबुध नगर,एटा, रायबरेली, बस्ती, महोबा
3 महोबा, बलिया, गौतमबुध नगर,,कानपुर नगर, एटा, रायबरेली, बस्ती, इलाहाबाद आजमगढ़, प्रतापगढ़,उन्नाव
4 लखनउ, प्रतापगढ़, महोबा रायबरेली, गौतमबुध नगर,एटा, बाराबंकी, बस्ती
5 बाराबंकी,हरदोई, प्रतापगढ़,बहराइच,बलिया, आजमगढ़, लखनउ,
6 गाजीपुर, गौतमबुध नगर,
7 कानपुर नगर,
8 आजमगढ़, प्रतापगढ़
9 प्रतापगढ़,उन्नाव,हरदोई, बलिया, बस्ती
10 लखनऊ, आजमगढ़, प्रतापगढ़, महोबा बलिया गौतमबुध नगर बाराबंकी, कानपुर नगर, रायबरेली, बस्ती गाजीपुर,,उन्नाव

कर्मचारियो के पद तथा बागला समिति द्वारा अनुमोदन से संबंधित रिक्त पदों की स्थिति को दर्शाता है। राज्य आयोग में स्वीकृत 56 पदों के सापेक्ष 32 पद (57 *प्रतिशत*)तथा जिला फोरमों में 353 पदों के सापेक्ष 273 पद (77 *प्रतिशत*) भरे हुए थे। राज्य आयोग द्वारा बागला समिति के अनुमोदनों की दिशा में 409 स्वीकृत पदों में 486 पदों की वृद्धि का प्रस्ताव शासन द्वारा अभी तक मान्य नहीं किया गया था (जनवरी 2006)। इस प्रकार जिला फोरमों में उनके कार्य भार के अनुरूप पदों को प्रमाणित नहीं किया जा सका जिससे प्रतितोष प्रणाली की संचालन दक्षता विपरीत प्रभावी हुई।

शासन ने उत्तर में कहा (जनवरी 2006)कि नये पदों का सृजन न करना पूर्व निश्चित होने के कारण बागला समिति के अनुमोदन के अनुसार वह कर्मचारी प्रदान करने की स्थिति में नहीं था। बहरहाल, राज्य आयोग को अनेक कार्यालयों/संस्थानों के बन्द होने से अतिरिक्त हुए कर्मचारियों में से व्यक्ति चुनने का निवेदन किया गया है।

3.2.12 वादों के निस्तारण में विलम्ब

अधिनियम के अनुच्छेद 13 ए तथा 18 सहपठित अनुच्छेद 13 अपेक्षा करता है कि जिला फोरमों तथा राज्य आयोग में दायर वाद विपक्षी को सूचना, जिसकी अधिकतम अवधि 21 दिन है, की प्राप्ति के तीन माह के भीतर जिसमें वस्तु की जांच एवं विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है तथा पांच माह के भीतर जिसमें वस्तु की जांच एवं विश्लेषण की आवश्यकता है, निर्णीत कर दिया जाना चाहिये । अधिनियम का अनुच्छेद निरूपित करता है कि जिला फोरमों के न्याय के विरुद्ध राज्य आयोग में दायर की गयी अपीलें उनके दायर होने के 90 दिनों के भीतर निर्णीत कर दी जायें।

राज्य आयोग एवं जिला फोरमों में वादों के लम्बितता की स्थिति निम्नवत् थी–

राज्य आयोग

सारिणी 1

वर्ष	प्रारंभिक अवशेष		दर्ज वादों की संख्या		कुल वादों की संख्या		निस्तारित वादो की संख्या (अब तक कुल)		निस्तारण का प्रतिशत	
	मू॰[1] वा॰	अ॰+रि[2]	मू॰ वा॰	अ॰+रि॰	मू॰ वा॰	अ॰+रि॰	मू॰ वा॰	अ॰+रि॰	मू॰ वा॰	अ॰+रि॰
2000–01	1186	19639	251	3246	1437	22885	142(1282)	983(55030)	10	4
2001–02	1295	21902	276	3370	1571	25272	264(1546)	1458(6961)	17	6
2002-03	1307	23814	157	2549	1464	26363	137(1683)	872(7833)	9	3
2003-04	1327	25491	42	3787	1369	29278	55(1738)	407(8240)	4	1
2004–05	1314	28871	1595	11017	2909	39888	184(1922)	1645(9885)	6	4

जिला फोरम

सारिणी 2

वर्ष	प्रारंभिक अवशेष	दर्ज वादों की संख्या	कुल वादों की संख्या	निस्तारित वादो की संख्या	निस्तारण का प्रतिशत
2000–01	63288	22967	86255	19635	23
2001–02	66620	23807	90427	22700	25
2002–03	67727	24580	92307	23997	26
2003-04	68310	46167	114477	33953	30
2004–05	80524	17217	97741	13929	14

अपीलों तथा मूल वादों की लम्बितता वर्ष प्रति वर्ष बढ़ती जा रहीथी

दृष्टव्य है कि राज्य आयोग तथा जिला फोरमों में अपीलों तथा मूल परिवादों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही थी तथा वर्तमान प्रयास नये प्रकरणों और पूर्व काल के लम्बित वादों के निस्तारण हेतु अपर्याप्त थे।

[1] मूल वाद

[2] अपील+ रिवीजन

3.2.13 प्रकरणों की आवधिक लम्बिता

राज्य आयोग तथा नमूना जांच किये गये 9[1] जिला फोरमों के आवधिक वाद लम्बितता की स्थिति 31 मार्च 2005 को निम्नवत् थी–

सारिणी 3

लम्बिता की अवधि	राज्य आयोग		जिला फोरम
	अपीलें (प्रतिशत)	प्रतिवाद (प्रतिशत)	प्रतिवाद (प्रतिशत)
दस वर्षो से अधिक पुराने	1497(6)	102(10)	54(1)
सात से दस वर्ष पुराने	3339(12)	94(10)	553(6)
पांच से सात वर्ष पुराने	3887(14)	106(11)	859(10)
तीन से पांच वर्ष पुराने	2386(9)	76(8)	1358(15)
दो से तीन वर्ष पुराने	5204(19)	203(21)	1606(18)
एक से दो वर्ष पुराने	5581(20)	317(32)	2041(23)
छः माह से एक वर्ष पुराने	4538(16)	56(6)	1469(16)
छः माह से कम	1157 (4)	33 (2)	969(11)
योग	**27589(100)**	**987(100)**	**8909(100)**

* कोष्ठकों के अंक संगत अवधि के पूरे लम्बितता के प्रतिशत का प्रदर्शक है।

** सारिणी 3 में रिवीजन तथा विविध वाद सम्मिलित नहीं है। अतः कुल लम्बित वादों की संख्या में सारिणी 1 से अन्तर है।

वादों के उच्च प्रतिशत 6 माह से अधिक समय से लम्बित थे। केवल 23 प्रतिशत वाद ही राज्य आयोग द्वारा निर्धारित अवधि में निर्णीत किये जा सके।

छः माह से अधिक पुराने वादों का प्रतिशत बहुत अधिक था (राज्य आयोग में वादों का 98 प्रतिशत एवं अपीलों का 96 *प्रतिशत* तथा जिला फोरमों में 89 *प्रतिशत*)। अधिनियम की भावनाओं के अनुरूप उपभोक्ताओं को समय से निर्णय देने हेतु राज्य आयोग तथा शासन द्वारा इस प्रकरण को हल करने के लिये ठोस कार्य योजना नहीं बनायी गयी।

यह भी पाया गया कि उपभोक्ता फोरमों में वादों के निस्तारण की गति बहुत धीमी थी।

राज्य आयोग द्वारा जून 2005 तक 4777 निस्तारित वादों में केवल 23 प्रतिशत ही 90/150 दिनों की निर्धारित अवधि में निर्णीत किये गये। इसी प्रकार जिला फोरमों द्वारा जून 2005 तक 251666 निस्तारित प्रकरणों में 26 *प्रतिशत* प्रकरण ही 90/150 दिनों में निर्णीत किये गये। वादों के निस्तारण में विलम्ब ने अधिनियम द्वारा प्रावधानित उपभोक्ताओं को शीघ्र तथा अव्ययी प्रतितोष के उद्देश्य को निष्फल कर दिया। शासन ने वादो की लम्बितता हेतु जिला फोरमोां के स्तर पर अध्यक्ष के 42 पद, 39 महिला सदस्यों के तथा 38 पुरूष सदस्यों के रिक्त पदों को आक्षेपित किया जो माननीय उच्च न्यायालय मे लम्बित परिवाद के कारण था। आगे यह कहा गया कि स्थिति सुधरने के आसार है क्योंकि रिक्तियां अब भरी जा चुकी थी।

राज्य आयोग तथा जिला फोरमों में वादों के दायर होने तथा प्रक्रियाओं में भिन्न प्रणालियां अपनायी गयी। राज्य आयोग में 210 वादों के सूक्ष्म सम्प्रेक्षण से स्पष्ट हुआ कि सभी वादों में उभय पक्षों ने अधिवक्ताओं की सेवायें प्राप्त किया था जो अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत आवश्यक नहीं था।

ओ आर जी मार्ग सर्वेक्षण ने स्पष्ट किया कि जिला फोरमों में वाद दायर करने के लिये 12 *प्रतिशत* उपभोक्ताओं ने स्टाम्प पेपर का प्रयोग किया था तथा 33 *प्रतिशत* ने न्यायालय शुल्क जमा किया था। उपभोक्ताओं द्वारा गलत प्रणाली अपनाने का कारण लोगों में नियम तथा निर्देशिका का अपर्याप्त प्रसार था।

सम्प्रेक्षा की टिप्पणी को स्वीकार करते हुए राज्य आयोग ने उत्तर में कहा (दिसम्बर 2005) कि उपभोक्ताओं को अधिवक्ताओं या प्रतिनिधि की सेवायें प्राप्त करने या स्वयं वाद लड़ने की स्वतंत्रता है। प्रतितोष अभिकरणों के कर्मचारियों में प्रक्रियाओं का समुचित ज्ञान तथा अनुभव का अभाव होने के कारण न्यायालय शुल्क जमा कराया गया

[1] लखनऊ, बाराबंकी, हरदोई, प्रतापगढ़, बहराइच, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, बस्ती, एटा

एवं स्टाम्प पेपर प्रयुक्त किये गये। अधिनियम के विरुद्ध जमा कराये गये न्यायालय शुल्क की वापसी के लिये निर्देश जारी कर दिये गये।

3.2.14 दाखिल अपीलों के साथ धन जमा न होना

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (संशोधन) 2002 के अनुच्छेद 15, जो 15 मार्च 2003 से प्रभावी है, के अनुसार किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की गयी अपील, जिससे जिला फोरम के आदेशानुसार कोई धनराशि जमा कराना अपेक्षित है , राज्य आयोग द्वारा तब तक ग्राह्य नहीं होगी जब तक कि अपील कर्ता ने निर्धारित रीति के अनुसार उस धनराशि का 50 प्रतिशत अथवा 25000 रुपये जो कम हो, जमा न कर दिया हो।

राज्य आयोग के अभिलेखों की सम्प्रेक्षा से स्पष्ट हुआ कि 6871 अपीलें 2003–2005 (सितम्बर 2005) तक दाखिल हुई परन्तु कोई धनराशि जमा नहीं करायी गयी और इस प्रकार अधिनियम के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित नहीं किया गया।

राज्य आयोग ने उत्तर में कहा (अक्टूबर 2005) कि शासन से इस संबंध में नियम बनाने हेतु अनुरोध किया गया था (अप्रैल 2003)। बहरहाल, अभी तक कोई नियम नहीं बनाये गये है।

3.2.15 सूचना सम्प्रेषण की अनुपयुक्त प्रणाली

अधिनियम में संशोधन 2002 द्वारा प्रविष्ट अनुच्छेद 28 ए के अनुसार नोटिस प्रेषण वितरण द्वारा या पावती के साथ पंजीकृत डाक द्वारा विपक्षी जिसके विरुद्ध शिकायत की गयी है को सम्बोधित करके अथवा वादी को द्रुतगामी डाक से प्रेषित की जा सकती है।

राज्य आयोग के अभिलेखों की जांच से स्पष्ट हुआ कि 6284 नोटिसें वादियों/प्रतिवादियों को मई 2003 से सितम्बर 2005 तक पंजीकृत/द्रुतगामी डाक से प्रेषित की गयी परन्तु डाक व्यय राज्य आयोग के बदले वादियों/प्रतिवादियों द्वारा वहन किया गया।

उत्तर में राज्य आयोग ने बताया (अक्टूबर 2005) कि शासन के आदेश (सितम्बर 1993) के अनुपालन में वादियों से टिकट युक्त लिफाफे लिये जा रहे थे तथा अधिनियम में 2002 के संशोधन के उपरान्त शासन से आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया (अप्रैल 2003) जो अभी तक प्रतीक्षित था।

3.2.16 प्रवर्तन प्रणाली

उपभोक्ता संरक्षण संबंधी अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों के प्रवर्तन के सम्परीक्षण से निम्न तथ्य प्रकाश में आये:–

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम

3.2.17 अधिनियम 25(3) के अधीन प्रवर्तन

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अनुच्छेद 25 (3) के अनुसार जब एक फोरम या राज्य आयोग के आदेशानुसार किसी व्यक्ति से कोई धन ग्रहीत होना है, तो एक प्रमाणपत्र कलेक्टर को निर्गत किया जाय तथा कलेक्टर भू राजस्व बकाये के रूप में उस धन के वसूली की कार्यवाही करेगा।

प्रवर्तन कमजोर था क्योंकि राज्य आयोग तथा जिला फोरमों द्वारा आदेशित वसूलियों में देर हुई

2000–2005 की अवधि में राज्य आयोग के निर्णय के कियान्वयन न होने के 110 में से 49 इजरायवादों की जांच से स्पष्ट हुआ कि 48 प्रकरणों में अनुच्छेद 25(3) के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को आयोग द्वारा राहत नहीं दी गयी (पुराना प्रकरण मई 1993 में दायर हुआ) क्योंकि विपक्षी के उपस्थित न होने के कारण राज्य आयोग द्वारा आदेश जारी नहीं किया गया तथा एक प्रकरण में 14.74 लाख रुपये का आदेश जारी किया गया था

(मई 2002) जिसके विरुद्ध प्रतिवादी की अनुपलब्धता के कारण 5.03 लाख रुपये की वसूली अब भी लंबित थी (दिसम्बर 2005)।

15 जिला फोरमों की सम्प्रेक्षा जांच से स्पष्ट हुआ कि 2000–05 की अवधि में फोरमों द्वारा 3972 इजरायवादों में से 192 प्रकरणों में संबंधित फोरमों द्वारा अनुच्छेद 25(3) के अर्न्तगत वसूली आदेश निर्गत हुये(***परिशिष्ट 3. 6***)। केवल 47 प्रकरणों (24 प्रतिशत) में पूरे धन की वसूली सूचित हुई। जिलाधिकारियों ने 62 प्रकरणों को यह कहकर लौटा दिया कि प्रतिवादी नहीं मिला जिससे वसूली नहीं हो सकी (59),तीन में राज्य आयोग द्वारा स्थगन था। शेष प्रकरणों में वसूली न होने का कारण नहीं बताया गया।

ओ आर जी मार्ग सर्वेक्षण ने भी स्पष्ट किया कि 37 *प्रतिशत* ऐसे प्रकरण थे जिसमें डिक्री दी गयी थी और क्षतिपूर्ति अभी तक प्राप्त होनी थी। औसतन लगभग 21 महीनों से क्षतिपूर्ति बकाया थी। जिनमें क्षतिपूर्ति प्राप्त हुई थी वह औसतन तीन महीने के भीतर।

3.2.18 अनुच्छेद 27(1) के अधीन प्रवर्तन

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम,1986 के अनुच्छेद 27(1) के अनुसार जब एक व्यापारी या व्यक्ति जिसके विरुद्ध प्रतिवाद दायर है अथवा जिला फोरम या राज्य आयोग के किसी आदेश का पालन नहीं करता या करने में असफल रहता है, जैसा भी प्रकरण हो, ऐसा व्यापारी या व्यक्ति कारावास या दण्ड से दण्डित होगा।

अभिलेखों की जांच से स्पष्ट हुआ कि उपरोक्त अनुच्छेद के अन्तर्गत यद्यपि आयोग द्वारा 2000–05 की अवधि में गिरफ्तारी वारन्ट तीन मामलों में जारी किया, उनमें किसी में भी क्रियान्वयन नहीं हुआ (पुरातन मामला अप्रैल 2001 में दायर हुआ था)। 15 जिला फोरमों की जांच से स्पष्ट हुआ कि 2000–05 की अवधि में 155 मामलों में गिरफ्तारी वारन्ट तथा 54 मामलों में दण्ड आरोपित किया गया ***(परिशिष्ट 3.7)*** जबकि गिरफ्तारी चार मामलों में तथा दण्ड वसूली केवल पन्द्रह मामलों में हुई।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अधिनियम द्वारा प्रदत्त प्रवर्तन का क्रियान्वयन असंतोषजनक था तथा इस तथ्य का द्योतक था कि अधिनियम में वर्णित प्रावधान निर्णीत धन की वसूली/गिरफ्तारी वारन्टों का जिलाधिकारियों के माध्यम से क्रियान्वयन कराना अपर्याप्त था।

सम्प्रेक्षा द्वारा बताये तथ्यों को स्वीकार करते हुये राज्य आयोग ने सुझाव दिया (दिसम्बर 2005) कि शासन स्तर से सभी जिलाधिकारियों तथा पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक निर्देश जारी किया जाना चाहिये था तथा निश्चित अन्तराल के पश्चात् आयोग/फोरम के अध्यक्षों, जिलाधिकारियों तथा पुलिस अधीक्षकों के बीच नियमित सभायें की जानी चाहिये जिससे प्रतितोष अभिकरणों का आदेश क्रियान्वित हो सके। बहरहाल, राज्य आयोग ने नहीं बताया कि ये सुझाव राज्य सरकार को दिये गये थे अथवा नहीं।

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954

अधिनियम के मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को खाद्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, उनको छल/धोखा से बचाना तथा खाद्य उद्योग में स्वच्छ विपणन कार्यो को बढ़ावा देना है। अधिनियम के अनुच्छेद 11 के अन्तर्गत राजकीय खाद्य निरीक्षकों को शक्ति दी गयी है। (1) किसी खाद्य पदार्थ का नमूना लेना (2) ऐसे नमूनों को जन विश्लेषक को प्रेषित करना (3) जनहित में किसी खाद्य पदार्थ की बिक्री रोकना। अपमिश्रित खाद्य नमूनो के मामले, जन विश्लेषक से रिपोर्ट प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर दण्डाधिकारी को प्रस्तुत करना। महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं के अधीन खाद्य नियंत्रक तथा औषधि नियंत्रक राज्य में अधिनियम लागू कराने की शक्ति प्राप्त हैं।

3.2.19 खाद्य नमूनों का संग्रहण

नमूनों के संग्रह में अत्यधिक कमी थी

शासन ने राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/विकास खण्डों के आच्छादित करने हेतु राजकीय खाद्य निरीक्षकों का 779 पद स्वीकृत किया था जिसके विरुद्ध 375 खाद्य निरीक्षक नियुक्त थे। खाद्य नियंत्रक लखनऊ ने प्रति खाद्य निरीक्षक 60 नमूने लेने तथा जन विश्लेषक को प्रेषित करने का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया था। स्वीकृत पदों तथा प्रति निरीक्षक लक्ष्य के आधार पर 2000–05 की अवधि में नमूना संग्रहण में कमी निम्नलिखित थी–

सारिणी 6

वर्ष	नमूने जो लिये जाने थे	संग्रहीत नमूने	कमी
2000	46740	21015	25725
2001	46740	21571	25169
2002	46740	21806	24934
2003	46740	22034	24706
2004	46740	18040	28700
2005(3/05 तक)	11685	4941	6744

नमूनों का संग्रहण राजकीय खाद्य निरीक्षकों के अद्यतन 404 खाली पदो के कारण पूर्णतः अपर्याप्त था।

खाद्य तथा औषधि नमूनों की जांच

निरीक्षकों द्वारा संग्रहीत नमूनेां को सीलबन्द करके जन विश्लेषक लखनऊ को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम तथा ड्रग एवं कास्मेटिक एक्ट 1940 में विहित रीति के अनुसार भेजना अपेक्षित था। जन विश्लेषक द्वारा खाद्य नमूनों पर अपनी रिपोर्ट उसकी प्राप्ति के 40 दिनों के भीतर प्रेषित करना अपेक्षित है। जन विश्लेषक के अभिलेखों की सम्प्रेक्षा जांच नें निम्न तथ्य प्रकट किया–

सारिणी 7

वर्ष	प्राप्त नमूने	विश्लेषित नमूने	अपमिश्रित पाये गये नमूने	कालातीत,टूटे/अस्वीकृत,विघटित,दूसरे प्रयोगशालाओ को प्रेषित
2000	21015	16152	3065	3320
2001	21571	18960	2637	2807
2002	21806	20672	3099	1378
2003	22034	17891	3333	3972
2004	18040	16487	1764	1984
2005 (3/05तक)	4941	4239	495	815
योग	**109407**	**95301**	**14393**	**14276**

जांच हेतु प्राप्त 109407 खाद्य नमूनों के विपरीत केवल 94,401 नमूनें (86 *प्रतिशत*) ही विश्लेषित किये गये। अवशेष 15,006 नमूने (14 *प्रतिशत*) कालातीत होने (4,085), टूटे/अस्वीकृत (6,141), विघटित (2,388), अन्य प्रयोगशालाओं को प्रेषित (1,633) तथा लम्बित (29) इत्यादि के कारण जांच नहीं किये जा सके। अपमिश्रित पाये गये 14,393 नमूनों के दृष्टिगत, नमूनों के अपर्याप्त परीक्षण से अपरीक्षित पड़े खाद्य नमूनो में अपमिश्रण सम्भावित था।

औषधि नमूने

सारिणी 8

वर्ष	प्राप्त नमूने	विश्लेषित नमूने	अधोमानक पाये गये नमूने	नकली पाये गये नमूने
2000	2772	720	78	35
2001	2889	512	46	21
2002	3216	1109	203	24
2003	3593	714	183	10
2004	3430	1039	170	04
2005 (3/05तक)	481	195	34	03
योग	**16381**	**4289**	**714**	**97**

औषधियों के केवल 26 प्रतिशत नमूने ही विश्लेषित किये गये

परीक्षण हेतु कुल प्राप्त 16,381 औषधि नमूनों के विरुद्ध 4289 नमूने (26 *प्रतिशत*) ही विश्लेषित किये गये। औषधि नमूनों में नकली पाये गये 19 *प्रतिशत* नकली (97) तथा अधोमानक (714) के दृष्टिगत अपर्याप्त नमूना परीक्षण के कारण ऐसी दवाओं को बाजार में पहुंचने का भय था।

जन विश्लेषक के अभिलेखों की जांच से स्पष्ट हुआ कि क्षेत्रीय प्रयोगशालाओ में विश्लेषकों के 121 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 84 पद रिक्त थे। राजकीय जन प्रयोगशाला लखनऊ में विश्लेषकों के स्वीकृत 14 पदों के विरुद्ध 9 पद रिक्त थे । जन विश्लेषक द्वारा बताया गया (सितम्बर 2005) कि विश्लेषकों के अभाव में लगभग 2000 औषधि नमूनें प्रतिवर्ष कालातीत हो जाते हैं।

दोषियों का अनाभियोजन

उपरोक्त अधिनियम के अनुच्छेद 13(2) के अन्तर्गत खाद्य निरीक्षक द्वारा जन विश्लेषक से खाद्य नमूनों के अपमिश्रित होने की रिपोर्ट प्राप्त होनें के बाद तुरन्त अभियोजित कर दिया जाय। अपमिश्रित नमूनों तथा अभियोजित प्रकरणों की 2000–05 की प्राप्त सूचना के अनुसार निम्नलिखित थी–

सारिणी 9

वर्ष	संग्रहीत एवं जनविश्लेषक को प्रेषित नमूने	परीक्षित नमूने	अपमिश्रित पाये गये नमूने	अभियोजित प्रकरण	न्यायालय द्वारा निर्णीत प्रकरण	जिनमें दण्डित किया गया
2000	21015	16152	3065	1817	421	199
2001	21571	18960	2637	1777	449	107
2002	21806	20672	3099	1636	479	216
2003	22034	17891	3333	2076	350	129
योग	**86426**	**73675**	**12134**	**7306**	**1699**	**651**

खाद्य निरीक्षकों द्वारा लिये गये 86,426 नमूनों के विरुद्ध केवल 73,675 नमूने (85 *प्रतिशत*) परीक्षित हुये जिसमें से 12134 नमूने अपमिश्रित पाये गये। केवल 7306 मामलों (60 *प्रतिशत)* में ही अभियोजन किया गया जिसमें से 1699 मामले (23 *प्रतिशत*) न्यायालय द्वारा निर्णीत किये गये तथा 651 प्रकरणों (38 *प्रतिशत*) में सजा दी गयी। खाद्य नियंत्रक ने अपमिश्रण के 40 प्रतिशत मामलों में अभियोजन न करने का कारण नहीं बताया।

उपभोक्ता संरक्षण परिषदों के कार्य

3.2.20 उपभोक्ता संरक्षण परिषदें अकार्यशील थीं

उपभोक्ता संरक्षण परिषदें अकार्यशील थीं तथा उपभोक्ता कल्याण निधि संचालित नहीं थी

अधिनियम के अनुच्छेद 7 तथा 8ए के अनुसार उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा तथा उन्नत करने हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद तथा

जिला स्तर पर प्रत्येक जनपद में जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषदों[1] की स्थापना वांछित थी। यह पाया गया कि केवल राज्य परिषद नवम्बर 1998 में अर्थात अधिनियम के प्रभाव में आने के 11 वर्षों बाद सृजित की गयी। जिला परिषदें फरवरी 2004 में सृजित की गयी। दोनो राज्य तथा जिला परिषदें कार्यशील नहीं थीं।

शासन ने उत्तर में कहा (जनवरी 2006) कि परिषदों को कार्यशील बनाने की कार्यवाही चल रही है।

उपभोक्ताओं की जागरूकता तथा सशक्तीकरण

3.2.21 उपभोक्ता कल्याण निधि की अकार्यशीलता

उपभोक्ताओं में जागरूकता उन्नयन हेतु भारत सरकार ने प्रत्येक राज्य में राज्य उपभोक्ता कल्याण निधि स्थापित करने का आदेश जारी किया (फरवरी 2004)। राज्य सरकार ने 1 करोड़ रुपये की धनराशि से राज्य उपभोक्ता कल्याण निधि सृजन किया (मार्च 2005)। इसका 50 प्रतिशत अंशदान 50 लाख रुपये निधि में जमा किया। शेष 50 प्रतिशत भारत सरकार का अंशदान प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2005)। सम्प्रेक्षा जांच (सितम्बर 2005) से स्पष्ट हुआ कि न तो निधि के संचालन हेतु नियम बनाये गये और न तो निधि के समुचित उपयोग की संस्तुति हेतु कोई समिति ही गठित की गयी। परिणामस्वरूप उपभोक्ता जागरूकता में उन्नयन हेतु कोई योजना प्रारंभ नहीं हुई।

शासन ने उत्तर में कहा (जनवरी 2006) कि उपभोक्ता कल्याण निधि के संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा माडल ड्राफ्ट रूल बनाये जा रहे हैं।

ओ आर जी मार्ग सर्वेक्षण ने भी स्पष्ट किया कि लगभग 82 प्रतिशत उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति तथा 88 प्रतिशत अधिनियम के प्रति जागरूक नहीं थे ।

3.2.22 अनुश्रवण प्रणाली

भारत सरकार ने प्रतिदिन की उपलब्धता से राष्ट्रीय आयोग को अनुश्रवण हेतु सूचित करना निर्धारित किया था (जुलाई 1995)। इसके विरुद्ध राज्य आयोग ने राष्ट्रीय आयोग को निस्तारण व लंबितता का मासिक प्रगति प्रतिवेदन भेजा। राज्य आयोग ने बहुत से नियंत्रक अभिलेख यथा वाद पंजिका निस्तारण पंजिका, इजरायवाद पंजिका,न्याय पंजिका इत्यादि का इस रीति से रख–रखाव नहीं किया जिससे प्रभावी अनुश्रवण के सशक्तीकरण हेतु निष्पादनों की समीक्षा हेा सके। राज्य सरकार ने अपने वार्षिक प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देते समय निस्तारण तथा लंबितता का वर्ष में मात्र एक बार अनुश्रवण किया। इस प्रकार अनुश्रवण की कोई प्रभावी प्रणाली नहीं रखी गयी।

शासन ने उत्तर में कहा कि वादों की प्रकिया तथा निस्तारण अधिनियम में निर्धारित है। इसलिये अनुश्रवण राज्य आयोग के स्तर पर होना अपेक्षित है। आगे यह भी बताया गया कि राज्य आयोग के प्रस्ताव पर और अधिक प्रभावी अनुश्रवण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

3.2.23 अधिनियम के कियान्वयन का मूल्यांकन

न्यायिक प्रणाली की दक्षता का उपचारी उपायों द्वारा इसकी प्रचलित प्रणाली को प्रवाहमान करने हेतु एक स्वतंत्र अभिकरण द्वारा मूल्यांकन कराया जाना अपेक्षित था। परन्तु यह पाया गया कि शासन द्वारा दक्षता का असरदार मूल्यांकन नहीं कराया गया (दिसम्बर 2005)।

[1] उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन), 2002 द्वारा बाद में जोड़ी गई जो 15 मार्च 2003 से प्रभावी हुई।

3.2.24 निष्कर्ष

न्यायिक प्रणाली के संरचनाओं के सृजन तथा सुदृढ़ीकरण के लिये और उपभोक्ताओं के सशक्तीकरण एवं जागरूकता उन्नयन हेतु राज्य/जिला प्रशासन/अशासकीय संगठनों के अधिकाधिक शामिल होने की नीति की कमी के कारण राज्य में अधिनियम का कियान्वयन बाधित हुआ। उपभोक्ता फोरमों के कार्यशील होने के लिये, शासन द्वारा उपलब्ध कराया गया धन तथा आधारभूत ढांचा यथा भवन तथा कर्मचारी अपर्याप्त थे। वादों की लम्बितता लगातार बढ़ती जा रही थी तथा उनके निस्तारण हेतु कोई कार्ययोजना नहीं रखी गयी। राज्य की उपभोक्ता संरक्षण परिषदें अकियाशील थीं व उपभोक्ता जागरण एवं कल्याण योजनायें प्रारम्भ नहीं की गयी थीं। राज्य में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के प्रवर्तन के प्रावधान भी कमजोर थे जो उपभोक्ताओं के हितों पर विपरीत प्रभाव डाल रहे थे।

संस्तुतियां

- उपभोक्ताओं में जागरूकता को बढ़ावा देने तथा सशक्तीकरण हेतु राज्य/जिला प्रशासन तथा अशासकीय संगठनों को शामिल करने के लिये एक नीति बनाने पर शासन को विचार करना चाहिये।
- उपभोक्ता शिक्षा के माध्यम से उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा एवं उन्नयन हेतु उपभोक्ता संरक्षण परिषदें कार्यशील की जायें।
- राज्य तथा जिला फोरमों के किया कलापों को प्रभावी बनाने के लिये कर्मचारी शामिल करते हुये आवश्यक संरचनायें प्रदान किया जाय।
- उपभोक्ताओं को समय से राहत सुनिश्चित करने में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अधीन नमूना संग्रह तथा परीक्षण तथा अभियोजन प्रारंभ करने के तरीके में सुधार की आवश्यकता है।
- जिलाधिकारियों के माध्यम से वसूली प्रणाली में उपभोक्ताओं को राहत सुनिश्चित करने में दृढ़ता की आवश्यकता है।
- अनुश्रवण प्रणाली राज्य आयोग तथा शासन स्तर दोनों द्वारा एकजुट होकर की जानी चाहिये।

निष्पादन संप्रेक्षा समीक्षा पर शासन के साथ दिसम्बर 2005 में विचार हुआ। शासन ने समीक्षा में निहित तथ्यों, आंकड़ों एवं अन्तर्निहित संस्तुतियों को स्वीकार किया।

3.3 पुलिस बल का आधुनिकीकरण

मुख्य अंश

भारत सरकार द्वारा पुलिस कर्मचारियों के लिए भवनों की अच्छी व्यवस्था, गतिशीलता में वृद्धि अच्छे अस्त्र–शस्त्र से सुसज्जित करने, नियंत्रण कक्षों के सुदृढ़ीकरण एवं मार्गों पर गश्त बढ़ाने हेतु जिससे आंतरिक सुरक्षा सम्बन्धी आशंका से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके; पुलिस बल की आधुनिकीकरण योजना 1969 में लागू की गयी थी । वर्ष 2000–05 की अवधि में 810 करोड़ रुपये व्यय किये गये । वर्ष 2000–05 की अवधि में योजना की समीक्षा में पाया गया कि विभिन्न घटकों के कियान्वयन में शिथिलता तथा निधियों के कम उपयोग के कारण उपलिखित उद्देश्यों की पूर्ति नही हुई ।

- **वर्ष 2000–05 की अवधि में 810 करोड़ रूपये के विरुद्ध 314.95 करोड़ रुपये (39 प्रतिशत) 51.98 करोड़ रूपये वैयक्तिक लेजर खाता में तथा 262.97 करोड़ रूपये निर्माण एजेन्सियों के पास अप्रयुक्त रहे। इसके अतिरिक्त, 35.30 करोड़ रूपये बिना गृह मंत्रालय के अनुमोदन के अपवर्तन करके अन्य घटकों/उद्देश्यों पर व्यय किये गये।**

(प्रस्तर 3.3.8 तथा 3.3.9)

- **वर्ष 2000–05 की अवधि में 12267 आवासीय भवनों के लक्ष्य के विरुद्ध केवल 3105 आवासीय भवनों (25 प्रतिशत) का निर्माण हुआ (कुल आवासीय भवनों की उपलब्धता में केवल 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई)। लक्ष्य की प्राप्ति में कमी का कारण, भूमि की अनुपलब्धता, प्राविधिक स्वीकृति में विलम्ब तथा धीमी गति से निर्माण कार्य होना था।**

(प्रस्तर 3.3.10)

- **वर्ष 2000–01 के आरम्भ में विभाग में 9780 वाहनों की कमी के विरुद्ध वर्ष 2000–05 की अवधि में केवल 2383 वाहन क्रय किये गये। तथापि, वाहनों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई, क्योंकि यह क्रय निष्प्रयोज्य वाहनों के प्रतिस्थापन हेतु किया गया था।**

(प्रस्तर 3.3.11)

- **अधिकांश जिलों में मारूति चेतक, टोली वाहक, मोटर साइकिल, ड्रेगन लाइट उपलब्ध न होने के कारण नगर नियंत्रण कक्ष असुसज्जित रहे। परिणामस्वरूप पुलिस रिस्पान्स समय में कोई सुधार नहीं हुआ।**

(प्रस्तर 3.3.12)

- **आधुनिक हथियार जैसे 7.62 एस0 एल0आर0/5.56 इन्सास राइफल/ए0के0 47 की प्राप्ति की गति धीमी होने के कारण 80 प्रतिशत समयातीत हथियार जैसे .303 राइफल/.410 मस्कट पुलिस बल द्वारा प्रयोग किये जा रहे थे।**

(प्रस्तर 3.3.14)

- **कोई नयी प्रशिक्षण आधारभूत क्षमता का सृजन नहीं किया गया तथा प्रशिक्षण संस्थानों में उपलब्ध क्षमता का पूर्ण उपयोग भी नही किया गया था।**

(प्रस्तर 3.3.15 तथा 3.3.18)

- **छानबे प्रतिशत पुलिस थानों को कम्प्यूटरीकृत नहीं किया गया तथा कार्यालय स्वचलन भी उपेक्षित रहा।**

(प्रस्तर 3.3.20)

- **राज्य स्तरीय प्राधिकार समिति द्वारा योजना के कियान्वयन की प्रगति की निगरानी नही की गयी। राज्य सरकार/विभाग द्वारा भी योजना के अनुश्रवण/कियान्वयन हेतु कोई कियाविधि तैयार नहीं की गयी।**

(प्रस्तर 3.3.22)

3.3.1 प्रस्तावना

गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य पुलिस को प्रभावशाली बनाने हेतु अतिरिक्त ढॉचागत सुविधायें उपलब्ध कराकर इसकी कार्य क्षमता में वृद्धि करने हेतु पुलिस बल के आधुनिकीकरण (योजना) का आरम्भ 1969 में किया गया था । भारत सरकार द्वारा समय–समय पर योजना की समीक्षा की गयी तथा आधारभूत आवश्यकता जैसे भवनों, वाहनों, संचार, हथियारों, प्रशिक्षण, विधि विज्ञान प्रयोगशाला (वि0वि0प्रयो0), ॲगुल चिन्ह ब्यूरों, सुरक्षा उपकरण, कम्प्यूटरीकरण तथा कार्यालय स्वचलन में कमी को दूर करने हेतु वर्ष 2000–01 से केन्द्रीय सहायता में वृद्धि की गयी ताकि राज्य पुलिस, बढ़ते हुये अपराध, आतंकवाद, नक्सली गतिविधियों तथा आंतरिक सुरक्षा सम्बन्धी आशंका से प्रभावशाली ढंग से निपट सके।

पुलिस विभाग का कुल व्यय वर्ष 2000–05 की अवधि में 10849.40 करोड़ रुपये था। योजना के अन्तर्गत वर्ष 2000–05 की अवधि में गृह मंत्रालय द्वारा 1167.25 करोड़ रुपये की योजना, राज्य सरकार द्वारा पुलिस बल हेतु किये जाने वाले वर्तमान व्यय के सम्पूरण हेतु अनुमोदित की गयी थी।

3.3.2 संगठनात्मक ढॉचा

योजना के कियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु शासन स्तर पर प्रमुख सचिव, गृह विभाग, सचित (गृह) की सहायता से जिम्मेदार थे । शिखर स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संस्थापित राज्य स्तरीय प्राधिकार समिति (रा0स्त0प्रा0स0) जिसमें प्रमुख सचिव, वित्त, प्रमुख सचिव, गृह तथा पुलिस महानिदेशक एवं अन्य सदस्य, वार्षिक कार्य योजना को अन्तिम रूप देने एवं योजना के कियान्वयन तथा अनुश्रवण हेतु जिम्मेदार थे। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (अ0पु0महा0) मुख्यालय, पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण निदेशालय), अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (संचार) तथा अ0पु0महा0 (तकनीकी सेवाये) योजना के विभिन्न घटकों के कियान्वयन हेतु जिम्मेदार थे।

3.3.3 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

पुलिस मुख्यालय, प्रशिक्षण निदेशालय, रेडियों मुख्यालय एवं अ0पु0महा0 (तकनीकी सेवायें) के कार्यालय, दो में से एक वि0वि0प्रयो0, ॲगुल चिन्ह ब्यूरो, नौ में से दो पुलिस प्रशिक्षण केन्द्रों यथा, सशस्त्र प्रशिक्षण केन्द्र (सश0प्र0के0) सीतापुर एवं पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय (पु0प्र0महा0) मुरादाबाद के वर्ष 2000–05 के अभिलेखों की जांच की गयी। इसके अतिरिक्त 70 जिलों के पुलिस कार्यालयों में से 14[1] (20 प्रतिशत) तथा 56 पुलिस थानों[2] के अभिलेखों की जांच जुलाई से नवम्बर 2005 के मध्य की गयी।

3.3.4 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

वर्ष 2000–05 की अवधि में योजना के कियान्वयन की समीक्षा का उद्देश्य यह मूल्यांकन करना था कि:–

[1] अलीगढ़, अम्बेदकर नगर, बरेली, फैजाबाद, गाजीपुर, गोरखपुर, जौनपुर, लखनऊ, मेरठ,मुरादाबाद, प्रतापगढ़, सहारनपुर, सुल्तानपुर एवं वाराणसी ।

[2] प्रत्येक जिला पुलिस कार्यालय के चार थानों की दर से ।

- योजना के लिए दिये गये निधि का अधिकतम उपयोग किया गया।
- पुलिस कर्मियों के लिए आवश्यकतानुसार भवनों, वाहनों एवं शस्त्रों की बढ़ोत्तरी तथा तीव्र एवं विश्वसनीय संचार व्यवस्था जिससे पुलिस की परिचालन क्षमता में वृद्धि हो, का सृजन किया गया था ।
- कम्प्यूटरीकरण तथा कार्यालय स्वचलन की योजना जैसा कि विचार किया गया था, कियान्वित की गयी थी।
- योजना के कियान्वयन का अनुश्रवण दक्षता पूर्ण किया गया था।

3.3.5 लेखापरीक्षा का मापदंड

लेखापरीक्षा के मापदंड थे–

- योजना के विभिन्न घटकों पर भारत सरकार के मानक के अनुरूप व्यय ।
- पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानक ।
- गृह मंत्रालय द्वारा योजना के विभिन्न घटकों जैसे पुलिस भवनों, आधुनिक हथियार, कार्यालय स्वचलन, प्रशिक्षण इत्यादि हेतु निर्धारित लक्ष्य ।

3.3.6 लेखापरीक्षा प्रणाली

लेखा परीक्षा का उद्देश्य/मापदंड सचिव, गृह, राज्य सरकार के साथ (जुलाई 2005में) परिचयात्मक गोष्ठी में परामर्श के पश्चात अंतिम रूप दिया गया था। लेखापरीक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु पर्सपेक्टिव प्लान/वार्षिक कार्य योजना (वा0का0यो0) तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता की नमूना जांच की गयी थी। हथियार, उपकरण तथा वाहनों के क्रय हेतु राज्य सरकार को भेजे गये प्रस्ताव तथा निर्माण कार्यों की प्रगति रिपोर्ट की भी समीक्षा की गयी थी। इसके अतिरिक्त जिला पुलिस कार्यालयों (जि0पु0कार्या0) एवं पुलिस थानों में कम्प्यूटरीकरण से सम्बन्धित अभिलेखों की भी समीक्षा की गयी थी। समीक्षा के निष्कर्ष एवं संस्तुतियों पर (दिसम्बर 2005 में) समापन गोष्ठी में राज्य सरकार के सचिव, गृह के साथ विचार विमर्श किया गया था। समीक्षा को अन्तिम रूप देते समय उनके दृष्टिकोण का भी ध्यान रखा गया है।

लेखापरीक्षा परिणाम

3.3.7 वित्तीय व्यवस्था एवं निधि प्रबन्धन

योजना भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार के साथ निधि के 50:50 हिस्सेदारी के आधार पर वित्त पोषित थी। वर्ष 2003–04 से केन्द्रीय सहायता की हिस्सेदारी में वृद्धि कर 60 प्रतिशत कर दी गयी थी । राज्य सरकार द्वारा निधि को विलम्ब से अवमुक्त करने तथा परिणामस्वरूप उपकरणों इत्यादि के क्रय में विलम्ब होने के कारण गृह मंत्रालय द्वारा (दिसम्बर 2003 में) वाहन, हथियार, सुरक्षा एवं निगरानी रखने वाले उपकरण, वि0वि0प्रयो0 के लिए आवश्यक उपकरणों की आपूर्ति हेतु सीधे फर्मों को आदेश देने का निर्णय लिया गया। भारत सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि निर्माण एजेन्सियों को निधि सीधे अवमुक्त की जायेगी।

गृह मंत्रालय द्वारा वर्षवार अनुमोदित योजना, केन्द्रीय सहायता अवमुक्त, राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि एवं व्यय का विवरण निम्न है:

(करोड़ रूपये में)

योजना वर्ष	अनुमोदित योजना	केन्द्र द्वारा अवमुक्त धनराशि	राज्य सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि	योग (3+4)	कुल व्यय
2000.01	247.93	123.97	114.40	238.37	234.97
2001.02	233.83	116.92	105.37	222.29	211.92
2002.03	220.41	59.52	49.65	109.17	106.75
2003.04	228.31	70.88	39.17	110.05	110.05
2004.05	236.77	108.56	37.75	146.31	146.31
योग	**1167.25**	**479.85**	**346.34**	**826.19**	**810.00**

गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित घटक वार निधि का विवरण एवं उसके विरुद्ध व्यय निम्न प्रकार है:–

(करोड़ रूपये में)

कम संख्या	घटक	अनुमोदित योजना	व्यय (अनुमोदित योजना के सापेक्ष प्रतिशत)
1	भवन	609.55	446.92(55.2)
2	वहन	133.83	87.15(10.8)
3	संचार	88.10	55.48(6.8)
4	हथियार	85.09	51.62(6.4)
5	सुरक्षा एवं अन्य उपकरण	196.10	141.18(17.4)
6	अन्य (कम्प्यूटरीकरण, प्रशिक्षण, वि0 वि0 प्रयो0/ॲगुल चिन्ह ब्यूरो)	54.58	27.63(3.4)
योग		**1167.25**	**810.00(100)**

3.3.8 निधि का कम उपयोग

वर्ष 2000–05 की अवधि में 826.19 करोड रूपये की अवमुक्त सहायता में से विभाग द्वारा मार्च 2005 तक 16.19 करोड रूपये का उपयोग नहीं किया गया था। कुल व्यय 810 करोड रुपये में से मार्च 2005 तक 314.95 करोड रुपये (39 प्रतिशत) वैयक्तिक लेजर खाता (वै0ले0खा0) में (51.98[1] करोड रूपये) एवं निर्माण एजेन्सियों (262.97[2] करोड रूपये) के पास बिना उपयोग के पड़े हुये थे । वै0ले0खा0 में धन अनुपयोजित रहने का कारण क्रय प्रक्रिया के पूर्ण न हो पाने/पूर्ण होने में विलम्ब था। निर्माण एजेन्सियों के पास अनुपयोजित धनराशि के पड़े रहने का कारण, भूमि की अनुपलब्धता, प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त होने में विलम्ब एवं निर्माण की धीमी प्रगति रही।

3.3.9 निधि का अपवर्तन

गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार (दिसम्बर 2001), बिना पूर्व अनुमति के एक घटक/उद्देश्य के निमित्त अनुमोदित धन का उपयोग दूसरे घटक/उद्देश्य हेतु नही किया जाना चाहिए था। विभाग ने वर्ष 2000–05 की अवधि में संचार/वि0वि0प्रयो0 के उपकरण हेतु स्वीकृत 16.53 करोड़ रूपये की धनराशि, गोला–वारूद/सुरक्षा मद में, जल पुलिस/प्रशिक्षण भवनों एवं जिला पुलिस हेतु ट्रुप वाहको के लिए स्वीकृत 5.78 करोड़ रूपये की धनराशि प्रादेशिक सशस्त्र बल के लिए बहुव्यायामशाला और एस्ट्रोटर्फ मैदान हेतु प्रकाश एवं ध्वनि तन्त्र हेतु, दस्युग्रस्त जनपदों के जिला पुलिस/प्रादेशिक सशस्त्र बल के लिए अतिरिक्त वाहनों हेतु स्वीकृत 11.72 करोड़ रूपये की राशि, निष्प्रयोज्य वाहनों/एमबेस्डर कारों के प्रतिस्थापना में और मैन–पैक आरटी सेट स्क्रम्बलर हेतु स्वीकृत 1.27 करोड़ रूपये की राशि, मोबाईल फोन सेट हेतु अपवर्तित की थी।

आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि

3.3.10 आवासीय एवं गैर–आवासीय भवनों का निर्माण

पुलिस कार्मिकों को बेहतर कार्य वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से योजना में आवासीय एवं गैर–आवासीय भवनों के निर्माण पर विशेष जोर दिया गया था। इस घटक में, कुल अनुमोदित योजना राशि (1167.25 करोड़ रूपये) में से वर्ष 2000–05 की अवधि में 609.55 करोड़ रूपये (52 प्रतिशत) का विनिधान किया गया था तथा जिसमें से 446.92 करोड़ रूपये (भारत सरकार : 267.59 करोड़ रूपये, राज्य सरकार : 179.33 करोड़ रूपये) व्यय किया गया था।

[1] 2000–01 (12.52 करोड रूपये), 2001–02 (13.31 करोड रूपये), 2002–03 (13.05 करोड रूपये), 2003–04 (7.03 करोड रूपये), और 2004–05 (6.07 करोड रूपये)

[2] 2000–01 (33.86 करोड रूपये), 2001–02 (58.99 करोड रूपये), 2002–03 (49.88 करोड रूपये), 2003–04 (40.06 करोड रूपये), और 2004–05 (80.18 करोड रूपये)

आवासीय भवन

आवासीय भवनों की सम्पूर्ण उपलब्धता में मात्र दो प्रतिशत की वृद्धि हुयी ।

वर्ष 2000–01 के प्रारम्भ में सम्पूर्ण पुलिस बल हेतु कुल आवश्यक 1,37,563 आवासीय इकाइयों के सापेक्ष 87,876 इकाईयों (64 प्रतिशत) की कमी आकलित की गयी थी। उक्त कमी को 55 प्रतिशत तक ले आने के उद्देश्य से वर्ष 2000–05 की अवधि में कुल 12267 आवासीय इकाईयों के निर्माण का अनुमोदन गृह मंत्रालय द्वारा किया गया था, जिसमें से मात्र 5751 इकाईयों (47 प्रतिशत) का निर्माण प्रारम्भ किया गया तथा जिसमें से माह 2005 तक मात्र 3105 इकाईयां (54 प्रतिशत) ही निर्मित की जा सकी थी। इस प्रकार, भवनों की कमी को 55 प्रतिशत तक लाने के लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 62 प्रतिशत तक ही लाया जा सका। वर्षवार विवरण ***परिशिष्ट 3.8*** में दर्शाया गया है।

नमूना जॉच में संवीक्षित 14 जनपदों में से 12[1] जनपदों के अभिलेखों की जॉच से प्रकाश में आया कि इन जनपदों में वर्ष 2000–01 के प्रारम्भ में आवासीय इकाईयों की आकलित कमी के 3 से 33 प्रतिशत के मध्य आवासीय इकाईयों के निर्माण का अनुमोदन पर्सपेक्टिव प्लान में किया गया था । स्पष्टतः, अनुमोदित आवासीय इकाईयों की संख्या, इन जनपदों में कमी के अनुपात में नही थी। तथापि वर्ष 2000–05 की अवधि में इन जनपदों हेतु अनुमोदित 888 आवासीय इकाईयों में मात्र 447 इकाईयॉ (50 प्रतिशत) ही मार्च 2005 तक निर्मित की गयी थी तथा 6202 इकाईयों की कमी बनी हुई थी (***परिशिष्ट 3.9***)।

बैरकें

वर्ष 2000–01 के प्रारम्भ में सम्पूर्ण पुलिस बल हेतु आवश्यक 74650 बैरकों के सापेक्ष 24601 पुलिस कार्मिकों (33 प्रतिशत) हेतु बैरकों की कमी आकलित की गयी थी। गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2000–05 की अवधि में उक्त कमी को 24 प्रतिशत तक लाने के उद्देश्य से 6585 पुलिस कार्मिकों हेतु 100 पुलिस बैरकों का निर्माण का अनुमोदन किया गया था। जबकि वर्ष 2000–05 की अवधि में 1050 पुलिस कार्मिकों हेतु (16 प्रतिशत) कुल मात्र 11 बैरकों के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया गया जिसमें से मार्च 2005 तक कोई भी निर्मित नहीं हुई थी।

गैर–आवासीय भवन

पर्सपेक्टिव प्लान से वर्ष 2000–01 के प्रारम्भ में गैर आवासीय भवनों की कमी प्रतिबिम्बित नही हो रही थी । तथापि, गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2000–05 की अवधि में 1366 भवनों के निर्माण का कार्य अनुमोदित किया गया था जिसमें से मात्र 519 भवनों (38 प्रतिशत) का निर्माण कार्य वर्ष 2000–05 की अवधि में प्रारम्भ किया गया । मार्च 2005 तक मात्र तीन सौ छः भवन (59 प्रतिशत) ही निर्मित किये गये थे। वर्ष वार विवरण ***परिशिष्ट 3.10*** में दर्शाया गया है।

इस प्रकार, 6516 आवासीय इकाईयों (53 प्रतिशत) 89 बैरक तथा 847 गैर आवासीय भवनों (62 प्रतिशत) का निर्माण कार्य इनके अनुमोदन के चार वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी प्रारम्भ नहीं किया गया था । अनुमोदित योजना की तुलना में 9162 आवासीय इकाईयों (75 प्रतिशत), 1060 गैर–आवासीय भवनों (78 प्रतिशत) की कमी थी।

नमूना जॉच में संज्ञान में आया कि सभी तीनों प्रकार के भवनों के निर्माण में विलम्ब का कारण भूमि की अनुपलब्धता, प्राविधिक स्वीकृति में विलम्ब एवं निर्माण इकाईयों द्वारा धीमी कार्य प्रगति रही। विभाग ने अपने उत्तर (जनवरी 2006) में बताया कि तकनीकी कर्मचारियों की अनुपलब्धता प्राविधिक स्वीकृति में विलम्ब का कारण रहा। गृह मंत्रालय ने चाहा था (अप्रैल 2001) कि राज्य सरकार को पुलिस आवास निगम को मजबूत तथा इसकी निर्माण क्षमता में वृद्धि करना चाहिए, जबकि राज्य सरकार ने न तो पुलिस आवास निगम की निर्माण क्षमता में वृद्धि किया तथा न ही फरवरी 2003 तक किसी अन्य निर्माण इकाई को ,बढ़े हुये निर्माण कार्यों को सम्पादित करने हेतु चयनित किया। पुलिस आवास निगम के अतिरिक्त आवासीय एवं गैर–आवासीय भवनों के निर्माण हेतु

[1] दो जिला पुलिस कार्यालयों से सूचना प्राप्त नहीं थी ।

छः निर्माण इकाईयों[1] को माह मार्च 2003 में लगाया गया। निर्माण इकाईयों के चयन में विलम्ब भी वर्ष 2000–05 की अवधि में धीमी कार्य प्रगति का कारण रहा।

गतिशीलता एवं संचार

3.3.11 वाहनों की खरीद

वर्ष 2000–01 के प्रारम्भ में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (पु0अ0वि0ब्यू0) नई दिल्ली के मानक के अनुसार कुल आवश्यक 16,147 वाहनों के सापेक्ष 9780 वाहनों (61 प्रतिशत) की कमी थी । गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2000–05 की अवधि में स्वीकृत एवं उसके विरुद्ध क्रय किये गये वाहनों की संख्या निम्न प्रकार थी :–

क्रम संख्या	वाहनों के प्रकार	2000–05 की अवधि में अनुमोदित	वर्ष 2000–05 की अवधि में क्रय
1	भारी वाहन	139	शून्य
2	मध्यम वाहन	187	शून्य
3	हल्के वाहन	996	शून्य
4	मोटर साइकिल	844	शून्य
5	निष्प्रयोज्य वाहनों का प्रतिस्थापन 55 एमबेस्डर कारों सहित	2494	2383
योग		**4660**	**2383**

वर्ष 2000–03 के आवंटन 26.42 करोड़ रुपये की उपलब्धता के बावजूद विद्यमान वाहनों के बेड़े में कोई अतिरिक्त वाहन सम्मिलित नहीं किया गया ।

वर्ष 2000–05 की अवधि में विभाग ने 203 एमबेस्डर कारों का क्रय किया जबकि गृह मंत्रालय द्वारा उक्त अवधि में मात्र 55 कारें ही प्रतिस्थापन हेतु स्वीकृत थी । जहॉ वर्ष 2000–05 की अवधि में 53 प्रतिशत (384 में से 203) एमबेस्डर कारों का प्रतिस्थापन किया गया वही अन्य वाहनों की प्रतिस्थपना 36 प्रतिशत (5983 में से 2180) ही रहा। इसके अतिरिक्त, 67 एमबेस्डर कारें विभिन्न कार्यालयों जैसे गृह विभाग, पुलिस मुख्यालय जिनका सम्बन्ध पुलिस बल गतिशीलता से नही था, से सम्बद्ध की गयी थी।

वाहनों के विद्यमान बेड़े में कोई अतिरिक्त वृद्धि नही हुई।

गृह मंत्रलाय के अनुमोदन के अनुसार पुलिस बल वाहन बेड़े में अतिरिक्त वाहनों को सम्मिलित न करने के कारण पुलिस सक्रियता के अति आवश्यक क्षेत्र जैसे हाईवे पेट्रोलिंग आदि प्रभावित हुई। नमूना जॉच में 14 जनपदों में सात[2] में प्रकाश में आया कि वहॉ हाईवे पेट्रोलिंग हेतु आवश्यक 35 वाहनों के विरुद्ध मात्र छः वाहन ही उपलब्ध थे।

इस प्रकार, पुलिस बल के विद्यमान वाहन बेड़े में कोई वृद्धि नहीं की गई थी।

3.3.12 नगर नियंत्रण कक्ष की संरचना

नगर नियंत्रण कक्षों में ढांचागत सुविधाओं का अभाव

पुलिस रिस्पान्स समय में कमी लाने के उद्देश्य से गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2000–02 की अवधि में 12.53 करोड़ रुपये की लागत से 26 जनपदों में नगर नियंत्रण कक्षों हेतु डायल–100 एवं वायस लागिंग प्रणाली की स्थपना का अनुमोदन किया गया । उक्त प्रणाली की स्थापना, घटना की सूचना की रिकार्डिंग एवं टेलीफोन आपरेटर द्वारा सेकेण्डों में रेडियों आपरेटर को एवं रेडियों आपरेटर द्वारा पुलिस को उक्त सूचना भेजने के लिये किया जाना था ताकि पुलिस शीघ्रता से घटनास्थल पर पहुॅच सके। राज्य सरकार द्वारा डायल–100 एवं वायस लागिंग प्रणाली की मात्र 10 जनपदों में, वह भी फरवरी 2004 में स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई । रा0स्त0प्रा0स0 द्वारा उक्त प्रणालियों को क्रय न करने एवं उनके स्थान पर सुरक्षा एवं गोला–बारूद की मदे क्रय करने का निर्णय (मार्च 2004) इस तर्क के साथ लिया गया कि वित्तीय वर्ष में उक्त प्रणालियों की क्रय प्रक्रिया पूर्ण करना सम्भव नहीं था। इस प्रकार ये जनपद डायल–

[1] उ0प्र0 जल निगम,उ0प्र0 सहकारी विधायन एवं शीतगृह संघ लिमिटेड, उ0प्र0 साज कल्याण निगम, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, नेशलन प्रोजेक्ट कन्सट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड ।

[2] गाजीपुर, अम्बेदकर नगर, जौनपुर, बरेली, अलीगढ़, प्रतापगढ़ एवं सुल्तानपुर ।

100 एवं वायस लागिंग की सुविधा से वंचित रहे (मार्च 2005) । विभाग ने अपने उत्तर (जनवरी 2006) में कहा कि क्योंकि गोला बारूद के क्रय हेतु कोई धन उपलब्ध नहीं था अतः धन का अपवर्तन किया गया । संचार साधनों हेतु निमित्त धन का गोला बारूद मद हेतु अपवर्तन बिना गृह मंत्रालय के अनुमोदन के किया गया ।

इसके अतिरिक्त, ऐसे नगर नियंत्रण कक्ष (न0नि0क0) में उनकी प्रभावी कार्यप्रणाली हेतु जो विषेशतः अपराध/साम्प्रदायिकता की दृष्टि से संवेदनशील जनपदों में स्थित है, में मारूति चेतक, मोटर साइकिल, टूप वाहक, ड्रेगन लाइट एवं संचार साधन आवश्यक थे। ये मद विशेष रूप से न0नि0क0 हेतु वर्ष 2000–01 एवं 2001–02 में स्वीकृत किये गये थे । नमूना जांच किये गये जनपदों के दस न0नि0क0 में से सात[1] न0नि0क0 में मारूति चेतक, पांच[2] न0नि0क0 में मोटर साईकिल, आठ[3] न0नि0क0 में ट्रुप वाहक, छः[4] न0नि0क0 में ड्रेगन लाइट उपलब्ध नहीं थी तथा मात्र सहारनपुर जनपद के न0नि0क0 में वीडियो कैमरा उपलब्ध था ।

इस प्रकार, न0नि0क0 में पर्याप्त ढॉचागत सुविधा उपलब्ध न होने के कारण, पुलिस रिसपान्स समय में कमी लाने का उद्देश्य अपेक्षित सीमा तक पूरा नहीं हो सका ।

3.3.13 अपराधों की सूचना

नमूना जॉच के 14 जनपदों में से नौ[5] जनपदों के 34 पुलिस स्टेशनों के, अपराध/दुर्घटना की पुलिस को सूचना मिलने में लगे समय से सम्बन्धित 1294 प्रकरणों के अभिलेखों के रैन्डम जॉच में प्रकाश में आया कि 553 प्रकरणों (2000;281 प्रकरण और 2004;272 प्रकरण) जो कि गम्भीर अपराधों जैसे हत्या, लूट, डकैती, जान–माल का खतरा एवं दुर्घटना से सम्बन्धित थे, की सूचना इनके घटित होने के बाद काफी विलम्ब से पुलिस को मिली थी । वर्ष 2000 के 49 प्रकरणों में सूचना, अपराध/दुर्घटना घटित होने के बाद एक दिन से 47 दिनों के बीच प्राप्त हुई थी, और वर्ष 2004 में ये सूचना एक दिन से तीन माह के बीच प्राप्त हुई थी ।

यह इंगित करता है कि पुलिस पेट्रोलिंग एवं चौकसी समीक्षा अवधि के प्रारम्भ एवं अन्त दोनों समय कमजोर थी एवं योजना के परिणमस्वरूप इसमें कोई प्रगति परिलक्षित नहीं हो रही थी।

3.3.14 हथियारों की खरीद

80 प्रतिशत समयातीत हथियार पुलिस बल के प्रयोग में थे।

पर्सपेक्टिव प्लान 2000–05 में चाहा गया था कि विद्यमान समयातीत हथियारों 303 बोर रायफल/41.0 मस्कट को आधुनिक हथियारों : 7.62 एसएलआर/5.56 इनसास रायफल से प्रतिस्थापित किया जाय। इसके अतिरिक्त, अति सुरक्षा योग्य क्षेत्रों जैसे विशिष्ट जनों की सुरक्षा विशेष कार्य बल एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों हेतु पुलिस को ए0के047 रायफल उपलब्ध कराया जाना था।

वर्ष 2000–05 की अवधि में गृह मंत्रालय ने 14666 समयातीत हथियारों के प्रतिस्थापन की स्वीकृति प्रदान की थी, जिसके विरुद्ध मात्र 9768 (67 प्रतिशत) आधुनिक हथियार; 7.62 एस एल आर/5.56 इन्सास रायफले प्राप्त की गयी । इसी प्रकार, गृह मंत्रालय ने वर्ष 2000–05 की अवधि में 9046 ए0के047 रायफलों के क्रय का अनुमोदन किया जिसके विरुद्ध विभाग द्वारा मात्र 1500 (17 प्रतिशत) रायफलें प्राप्त की गयी थी।

परिणामस्वरूप, 80 प्रतिशत समयातीत हथियार अभी भी प्रयोग में थे (जुलाई 2005)। हथियारों की प्राप्ति बहुत धीमी गति से हो रही थी क्योंकि वर्ष 2000–05 की अवधि में गृह मंत्रालय द्वारा हथियारों की अनुमोदित संख्या के विरुद्ध मात्र 67 प्रतिशत 7.62

[1] फैजाबाद, गोरखपुर, जौनपुर, लखनउ, मेरठ, सहारनपुर एवं वाराणसी
[2] गेरखपुर, लखनउ, मेरठ, सहारनपुर एवं वाराणसी
[3] अलीगढ़ फैजाबाद, गोरखपुर, जौनपुर, लखनउ, मेरठ, मुरादाबाद एवं सहारनपुर
[4] बरेली, फैजाबाद, जौनपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर एवं वाराणसी
[5] बाराबंकी पांच जनपदों से सूचना प्राप्त नहीं थी

एसएलआर/5.62 इन्सास रायफले एवं 17 प्रतिशत ए0के0 47 रायफलें ही उपलब्ध करायी गयी थी जबकि इस मद में 7.48 करोड़ रूपये वर्ष 2000–03 से ही उपलब्ध था।

प्रशिक्षण

3.3.15 आधारभूत सुविधाओं का सृजन न किया जाना

वर्ष 2000–01 में स्वीकृत 257 आवासीय ईकाईयों एवं 152 गैर आवासीय भवनों के निर्माण के विरुद्ध वर्ष 2002–04 की अवधि में मात्र 2 आवासीय इकाईयों एवं 71 गैर आवासीय भवनों के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया गया, परन्तु मार्च 2005 तक इनमें से किसी भी भवन का कार्य पूर्ण नहीं हुआ था।

3.3.16 कमान्डो प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना

गृह मंत्रालय ने सश0प्र0के0, सीतापुर में 1.08 करोड़ रूपये की लागत से बैरक, प्रशासनिक भवन एवं कमान्डों प्रशिक्षण हेतु बाधाओं के निर्माण की स्वीकृति दिसम्बर 2001 में एवं प्रशिक्षण उपकरणों के क्रय (0.50 करोड़ रुपये) की स्वीकृति वर्ष 2002–03 में दी थी। राज्य सरकार द्वारा कार्य की स्वीकृति मार्च 2003 में दी गई एवं निर्माण इकाई को अक्टूबर 2004 तक कार्य पूर्ण करने का समय देते हुये जून 2003 में भूमि उपलब्ध करा दी गयी थी। जबकि जून 2005 तक मात्र 75 प्रतिशत कार्य ही पूर्ण हो सका था। प्रधानाचार्य सश0प्र0के0, सीतापुर ने कहा (जुलाई 2005) कि कार्य पूर्ण होने में देरी के कारणों से वे अवगत नही थे जो कि अनुश्रवण का कमजोर रहना इंगित करता है। इस मध्य, जनवरी से मार्च 2005 के बीच कमांडों प्रशिक्षण हेतु 0.34 करोड़ रूपये की लागत से क्रय किये गये प्रशिक्षण उपकरण दिसम्बर 2005 तक अनुपयोगी पड़े थे।

3.3.17 इन्डोर फायरिंग रेंज का निर्माण

पु0प्र0महा0, मुरादाबाद द्वारा 23 वीं बटालियन के फायरिंग रेंज का उपयोग प्रशिक्षण हेतु किया जा रहा था जो कि पु0प्र0महा0 से 15 किलोमीटर दूर था। यह फायरिंग रेन्ज साधारण किस्म का एवं खुले में था तथा मात्र .303 रायफलों एवं पिस्टलों के प्रशिक्षण हेतु एक इन्डोर फायरिंग रेन्ज की आवश्यकता थी। यद्यपि कि पु0प्र0महा0 मुरादाबाद हेतु इन्डोर फायरिंग रेन्ज का अनुमोदन गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2000–01 में कर दिया गया था एवं इस हेतु 0.38 करोड रूपये का विस्तृत आगणन पु0प्र0महा0 द्वारा मुख्यालय को मई 2001 में ही प्रेषित कर दिया गया था, फिर भी पुलिस मुख्यालय ने उक्त आगणन राज्य सरकार को जुलाई 2003 में अग्रसारित किया जिसकी स्वीकृति राज्य सरकार से जुलाई 2005 तक प्रतीक्षित थी।

3.3.18 प्रशिक्षण संस्थानों का उपयोग

पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण निदेशालय (निदेशालय), लखनऊ पर प्रशिक्षण कैलेन्डर के लागू होने के अनुश्रवण एवं विभिन्न प्रशिक्षणों के प्रभाव के मूल्यांकन का उत्तरदायित्व था। निदेशालय द्वारा पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के द्वारा संचालित विभिन्न प्रशिक्षणों के अनुश्रवण या प्रशिक्षण से पड़े प्रभाव का मूल्यांकन किये जाने का कोई प्रमाण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था।

सश0प्रि0के0, सीतापुर एवं पु0प्र0महा0, मुरादाबाद के अभिलेखों की नमूना जांच से प्रकाश में आया कि वर्ष 2000–05 की अवधि में 18435 पुलिस कार्मिकों हेतु 255 पाठयक्रमों के लक्ष्य के विरुद्ध 13593 प्रतिभागियों (74 प्रतिशत) को सम्मिलित करते हुये मात्र 237 पाठयक्रम ही आयोजित किये गये थे। अतः 18 पाठयक्रम आयोजित नहीं किये गये थे। यह मुख्य रूप से प्रशिक्षण संस्थानों में पर्याप्त मात्रा में प्रतिभागियों के न आने, पंचायत/विधानसभा के चुनाव होने और प्रशिक्षकों एवं टाइपराइटरों/कम्पयूटरों की अनुलब्धता के कारण रहा। यद्यपि पु0प्र0महा0, मुरादाबाद हेतु 20 कम्प्यूटर स्वीकृत

(2001–02) थे तथा भारत सरकार ने निधि का अपना अंश उसी वर्ष अवमुक्त कर दिया था फिर भी उपरोक्त का क्रय नहीं किया गया था। विभाग ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी 2006) कि वर्ष 2001–02 में पु0प्र0महा0, मुरादाबाद हेतु कोई कम्प्यूटर स्वीकृत नहीं था। विभाग का उत्तर सही नहीं था।

इस प्रकार, विभाग न केवल प्रशिक्षण की आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि करने में बल्कि प्रशिक्षण संस्थानों की विद्यमान क्षमता का पूर्ण उपयोग करने में असफल रहा।

3.3.19 विधि विज्ञान प्रयोगशाला (वि0वि0प्रयो0)/अंगुल चिन्ह ब्यूरो (अं0चि0ब्यू0)

वर्ष 2000–05 के पर्सपेक्टिव प्लान में लखनऊ एवं आगरा के विद्यमान (वि0वि0प्रयो0), लखनऊ के अँगुल चिन्ह ब्यूरो एवं दस जनपदों में विद्यमान दस मोबाइल वि0वि0प्रयो0 यूनिटों के उच्चीकरण का विचार किया गया था। योजना में इलाहाबाद और मुरादाबाद में वर्ष 2001–02 में एक–एक क्षेत्रीय वि0वि0प्रयो0 एवं वर्ष 2002–03 में वि0वि0प्रयो0, लखनऊ में एक डी0एन0ए0 यूनिट की स्थापना पर भी विचार किया गया था। गृह मंत्रालय द्वारा उपकरणों हेतु 10.19 करोड़ रूपये तथा दोनों वि0वि0प्रयो0 एवं डी0एन0ए0 यूनिट के लिये भवनों के निर्माण हेतु एक करोड़ रूपये की स्वीकृति (2000–05) प्रदान की गई थी। विभाग द्वारा विद्यमान वि0वि0प्रयो0 एवं अँगुल चिन्ह ब्यूरों हेतु (5.57 करोड़ रूपये) और डीएनए लैब हेतु (0.13 करोड़ रूपये) 5.70 करोड़ रूपये के उपकरणों का क्रय मार्च 2004 से मार्च 2005 के मध्य किया गया था।

जबकि अँगुल चिन्ह ब्यूरो, लखनऊ का कार्य अभी भी प्रगति में था, जूलाई 2005 तक न ही कोई क्षेत्रीय वि0वि0प्रयो0 तथा न ही कोई भी जनपदीय वि0वि0प्रयो0 मोबाईल यूनिट उच्चीकृत की गयी थी। इसके अतिरिक्त वि0प्रि0यो0, लखनऊ द्वारा 0.13 करोड़ रूपये लागत के उपकरण का क्रय (मार्च 2004) में कर लिया गया था, परन्तु वे उपयोग में नही थे क्योकि डीएनए यूनिट के भवन का निर्माण कार्य जुलाई 2005 तक प्रगति में था।

विभाग ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी 2006) कि वाराणसी में विविप्रयो कार्यशील हो जाने के कारण इलाहाबाद में क्षेत्रीय विविप्रयो की स्थापना का कार्य वर्तमान में स्थगित कर दिया गया है। मुरादाबाद में क्षेत्रीय विविप्रयो न स्थापित हो पाने के सम्बन्ध में कोई उत्तर नही दिया गया। यह विभाग की दोषपूर्ण योजना की ओर इंगित करता है।

कम्प्यूटरीकरण एवं कार्यालय स्वचलन

3.3.20 कम्प्यूटरीकरण

पुलिस थानों का कम्प्यूटरीकरण नहीं हुआ।

घटनाओं की समय से सूचना एवं अपराधियों की निगरानी रखने के लिए अपराधियों एवं अपराध सूचना प्रणाली से सम्बन्धित ऑकड़ों के रख–रखाव के उद्देश्य से राज्य के सभी जिला पुलिस कार्यालयों (जि0पु0कार्या0), क्षेत्राधिकारियों (क्षे.अ.) और पुलिस थानों को कम्प्यूटर प्रदान करने की योजना, गृह मंत्रालय द्वारा स्वीकृत (2000–05) की गई थी। पुलिस मुख्यालय के अभिलेखों के अनुसार, सभी जि0पु0कार्या0, क्षे0अधि0 और लखनऊ एवं गौतम बुद्ध नगर के सभी 53 पुलिस थानों को कम्प्यूटर प्रदान कर दिये गये थे। बाकी 1314 पुलिस थानों (96 प्रतिशत) को जुलाई 2005 तक कम्प्यूटर प्रदान नही किये गये थे।

उत्तर प्रदेश पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र, लखनऊ ने वर्ष 2000–03 की अवधि में जि0पु0कार्या0 हेतु कुल 14 कम्प्यूटर प्रोग्राम विकसित किये थे तथा उन्हे सभी जि0पु0कार्या0 को भेजा गया था । नमूना जॉच में लिये गये 13[1] जनपदों के अभिलेखों की जॉच में प्रकाश में आया कि इन जि0पु0कार्या0 द्वारा मात्र चार से 12 कम्प्यूटर प्रोग्राम (29 से 86 प्रतिशत) ही प्राप्त किये गये थे। छः[2] जि0प्र0कार्या0 दो से नौ

[1] एक जि0पु0कार्या0 से सूचना प्राप्त नही थी

[2] अम्बेदकरनगर, अलीगढ़, मेरठ, सहारनपुर, सुल्तानपुर एवं प्रतापगढ़

कम्प्यूटर प्रोग्राम प्रयोग नहीं कर रहे थे (अगस्त 2005)। विभाग ने इनके प्रयोग न किये जाने का कोई कारण नही बताया। उपरोक्त बिन्दु यह इंगित करते हैं कि कम्प्यूटरीकरण का कार्य योजना के अनुसार नही किया जा रहा था।

3.3.21 कार्यालय स्वचलन

कार्यालय स्वचलन उपेक्षित रहा।

गृह मंत्रालय द्वारा जि0पु0कार्या0 एवं अन्य विभागीय यूनिटों हेतु फोटोकापियर, फैक्स मशीन, बाइडिंग मशीन इत्यादि के क्रय हेतु 16.31 करोड़ रुपये स्वीकृत (2000–05) किया गया था। जबकि मार्च 2005 तक इनमें से काई भी मद क्रय नही की जा सकी थी।

विभाग ने बताया (अक्टूबर 2005) कि राज्य सरकार ने 133 फोटोकापियर और 133 फैक्स मशीनों के क्रय हेतु स्वीकृति (मार्च 2004) प्रदान की थी एवं तदनुसार क्रय प्रकिया शुरू की जा चुकी है परन्तु सितम्बर 2005 तक कोई क्रय नही किया गया था।

इस प्रकार, न्यायालयों में प्रकरणों के प्रस्तुत करने में लगने वाले समय को कम करने जो कि पुलिस बल की क्षमता के अनुमान का प्रमुख मानक था, हेतु कार्यालय स्वचलन का कार्य उपेक्षित रहा।

3.3.22 अनुश्रवण

रा0स्त0प्रा0स0 को, गृह मंत्रालय को प्रस्तुत करने हेतु वा0का0यो0 की तैयारी के अनुश्रवण एवं अनुमोदित वा0का0यो0 को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से प्रत्येक माह में अपनी बैठक करनी चहिए थी । जबकि ऐसा प्रकाश में आया कि जून 2001 से मार्च 2005 के मध्य, रा0स्त0प्रा0स0 ने मात्र नौ[1] बैठके की जबकि जून 2001 में इसके गठन के बाद से तब तक कुल 46 बैठकें होनी चाहिए थी । इससे वा0का0यो0 को गृह मंत्रलाय को अनुमोदन हेतु समय से भेजे जाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा क्योंकि इन्हे विभिन्न वर्षो में अगस्त से नवम्बर के मध्य भेजा गया तथा गृह मंत्रालय द्वारा सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के दिसम्बर/जनवरी माह में इन्हे अनुमोदित किया गया । इसके अतिरिक्त, उक्त नौ बैठकों के कार्यवृत्त के गहराई से अध्ययन में प्रकाश में आया कि रा0स्त0प्रा0स0 ने कभी भी योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने की समीक्षा नही की, बल्कि बैठकों में गोला–बारूद, उपकरणों के क्रय एवं भवनों के निर्माण, जो कि वा0का0यो0 में सम्मिलित/अनुमोदित नही थे, का अनुमोदन किया गया । अतः रा0स्त0प्रा0स0 के स्तर पर योजना के अनुश्रवण में न केवल अनिरन्तरता थी बल्कि वांछित परिदृश्य का अभाव भी था।

राज्य सरकार/विभाग ने समय–समय पर योजना के कियान्वयन के अनुश्रवण हेतु कोई पद्धति प्रतिपादित नही की थी।

3.3.23 निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश में पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना का कियान्वयन त्रुटिपूर्ण था । पर्याप्त धन की उपलब्धता के बावजूद आवासीय एवं गैर–आवासीय भवनों के निर्माण में लक्ष्य के सापेक्ष क्रमशः 75 प्रतिशत एवं 77 प्रतिशत की कमी रही । जैसा कि चाहा गया था, पुलिस गतिशीलता में वृद्धि हेतु वाहनों के विद्यमान बेड़े में कोई बढ़ोत्तरी नही की गयी।

नगर नियंत्रण कक्ष ठीक प्रकार से सुसज्जित नही थे, फलस्वरूप पुलिस रिस्पान्स समय में कोई सुधार नही हुआ। अस्सी प्रतिशत समयातीत हथियार अब भी प्रयोग में थे। प्रशिक्षण एवं विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की क्षमता में कोई वृद्धि नही हुई। कार्यालय स्वचलन कार्य में कोई प्रगति नही हुई तथा पुलिस थानों के कम्प्यूटरीकरण में प्रगति अत्यन्त न्यून रही।

सरकार एवं विभाग, दोनों स्तरों पर एक दक्ष अनुश्रवण तन्त्र का अभाव था।

[1] 2002–03 (4 बैठके), 2003–04(2बैठके) एवं2004–05 (3 बैठके)

संस्तुतियॉ

- राज्य सरकार को योजना राशियों के पूर्ण एवं दक्ष उपयोग को सुनिश्चित करना चाहिए ।
- निर्माण कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने के लिए उनकी गति को बढ़ाया जाना चाहिये।
- वाहनों का प्रतिस्थापन/क्रय पुलिस गतिशीलता में वृद्धि के उद्देश्य से किया जाना चाहिए। पुलिस नियंत्रण कक्षों की आधारभूत संरचना को तत्काल मजबूत किया जाना चाहिए।
- समयातीत हथियारों को आधुनिक हथियारों से प्रतिस्थापित किये जाने की कार्यवाही तत्काल प्रभाव में लाया जाना चाहिए ।
- वि0वि0प्रयो0/अॅगुल चिन्ह ब्यूरों के उच्चीकरण का कार्य शीघ्रता से पूर्ण किया जाना चाहिए ।
- सरकार को प्रशिक्षण की आधारभूत संरचना में वृद्धि एवं इनके अनुकूलतम उपयोग को सुनिश्चित करना चाहिए ।
- कम्प्यूटरीकरण और कार्यालय स्वचलन का कार्य शीघ्रता से पूर्ण किया जाना चाहिए ।
- विभाग/सरकार, के साथ–साथ रा0स्त0प्रा0स0 स्तर पर एक सख्त अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रक्रिया स्थापित होने की अत्यावश्यकता है ।

यद्यपि, सरकार ने कोई लिखित उत्तर प्रेषित नही किया परन्तु दिसम्बर 2005 में आयोजित हुई समापन बैठक में समीक्षा में समाविष्ट तथ्यों एवं ऑकड़ों की पुष्टि उनके द्वारा की गयी थी तथा लेखापरीक्षा अनुशंसाओं के आधार पर सुधारात्मक कदम उठाने का आश्वासन दिया गया था ।

चिकित्सा शिक्षा विभाग

3.4 संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ

मुख्य अंश

लखनऊ में संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना 1983 में प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित अधिनियम के अन्तर्गत की गई थी। संस्थान का उद्देश्य चिकित्सा परिचर्या, शिक्षा तथा उच्च स्तर की शोध सुविधा एवं पशुचिकित्सा तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में प्रशिक्षण हेतु उत्कृष्ट केन्द्र का सृजन करना था। संस्थान द्वारा वर्ष 2000–05 के दौरान विभिन्न क्रिया कलापों पर कुल 395.91 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की गयी थी। संस्थान के वर्ष 2000–05 की अवधि की संवीक्षा में परिलक्षित हुआ कि स्टाफ की कमी के कारण चिकित्सा शिक्षा एवं शोध के क्षेत्र प्रभावित थे तथा पशुचिकित्सा क्रिया कलापों में प्रशिक्षण अब तक प्रारम्भ नहीं किया जा सका था। नियमों एवं विनियमों को नहीं बनाया गया था। वित्तीय एवं लेखों की व्यवस्था सन्तोषजनक नहीं थी। चिकित्सीय आधारभूत व्यवस्था का विकास, उद्दरण के अनुरूप नहीं था तथा रोगी परिचर्या के अभिलेखों का रख–रखाव यथानुरूप नहीं था। सामग्री क्रय एवं सामग्री प्रबन्धन में आन्तरिक नियंत्रण व्यवस्था असंतोषजनक थी।

- संस्थान ने वार्षिक लेखों को अन्तिम रूप दिये जाने में 20 वर्षों से अधिक का विलम्ब किया।

(प्रस्तर 3.4.7)

- वर्ष 2003 तक 1800 शैयाओं को स्थापित करने के लक्ष्य के सापेक्ष मार्च 2005 तक केवल 684 शैया स्थापित हुए थे, जब कि अनुमानित लागत 387 करोड़ रुपये के विरूद्ध 493 करोड़ रुपये व्यय किया गया था।

(प्रस्तर 3.4.13)

- रोगी परिचर्या से सम्बन्धित महत्वपूर्ण अभिलेखो के रख–रखाव में काफी अन्तर पाया गया, उदाहरण के लिए बहुत से रोगी परिचर्या पत्रावलियों में रोगी परिचर्या का इतिहास, वाइटल तालिका, जांच तालिका, चिकित्सा प्रगति टिप्पणी, जांच सार इत्यादि का रख रखाव नही किया गया था तथा चिकित्सक द्वारा प्रदत्त नुस्खों का परिचारिका द्वारा पालन नही किया गया था।

(प्रस्तर 3.4.14)

- प्राप्त सामग्री सूची की आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था अत्यन्त कमजोर थी। तकनीकी रूप से योग्य न्यूनतम दर प्रस्तुत कर्ता से 8.30 करोड़ रुपये राशि की औषधि क्रय नही की गयी थी। आयातित उपकरणों के क्रय करने में एक से छः वर्ष तक विलम्ब किया गया था तथा भण्डार का भौतिक सत्यापन अब तक नही किया गया था।

(प्रस्तर 3.4.19 एवं 3.4.21)

- शोध कार्य के लिए निर्धारित धन संस्थान के आयोजनेत्तर शीर्ष में प्राप्त अनुदान का मात्र 0.17 प्रतिशत था।

(प्रस्तर 3.4.24)

- संस्थान पराचिकित्सा एवं सम्बद्ध क्षेत्रो में प्रशिक्षण प्रारम्भ नही कर सका था जबकि इसकी स्थापना के 20 वर्षो से अधिक समय व्यतीत हो चुका था।

(प्रस्तर 3.4.26)

3.4.1 प्रस्तावना

संजय गांधी स्नातकोत्तर आर्युविज्ञान संस्थान (एस.जी.पी.जी.आई.) वर्ष 1983 में प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित एक अधिनियम[1] के माध्यम से निगमित निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। एस.जी.पी.जी.आई. को एक उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में सृजित करने का उद्देश्य चिकित्सा परिचर्या शिक्षा एवं शोध सुविधा के साथ पराचिकित्सा तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में प्रशिक्षण उपलब्ध कराना था।

संस्थान में 44 विभाग विद्यमान थे जिसमें न्यूरो सर्जरी, कार्डियों वास्कुलर सर्जरी, गेस्ट्रो–इन्टेरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी–यूरोलॉजी, इण्डोक्राइनोलॉजी तथा इम्यूनोलॉजी क्षेत्र के छः ''अति विशिष्ट'' केन्द्र सम्मिलित है।

3.4.2 संगठनात्मक ढांचा

निदेशक, संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं तथा उन्हें संकाय अध्यक्ष, वित्त अधिकारी, चिकित्सा अधीक्षक, अतिरिक्त निदेशक एवं कार्य पालक कुल सचिव सहायता करते है। अधिनियम की धारा–4 के अनुसार संस्थागत निकाय का प्रमुख प्रदेश का मुख्य सचिव होता है तथा सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य व परिवार कल्याण, निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, सचिव, वित्त विभाग, संस्थान का निदेशक तथा विज्ञान के क्षेत्र का मानिन्द व्यक्ति, केन्द्र व राज्य विधान मण्डल के सदस्य इत्यादि इसमें सदस्य के रूप में सम्मिलित रहते है। संस्थागत निकाय संस्थान के प्रशासनिक घटनाओं से सम्बन्धित नीतिगत निर्णय करता है एवं संस्थान का कार्य करता है। अधिनियम में संस्थान के सामान्य प्रबन्धन, शिक्षा व शोध के स्तर को बनाये रखने, संस्थान की सम्पत्ति व निधि प्रबन्ध एवं प्रध्यापकों, विभागध्यक्षों के चयन इत्यादि के लिए क्रमशः एक शासी निकाय, एक शैक्षणिक परिषद, एक वित्त समिति तथा एक चयन समिति को उपबन्धित किया गया है।

3.4.3 लेखापरीक्षा आच्छादन

संस्थान की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कत्यर्व्य, शक्ति एवं सेवा शर्ते) अधिनियम 1971, के धारा 14 (2) के अन्तर्गत किया गया था। जून 2005 से सितम्बर 2005 के मध्य संस्थान के वर्ष 2000–2005 के अभिलेखों की नमूना जांच की गयी।

3.4.4 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

समीक्षा में लेखा परीक्षा का उद्देश्य यह आंकलित करना था कि

- संस्थान की वित्तीय व्यवस्था प्रभावशाली ढंग से व्यवस्थित की गयी
- सेवाओं को वितरित करने के लिए समुचित एवं प्रभावकारी उपाय किये गये थे
- रोगियों की देख–रेख संतोषजनक थी
- शोध से वांछित परिणाम प्राप्त हो रहे थे
- शैक्षणिक आधारशीलता समुचित थी तथा
- पशु चिकित्सा व सम्बद्ध क्षेत्रों में प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया था

3.4.5 लेखापरीक्षा का मापदण्ड

- अधिनियम में निर्दिष्ट उद्देश्य उपलब्ध थे
- चिकित्सालय के क्रिया–कलापों के लिए आधारभूत मानक निर्धारित थे
- चिकित्सा उपकरणों एवं औषधियों के प्राप्ति के लिए प्रक्रिया थी
- आन्तरिक एवं वाहय–शोध से सम्बन्धित शोध कार्यवाहियों के लिए योजना थी
- पशुचिकित्सा एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षण तिथिपत्र था।

[1] संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम 1983 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1983)

3.4.6 लेखापरीक्षा प्रणाली

माह जून 2005 से सितम्बर 2005 तक की अवधि में रोगी देखरेख, शिक्षण व शोध क्रिया कलापों, उपकरणों व औषधियों की उपलब्धता, नाशवान तथा मृत स्कन्ध, सड़क व भवन मरम्मत तथा निर्माण से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जांच की गयी। उपकरणों तथा औषधियों के 240 क्रयादेशों एवं 200 रोगी प्रकरण पत्रावलियों की जांच कर निर्धारित प्रक्रिया के पालन का ऑकलन किया गया। समीक्षा कार्य प्रारम्भ करते समय माह जुलाई 2005 में आहूत परिचयात्मक गोष्ठी में संस्थान के निदेशक के साथ लेखा परीक्षा के उद्देश्यों तथा सम्प्रेक्षा विधि पर वार्तालाप किया गया था। माह दिसम्बर 2005 में आहूत समापन गोष्ठी में शासन के साथ (सचिव, चिकित्सा शिक्षा) लेखा परीक्षा के परिणाम एवं दिये गये सुझाव पर वार्तालाप किया गया।

लेखा परीक्षा परिणाम

वित्तीय व्यवस्था

3.4.7 लेखों का विलम्ब से अन्तिमीकरण

वार्षिक लेखो को 20 वर्षों के असामान्य बिलम्ब से अन्तिमीकरण किया गया

संस्थान के अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष का वार्षिक लेखा विवरण आगामी वर्ष के 30 सितम्बर तक तैयार किया जाना आवश्यक था। संस्थान ने वर्ष 1981–82 से 2003–04 तक के वार्षिक लेखों को 20 वर्षों से अधिक विलम्बित अवधि के बाद वर्ष 2004–05 तथा 2005–06 में तैयार किये। वाह्य सम्प्रेक्षक द्वारा इन वर्षों के वार्षिक लेखों की सम्प्रेक्षा प्रमाण पत्रों में कई अनियमिताओं/असमानताओं पर विशेष रूप से इंगित किया गया। (विवरण ***परिशिष्ट 3.11*** में)

इसके विपरीत, दिसम्बर 2005 तक, वर्ष 2004–05 के लेखों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया था तथा वर्ष 2002–03 एवं 2003–04 के लेखों की वाह्य सम्प्रेक्षक[1] द्वारा लेखा परीक्षा नहीं की गयी थी। इसके अतिरिक्त वार्षिक लेखों में जिन अनियमितताओं व असमानताओं को इंगित किया गया था उन्हें अभी तक ठीक नहीं किया गया था। संस्थान ने उत्तर में बताया (दिसम्बर 2005) कि वार्षिक लेखों को तैयार करने में विलम्ब वर्ष 1990 में विदेशी मुद्रा विनिमय नियामक अधिनियम के अन्तर्गत सम्बन्धित अभिलेख जब्त होने के कारण हुआ है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है यथा वर्ष 1990 से पूर्व के लेखों को भी वर्ष 2003–04 में तैयार किया गया था जबकि ये अभिलेख पहले ही जब्त थे।

संस्थान द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर वर्ष 2004–05 के मध्य प्राप्ति व भुगतान का विवरण निम्नवत था:

तालिका–1

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
1-	प्रारम्भिक अवशेष	6.77	30.02	10.93	17.76	14.86
2-	वर्ष के दौरान प्राप्ति	88.05	76.78	75.21	81.62	83.47
3-	**योग**	**94.82**	**106.80**	**86.14**	**99.38**	**98.33**
4-	वर्ष के मध्य भुगतान					
	(1) वेतन व भत्ते	30.67	29.58	28.39	33.21	35.03
	(2) कार्यालय व्यय	11.74	14.11	14.05	22.53	19.96
	(3) शैक्षणिक कार्यक्रम	1.05	0.86	1.06	0.82	1.09
	(4) शोध क्रियाकलापों	0.04	0.13	0.07	0.66	शून्य
	(5) चिकित्सालय सेवा	8.39	7.09	6.64	7.68	6.78
	(6) निर्माण	5.93	8.74	9.15	5.69	16.35
	(7) चिकित्सा उपकरण	4.64	5.60	2.48	6.24	1.39
	(8) विविध व्यय	2.34	29.76	6.54	7.69	1.74
	योग	**64.80**	**95.87**	**68.38**	**84.52**	**82.34**
5-	**अन्तिम अवशेष**	**30.02**	**10.93**	**17.76**	**14.86**	**15.99**

टिप्पणी – इसमें चिकित्सालय रिवाल्विंग निधि (चि0रि0नि0), जांच रिवाल्विंग निधि (जां0रि0नि0) एवं रोगी नियोक्ता निक्षेप (रो0नि0नि0) से सम्बन्धित लेन-देन सम्मिलित नहीं किये गये है।

[1] चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म

3.4.8 निधि का व्ययापवर्तन

संस्थान के वेतन व भत्ते तथा अन्य व्ययों के दायित्वों को निस्तारित करने के लिए शासन ने मार्च 2004 में 20 करोड़ रुपये का अनुपूरक अनुदान, इस शर्त पर स्वीकृत किया गया था कि आवन्टित धन को बैंक या डाक घर में नहीं रखा जाये तथा निर्धारित मद पर ही उपयोग किया जाये। 1.19 करोड़ रुपये की दायित्यों का निपटान अब तक न हो पाने के वावजूद निदेशक के अनुमोदन पर 2.59 करोड़ रुपये धन को पेंशन निधि में जमा किया गया तथा 35.03 लाख रुपये को व्ययापवर्तन कर वाहन एवं अतिथि गृह की सामग्री क्रय हेतु किया गया था।

इसे इंगित किये जाने पर संस्थान ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2005) कि पेंशन निधि को अधिनियम के साथ क्रियान्वित कर खोला गया था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अनुपूरक अनुदान केवल सूचीबद्ध दायित्वों को निपटाने के लिए उपबल्ध कराया गया था।

3.4.9 उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब

उपभोग प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत करने में विलम्ब

संस्थान ने प्रदेश शासन से वर्ष 2000–01 से 2004–05 के मध्य प्राप्त अनुदान का उपभोग प्रमाणपत्र (यूसीज) को शासन को माह जुलाई 2005 में एक साथ प्रस्तुत किया जिससे अनुदान का उपभोग वांछित प्रयोजनों पर होने के तथ्यों को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

संस्थान ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2005) कि सम्बन्धित प्राधिकारियों को उपभोग प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के प्रति संस्थान को जानकारी नहीं थी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि शासन द्वारा निधि को अवमुक्त करते समय ही उपभोग प्रमाण–पत्र चिकित्सा शिक्षा विभाग को प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित था।

3.4.10 बकाया अग्रिम

अग्रिम राशि 69.35 करोड़ रुपये 15 वर्षों तक बकाया थी।

फर्मो तथा व्यक्तियों को सामाग्री व भण्डार माल की आपूर्ति के लिए दिये गये अग्रिम को, सामग्री प्राप्ति/लेखों के प्रेषण/नगद वापसी/वसूली, प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के समय संतोषजनक आपूर्ति सुनिश्चित करने, भण्डार प्रविष्टि करने तथा स्थापना प्रमाण–पत्र प्राप्त करने इत्यादि के पश्चात ही समायोजित करना चाहिए। संस्थान के वित्त अनुभाग द्वारा दिये गये विवरण के अनुसार माह मार्च 2005 तक 69.35 करोड़ रुपये के अग्रिम 15 वर्षों से अधिक समय से बकाया थे। इसमें से 64.43 करोड़ रुपये का अग्रिम चिकित्सा उपकरण एवं पुस्तक तथा पत्रिकाओं की आपूर्ति के लिए साख पत्रों के विरूद्ध विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को दिया गया था।

संस्थान ने इन बकाया धनराशि के लिए न तो कारण प्रस्तुत किये थे न ही सम्प्रेक्षा में इनके समायोजन से सम्बन्धित पंजिका उपलब्ध करायी । सम्प्रेक्षा में ज्ञात हुआ कि उपकरणों तथा पत्रिकायें इत्यादि का विधिवत लेखांकन न होने के कारण तथा उपकरण आदि के सफलता पूर्वक स्थापन एवं संचालन के प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग द्वारा न रखे जाने के कारण ये अग्रिम अभी तक असमायोजित थे। संस्थान ने उत्तर दिया कि बकाया अग्रिम के समायोजन के लिए प्रयास किये जा रहे थे।

3.4.11 प्रमुख अन्वेषक के विरूद्ध अग्रिम

शोध अनुभाग के अभिलेखों की नमूना जांच में ज्ञात हुआ कि अन्वेषकों को योजना क्रियान्वित करने के लिए अग्रिम उपलब्ध कराया जाता था तथा धनराशि अग्रिम खाता वही में अंकित कर दिया जाता था, जबकि स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी ने इन अग्रिमों के समायोजन के लिए निश्चित सीमा एवं शर्तें नहीं बताये थे। फलस्वरूप 35 अन्वेषकों द्वारा 69.43 लाख रुपये के लेखे, नौ वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के बाद भी, प्रेषित नहीं किये गये थे।

सेवा प्रदेयता के लिए नियोजन

3.4.12 नियम व विनियम को न बनाना

अधिनियम की धारा 40 तथा 40 (1) में उपबन्धित है कि शासन, अधिसूचना के माध्यम से, इस अधिनियम के प्रयोजन को आगे बढ़ाने के लिए नियम बना सकता है तथा

संस्थान राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त कर विनियम बना सकता है। जबकि संस्थान ने अपने स्थापना के 20 वर्षों के पश्चात भी नियम व विनियम नहीं बनाये। नियम/विनियम के अभाव में संस्थान के कर्मचारियों की सेवा शर्ते तथा उनके अधिकृत कर्तव्य स्पष्ट नहीं थे। संस्थान ने वेतनमान, भत्ते, लाभों की श्रृंखला तथा सेवा नियम इत्यादि को नियमित करने के लिए राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त किये बिना जनवरी 1997 में शासी निकाय से अनुमोदित कराकर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (अ0भा0आ0वि0सं0) के मानक को ग्रहण किया था।

3.4.13 चिकित्सकीय आधार भूत संरचना

चिकित्सीय आधार भूत संरचना का पूर्ण न हो सकना

संस्थान के चिकित्सकीय आधारभूत संरचनाओं को वर्ष 2003 तक 1800 शैय्याओं की संख्या के साथ तीन चरणों में स्थापित किया जाना था। जबकि मार्च 2005 तक मात्र 684 शैयायों को क्रियाशील किया जा सका था। इस तथ्य के बावजूद कि तीनों चरणों को पूर्ण करने के लिए ऑकलित लागत 387 करोड़ रुपये के विरूद्ध 31 मार्च 2005 तक इस हेतु 492.75 करोड़ रुपये व्यय किया जा चुका था। अतः लागत एवं समय वृद्धि के कारण संस्थान के कृत्य के महत्वपूर्ण पहलू को प्राथमिकता के साथ प्राप्त नहीं किया जा सका था। संस्थान ने उत्तर में बताया (दिसम्बर 2005) कि धन की कमी तथा धन आवंटन में अनिश्चितता के कारण इसे पूरा नहीं किया जा सका।

3.4.14 रोगी परिचर्या

कई प्रकरणों में रोगियों के उपचार से सम्बन्धित अभिलेख नहीं रखे गये थे

संस्थान के परियोजना प्रतिवेदन में प्रतिबद्धता है कि रोगी परिचार क्षेत्र में निर्देशित सिद्धान्त के अनुसार विस्तृत व उन्नत चिकित्सा सेवा प्रदान होनी थी। संस्थान का लक्ष्य विश्व के किसी भी स्थान पर उत्तम चिकित्सा सेवा को प्रदान करना तथा राज्य में एक उत्कृष्ट चिकित्सा सेवा को स्थापित होने का उदाहरण प्रस्तुत करना था। 684 शैय्याओं की क्षमता के विरूद्ध अन्तःरोगियों की संख्या 65 से 70 प्रतिशत थी, वहीं औसतन 668 वाह्य रोगियों का प्रतिदिन उपचार किया जा रहा था। केवल सन्दर्भित रोगियों का संस्थान में उपचार किया जाता था।

3.4.15 चिकित्सा अभिलेखों का उचित रख–रखाव न करना

संस्थान के चिकित्सालय के रोगियों के उपचार के लिए प्रत्येक रोगी की पत्रावली रखना आवश्यक था। रोगी पत्रावली के साथ चिकित्सालय प्रवेश पत्र, शैया उपलब्ध कराने के लिए मांग पत्र, रोगी का सामान्य इतिहास, प्रगति टिप्पणी तथा चिकित्सक का आदेश, परिचारिका टिप्पणी, आहार तालिका, शल्य तालिका, जांच तालिका, चिकित्सक भ्रमण सार, रोगी लेखा विवरण, रोगी को मुक्त करने का सार के अभिलेख रखे जाने थे।

1.03 लाख रोगी पत्रावलियों में से जांच किये गये 200 रोगी पत्रावलियों (187 जीवित प्रकरण तथा 13 मृत प्रकरण) में पाया गया कि 16 पत्रावलियों में रोगी उपचार का इतिहास नहीं पाया गया, अति आवश्यक प्रपत्र जैसे आहार तालिका व जांच तालिका 18 प्रकरणों में उपलब्ध नहीं थे। चार पत्रावलियों में उपचारिका अभिलेख नहीं थे। चार प्रकरणों में उपचारिका द्वारा चिकित्सक के नुस्खों का पालन नहीं किया गया था। जिसमे कुछ औषधियॉ रोगी को नहीं दी गई थी, जब कि कुछ अन्य में एक बार के स्थान पर दो बार औषधियॉ दी गयी थीं। पांच प्रकरणों में रोगी उपचार के सम्बन्ध में चिकित्सक की प्रगति टिप्पणी का रख–रखाव नहीं किया गया था। 13 प्रकरणों में जांच सार के विवरण का रख–रखाव नहीं किया गया था।

रोगी पत्रावलियों की जांच में यह भी पाया गया कि 18 प्रकरणों में चिकित्सक के सुझाव के बगैर इ0सी0जी0 तथा इको जांच किये गये थे। गुर्दा प्रर्त्यारोपण के लिए रोगी से शल्यक्रिया करने के 12 दिन पश्चात सहमति लिया गया था। दिनांक 23.05.2002 तथा 17.12.2003 को दो रोगीयों से शल्यक्रिया के लिए सहमति लिया गया था। जबकि सहमति के समय उनके शल्यक्रिया का निर्णय नहीं हुआ था। इन रोगियों

की प्रारम्भिक जांच ही सहमति लेने के चार व सात दिन पश्चात हुई थी। सम्प्रेक्षा द्वारा अन्य अभिलेखो की जांच में पता चला कि पुराने पेस मेकर की असफलता के कारण एक रोगी की मृत्यु होना बताया गया था।

संस्थान ने बताया (दिसम्बर 2005) कि सभी सूचनायें, जिन्हें प्रपत्रों में रखा जाना था चिकित्सालय सूचना पद्धति (एच0आइ0एस0) में उपलब्ध है तथा रोगी परिचार में कोई कमी की सम्भावना नहीं है। संस्थान का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्रत्येक प्रकरण में उपचार के तथ्यों के परिपेक्ष में रोगी का उचित परिचार के लिए सम्बन्धित चिकित्सक एवं परिचारिका द्वारा विश्वसनीयता के मद्देनजर उचित रीति से रोगी पत्रावली रखना अति आवश्यक था।

3.4.16 चिकित्सकों की तैनाती के मानक निर्धारित न होना

कमी के बावजूद चिकित्सक अचिकित्सकीय क्रिया कलापों में संलिप्त थे

संस्थान में कार्यभार के आधार पर संतोषजनक रोगी सेवा को सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सकों की तैनाती के मानक निर्धारित नहीं किये गये थे। यद्यपि संस्थान में चिकित्सकों की कमी (43 प्रतिशत) थी। शासन के चिकित्सकों को अचिकित्सकीय क्रिया कलापों में संलिप्तता को निषेध करने के निर्देश का उल्लंधन कर 30 चिकित्सक अचिकित्सकीय विभागों में कार्य कर रहे थे।

3.4.17 बाह्य विभाग रोगियों का निष्पादन अभिलेख न रखना

संस्थान ने ऐसी कोई अनुश्रवण की पद्धति विकसित नहीं किया था कि प्रत्येक बाह्य विभाग रोगी को कितने लम्बे समय तक चिकित्सक से सलाह के लिए प्रतीक्षा करना पड़ेगा तथा कितने बाह्य विभाग रोगियों को समय के अभाव में चिकित्सक से सलाह प्राप्त किये बिना वापस होना पड़ेगा।

3.4.18 शल्यकिया के लिए प्रतीक्षा सूची का न रखना

संस्थान ने विभिन्न विशिष्टताओं में शल्यकिया एवं जांच के लिए प्रतीक्षा सूची को रखने तथा ऑकलित करने के लिए कोई पद्धति नहीं बनायी थी जिससे इसके विकास हेतु सुधारात्मक कार्यवाही करने के लिए इसमें क्षमता एवं अभाव का पता लगाने का कदम उठाया जा सके।

अन्य कार्यो का प्रबन्धन

सामग्री प्राप्ति

3.4.19 चिकित्सीय उपकरण

कई प्रकरणों में चिकित्सा उपकरणों की प्राप्ति की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था

चिकित्सा उपकरणों की प्राप्ति संयुक्त निदेशक (सामग्री प्रबन्धन) द्वारा किया जाता है। समीक्षा अवधि के दौरान 20.35 करोड़ रुपये लागत के क्रय (170 क्रय आदेश, 110 आयातित व 60 स्वदेशी) में से 9.98 करोड़ रुपये लागत के 40 क्रय आदेशों (30 आयातित व 10 स्वदेशी) की लेखा परीक्षा में नूमना जांच की गयी। शासी निकाय द्वारा सामाग्री प्राप्ति को नियमित करने के लिए क्रय–प्रक्रिया अनुमोदित किया गया था। सामाग्री प्राप्ति के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि :–

पूर्व क्रय समिति के अनुमोदन के बिना क्रय

क्रय के लिए मांग को पूर्व क्रय समिति (पू.क्र.स.) द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है जो संस्थान की एक आवश्यकता आंकलन समिति है। 1.30 करोड़ रुपये लागत के चार सामग्रियों के क्रय में पूर्व कय समिति से अनुमोदन नहीं लिया गया था तथा दो उपकरणों के प्रकरण में (105 एस.एस. कन्टेनर व 500 टेक्सटाइल्स फिल्टर) अनुमोदित मात्रा से अधिक क्रय किये गये थे। संस्थान ने उत्तर में बताया (दिसम्बर 2005) कि पूर्व कय समिति, निदेशक की एक परामर्श समिति है जो किसी भी क्रय को समिति के परामर्श का अनुसरण किये बिना अनुमोदन कर सकता है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि

पूर्व क्रय समिति का कार्य सामग्री प्राप्ति को आंकलित करना है, जिसे उक्त बताये गये प्रकरणों में पूर्व क्रय समिति ने पालन नहीं किया था।

तकनीकी समिति के ऑकलन के बिना क्रय

तकनीकी आंकलन समिति यह सुनिश्चित करती है कि वांछित तकनीकी विशिष्टता उपलब्ध है एवं प्राप्त उपकरण के गुणवत्ता मानक संतोष जनक है। 1.12 करोड़ रुपये मूल्य के तीन उपकरणों की तकनीकी समिति से अनुमोदन प्राप्त किये बिना क्रय किया गया था। उत्तर में संस्थान ने बताया (दिसम्बर 2005) कि तकनीकी ऑकलन समिति, निदेशक की एक परामर्शदाता समिति है, जो किसी भी क्रय को समिति के परामर्श का अनुसरण किये बिना, अनुमोदित कर सकता है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपकरण प्राप्ति में तकनीकी विशिष्टता का आंकलन करना तकनीकी आंकलन समिति का एक अनिवार्य कर्तव्य है।

क्रय में विलम्ब

सात आयातित उपकरणों के क्रय से सम्बन्धित क्रय आदेशों में असामान्य प्रक्रियात्मक विलम्ब किया गया था। एक वर्ष से छः वर्ष तक के इस विलम्ब से इस काल में शोध कार्य एवं रोगी सेवा का कार्य प्रभावित रहा। यूरोफ्लोमीटर का प्रकरण इसका साक्ष्य था, जिसे प्रतिमाह 150 से 240 यूरोफ्लोमैट्रिक अध्ययन सुचारू रूप से पूरा करने के लिए क्रय किया गया था। इन उपकरणों को साढ़े चार वर्ष पश्चात प्राप्त किया जा सका, जिससे मात्र 12 से 16 अध्ययन प्रतिमाह हो सके थे।

स्थापना आख्या के बिना भुगतान

उपकरण की संतोषजनक स्थापना एवं चलने की सुनिश्चितता के पश्चात ही आपूर्तिकर्ता को अन्तिम भुगतान किया जाना वांछित था। जबकि यह देखा गया कि 3.12 करोड़ रुपये की धनराशि के सभी प्रकरणों में संतोषजनक स्थापना एवं चलने की आख्या के बिना भुगतान कर दिया गया था।

सीमित निविदा के माध्यम से क्रय

क्रय नियमों के अनुसार तुलनात्मक दर का लाभ लेने के लिए 0.50 लाख रुपये से अधिक लागत के क्रय को सम्पादित करने के लिए निविदा का विस्तृत प्रचार–प्रसार होना आवश्यक है। जबकि इस मूल्य से अधिक लागत के अधिकतर उपकरण क्रय प्रकरणों में विस्तृत प्रचार–प्रसार नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, 38.77 लाख रुपये की लागत के उपकरणों को वांछित क्रय नियमों के अन्तर्गत उचित कारणों को बताये बिना सीमित निविदा के आधार पर क्रय किया गया था।

एकल निर्माता प्रमाणपत्र के विरुद्ध क्रय

संस्थान की क्रय–प्रक्रिया[1] के अनुसार, वे सामग्रियां, जो मॉगकर्ता विभाग द्वारा विशेष रूप से एकाधिकार प्रकृति की प्रमाणित हों, संयुक्त निदेशक (सामग्री प्रबन्धन) द्वारा भी क्रय आदेश निर्गत करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अन्य उत्पादन कर्ता बाजार में उपलब्ध नहीं थे। 36.44 लाख रुपये की लागत की नौ सामग्रियों को उपभोगकर्ता विभाग के प्रमाण पत्र के आधार पर एकाधिकार सामग्री मानते हुए चयनित आधार पर क्रय किया गया था। सामग्री प्रबन्धन विभाग के पास न तो सभी एकाधिकार सामग्रियों की सूची उपलब्ध थी और न ही सामग्री प्राप्ति को अन्तिम रूप देने से पूर्व बाजार के तथ्यों की जांच की गयी थी। संस्थान ने बताया (दिसम्बर 2005) कि विशेष उपकरणों के सभी स्पेयर पार्ट्स एकाधिकार प्रकृति के होते हैं। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि क्रय में इंगित प्रश्न स्पेयर पार्ट्स से सम्बन्धित नहीं था।

[1] अध्याय-8 भाग-1 नियम 6 (अ)

क्रय पर अलाभकारी व्यय

जून 2001 में, 3.52 करोड़ रुपये की लागत का एक सीम्यूलेटर तथा 1.49 करोड़ रुपये लागत का 3 डी डोसीमीटर को क्रय किया गया था, जिसमें से एक प्रकरण में उत्पादन दोष तथा दूसरे प्रकरण में "साफ्टवेयर" की कमी होने के कारण, प्रारम्भ से ही अक्रियाशील थे। फिर भी संस्थान द्वारा इन्हें बदलने या आपूर्तिकर्ता से धनवसूली के लिए कोई प्रभावशाली कार्यवाही नहीं की गयी थी। परिणामतः 5.01 करोड़ रुपये अलाभकारी होने के अतिरिक्त रोगियों को इन उपकरणों के उपयोग का लाभ उपलब्ध नहीं हो रहा था। उत्तर में संस्थान ने बताया (दिसम्बर 2005) कि सीम्यूलेटर माह सितम्बर 2003 से जुलाई 2004 तक कार्य कर रहा था तथा डोसीमीटर को चलाने के लिए फर्म से साफ्टवेयर की आपूर्ति प्रतीक्षित थी। सीम्यूलेटर के सम्बन्ध में उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इस उपकरण को माह जून 2001 में क्रय करने के पश्चात रोगी एवं उपचार पर उपयोग नहीं किया गया था।

3.4.20 औषधि

औषधि क्रय के लिए जून 1997 में 50 लाख रुपये के प्रारम्भिक कार्पस के साथ एक अलग से चिकित्सालय परिक्रमिक निधि (चि0प0नि0) का सृजन किया गया था। औषधि से सम्बन्धित सभी लेन देनों जैसे अपूर्तिकर्ता को भुगतान एवं रोगी को बेची गयी औषधि से सम्बन्धित प्रक्रिया इसी चि0प0नि0 के माध्यम से होते हैं। सम्प्रेक्षा अवधि में 6596 क्रय आदेशों के माध्यम से 118.23 करोड़ रुपये मूल्य के क्रयों में से 22.82 करोड़ रुपये मूल्य के 200 क्रय आदेशों की नमूना जांच की गयी।

औषधियों का अनियमित क्रय

8.30 करोड़ रुपये के औषधि क्रय में अधिकतम दर के कारण रोगियों पर अतिरिक्त भार

8.30 करोड़ रुपये मूल्य की औषधियों को तकनीकी योग्यता प्राप्त न्यूनतम निविदाकर्ता से क्रय नहीं किया गया। इसके कारण 3.92 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय किया गया, इसके परिणामस्वरूप रोगियों पर अतिरिक्त भार पड़ा। संस्थान ने उत्तर में बताया (दिसम्बर 2005) कि उपयोगकर्ता विभाग द्वारा विशिष्ट औषधि की मांग पर क्रय किया गया था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि क्रय प्रक्रिया में वर्णित है कि गुणवत्तापरक उत्पादन प्राप्त करने के लिए मानक के अनुसार केवल उन उत्पादनकर्ताओं के दर घोषणा पर विचार किया जाना था जो तकनीकी घोषणा में योग्य पाये जाये।

3.4.21 भण्डार एवं स्टाक

औषधियों का अधिक भण्डारण

भण्डार में औषधि का भण्डारण रोगियों की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिये। ओषधि एव शल्य सामग्री की आपूर्ति हेतु विकेताओ को एक माह की समयावधि निर्धारित थी। तदनुसार भण्डार में वर्ष की आवश्यकतानुसार भण्डारण स्तर एक माह के बराबर बना रहना चाहिए। संस्थान द्वारा औषधियों आदि का कय (***परिशिष्ट 3.12***) आवश्यकता से अधिक किया गया. जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2000–01में 214 प्रतिशत से वर्ष 2003–04 में 42 प्रतिशत तक का अधिक भण्डारण करना पड़ा। इसके परिणामस्वरूप 26.40 लाख रुपये मूल्य की औषधि /शल्य सामग्री कालातीत हो गयी (31 मार्च 2005 तक)। इसमें से बहुत से प्रकरणों में आपूर्तिकर्ताओं/ फर्मो को कालातीत औषधियों एव शल्य सामग्रियों को लौटाने हेतु कोई शर्त कयप्रकिया में उल्लिखित नहीं थी जिससे 17.42 लाख रुपये की हानि हुई। संस्थान ने प्रकरण से सहमत होते हुए भविष्य मे भण्डार को कम करने का आश्वासन दिया।

भौतिक सत्यापन

भौतिक सत्यापन कभी नही किया गया

कय नियमों के अनुसार भण्डार की समस्त सामग्री का वार्षिक भौतिक सत्यापन समीक्षा अवधि के दौरान नही किया गया था। संस्थान ने उत्तर में बताया (दिसम्बर 2005) कि भण्डार का भौतिक सत्यापन वित्तीय वर्ष 1999–2000 एवं 2004–05 में किया गया

था। उत्तर तथ्यों पर आधारित नहीं है क्योकि संस्थान ने लेखापरीक्षा के दौरान बताया (जुलाई 2005) कि भण्डार का भौतिक सत्यापन कभी नहीं किया गया इस सम्बन्ध मे कोई प्रतिवेदन लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया।

3.4.22 निर्माण कियाकलाप

संस्थान में एक सिविल अभियंत्रण विभाग था, जिसका मुखिया अधीक्षण अभियन्ता था, जो निर्माण कार्यो को पर्यवेक्षण करता था, निर्माण कार्यो का सम्पादन वाहय स्रोतो के द्वारा विभिन्न निर्माण संस्थाओं द्वारा किया गया था। समीक्षा अवधि के दौरान निर्माण कार्यो पर 45.86 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की गयी थी जिसमें छह कार्यो (ऑगणित लागत 18.38 करोड़ रुपये) की नमूना जांच लेखा परीक्षा में की गयी। संस्थान के कार्यो के सम्पादन एवं परियोजनाओं की कार्य प्रणाली में निम्नलिखित बिन्दु पाये गयेः–

अपव्यय

दो कार्यो पर किया गया व्यय 38.36 लाख रुपये अनुपयुक्त नियोजन के कारण अपव्यय हो गया, जिसकी चर्चा निम्नवत की गयीः

निदेशक द्वारा (2001–02) सम्पूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वेलनेस क्लीनिक के निर्माण के लिए 86.20 लाख रुपये की आगणित लागत का कार्य निर्माण एवं परिकल्प सेवाएं (सी0एण्डडी0एस0) उ0प्र0 जल निगम को दिया गया। मार्च 2003 में निर्माण कार्य बन्द कर दिया गया एवं संस्थान द्वारा यह निश्चित किया गया कि वेलनेस क्लीनिक के स्थान पर इमर्जेन्सी रिसीविंग स्टेशन का निर्माण किया जाय। इमरजेन्सी रिसीविंग स्टेशन का निर्माण कार्य वर्तमान संरचना के तोड़ने के उपरान्त प्रारम्भ किया गया (मई–2004) जिसके कारण 29.50 लाख रुपये का अपव्यय हुआ।

निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0 द्वारा शवदाह गृह का प्रारम्भिक ऑगणन 2.44 करोड़ रुपये में स्वीकृत किया गया था तथा कार्य सी0एण्ड0डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम को दिया गया (अगस्त 1997), निर्माण कार्य संस्था द्वारा अगस्त–1997 में प्रारम्भ किया गया एवं मई 2003 तक 52.53 लाख रुपये की धनराशि व्यय की गयी । संस्थान के अध्यक्ष के निर्देश पर सचिव, चिकित्सा शिक्षा ने निर्माण कार्य स्थल का निरीक्षण किया (जनवरी 2003) एवं पाया कि यह स्थान शवगृह के लिए अनुपयुक्त था क्योंकि यह स्टाफ का प्रवेश द्वार एवं रसोई गृह का रास्ता था। तदनुसार कार्यदायी संस्था को आदेश (मई 2003) दिया गया कि शवगृह को बच्चों के वार्ड में परिवर्तित कर दिया जाय। इस कार्यवाही में 8.86 लाख रुपये की धनराशि संरचना को ढहाने (डिसमैन्टेल) में निरर्थक हो गयी।

संस्थान ने उत्तर (दिसम्बर 2005) में दोनों ही प्रकरणों में हुए अपव्यय को स्वीकारते हुए कहा कि इसमें नगण्य धनराशि का अपव्यय हुआ।

लागत एवं समय में बढ़ोत्तरी

वित्तीय नियमों के अनुसार निर्माण कार्य स्वीकृत ऑगणित लागत एवं निर्धारित अवधि में पूर्ण किया जाना चाहिये। लेखा परीक्षा में पाया गया कि छहः कार्यो (***परिशिष्ट–3.13***) को निर्धारित अवधि 24 माह में त्रुटिपूर्ण नियोजन के कारण पूर्ण नही किया जा सका, जिसके परिणाम स्वरूप इन कार्यो में 12.91 करोड़ रुपये की लागत की वृद्धि हो गयी।

संस्थान ने उत्तर में बताया (दिसम्बर–2005) कि ये निर्माण कार्य विशिष्ट प्रकार के भवनों के थे, जिनमें प्रारम्भिक आगणन सिर्फ मानचित्र एवं डिजाइन के अनुसार बनाये एवं स्वीकृत किये गये थे, परन्तु पुनरीक्षित आगणन में सिविल निर्माण प्लिन्थ एरिया के आधार पर लिया गया तथा सभी सर्विसेज वास्तविक डिजाइन के आधार पर ली गयी थी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इन तथ्यों को इन कार्यो के प्रारम्भिक नियोजन के दौरान विचार नहीं किया जाना चाहिए था।

सी0बी0एम0आर0 की स्थापना

संस्थान ने (अगस्त–1999 में) एस0जी0पी0जी0आई0 में सेन्टर आफ बायोमेडिकल मेग्नेटिक रिजोनेन्स (सी0बी0एम0आर0) के स्थापना की अनुमति प्रदान की थी, जिसको वर्ष–2005–06 तक 23.90 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत में पूर्ण करना था जिसकी स्थापना के लिए आवश्यक निधि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डी0एस0टी0) विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी0एस0आई0आर0) एवं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आई0सी0एम0आर0) को देनी थी।

अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि 4.43 करोड़ रुपये व्यय करने के बाद शासी निकाय के निर्णय के उपरान्त (नवम्बर–2002), सी0बी0एम0आर0 के आगे का कार्य बन्द कर दिया गया, जिसका कारण यह बताया गया कि संस्थान के अधिदेश (मैंनडेट) के अन्तर्गत नही आता। लेखा परीक्षा में पाया गया कि संस्थान की शासी निकाय को संस्थान निकाय द्वारा लिये गये निर्णय को रद्द करने की शक्ति नही थी तथा सी0बी0एम0आर0 की स्थापना हेतु पूर्व में ही समुचित वित्तीय धनराशि लगायी जा चुकी थी।

इस प्रकार सी0बी0एम0आर0 पर वर्ष 2000–05 में किया गया 4.43 करोड़ रुपये का व्यय (7.63 करोड़ रुपये सी0एम0आई0आर0 एवं अन्य एजेन्सियों द्वारा अवमुक्त धनराशि में से) निष्फल हो गया एवं 3.20 करोड़ रुपये का अप्रयुक्त अनुदान भी सी0एस0आई0आर0 को वापस करना पड़ा (मई–2004)।

3.4.23 मानवशक्ति प्रबन्धन

नर्सिंग स्टाफ की कमी

भारतीय नर्सिंग परिषद की संस्तुति के अनुसार मरीज एवं नर्स का अनुपात नाजुक एवं सघन चिकित्सा में 1:1 तथा अन्य अन्तःरोगी प्रकरणों में 3:1 एवं 30 प्रतिशत लीव रिजर्व नर्सिंग स्टाफ आवश्यक था। इन मानकों की तुलना वास्तविक रूप में संस्थान में तैनात नर्सिंग स्टाफ से करने पर पाया गया कि नर्सिंग संवर्ग में 27 प्रतिशत से 49 प्रतिशत की कमी थी। जिसका विवरण निम्नवत है :–

तालिका–2

वर्ष	वर्ष में उपलब्ध कुल शैयायों की संख्या	नर्सिंग स्टाफ की कुल आवश्यकतता (एन सी आई के अनुसार)	वर्ष के दौरान स्वीकृत संख्या	स्वीकृत संख्या में कमी (प्रतिशत)	वर्ष के दौरान वास्तविक तैनाती की संख्या	आवश्यकता के विरूद्ध कमी (प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7
2000-01	544	664	632	32 (5%)	483	181(27%)
2001-02	544	664	632	32 (5%)	448	216 (33%)
2002-03	555	680	605	75 (11%)	453	227 (33%)
2003-04	605	739	605	134(18%)	479	260 (35%)
2004-05	684	908	605	305 (34%)	462	446 (49%)

नर्सिंग स्टाफ की कमी के परिणाम स्वरूप रोगियों की देखभाल में बहुत नुकसान हो रहा था। इस बिन्दु को इंगित करने पर संस्थान ने उत्तर में बताया (दिसम्बर–2005) कि रिक्त पदों को भरने के लिए विज्ञापन किया गया था।

स्टाफ की कमी

सभी संवर्गो में कुल मिलाकर स्टाफ की कमी 32 प्रतिशत थी, जिसका विवरण निम्नवत है (जुलाई–2005)

तालिका–3

श्रेणी	स्वीकृत पद	वास्तविक कार्यरत	कमी
वर्ग–ए (निदेशक एवं वरिष्ठ अधिकारी. चिकित्सक एवं संकाय)	277	157	120
वर्ग–बी(प्रशासकीय स्टाफ)	81	52	29
वर्ग–सी(परिचारिकाये एवं कार्मिक स्टाफ)	1634	1120	514
वर्ग–डी(वार्ड ब्वाय सफाई कर्मी एवं चपरासी)	463	334	129
योग	**2455**	**1663**	**792**

सभी श्रेणियों में अत्यधिक कमी से संस्थान का संचालन प्रभावित होना स्वाभाविक था।

3.4.24 अनुसंधान गतिविधियाँ

संस्थान की स्थापना का यह भी एक मुख्य उद्देश्य था कि चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में उच्च स्तर की शोध सुविधा विकसित की जाय जहॉ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शोध अध्ययन चल सके। संस्थान में संकाय सदस्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विषयों से सम्बन्धित आन्तरिक एवं बाह्य शोध योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं।

निधि का आबंटन

आन्तरिक शोध परियोजना हेतु पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया।

यद्यपि शोध संस्थान का एक मुख्य उद्देश्य था, परन्तु इसको वांछित महत्व न देकर संस्थान के कुल आयोजनेत्तर अनुदान (196.93 करोड़ रुपये) से आन्तरिक शोध परियोजना हेतु केवल 0.34 करोड़ रुपये (0.17 प्रतिशत) की सीमा तक निधि आवंटित की गयी। शोध समिति ने अपनी 47 वीं बैठक (नवम्बर 2003) में सुझाव दिया कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आन्तरिक शोध हेतु बजट 50 लाख रुपये होना चाहिये जिससे संस्थान अधिक आन्तरिक परियोजना हेतु निधि की व्यवस्था कर सके तथापि, 2003–04 के लिए कोई बजट आवंटन नहीं किया गया जबकि 2004–05 हेतु आवंटन मात्र 23 लाख रुपये था। संस्थान ने अपने उत्तर में कहा कि आंतरिक शोध कार्य हेतु अगले वित्तीय वर्ष के लिए अधिक आवंटन पर विचार किया जायगा।

शोध परियोजनाओं की समीक्षा

आन्तरिक शोध की गुणवत्ता एवं प्रगति का अनुश्रवण शोध समिति एवं आचार समिति के प्रक्रिया की समकक्ष समीक्षा द्वारा किया जाना था, शोध प्रस्ताव का खुला प्रस्तुतीकरण एवं पूर्ण की गयी शोध का मूल्यांकन किया जाना था। वर्ष 2000–2005 के दौरान संस्थान द्वारा कुल 61 शोध परियोजनाओं को लिया गया जिसमें से केवल 34 (56 प्रतिशत) पूर्ण की गयी एवं केवल 20 परियोजनाओं (59 प्रतिशत) का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

आन्तरिक शोध परियोजना पूर्ण करने हेतु सामान्यतया एक वर्ष की अवधि अनुमन्य थी, जिसके विरूद्ध 27 अपूर्ण आन्तरिक शोध परियोजनाओं में से 12 (44 प्रतिशत) जिसमें 13.75 लाख रुपये का व्यय सम्मिलित था, अपने निर्धारित तिथि के बाद भी लम्बित थी। इस संदर्भ में पुनः विश्लेषण करने पर पाया गया कि चार प्रकरणों में परियोजना प्रारम्भ नही हो सकी क्योंकि प्रमुख अन्वेषक द्वारा संस्थान छोड़ दिया गया एवं एक परियोजना जांच हेतु रोगियों की कम संख्या होने के कारण समाप्त हो गयी थी। संस्थान ने उत्तर में बताया कि शोध प्रयोजन के लिए आवश्यक उपकरणों की अनुपलब्धता तकनीक एवं पेटेन्ट के प्रकार में विशेष देरी के कारण परियोजनाएं पूर्ण नहीं हुई।

34 आन्तरिक परियोजनाओं में से 14 (41 प्रतिशत) (स्वीकृत धनराशि 13.75 लाख रुपये) के प्रतिवेदन प्रस्तुत नही हो सके जबकि शोध कार्य वर्ष 2003–04 में पूर्ण हो चुका था। आन्तरिक शोध के 20 प्रकरणों में जहाँ शोध कार्य पूर्ण था एवं प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किये जा चुके थे, वहाँ अभिलेखों में कहीं इंगित नहीं था कि शोध की उपलब्धियां शोध समिति के द्वारा मूल्यांकित स्वीकृत–शोध प्रस्ताव की समकक्ष समीक्षा अथवा खुले

प्रस्तुतीकरण द्वारा की गयी थी। इस प्रकार इस अवधि में एक भी शोध की उपलब्धियॉ पेटेन्ट अथवा व्यवसायिक नहीं की जा सकीं।

शोध समिति 2000–05 के दौरान आठ बार मिली लेकिन एक बार भी परियोजना की प्रगति के बारे में समीक्षा नहीं की गयी। संस्थान ने उत्तर में बताया कि अगले शोध समिति की बैठक में परियोजनाओं की समीक्षा की जाएगी।

सम्पत्ति अभिलेखों का रखरखाव

स्थायी एवं अर्ध–स्थाई परिसम्पत्तियां जो कि आन्तरिक एवं बाहय परियोजनाओं दोनों के अनुदान से अर्जित की गयी थी को सम्पत्तियों की पृथक पंजिका में संस्थान द्वारा रखा जाना चाहिए। वर्ष 2003–04 के अन्तिम लेखा के अनुसार 4.39 करोड़ रुपये की परिसम्पत्तियां इस शीर्ष के अर्न्तगत लेखांकित की गयी थी लेकिन संस्थान के शोध विभाग द्वारा शोध योजना/परियोजना के लिए प्राप्त अनुदान एवं सहायता से प्राप्त की गयी परिसम्पत्तियों हेतु सम्पत्ति पंजिका का रख–रखाव नहीं किया गया, इसलिए इसे लेखा परीक्षा में जांच नहीं किया जा सका कि सम्बन्धित सम्पत्तियों को संस्थान द्वारा उपयोग किया गया अथवा निधि देने वाली संस्था को वापस कर दिया गया या निधि देने वाली संस्था की स्वीकृति के उपरान्त संस्थान के स्टाक पंजिका में लेखांकित किया गया। संस्था ने उत्तर में बताया कि सम्पत्ति पंजिका बनायी जायेगी।

3.4.25 शिक्षण सम्बन्धी कियाकलाप

संस्थान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के लिए प्रवेश दिये जाते हैं। प्रवेश के लिए अभ्यर्थी आवेदन करते है एवं जांच के उपरान्त प्रवेश पत्र निर्गत किये जाने हैं तथा विभिन्न पाठयक्रमों में प्रवेश दिया जाता है।

सीटों के भरने की स्थिति

सीटों के भरने की स्थिति निम्नवत थी।

तालिका–4

कम संख्या	वर्ष	स्वीकृत सीटें	भर्ती छात्रों की संख्या	छात्रों की संख्या जो छोड़कर चले गये	कमी
1-	2000	52	41	2	13
2-	2001	61	52	6	15
3-	2002	59	54	5	10
4-	2003	61	52	5	14
5-	2004	63	55	2	10

उक्त से देखा जा सकता है कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान वर्णित सीटें वर्ष 2000 में 21 प्रतिशत से 2004 तक 13 प्रतिशत खाली पड़ी थी, कुछ छात्र बाद में पाठ्यक्रम छोड़कर चले गये। संस्थान इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम में छात्रों को भर्ती करने में असफल रहा। जागरूक नियोजन करके प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों से सभी रिक्तियों को भरा जा सकता था। संस्थान ने बताया कि कुछ समय अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की कम संख्या होने के कारण प्रवेश कम रहा। संस्थान ने पुनः बताया कि अधिकांश सीटें विभिन्न पाठ्यक्रमों में भरी गयी एवं प्रवेश मे कमी प्रतिवर्ष घटती गयी।

अतिविशिष्टताओं का आच्छादन

वर्ष 2003 तक संस्थान के समस्त तीनों चरणों को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया था एवं शिक्षण सम्बन्धी गतिविधियां सभी अतिविशिष्टताओं एवं पाठयक्रमों में इस तिथि तक प्रारम्भ की जानी थी। जिसके विरूद्ध मार्च 2005 तक संस्थान का प्रथम चरण भी पूर्ण नहीं हो सका था। परिणामस्वरूप अतिविशिष्टताओं में अध्यापन जैसे आनकोलोजी, न्यूट्रीशनल डिसीज, ट्रापिकल डिसीज, कम्युनिटी मेडिसिन, एपिडीमिओलाजी, डर्मेटोलोजी, क्लीनिकल फार्माकोलोजी एवं बायोइन्जिनियरिंग आदि को, संस्थान द्वारा प्रारम्भ नहीं किया जा सका। संस्थान द्वारा बताया गया कि निधि का अभाव एवं बजट आवंटन में अनिश्चितता के कारण अतिविशिष्टताओं का आच्छादन नहीं किया जा सका।

जबकि लेखा परीक्षा में पाया गया कि शासन द्वारा राज्य में दो और समान प्रकृति के संस्थानों की स्थापना का निर्णय लिया गया एक लखनऊ में एवं दूसरा इटावा जनपद में, लखनऊ से 300 किलोमीटर दूर। शासन का यह निर्णय इस परिदृश्य में जबकि समान प्रकृति के विद्यमान संस्थान (एस0जी0पी0आई0) को सफलतापूर्वक चलाने हेतु समस्त आवश्यकताएं पूर्ण नहीं हो पा रही थी, प्रश्नयोग्य था।

3.4.26 पराचिकित्सा स्टाफ का प्रशिक्षण

एस0जी0पी0जी0आई0 अधिनियम 1983 में पराचिकित्सा एवं सम्बद्ध पराचिकित्सा एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में, विशेष रूप से अतिविशिष्ट क्षेत्रों के सम्बनध में प्रशिक्षण की व्यवस्था का प्रावधान था। संस्थान में 20 वर्षों की स्थापना अवधि के बाद भी प्रशिक्षण कार्य परा–चिकित्सा एवं अन्य सम्बद्ध क्षेत्रों में निधि उपलब्ध न होने के कारण नहीं किया जा सका। संस्थान द्वारा बताया गया कि नर्सिंग कालेज एवं टेक्नीशियनों के लिए विद्यालय प्रारम्भ करने के प्रयास किये गये थे किन्तु निधि के अभाव में सम्भव नहीं हो सका।

3.4.27 मूल्यांकन एवं अनुश्रवण

शासन को संस्थान के कियाकलापों का अनुश्रवण, उसके भवन, पुस्तकालय, उपकरण परीक्षा, प्रयोगशाला, अध्यायपन कार्य और अन्य कार्यो का नियतकालिक निरीक्षण[1] करके, किया जाना था। अभिलेखों में कही भी नहीं पाया गया कि शासन द्वारा संस्थान के कार्यकलापों का अनुश्रवण एवं निरीक्षण कभी किया गया हो।

संस्थान निकाय की बैठक प्रतिवर्ष कम से कम एक बार[2] होनी थी। जिसमें संस्थान के कार्यकलापों के प्रशासन और कार्य प्रणाली से सम्बन्धित नीतिगत प्रश्नों पर निर्णय किया जाना था, जिसके विरूद्ध संस्थान निकाय की बैठक केवल एक बार वर्ष–1999 में सम्पन्न हुई थी।

शासन के निर्णय 5 (सी) के नीचे जी0एफ0आर0 150 के अनुसार अनुदान स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी द्वारा अनुदान प्राप्त करने वाली संस्था के क्रियाकलापों की समीक्षा कम से कम तीन से पांच वर्ष में एक बार की जानी थी। इस प्रकार की समीक्षा न तो राज्य सरकार द्वारा अथवा संस्थान निकाय द्वारा कभी सम्पादित की गयी।

3.4.28 निष्कर्ष

1800 शैयाओं की क्षमता का सृजन वर्ष–2003 तक करने के लक्ष्य के विरूद्ध केवल 684 शैयाओं की स्थापना मार्च, 2005 तक की गयी थी। चिकित्सकों (43 प्रतिशत) एवं परिचारिकाओं (49 प्रतिशत) के संवर्ग में कमी के कारण रोगियों को उचित समय में रोग के लक्षणों की पहचान, निदान एवं चिकित्सा परिचर्या से वंचित होना पड़ा। वार्षिक लेखों का अन्तिमीकरण 20 वर्षो की देरी से किया गया। बड़ी संख्या में शोध परियोजनायें अपूर्ण रही एवं शोध क्षेत्र में आवंटन कुल आयोजनेतर अनुदान का मात्र 0.17 प्रतिशत था। रोगी परिचर्या अभिलेखों के रख–रखाव में बहुत अधिक भिन्नतांए पाई गयी बहुत से प्रकरणों में रोग परिचर्चा इतिहास, आहार, तालिका, जांच तालिका चिकित्सक प्रगति टिप्पणी, जांच सार इत्यादि नहीं रखा गया था। सामग्री क्रय, प्राप्ति एवं निर्गम की आन्तरिक नियंत्रण पद्धति कमजोर थी, जिससे सामग्री की हानि की आशंका थी। दवाओं के क्रय में अतिरिक्त व्यय से रोगियों पर परिहार्य भार पड़ा। विदेशी उपकरणों के क्रय में एक से छह वर्षो का विलम्ब हुआ तथा स्टाक का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था।

संस्तुतियाँ

- शासन संस्थान का वार्षिक लेखों का अन्तिमीकरण समय से कराना एवं इसकी लेखा परीक्षा वाह्य लेखापरीक्षक से कराना सुनिश्चित करें।

[1] अधिनियम की धारा 34(प)

[2] अधिनियम की धारा 6

- नियमों एवं विनियमों को शीघ्र तैयार किया जाये।
- शैक्षणिक कार्यकलाप एवं रोगी परिचर्या में उत्तम उन्नति के लिए चिकित्सकीय, पराचिकित्सकीय एवं अध्यापन स्टाफ में आवश्यक सुधार किया जाय।
- संस्थान के क्रियाकलाप के मूल्यांकन हेतु सर्जरी के लिए प्रतीक्षा सूची बनाने की पद्धति को प्रारम्भ किया जाना चाहिये एवं रोगियों को दी जानी वाली सेवाओं के लिए उनसे फीड बैक किया जाना चाहिये।
- सभी भण्डार सामग्रियों का नियमित भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिये।
- संस्थान की क्रय प्रक्रिया में सुधार करते हुए मानवीय पद्धति से कम्प्यूटर आधारित संचालन में परिवर्तन पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जाय।

वार्तालाप के समय (दिसम्बर 2005) शासन ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की तथा संस्तुतियों को स्वीकार किया। तथापि शासन का लिखित उत्तर अभी तक (दिसम्बर 2005) अप्राप्त था।

महिला एवं बाल कल्याण विभाग

3.5 समेकित बाल विकास सेवायें –तृतीय

मुख्य अंश

बाह्य सहायता प्राप्त समेकित बाल विकास सेवाये–तृतीय कार्यक्रम राज्य में वर्ष 1999–2000 में प्रारम्भ किया गया था जिसका लक्ष्य 22310 मौजूदा (190 ब्लाक) ऑगनबाडी केन्द्रो तथा 14,698 नये (110 ब्लाक) ऑगनबाडी केन्द्रों में गतिविधियों तथा स्कूल पूर्व शिक्षा द्वारा छः वर्ष तक के बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार तथा उनका सार्वांगीण विकास करना था। परियोजना की समीक्षा से स्पष्ट था कि परियोजना लागत का 56 प्रतिशत स्थापना पर व्यय किया गया परिणामस्वरुप बच्चों को पोषण, स्वास्थ्य तथा शिक्षा जैसे मुख्य सेवाओं पर ध्यान नहीं दिया जा सका । घोषित उद्देश्यों को प्राप्त नही किया जा सका क्योंकि मूल स्तर पर पर्याप्त सेवाओं को प्रदान नही किया गया, सेवाओं के अधिप्राप्ति में विलम्ब हुआ तथा परियोजना के आवश्यक अवयव जैसे अभिनव कार्यकलापो, सूचना, शिक्षा, संचार तथा सामुदायिक भागीदारी आदि की उपेक्षा की गयी थी।

- स्थापना व्यय पर आवंटित 16 प्रतिशत के विरूद्व मार्च 2005 तक 56 प्रतिशत व्यय किया गया।

(प्रस्तर 3.5.7)

- 54.94 करोड़ रुपये के कय लक्ष्य के विरूद्ध मार्च 2005 तक मात्र 22.72 करोड़ रुपये (41 प्रतिशत) का ही अधिप्राप्ति किया गया जिससे लाभार्थियों को सेवा प्रदान करने पर विपरीत प्रभाव पड़ा।

(प्रस्तर–3.5.12)

- मूल स्तर पर सेवाओं के प्रदान करने में अन्तराल था जैसे शिशु वृद्वि अनुश्रवण वास्तविक रूप में नहीं थी तथा पर्याप्त धन के प्रावधान के बाद भी अनुपूरक पोषाहार की आपूर्ति अत्याधिक अनियमित थी।

(प्रस्तर 3.5.15 से 3.5.18)

- राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई धन की उपलब्ध्ता के बावजूद 92 प्रतिशत परियोजना क्षेत्रों में सूचना, शिक्षा, संचार तथा सामुदायिक भागीदारी कार्यकमों की व्यवस्था न करके समुदाय को समुचित रूप से शिक्षित करने में असफल रहा।

(प्रस्तर 3.5.32)

- सेवाओं को प्रदान करने में सुधार हेतु अभिनव कार्यकलापों की गतिविधियॉ, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु महिला मण्डल का गठन आदि जैसे परियोजना के कुछ आवश्यक अवयव अछूते रह गये।

(प्रस्तर 3.5.28, 3.5.30)

- परियोजना का अनुश्रवण कमजोर था क्योंकि राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई न केवल सभी कार्यरत ऑगनबाड़ी केन्द्रों से प्रगति आख्या की प्राप्ति सुनिश्चित करने में बल्कि विभिन्न केन्द्रों द्वारा प्रेषित आख्याओं की सूक्ष्म परीक्षण करने में भी असफल रहा। सामुदायिक भागीदारी एवं परियोजना सम्बन्धित सूचना प्राप्त करने के लिये ग्रामीण स्तर की पर्यवेक्षण समिति का गठन नही किया गया।

(प्रस्तर 3.5.33)

3.5.1 प्रस्तावना

समेकित बाल विकास सेवायें (आईसीडीएस) कार्यक्रम छः वर्ष तक के शिशुओं के सर्वांगींण विकास को बढ़ाने हेतु राज्य में अक्टूबर 1975 में लागू किया गया था। कार्यक्रम के अन्तर्गत सेवा प्रतिपादन की गुणवत्ता में सुधार तथा सेवा प्रदान सम्बन्धित प्रोत्साहन तंत्र के सशक्तीकरण हेतु राज्य के 70 में से 33 जिलो, (पूर्वी तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र के ज्यादातर पिछड़ें क्षेत्रों) के 190 मौजूदा ब्लाको के 22310 ऑगनबाड़ी केन्द्रों तथा 110 नये ब्लाकों के 14698 ऑगनबाड़ी केन्द्रों में एक विश्व बैंक परियोजना,आईसीडीएस–तृतीय 1999–2000 में लागू की गयी। परियोजना मार्च 2004 तक पूर्ण होनी थी परन्तु मार्च 2006 तक के लिये इसे बढ़ा दिया गया था।

आई सी डी एस–तृतीय का लक्ष्य शिशुओं के सबसे अतिसंवेदनशील जीवनकाल में उन्हें पोषण,स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसी तीन मुख्य सेवाओं के समेकित प्रतिपादन द्वारा मानव विकास करना था। इसके विस्तृत उद्देश्य निम्नवत् हैं :–

- शून्य से तीन वर्ष समूह को विशेष महत्व देते हुए शून्य से छः वर्ष तक के शिशुओं के पोषण, स्वास्थ्य एवं सामाजिक स्तर में सुधार लाना;
- महिलाओं, विशेषकर गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं तथा किशोरी बालिकाओं के पोषण एवं स्वास्थ्य में सुधार लाना;
- व्यक्तिगत एवं पारिवारिक स्वास्थ्य तथा पोषण आवश्यकताओं के उत्तम देख भाल के लिए जागरूकता में वृद्वि के माध्यम से महिलाओं तथा किशोरी बालिकाओं को सशक्त करना ।

आई.सी.डी.एस.–तृतीय परियोजना के विभिन्न मध्यवर्ती अवयव सेवा प्रतिपादन एवं कार्यक्रम प्रोत्साहन में विभाजित थें। सेवा प्रतिपादन में सेवा गुणवता सुधार, स्थापना एवं आधारभूत संरचना सम्मिलित था जबकि कार्यक्रम प्रोत्साहन में प्रबन्ध एवं संस्थात्मक विकास, सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी.) तथा सामुदायिक प्रेरणा तथा अनुश्रवण एवं मूल्यांकन सम्मिलित था जैसा **परिशिष्ट 3.14** में दिखाया गया है।

3.5.2. संगठनात्मक संरचना

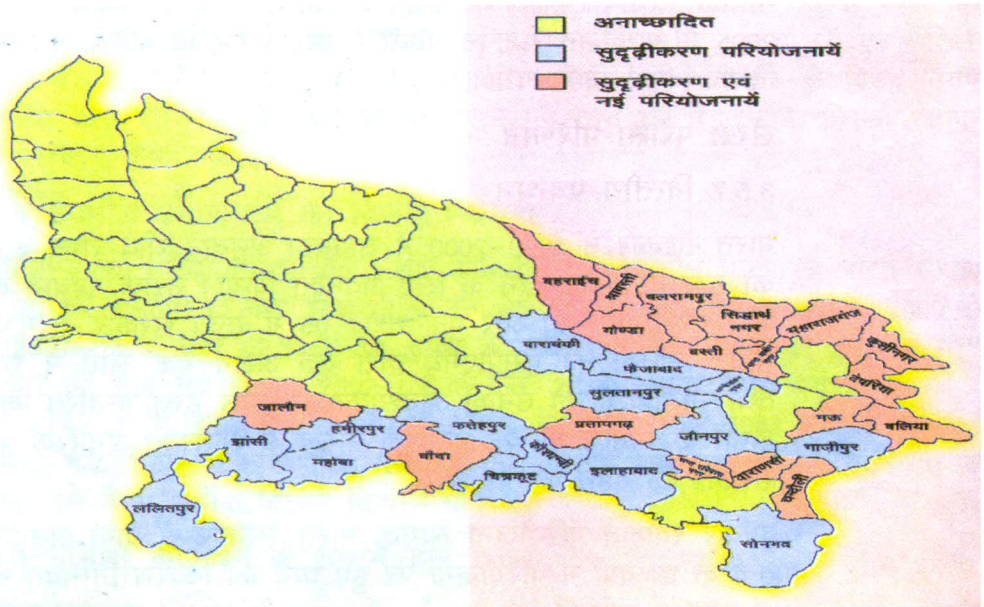
राज्य में परियोजना सोसाइटी एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत एक सोसाइटी "बाल विकास परिषद" द्वारा संचालित थी। परिषद सम्पूर्ण परियोजना के संचालन, निरीक्षण, अनुश्रवण तथा निर्देशन हेतु जिम्मेदार थी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 60 सदस्यों वाली परिषद की आम सभा परियोजना की गतिविधियों के संचालन हेतु सम्पूर्ण नीति मार्गदर्शन तथा निर्देशन प्रदान करती है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता एवं सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से युक्त परिषद की अधिशाषी समिति का काम परियोजना का सम्पूर्ण संचालन एवं अनुश्रवण करना है।

राज्य स्तर पर परियोजना के दिन–प्रतिदिन के प्रबन्ध, प्रशासन, संचालन तथा अनुश्रवण हेतु राज्य परियोजना निदेशक, जोकि अधिशाषी समिति का सदस्य सचिव भी होता है; की अध्यक्षता वाली एक राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई (एस.पी.एम.यू.) का जुलाई 2000 में गठन किया गया। राज्य परियोजना निदेशक की सहायता हेतु दो सहायक निदेशक, एक कार्यक्रम प्रशासन तथा एक वित्त एवं लेखा के लिए है तथा एक प्रबन्धन तंत्र विकास परामर्शदाता है। जिला स्तर पर परियोजना, जिला कार्यक्रम अधिकारियों (डी.पी.ओ.) द्वारा संचालित है। जिसकी सहायता हेतु ब्लाक स्तर पर बाल विकास परियोजना अधिकारी (सी.डी.पी.ओ.) तथा ग्राम्य स्तर पर ऑगनबाड़ी कार्यकत्री (ए.डब्लू. डब्लू.) है।

3.5.3 लेखापरीक्षा आच्छादन

आई.सी.डी.एस.–तृतीय के 1999–2005 तक की अवधि के संचालन की समीक्षा मई 2005 से सितम्बर 2005 के मध्य की गयी, जिसमे आइसीडीएस के निदेशक के

कार्यालय, एसपीएमयू तथा आई.सी.डी.एस.–तृतीय के 33 डीपीओ[1] में से आठ (25 प्रतिशत) डी.पी.ओ. कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जॉच की गयी। समीक्षा में नमूना जॉच हेतु चयनित आठ जिलों में से छः पूर्वी क्षेत्र[2] के तथा दों बुन्देलखण्ड क्षेत्र[3] से थे। जिला स्तर पर 25 प्रतिशत ब्लाक/सीडीपीओ कार्यालय (कुल 17 ब्लाक) तथा प्रत्येक ब्लाक में चार से दस ऑगनबाड़ी केन्द्रों की सम्प्रेक्षा द्वारा नमूना जॉच की गयी।



3.5.4 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

आइ.सी.डी.एस.–तृतीय कार्यक्रम की समीक्षा यह निर्धारण करने के लिए की गयी कि:–

- परियोजना के लिए उपलब्ध धन का श्रेष्ठतम उपयोग किया गया ;
- लाभार्थियों को सेवा प्रतिपादन के लिए आवश्यक सेवा गुणवत्ता सुधार, महिला सशक्तीकरण,स्थापना एवं आधारभूत संरचना, प्रबंध एवं संस्थागत विकास, प्रशिक्षण तथा सूचना, शिक्षा एवं संचार इत्यादि जैसी परियोजना के विभिन्न अवयवों को जैसा कि वांछित था, प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया गया,
- वृद्वि/भार अनुश्रवण, अनुपूरक पोषण, स्वास्थ्य सेवायें, प्रतिरक्षण, स्वच्छता एवं आरोग्यता,पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा इत्यादि जैसी सेवायें परियोजना क्षेत्र में शिशुओं, गर्भवती महिलाओं तथा धात्री माताओं को उपलब्ध करायी जा रही थी,
- परियोजना की गतिविधियों के सचांलन की समयबद्व सूचना उपलब्ध कराने हेतु अनुश्रवण तन्त्र पर्याप्त था, तथा
- कार्यक्रम के परिणाम एवं प्रभाव के निर्धारण हेतु परियोजना का मूल्यांकन किया गया था।

3.5.5 लेखापरीक्षा का मापदण्ड

सम्प्रेक्षा के मापदण्ड निम्नवत् थे:–

- भारत सरकार की योजना हेतु दिशा–निर्देश तथा राज्य सरकार के निर्देश।
- परियोजना कियान्वयन योजनायें तथा सर्वेक्षण रिपोर्ट।
- ऑगनबाड़ी केन्द्रों एवं ऑगनबाड़ी कार्यकर्तियों के पदों के सृजन हेतु प्रतिपादित मानक।

[1] पूर्वी क्षेत्र के छब्बीस तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सात जिले
[2] बहराइच, गोण्डा, कुशीनगर, महराजगंज, संतकबीर नगर एवं सिद्धार्थ नगर
[3] बाँदा एवं जालौन

3.5.6 लेखापरीक्षा प्रणाली

सम्प्रेक्षा उद्देश्य एवं सम्प्रेक्षा के मापदण्ड जून 2005 में शासन को सूचित कर दिये गये थे। योजना एवं कियान्वयन से सम्बन्धित अभिलेखों की समीक्षा सम्प्रेक्षा में की गई। चयनित ऑगनबाड़ी केन्द्रों के अभिलेखों की जॉच एवं उनके द्वारा प्रदत्त सेवाओं का भौतिक सत्यापन भी किया गया। समीक्षा के सम्प्रेक्षा निष्कर्ष एवं संस्तुतियों को दिसम्बर 2005 में आयोजित समापन गोष्ठी में शासन (सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग) से विचार विमर्श किया गया।

लेखा परीक्षा परिणाम

3.5.7 वित्तीय प्रबन्धन

भारत सरकार ने 1999–2000 में सहायता अनुदान सीधे राज्य सरकार को एस.पी.एम.यू. को हस्तानान्तरित करने के लिए अवमुक्त किया। उसके पश्चात वर्ष 2003–04 तक धन सीधे एसपीएमयू को और पुनः 2004–05 में राज्य सरकार के माध्यम से अवमुक्त किया गया। निधियों को एसपीएमयू द्वारा एक अलग बैंक खाते में रखा गया तथा डीपीओ तथा सीडीपीओ को उनकी आवश्यकता अनुसार हस्तानान्तरित किया गया । ऑगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण की 25 प्रतिशत लागत के अतिरक्त अनुपूरक पोषाहार पर व्यय राज्य सरकार को वहन करना था।

वर्षवार स्वीकृत परियोजना लागत, भारत सरकार से प्राप्त अनुदान तथा वर्ष 2004–05 तक के छः वर्षो में परियोजना पर हुए व्यय का विवरण निम्नवत् थाः–

सारणी –1

वर्ष	स्वीकृत परियोजना लागत	कुल उपलब्ध धनराभि	व्यय (करोड़ रूपयों में)
1999–2000	43.38	8.25	0.27
2000–01	47.63	31.24	30.48
2001–02	86.32	40.46	38.71
2002–03	55.08	22.31	22.31
2003–04	41.96	40.53	39.38
2004–05	– –	96.81	57.78
कुल	**274.37**		**188.93**

परियोजना के अवयव के अनुसार लागत एवं उन पर व्यय निम्नवत् थाः–

सारणी–2

कमांक	श्रेणी	परियोजना लागत (पूर्ण परियोजना लागत के सापेक्ष आंबटन का प्रतिशत) (करोड़ रुपयों में)	31.3.2005 तक व्यय (पूर्ण व्यय के सापेक्ष व्यय का प्रतिशत) (करोड़ रुपयों में)	आबंटन के सापेक्ष व्यय का प्रतिशत
1	निर्माण कार्य	44.76(16)	54.57(29)	122
2	फर्नीचर,यन्त्र सामग्री, खिलौने,सामग्री एवं वाहन	23.79(9)	22.41(12)	94
3	औषधि एवं चिकित्सकीय आपूर्ति	42.06(15)	1.80(1)	4
4	सलाहकार एवं संचार सेवाएं	14.68(5)	3.46(2)	24
5	प्रशिक्षण एवं कार्यशाला	90.50(33)	नगण्य	
6	वृद्विपरक, संचालन एवं अनुरक्षण लागत	43.04(16)	106.48(56)	247
7	परियोजन के भाग ए–3 अन्तर्गत क्षेत्रीय स्टाफ के लिए वाहन	1.36(1)	नगण्य	
8	अनाबंटित	14.18(5)	–	
	योग	**274.37**	**188.93**	**69**

(श्रोत – विश्व बैंक एवं एस पी एम यू के मध्य अन्तरिम फण्ड डेवलपमेंट केडिट अनुबंध)

परियोजना लागत का बडा हिस्सा स्थापना पर व्यय किया गया

ऊपर प्रदर्शित सारणी से स्पष्ट है कि मूल अनुमोदित परियोजना लागत 274.37 करोड़ रुपये के सापेक्ष स्थापना के लिए आबंटन 16 प्रतिशत के विरूद्व, मार्च 2005 तक परियोजना पर व्यय का 56 प्रतिशत स्थापना एवं सम्बन्धित मामलों पर खर्च किया गया था। इस घटक में उच्च व्यय का कारण, परियोजना अवधि का विस्तार, वेतन एवं मानदेय के भुगतान दर में वृद्वि एवं पेट्रोल, तेल एवं अनुरक्षण पर अधिक व्यय था। इसकी तुलना में औषधि एवं चिकित्सकीय आपूर्ति पर, आबंटित हिस्सा परियोजना लागत के 15 प्रतिशत के विरूद्व, केवल एक प्रतिशत व्यय किया गया था एवं प्रशिक्षण एवं कार्यशाला संगठित करने के लिए आबंटित हिस्सा 33 प्रतिशत के विरुद्व नगण्य धनराशि व्यय की गई थी। इस प्रकार परियोजना व्यय का बहुत बड़ा हिस्सा स्थापना मद पर व्यय किया गया।

3.5.8 उपभोग प्रमाणपत्रों का विलंबित प्रेषण

उपभोग प्रमाण पत्र के प्रेषण में अत्याधिक विलम्ब अनुदानों के अवमुक्ति में बिलम्ब का कारण बना

एसपीएमयू को परियोजना पर किये गये व्यय के लिए उपभोग प्रमाणपत्र भारत सरकार को वर्ष की समाप्ति के बाद शीघ्र ही, भेजना था। इसके विरूद्व 1999–2000, 2000–01 एवं 2001–02 के लिए 62.33 करोड़ रुपये के उपभोग प्रमाणपत्र नवम्बर 2002 में भारत सरकार को भेजे गये थे एवं 2002–03 के लिए 26.80 करोड़ रुपये एवं 2003–04 के लिए 42.43 करोड़ रुपये का उपभोग प्रमाणपत्र कमशः सितम्बर 2003 एवं जुलाई 2004 में भेजे गये । इस प्रकार भारत सरकार को उपभोग प्रमाणपत्र भेजने एवं व्यय की सूचना देने में अत्याधिक विलंम्ब किया गया।

3.5.9 अग्रिमों को व्यय के रूप में दर्ज करना

सम्प्रेक्षा जांच में प्रकाश में आया कि डीपीओ एवं निर्माण अभिकरणों की उनके उपभोग प्रमाण पत्र के आधार पर व्यय के अनुश्रवण की व्यवस्था एसपीएमयू ने प्रारंभ नही किया। 1999–2005 के मध्य एसपीएमयू ने सीडीपीओ कार्यालय सह गोदाम निर्माण के लिए निर्माण अभिकरणों[1] को 7.64 करोड़ रुपये ऑगनबाड़ी केन्द्र निर्माण के लिए डीपीओ को 44.56 करोड़ रुपये एवं हैण्डपम्प स्थापना के लिए उ0प्र0 जल निगम के 2.37 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान किया एवं इन्हें व्यय के रूप में दर्ज कर लिया। परिणामस्वरूप एसपीएमयू न केवल 54.57 करोड़ रुपये के अग्रिम पर प्रभावी नियंत्रण कायम करने में असफल रहा बल्कि सम्बन्धित वर्षो में भारत सरकार को व्यय की (पूर्ण व्यय का 29 प्रतिशत[2]) अधिक सूचना दी गई।

शासन ने बताया (जनवरी 2006) कि अग्रिम धनराशि के समतुल्य भवन एसपीएमयू को हस्तगत हो गये थे।

उत्तर मान्य नही था क्योंकि दिये गये अग्रिम उनके उपभोग प्रमाणपत्र पाने के बाद ही व्यय के रूप मे माने जाने थे। इसके अलावा सभी निर्मित भवन एसपीएमयू द्वारा दिसम्बर 2005 तक अधिग्रहीत नहीं किये गये थे।

एसपीएमयू ने वर्ष 2004–05 में क्षेत्रीय कार्यालयों को वेतन, मानदेय एवं अन्य मदों में मांग से अधिक 9.54 करोड़ रुपये आबंटित कर दिया । यह धनराशि उस वर्ष के लिए आवश्यक नहीं थी एवं अनुपयोगी पड़ी रही।

3.5.10 निधियों का व्ययापवर्तन

परियोजना दिशानिर्देशों के अन्तर्गत एसपीएमयू के लिए तीन वाहन कय करना प्रावधानित था जिसके विरूद्व परियोजना के अन्य घटकों से 2.33 लाख रुपये का व्ययापवर्तन करके मानकों के विरूद्व चार वाहन[3] कय किये गये। पुनः, परियोजना अवधि में इन वाहनों के अनुरक्षण के लिए 12 लाख रुपये के प्रावधान के विरूद्व वर्ष 2004–05

[1] यूपी राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, कन्सट्क्षन एवं डिजाहन सेंवाऐं उ0प्र0 जल निगम, उ0प्र0 श्रम एवं निर्माण सहकारी सघं
[2] मार्च 2005 तक पूर्ण व्यय 188.93 करोड़ रुपयेके सापेक्ष 54.57 करोड़ रुपये का प्रतिशत जैसा कि सारणी–1 में प्रदर्शित है
[3] अतिरिक्त वाहन उ0प्र0 शासन के महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव द्वारा उपयोग में लाया जा रहा था।

तक 55.98 लाख रुपये के आधिक्य के साथ एसपीएमयू द्वारा 67.98 लाख रुपये व्यय किये गये। एसपीएमयू ने बताया कि सीडीपीओ कार्यालय एवं ऑगनबाड़ी केन्द्रों के निरीक्षण के लिए सचिव को एक वातानुकूलित कार प्रदान की गई थी एवं वित्त समिति तथा अधिशासी समिति से अनुमोदित पेट्रोल एवं तेल मद में प्रतिवर्ष 20 लाख रुपये का प्राविधान था। उत्तर मान्य नही था क्योंकि अतिरिक्त वाहन के क्रय एवं उच्च अनुरक्षण व्यय के लिए अनुमति/ अनुमोदन भारत सरकार से प्राप्त नहीं किया गया था।

3.5.11 सेवा प्रदेयता

सेवा प्रतिपादन में ऑगनबाड़ी केन्द्र जो कार्यक्रम के केन्द्र बिन्दु है पर सेवा गुणवत्ता सुधार, स्थापना एवं आधारभूत संरचना सन्निहित है। परियोजना में मार्च 2002 तक 110 नई परियोजनाओं में 14698 ऑगनबाड़ी केन्द्र की स्थापना सन्निहित थी। जबकि इसके विरूद्व 2000–05 में ऑगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना की स्थिति निम्नवत् है।

वर्ष	नये स्वीकृत ऑगनबाड़ी केन्द्रों की सख्या	स्थापित नये ऑगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या	कमी
2000–01	6750	शून्य	6750
2001–02	7498	शून्य	14698
2002–03	शून्य	10622	4076
2003–04	शून्य	13495	1203
2004–05	शून्य	14592	106

ऑगनबाड़ी कार्यकर्तियों के रिक्त पदों के न भरने के कारण सम्बन्धित वर्षो में जैसा कि ऊपर प्रदर्शित किया गया है ऑगनबाड़ी केन्द्र स्थापित नहीं किये गये थें । एसपीएमयू ने परियोजना के छः वर्ष बाद भी वाछिंत संख्या में ऑगनबाड़ी केन्द्र स्थापित नहीं किये।

सेवा गुणवत्ता सुधार

3.5.12. अधिप्राप्ति

लक्षित लाभार्थियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए ऑगनबाड़ी केन्द्रों को पर्याप्त संसाधनों से सुसज्जित होना था। ऑगनबाड़ी केन्द्रों के लिए वाछिंत मदें जैसे बर्तन स्कूल पूर्व किट, अंतः बाह्य क्रीड़ा सामग्री, लेखन सामग्री एवं वृद्वि कार्ड, वजन मशीन, दवा बक्से एवं औषधि किट आवश्यकता के अनुरूप एकबार, वार्षिक एवं द्विवार्षिक रूप में वर्गीकृत किये गये थे।

ऑगनबाड़ी केन्द्रों के लिए 25.52 करोड़ रुपये लागत की एक बार की मदों की अधिप्राप्ति सभी पुरानी एवं नई परियोजनाओं के लिए चक्रों में 2001–02 तक पूरा करना था। इसके विरूद्व एसपीएमयू ने केवल 16.78 करोड़ रुपये(66 प्रतिशत) मूल्य की मदों को 31 मार्च 2005 तक अधिप्राप्त किया। **(विवरण– परिशिष्ट –3.15 में)** ।

1999–2005 अवधि में अधिप्राप्त सभी मदों की स्थिति **परिशिष्ट–3.15** में प्रदर्शित है। 1999–2005 अवधि में सेवा गुणवत्ता सुधार के अन्तर्गत 54.94 करोड़ रुपये के प्रावधान के विरूद्व मार्च 2005 तक वित्तीय प्रगति मात्र 22.72 करोड़ रुपये (43 प्रतिशत) थी। परियोजना के प्रथम दो वर्षो में निधि के उपयोग की गति धीमी थी क्योंकि 26.32 करोड़ रुपये के लक्ष्य के विरूद्व मात्र 0.61 करोड़ रुपये (2 प्रतिशत) मूल्य की सामग्री का क्रय किया गया था।

लाभार्थियों के पोशाहार वितरण के लिए 86 प्रतिशत ऑगनबाड़ी केन्द्र बर्तनों का उपयोग नहीं कर रहे थे।

3.5.13. सामग्री की विलंबित एवं अपर्याप्त अधिप्राप्ति

सभी ऑगनबाड़ी केन्द्रों को मार्च 2005 तक बर्तनों की आपूर्ति कर देनी थी। लेखा परीक्षा द्वारा नमूना जॉच किये गये, 134 ऑगनबाड़ी केन्द्रों (31 बन्द पाये गये) के भौतिक सत्यापन में पाया गया कि 103 ऑगनबाड़ी केन्द्रों में से 89 (86 प्रतिशत) लाभार्थियों को पोषाहार वितरित करने के लिए बर्तनों का उपयोग नही कर रहें थे। अभिलेखों में ऐसा कुछ भी नही पाया गया जिससे इंगित हो कि बाल विकास परियोजना अधिकारियों ने इस विपथन पर ध्यान दिया हो एवं ऑगनबाड़ी कार्यकर्तियों

को बर्तन में पोषाहार वितरित करना सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया हो । इस प्रकार बर्तनों के लिए क्रय पर 9.44 करोड़ रुपये के व्यय के बावजूद बच्चों को आरोग्य ढंग से भोज्य सामग्री वितरित करने का परियोजना का उद्देश्य अधूरा रहा।

प्रारम्भिक शिशु शिक्षा किट *अधिप्राप्ति के लिए आंबटित* धनराशि का केवल 19 प्रतिशत उपयोग *किया गया।*

प्रारंभिक शिशु शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत 3–6 वर्ष उम्र समूह के बच्चों को प्रोत्साहित एवं उत्प्रेरक वातावरण में प्राथमिक विद्यालय के लिए तैयार करना था । यह व्याख्यान *के बजाय खेल, गीत, खेल गतिविधियां एवं प्रयोग के द्वारा प्रदान किया जाना था।* लेखापरीक्षा जॉच में प्रकाश में आया कि 9.11 करोड़ रुपये के प्राविधान के विरूद्व एसपीएमयू ने केवल 1.69 करोड़ रुपये (19 प्रतिशत) की शिशु शिक्षा किट (ईसीई) की अधिप्राप्ति की । भौतिक सत्यापन (मई–दिसम्बर 2005) के दौरान खुले पाये गये 103 ऑगनबाड़ी केन्द्रों में से 56 (54 प्रतिशत) में ईसीई किट उपलब्ध नहीं था। फलस्वरूप क्रीड़ा एव लेखन समाग्री अधिकांश लाभार्थियों की पहुॅच से बाहर थे।

अंतःबाहय क्रीड़ा सामग्री परियोजना के चौथे वर्ष (2002–03) में 1.99 करोड़ रुपये (प्रावधानित बजट का 89 प्रतिशत) व्यय कर के अधिप्राप्त की गयी। यद्यपि भौतिक रूप से सत्यापित (मई–दिसम्बर 2005) 103 ऑगनबाड़ी केन्द्रों में से 92 (89 प्रतिशत) में क्रीड़ा सामग्री उपलब्ध नहीं थी।

ऑगनबाड़ी केन्द्रों पर ""स्वास्थ्य सेवायें वितरण व्यवस्था सुदृढ़ीकरण" (एसएचएसडीएस) विषय पर एक गैर सरकारी संगठन[1] की अध्ययन रपट (जुलाई 2005) ने भी उपरोक्त तथ्यों को प्रमाणित किया एवं इंगित किया कि ऑगनबाड़ी केन्द्रों पर बच्चों को कोई पाठन अथवा लेखन सामग्री नही दी गई थी एवं ऑगनबाड़ी केन्द्र भी इस प्रकार की *सामग्री से वंचित थे।*

3.5.14. दवाओं की अपर्याप्त अधिप्राप्ति

कृमि मुक्ति एवं अन्य दवाओं की अधिप्राप्ति पर आंबटित धनराशि का क्रमशः 4 प्रतिशत एवं 18 प्रतिशत ही उपयोग किया गया।

अधिक फैलने वाली बीमारियॉ जैसे डायरिया, पेचिश, ऊपरी श्वसन नली का संक्रमण, त्वचा रोग, नेत्र रोग आदि के निदान से सम्बन्धित दवाओं से ऑगनबाड़ी केन्द्रों को सुसज्जित किया जाना था। चूॅकि आंत के क्रीड़े मन्द वृद्वि एवं कुपोषण चक्र के प्रारम्भ के कारक के रूप में चिन्हित थें इसलिए बच्चों का नियमित कृमि मुक्तिकरण उनके पोषण स्थिति के सुधार के लिए आवश्यक था। 3–6 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों को कृमि मुक्त किया जाना था।

कृमि मुक्ति एवं अन्य दवाओं की अधिप्राप्ति पर वित्तीय प्रगति बहुत कम, क्रमशः 4 प्रतिशत एवं 18 प्रतिशत थी। औषधिओं के लिए 10.04 करोड़ रुपये एवं कृमि मुक्ति विषयक दवाओं के लिए 7.02 करोड़ रुपये के प्राविधान के विरूद्व क्रमशः केवल 1.79 करोड़ रुपये एवं 0.27 करोड़ रुपये खर्च किये गये। एसएचएसडीएस पर अध्ययन रपट भी यह इंगित करती है कि किसी भी ऑगनबाड़ी केन्द्र में दवाओं की उपलब्धता नहीं थी।

विभिन्न परियोजना क्षेत्रों के लिए इन दवाओं की मांग एवं तदन्तर उनकी अधिप्राप्ति के आकलन का आधार विभिन्न ऑगनबाड़ी केन्द्रों के मध्य दवाओं के आवंटन एवं लाभार्थियों के मध्य इनके अन्तिम वितरण का आधार प्रदर्शित करने वाली कोई भी चीज एसपीएमयू में अथवा ऑगनबाड़ी केन्द्र पर अभिलेखों में नही पाई गई।

इस प्रकार शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा बच्चों में कुपोषण रोकने के लिए परियोजना के अर्न्तगत वांछित स्तर तक व्यवस्था सुनिशिचित नहीं की गयी।

शासन ने उत्तर में बताया (जनवरी 2006) कि अधिप्राप्ति में विलम्ब, सलाहकार की विलम्बित नियुक्ति एवं अधिप्राप्ति विषयक विविध प्रकियाओं में लगे समय के कारण था। शासन ने आगे बताया कि पोषाहार आपूर्ति के लिए बर्तनों के उपयोग हेतु जिला एवं परियोजना कार्यालयों को एसपीएमयू द्वारा अब निर्देश जारी कर दिये गये थे।

[1] अकादमी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, लखनऊ

3.5.15. बाल वृद्वि का अपर्याप्त अनुश्रवण

लाभार्थियों की वृद्वि एवं वजन का अनुश्रवण नहीं किया गया।

वृद्वि हीनता एवं कुपोषण चक्र के प्रारम्भ की प्रारम्भिक पहचान के लिए नियमित वृद्वि अनुश्रवण किया जाना था। इस अनुश्रवण के लिए पालक माताओं का व्यक्तिगत शिशु विकास के लिए कार्ड प्रदान किये जाने थे जिससे वे अपने बच्चों की प्रगति का घ्यान रखने में स्वयं रूचि लें एवं इस प्रकार ऑगनबाड़ी केन्द्र को पूरा सहयोग प्रदान करें। तीन साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नियत दिवस पर मासिक वजन सत्र संचालित करने थे जबकि तीन से छः वर्ष उम्र के बच्चों का तिमाही आधार पर वजन लिया जाना था। बच्चों का वजन लेने के लिए बालक सह शिशु तौल मशीन एवं गर्भवती महिलाओं के वजन वृद्वि के अनुश्रवण के लिए बाथरूम तौल मशीन प्रत्येक ऑगनबाड़ी केन्द्र को उपलब्ध कराना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वृद्वि कार्ड केवल एक बार 2001–02 में प्रति ऑगनबाड़ी केन्द्र हेतु 100 की दर से क्रय किये गये थे। ये ऑगनबाड़ी केन्द्रों के लाभार्थियों की संख्या के लिए अपर्याप्त थे। लेखापरीक्षा द्वारा ऑगनबाड़ी केन्द्रों के भौतिक सत्यापन (मई –दिसम्बर 2005) में प्रकाश में आया कि 103 में से 61 (59 प्रतिशत) बच्चा तौल मशीनें अकार्यशील थीं एवं 96 में वृद्वि कार्ड का अनुरक्षण नहीं किया था। इस प्रकार वृद्वि एवं वजन अनुश्रवण अपेक्षित रूप से नही किया गया था। इस प्रकार परियोजना का महत्वपूर्ण पहलू जिस पर पोषाहार की आपूर्ति, स्वास्थ्य देखभाल एवं परियोजना की अन्तिम सफलता निर्भर थी, को उचित संज्ञान नहीं दिया गया।

शासन ने उत्तर में बताया (जनवरी 2006) कि कार्डो की अपर्याप्त सख्या एवं इनके रखरखाव में समस्या के कारण, ऑगनबाड़ी केन्द्रों पर वृद्वि अनुश्रवण बुकलेट उपलब्ध कराना निशिचित किया गया, जिसकी अधिप्राप्ति प्रगति में थी। तदन्तर शासन ने बताया कि वृद्वि कार्ड भरने के लिए ऑगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षित किये जा रहे थे।

3.5.16 अनुपूरक आहार

राज्य सरकार द्वारा (।) ऑगनबाड़ी केन्द्र क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारो, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित एवं सभी कुपोषित बच्चे जो छः माह से छः वर्ष उम्र समूह के हो एवं (।।) इन्हीं श्रेणी की किशोरी लड़कियों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को अनुपूरक आहार प्रदान करना था। यह निदेशक, बाल विकास एवं पुष्टाहार (आईसीडीएस सामान्य) जो कि राज्य में आइसीडीएस परियोजना चलाने के लिए जिम्मेदार थे, द्वारा प्रदान किया जा रहा था।

उम्रसमूह छः माह से 3 वर्ष के बच्चों में वीनिंग आहार (शिशु आहार) दिया गया था। तीन से छः वर्ष उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को फरवरी 2004 तक खाने के लिए तैयार पंजीरी (आरटीई) एवं उसके पश्चात अमाइलेज रिच इनर्जी भोजन प्रदान किया गया था। फरवरी 2004 तक आरटीई को अनुपूरित करने के लिए बिस्कुट भी बीच बीच में प्रदान किये गये थे।

3.5.17. अनुपूरक आहार की आपूर्ति एवं वितरण का अनुश्रवण न होना

एसपीएमयू द्वारा पोशाहार की आपूर्ति एवं वितरण का नियमित अनुश्रवण नहीं किया गया।

एस पी एम यू को अनुपूरक आहार की आपूर्ति का अनुश्रवण मासिक प्रगति रिर्पोट द्वारा करना था। लेखापरीक्षा जॉच से प्रकाश में आया कि 110 नई परियोजनाओं के 14698 ऑगनबाड़ी केन्द्रों की लक्षित आबादी 14.69 लाख लाभार्थियों में अप्रैल 2003 तक एसपीएमयू अनुपूरक आहार की आपूर्ति एवं वितरण का अनुश्रवण नही कर रहा था। इसी प्रकार यह 190 परियाजनाओं में लक्षित लाभार्थी 22.31 लाख रुपये वाली 22310 ऑगनबाड़ी केन्द्रों में मई 2004 तक आपूर्ति एवं वितरण का अनुश्रवण नही कर रहा था।

110 नई एवं 190 मौजूदा परियोजनाओं में सभी लाभार्थियों को आच्छादित करने के लिए आवश्यक अनुपूरक आहार की वित्तीय आवश्यकता को एसपीएमयू ने निर्धारित नही किया था। अनुपूरक आहार की लागत प्रतिदिन प्रति लाभार्थी 1रुपये आकलित थी

(1999–2000)। वार्षिक मूल्यवृद्वि को ध्यान में रखते हुए इसमें वृद्वि करनी थी। यह पाया गया कि प्रति लाभार्थी लागत नही बढ़ाई गई थी।

अवशेष अवधि के सम्बन्ध में जिसमें एसपीएमयू द्वारा आपूर्ति अनुश्रावित की गई थी, की स्थिति निम्नवत् थीः–

वर्ष	आच्छादन योग्य लाभार्थियों की न्यूनतम संख्या	प्रदत्त अनुपूरक आहार	कमी	निम्नतम लाभार्थियों के सापेक्ष कमी का प्रतिशत
	संख्या	लाख में		प्रतिशत
2003–04	161.68	124.85	36.83	23
2004–05	377.16	342.69	34.47	9
योग	**538.84**	**467.54**	**71.30**	**13**

3.5.18. लाभार्थियों के आच्छादन में कमी

पोषाहार की आपूर्ति अनियमित एवं अपर्याप्त थी।

एसपीएमयू की प्रगति आख्याओं से ज्ञात हुआ कि मई 2003 से मार्च 2004 की रिपोर्ट अवधि में औसतन 3347 ऑगनबाड़ी केन्द्र एवं अप्रैल 2004 से मार्च 2005 के मध्य 2873 ऑगनबाड़ी केन्द्र लाभार्थियों को पोषाहार की आपूर्ति नही कर रहे थे। एसपीएमयू की प्रगति रिर्पोटो से यह भी प्रकाश में आया कि किशोरियों को पोषाहार नहीं प्रदान किया गया था।

नमूना जॉच किये गये जनपदों (छः[1]) की संमीक्षा से प्रकाश में आया कि पोषाहार की आपूर्ति एवं वितरण अनियमित था। विभिन्न वर्षो में अन्तराल एक से 7 माह तक था।

22.20 लाख लक्षित लाभार्थियों वाले 3–6 वर्ष के बच्चों गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं एवं किशोरियों को सितम्बर 2003 से जनवरी 2004 तक एवं 14.80 लाख लक्षित लाभार्थी वाले छः माह से 3 वर्ष के बच्चों को अप्रैल 2005 से अक्टूबर 2005 तक पोषाहार की आपूर्ति नहीं की गई थी क्योंकि शासन द्वारा इसकी व्यवस्था नहीं की गई थी।

3.5.19. कम कैलोरी एवं प्रोटीन धारक अनुपूरक पोषाहार की आपूर्ति

भारत सरकार के मानको के अनुसार 3 से 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को प्रतिदिन रू0 1.50 लागत पर 300 कैलोरी एवं 10–12 ग्राम प्रोटीन धारक 75 ग्राम आरटीई पंजीरी एवं 12 ग्राम बिस्किट प्रतिदिन दिया जाना था। लेकिन यह पाया गया कि 45 ग्राम आरटीई पंजीरी प्रतिदिन एवं 12 ग्राम बिस्किट सप्ताह में 2 या 3 दिन दिया गया जिसमें 29 प्रतिशत कम कैलोरी एवं प्रोटीन सन्निहित थी।

इसके अलावा, लाभार्थियों को प्रदान किये जाने वाले पोषाहार की गुणवत्ता एवं पोषक मूल्य निर्धारित प्रयोगशाला में इसकी जांच के द्वारा सुनिश्चित किया जाना था जबकि यह नहीं किया गया था। लाभार्थियों में नीरसता एवं विरूचि को दूर करने के लिए पोषाहार में विविधता सुनिश्चित की जानी थी जो नहीं किया गया । आइसीडीएस–तृतीय की सभी परियोजनाओं में लाभार्थियों की दोनों श्रेणियों को जैसा कि पूर्व में बताया गया है लगातार एक ही व्यजंन दिया गया था।

शासन ने बताया (जनवरी 2006) कि आपूर्ति में रूकावट के कारण जुलाई 2003 से फरवरी 2004 की अवधि तक पोषाहार नही दिया गया था। गुणवत्ता नियंत्रण सात प्रयोग शालाओं में नियमित नमूना जॉच के द्वारा निदेशालय स्तर पर सुनिश्चित किया गया था। अमाइलेज रिच इनजी आहार एवं शिशु आहार मासिक रूप से आपूर्ति किया जा रहा था। एवं आइसीडीएस निदेशक परियोजनाओं पर पोषाहार की आपूर्ति का अनुश्रवण नियमित रूप से कर रहे थे।

उत्तर तर्क संगत नहीं था क्योंकि एसपीएमयू नियमित रूप से पोषाहार आपूर्ति एवं वितरण का अनुश्रवण नहीं कर रहे थे जैसा कि इसकी मासिक प्रगति रिर्पोटो से स्पष्ट था जो सभी ऑगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषाहार की आपूर्ति की सूचना नहीं सन्निहित कर

[1] बहराइच, गोंड़ा, कुशीनगर, महराजगंज, संतकबीरनगर एवं सिद्धार्थनगर ।

रही थीं। पुनः नमूने की जॉच लाटवार उत्पादन स्थल के साथ ही परियोजनाओं पर की जानी थी जो नही किया गया था। विभाग सत्यापन के लिए जॉच रिर्पोट भी प्रस्तुत नहीं कर सका।

3.5.20. पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा

प्रत्येक शनिवार महिलाओं को पोषाहार तथा स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान की जानी थी। ऑगनबाड़ी कार्यकर्तियों को पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा (एनएचई) सत्रों के संचालन से महिलाओं के मध्य स्वास्थ्य/आरोग्य तथा पोषाहार से सम्बन्धित संगत व्यवहार के सम्बन्ध में जागरूकता पैदा करना था।

ऑगनबाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा ऑगनबाड़ी केन्द्र पर एनएचई सत्र का संचालन माह के प्रथम शनिवार को बच्चों (0–3 वर्ष) का, द्वितीय शनिवार को गर्भवती महिलाओं को वजन लेने के लिये, तृतीय शनिवार को महिला मण्डल की बैठक के लिये तथा चतुर्थ शनिवार को बच्चों की देख भाल के लिये किया जाना था। एसपीएमयू स्तर पर एनएचई घटक के निष्पादन का अनुश्रवण नहीं किया गया था। आईसीडीएस–तृतीय के 17 जिलों की माह मार्च 2005 की संकलित मासिक प्रगति आख्या (एमपीआर) की लेखापरीक्षा में यह पाया गया था कि 14191 ऑगंनबाड़ी केन्द्रों में 56764 सत्रों के विरूद्व 11591 एनएचई सत्र (20 प्रतिशत) को ऑगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा संयोजित किया गया था। ऑगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने महीने में औसतन 15 घरों का भ्रमण किया था।

इस तरह से मानकों के अनुसार पोषाहार तथा स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान नहीं की गयी थी। एसएचएसडीएस की सर्वेक्षण आख्या में यह बताया गया कि अधिकतर गॉवों में महिला मण्डल का गठन नहीं किया गया था तथा स्वास्थ्य शिक्षा सुनियोजित ढंग से प्रदान नहीं की जा रही थी।

3.5.21. टीकाकरण सेवायें

प्रत्येक माह के निश्चित दिन क्षेत्रीय एएनएम[1] द्वारा ऑगनबाड़ी केन्द्रों पर एकत्रित किये गयें बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं को लाभान्वित करने के लिये टीकाकरण सेवायें दी जानी थी। ऑगनबाड़ी कार्यकर्ती को टीकाकरण कार्यक्रमों को सुगम बनाने की भूमिका का कार्य करना था। उसे सभी बच्चों तथा पात्र महिलाओं को टीकाकरण के लिये चिन्हित करना था तथा ऑगनबाड़ी केन्द्र पर निश्चित दिन उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना था।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि टीकाकरण के लियें विभिन्न ऑगनबाड़ी केन्द्रों तथा खण्डों के आच्छादित क्षेत्रों में टीकाकृत बच्चों की संख्या को एसपीएमयू को सूचित किया गया था। एसपीएमयू ने किसी प्रकार से ऑगनबाड़ी केन्द्र/खण्ड के अन्तर्गत टीकाकरण के लिये पात्र लाभार्थियों की संख्या की तुलना इस सूचना से न कर अनुश्रवण नहीं किया था। स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा सूचित टीकाकृत संख्या का सत्यापन पलट जॉच द्वारा करने में असफल रहा । इस तरह से इस सन्दर्भ में दो विभागों में आपस में ताल मेल नहीं रहा।

शासन ने उत्तर में बताया (जनवरी 2006) कि एम पी आर में अंकित संख्या तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा सूचित संख्या के अन्तर को कम करने के लिये प्रयास किये जा रहे थे।

ऑगनबाड़ी कार्यकर्तियों की कमी ने ऑगनबाड़ी केन्द्रों के कार्यो को प्रभावित किया

कर्मचारी नियोजन एवं आधारभूत संरचना

3.5.22 कर्मचारी नियोजन

ऑगनबाड़ी केन्द्रों पर सभी कियाकलापों के संचालन के लिये ऑगनबाड़ी कार्यकर्ती तथा ऑगनबाडी सहायिकाएं मुख्य तथा अति महत्वपूर्ण कार्यकर्ता थी। 110 नई परियोजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1999–2000 तथा 2000–01 के लिये कमशः 2700 तथा 6750

[1] आक्जीलरी नर्स मिडवाइफ

ऑगनबाडी कार्यकर्तियों के पद स्वीकृत थे जब कि वर्ष 2001–02 से इसको बढ़ाकर 14698 कर दिया गया था। स्वीकृत पदों के विरूद्व ऑगनबाड़ी कार्यकर्तियों की कमी के कारण शुरूआती वर्ष (1999–2000) में कोई भी ऑगनबाडी केन्द्र क्रियाशील नही था। फिर भी अगले वर्षो में स्थिति में सुधार होने से वर्ष 2000–01 में 3328 (49 प्रतिशत) 2001–02 में 4916 (33 प्रतिशत) वर्ष 2002–03 में 3471 (24 प्रतिशत) वर्ष 2003–04 में 2357 (16 प्रतिशत) तथा 2004–05 में 867(6 प्रतिशत) ऑगनबाड़ी केन्द्र क्रियाशील नही रहें।

शासन ने उत्तर में बताया (जनवरी 2006) कि परियोजना के शुरूआती दौर में ऑगन बाडी कार्यकर्ती/सहायिकाओं की थोड़ी ही कमी थी तथा ऑगनबाड़ी कार्यकर्ती तथा ऑगनबाड़ी सहायिकाओं के चयन के लिये बाल विकास परियोजना अधिकारी उत्तरदायी थे।

उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि परियोजना के शुरूआती दौर में ही रिक्तियों को भरकर उसका पूर्ण लाभ लिया जाना चाहिए था। इसके अलावा रिक्तियों को न भरने के लिए जो कारण बतायें गये वह तर्कसंगत नहीं थे क्योंकि बाल विकास परियोजना अधिकारी एसपीएमयू के अधीन कार्यरत थे जिसे योजना का अनुश्रवण करना था।

3.5.23. आधारभूत संरचना

आईसीडीएस–तृतीय के अन्तर्गत आधारभूत संरचना के विकास के लिये 4030 ऑगनबाड़ी केन्द्रों तथा 150 सीडीपीओ कार्यालय सह गोदामों का निर्माण किया जाना था। इसके अलावा सभी 4030 नव निर्मित ऑगनबाड़ी केन्द्रों में हैण्ड पम्पों को अधिस्थापित किया जाना था। एसपीएमयू में संयुक्त निदेशक (सिविल कार्य) को उपरोक्त सिविल कार्य का समय से निष्पादन तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करना था।

3.5.24. सीडीपीओ कार्यालय सह गोदामों का निर्माण

परियोजना के प्रथम तीन वर्षो में प्रति इकाई 500 लाख रुपये की दर से 150 सीडीपीओ कार्यालय –सह गोदामों के निर्माण के लिये परियोजना में 7,50 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया था। जुलाई 2000 में तीन संस्थाओं[1] को 5,35 लाख रुपये प्रति इकाई की उच्च दर से संस्थाओं से बिना अनुबन्ध किये कार्य दिया गया तथा उन संस्थाओं को 7,64 करोड़ रुपये अग्रिम के रूप में दिया गया था। जिसके फलस्वरूप 14,00 लाख रुपये का अधिक भुगतान हुआ।

अनुवन्ध के अभाव में सी डी पी ओ कार्यालय सह गोदामों के भवनों की 38 प्रतिशत त्रुटियों को सुधारा नहीं जा सका

निर्मित 148 में से 56 (38 प्रतिशत) भवन या तो अपूर्ण या छतों या दीवालों में भारी सीलन के कारण दोषपूर्ण पाये गये जिससे कि निर्माण की गुणवत्ता खराब पायी गयी।

शासन ने बताया (जनवरी 2006) कि तब तक 150 भवनों का निर्माण किया जा चुका था तथा डी.पी.ओज. द्वारा बतायी गयी कमियों को दूर करने के लिये कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश निर्गत किये जा चुके थे। उत्तर मान्य नही था क्योंकि कार्यदायी संस्थाओं से अनुबन्ध न करने के कारण एसपीएमयू उन दोषपूर्ण कार्यो को दूर कराने के लिये प्रभवशाली ढंग से अनुश्रवण करने की स्थिति में नही था। सीलन वाले गोंदामों में अनुपूरक पोषाहार के असुरक्षित रखे जाने से लाभार्थियों को अस्वास्थ्य वर्धक खाद्य पदार्थ आपूर्ति किये जाने का खतरा था जैसा कि सम्प्रेक्षा द्वारा तीन विकास खण्डों के भौतिक सत्यापन में पाया गया।

3.5.25 ऑगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण

परियोजना के अन्तर्गत 1.25 लाख रुपये प्रति ऑगनबाड़ी केन्द्र की अनुमोदित दर से (कुल प्राक्कलित लागत 50.38 करोड़ रुपये) नये ऑगनबाड़ी केन्द्रों (1999–2000:243, 2000–01:972, 2001–02:2015, 2002–03:800) का निर्माण किया जाना था। जिसका 75 प्रतिशत (37.79 करोड़ रुपये) भारत सरकार तथा शेष 25 प्रतिशत (12.59 करोड़

[1] यूपी राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, कन्सट्रक्षन एवं डिजाहन सेंवाऐं उ0प्र0 जल निगम, उ0प्र0 श्रम एवं निर्माण सहकारी सघं

रुपये) राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना था। ग्राम पचांयतों द्वारा निर्माण कार्य के लिये भूमि बिना मूल्य के प्रदान की जानी थी। ग्राम पंचायत द्वारा ग्रामीण अभियंत्रण सेवाओं के अवर अभियन्ताओं के तकनीकी पर्यवेक्षण में निर्माण किया जाना था।

पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण की कमी के कारण भौतिक प्रगति तथा गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित नहीं किया जा सका

यह पाया गया कि बिना भारत सरकार की संस्तुति के निर्माण किये जाने वाले ऑगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या 4030 से बढ़ाकर 4548 कर दी गयी थी जिसके फलस्वरूप 6.47 करोड़ रुपये (518 X 1.25 लाख रुपये) का अनियमित व्यय हुआ।

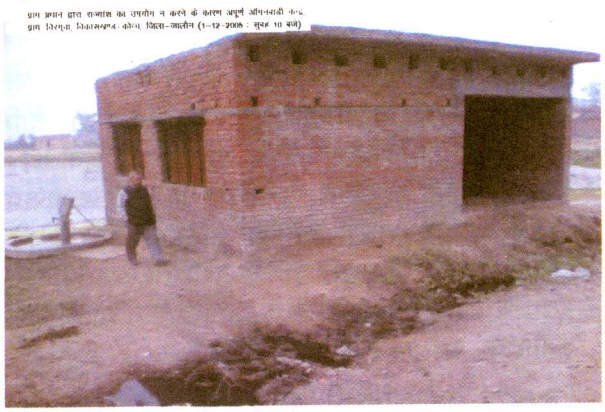
31 मार्च 2005 तक 4548 ऑगनबाड़ी केन्द्रों में से 3323 (73 प्रतिशत) का निर्माण कार्यदायी संस्थाओ द्वारा किया गया यद्यपि इनको मार्च 2003 तक पूर्ण किया जाना था। एसपीएमयू के अनुश्रवण तथा पर्यवेक्षण के अभाव में कार्य पूर्ण होने में देरी हुयी। शासन ने बताया (जनवरी 2006) कि दिसम्बर 2005 तक 4351 केन्द्र पूर्ण हो चुके थे।

ग्राम पंचायत को उच्च दर से धनराशि अवमुक्त करने से 1,99 करोड़ रुपये का अधिक व्यय

एसपीएमयू ने 2850 ऑगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण के लिये ग्राम पंचायत को 1.01 लाख रुपये (1.34लाख का 75 प्रतिशत) की उच्च दर से धनराशि अवमुक्त की थी। इस तरह से इस परियोजना पर रू0 1.99[1] करोड़ रुपये का अरिरिक्त व्यय हुआ । शासन ने बताया (जनवरी 2006)कि पहले के प्रकरणों में अग्रिम देते समय 7 प्रतिशत की दर से आकस्मिक भार को जोड़ दिया गया था । उत्तर मान्य नही था क्योंकि आकस्मिक भार एक अलग मद थी जिसको प्रत्येक मदों की लागत को बढाने के लिये उपयोग नही किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त एसपीएमयू ने, सम्प्रेक्षा की आपत्ति के बाद, 1698 ऑगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण की लागत 1.34 लाख रुपये से घटाकर 1.25 लाख रुपये कर दिया था।

एसपीएमयू ने कार्यो की गुणवत्ता के अनुश्रवण के लिये ग्रामीण अभियंत्रण सेवा (आरईएस) के तकनीकी पर्यवेक्षण को सुनिश्चित नहीं किया क्योंकि उसे कोई भी भुगताान नही किया गया था तथा सम्प्रेक्षा द्वारा किसी भी कार्यालय के नमूना जॉच में तकनीकी जॉच आख्या नहीं पायी गयी थी।

ग्राम पंचायतों द्वारा ऑगनबाड़ी केन्द्रों की लागत का 25 प्रतिशत वहन करना था जिससे कि प्लास्टर, कार्य समापन तथा शौचालय के निर्माण का कार्य किया जाना था। वहॉ कोई ऐसा अभिलेख नहीं था जो कि यह इंगित करता कि एसपीएमयू ने कभी भी परियोजना के इस घटक का अनुश्रवण किया हो। सम्प्रेक्षा द्वारा ऑगनबाड़ी केन्द्रों के भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया गया था कि 17 नव निर्मित ऑगनबाड़ी केन्द्रों में से 9 अपूर्ण तथा बिना शौचालय के थे।



अपूर्ण आंगनबाड़ी केन्द्र

3. 5.26. हैण्ड पम्पों का अधिस्थापन

आईसीडीएस–तृतीय परियोजना में 2015 (1999–2000:122, 2000–01: 486, 2001–02: 1007 तथा वर्ष 2002–03: 400) हैण्ड पम्पों को अधिष्ठापित करना था तथा दूसरे 2015 हैण्ड पम्पों की लागत राज्य सरकार द्वारा वहन की जानी थी।

[1] 2850 X 0.07 लाख रुपये (1.01 लाख रुपये – 0.94 लाख रुपये) (अनुमोदित दर 1.25 लाख रुपये और उच्च दर 1.34 लाख रुपये के अन्तर का 75 प्रतिशत)

एसपीएमयू द्वारा 2001–02 में उ0प्र0 जल निगम को 80 लाख रुपये तथा पुनः वर्ष 2004–05 में 1.57 करोड़ रुपयें के अग्रिम का भुगतान किया गया था जिसके विरूद्व 1009 हैण्ड पम्पों को अधिष्ठापित किया गया था जिसमें से 777 जिला कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा सत्यापित किये गये थे। एसपीएमयू ने उन 2015 ऑगनबाडी केन्द्रों में हैण्ड पम्पों का अधिष्ठापन सुनिश्चित नही किया था जहॉ के लिये धनराशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जानी थी।

परिणामस्वरूप एसपीएमयू मार्च 2005 तक 3323 नव निर्मित ऑगन बाडी केन्द्रों में से केवल 777 (23 प्रतिशत) में ही पीने योग्य पानी को सुनिश्चित कर सका। शासन ने बताया (जनवरी 2006)कि 4351 नवनिर्मित ऑगनबाड़ी केन्द्रों में 2000 हैण्ड पम्पों को अधिष्ठापित किया गया था। जोकि जल निगम के अधिकारियों और बाल विकास परियोजना अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से सत्यापित किया जा रहा था।

कार्यक्रम प्रोत्साहन

कार्यक्रम प्रोत्साहन सेवाओं के प्रभावशाली संचालन के लिये ढॉचा प्रदान करता है तथा अभिनव गतिविधियॉ, प्रशिक्षण, आईईसी, अनुश्रवण तथा मूल्यांकन जैसे विषयों को शामिल करता है।

3. 5. 27. अभिनव गतिविधियॉ

इसके अन्तर्गत पदाधिकारियों की योग्यता में वृद्धि, मानवीय सम्बन्धों में सुधार, बेहतर संवाद तथा मुख्य प्रबन्धन तंत्र को संस्थात्मक रूप द्वारा परियोजना के प्रभाव को बढ़ाना था।

विभिन्न घटको के अन्तर्गत वर्ष वार आबंटन तथा व्यय को ***परिशिष्ट 3.16*** में दर्शाया गया है। लेखा परीक्षा में पाया गयाः

3.5.28 अभिनव गतिविधियों के लिये धनराशि का उपयोग न होना

अभिनव कियाकलाप संचालित नहीं किये गये

अभिनव गतिविधियो के अन्तर्गत अभिनव शोध अध्ययन द्वारा आईईसी अभियान को अधिक समृद्व करने के लिये तथा प्रशिक्षण के तरीके, पहुॅच के परे जनसंख्या को परियोजना का लाभ पहुॅचाने के लिए अभिनव हस्तक्षेप तथा महिलाओं के सशक्तीकरण योजनाओं के विस्तार के लिये 2 करोड़ रुपये की धनराशि का प्राविधान किया गया था। एसपीएमयू ने अभिनव गतिविधियो के संचालन के लिये कोई पहल नहीं की तथा धनराशि बिना उपयोग के पड़ी रही।

3.5.29. गुणवत्ता प्रवर्धन के लिये मुक्त विचार (फ्रेक्वी) कार्यक्रम को कम प्राथमिकता देना

परियोजना के सुधार के लिए फ्रेक्वी अवधारणा को संज्ञान में नहीं लिया गया

फ्रेक्वी की अवधारणा आईसीडीएस–तृतीय अधिकारीयों के लिये एक टीम की तरह कार्य करते हुए योजना को बनाने, कियाकलापों को सम्पादित करने, समस्याओं के समाधान, विचारों तथा अनुभवों के लेन देन द्वारा उच्च सेवाओं को देने के लिये की गयी थी। एसपीएमयू ने इस कार्य के लिये कम प्राथमिकता दी क्योंकि परियोजना में इस उद्देश्य के लिये प्राविधानित 25 लाख रुपये के विरूद्व एसपीएमयू ने केवल 10.68 लाख रुपये (43 प्रतिशत) का उपयोग मार्च 2005 तक किया।

3.5.30. पारितोषिक एवं प्रोत्साहन

स्टाफ को प्रेरित करने के लिए परियोजना में पारितोषिक एवं प्रोत्साहन के लिये 3 लाख रुपये प्रति वर्ष के दर से 15 लाख रुपये के प्राविधान के विरूद्व वर्ष 2002–03 में 0.95 लाख रुपये और वर्ष 2004–05 में 0.95 लाख रुपये (कुल 13 प्रतिशत) ही उपयोग किया गया था।

इस प्रकार एसपीएमयू परियोजना में निरूपित अभिनव कार्यकलापों सम्बन्धी कार्यवाही के महत्व को बढ़ाने में असफल रहा और इन सेवाओं को बहुत कम प्राथमिकता दी गयी।

अतः अभिनव कार्यकलापों द्वारा परियोजना के प्रभाव में वृद्वि करने के उद्देदश्य की प्राप्ति नही की जा सकी।

3.5.31. प्रशिक्षण

आईसीडीएस के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण देने हेतु आईसीडीएस प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। सीडीपीओ, एमएस, एडब्लूडब्लू और एडब्लूएच को महिलाओं और बच्चों के विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाने के लिए प्रशिक्षण मूल तत्व था। कार्यकर्ताओं को सभी स्तर पर प्रशिक्षण की प्रमाणिक प्रक्रिया के माध्यम से सक्षम बनाकर सेवा की गुणवत्ता में सुधार प्राप्त किया जाना था। मार्च 2005 तक नियुक्त 13831 एडब्लूडब्लू के विरूद्व 10,553 (76 प्रतिशत) एवं 14264 एडब्लूएच के विरूद्व 10,234 (72 प्रतिशत) को ही मार्च 2005 तक प्रशिक्षित किया जा सका था।

एसपीएमयू ने जून 2005 में बताया कि नयी परियोजना प्रारम्भ होने एवं प्रशिक्षण में लम्बे बकाया के कारण अप्रशिक्षित कार्यकर्ताओं को कार्य पर लगाया गया। उत्तर मान्य नही था क्योकि 7318 कार्यकर्ता नियुक्ति के एक से दो वर्ष पश्चात भी प्रशिक्षित नही किये जा सके थे।

प्रशिक्षण कार्यकलापों के प्रोत्साहन के लिये प्रत्येक परियोजना जिला में न्युट्रीशनिस्ट, मुख्य प्रशिक्षक, स्कूल पूर्व शिक्षक, सामाजिक कार्य प्रशिक्षक और अवर सहायक को मिलाकर जिला तकनीकी ईकाई (डीटीयू) बनाया जाना था। डीटीयू को माह में 20 दिन किराये का वाहन और आकस्मिक व्यय हेतु धन उपलब्ध कराया जाना था। एसपीएमयू ने दिसम्बर 2004 के अन्त में परियोजना में उल्लिखित पदों के स्थान पर तीन मुख्य पर्यवेक्षको, एडब्लूडब्लू और ऑगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र के एक प्रशिक्षक को मिला कर डीटीयू के बनायें जाने का आदेश जारी किया। इस उद्देदश्य हेतु परियोजना में वर्ष 1999–2004 के लिए आंबटित राशि 2.72 करोड़ रुपये के विरूद्व मात्र 5.29 लाख रुपये (2 प्रतिशत) ही व्यय किया गया था। डीटीयू के सदस्यों को उनके कार्य से सम्बन्धित प्रशिक्षण मई–जून 2005 में दिया गया था।

इस प्रकार एसपीएमयू और डीटीयू द्वारा परियोजना में इंगित प्रशिक्षण के प्रोत्साहन हेतु कोई कार्यवाही नही की गयी थी। एमपीएमयू ने बताया कि सभी कार्यकर्ताओं को मार्च 2006 तक प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है।

3.5.32 सूचना, शिक्षा, संचार (आई ई सी) और सामुदायिक सहभागिता

परियोजना के इस अवयव के लिये एक करोड़ प्रतिवर्ष की दर से 5 करोड़ रुपये का विनियोजन किया गया था जिसके विरूद्व मार्च 2005 तक मात्र 2.33 करोड़ रुपये (47 प्रतिशत) का उपयोग किया गया था। परियोजना के प्रथम दो वर्षो में आईईसी से सम्बन्धित कोई कार्यकलाप नही किए गए थे। परियोजना के अन्तर्गत वितरित मुद्रित सामग्रियों का विवरण **परिशिष्ट 3.17** में दिखाया गया है। यह देखा जा सकता है कि फुलवारी पत्रिका के 16 संस्करणों के विरूद्व मात्र 5 ही मुद्रित और परियोजना के जिलों को आपूर्ति किए गये थे।

अन्तः वैयाक्तिक जारूकता अभियान के अन्तर्गत रैली, दीवाल लेखन, कपड़ो पर चित्रांकित प्रस्तुतीकरण, स्वास्थ्य, पौष्टिक और सामाजिक विषयों से अवगत कराने के लिए नुक्कड़ नाटकों का आयोजन नवम्बर 2002 में बराबंकी जिले के 13 मौजूदा विकास खण्डों में किया गया था। उसके पश्चात मार्च 2005 में परियोजना के 11 नये विकास खण्डों में प्रदर्शन आयोजित किये गये। इस प्रकार इन माध्यमों से कुल आच्छादन लक्षित विकास खण्डों का मात्र 8 प्रतिशत था। एसपीएमयू ने (जून 2005) में बताया कि शेष प्रदर्शन भविष्य में आयोजित किये जायेंगे।

3.5.33 अनुश्रवण

अनुश्रवण अत्यधिक कमजोर था और ग्राम्य स्तरीय पर्यवेक्षण कमेटी गठित नही की गयी

एसपीएमयू को विगत माह की प्रगति एवं आने वाले माह में कार्ययोजना की समीक्षा के लिये मासिक बैठकों द्वारा अनुश्रवण करना था। एसपीएमयू द्वारा 57 बैठकों के स्थान पर मार्च 2005 तक कुल 18 बैठके की गई। इन बैठकों मे मासिक प्रगति रिपोर्ट (एमपीआर) में निश्चित किये गये सूचकों से सम्बन्धित बिन्दुओं पर कोई चर्चा नही की गयी थी। क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त एमपीआर का न तो सूक्ष्म परीक्षण किया गया न ही अवास्तविक रिपोर्टिगं के लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्व कोई कार्यवाही की गयी। एसपीएमयू ने बताया कि एमपीआर का विश्लेषण एक विशाल कार्य था और फार्मेट–एक एवं ग्यारह के विवरण की प्रविष्टि ही बहुत बड़ा कार्य था। सूचनाओं के विलम्ब से प्राप्ति और भारी–भरकम एवं बड़े रिपोर्टिंग फार्मेट की समस्या को हल करने हेतु परियोजना में दियें गये अनुश्रवण सूचना प्रणाली को परिषद द्वारा अप्रैल 2002 एवं भारत सरकार द्वारा मई 2004 में अनुमोदित करने के पश्चात भी एस पी एम यू द्वारा अपनाया नहीं गया।

ऑगनबाड़ी केन्द्रों के कार्यो के अनुश्रवण करने के लिये पंचायत के चुने हुये प्रतिनिधि और सामान्य जनता के प्रमुख सदस्यों जैसे अध्यापक, प्राइवेट चिकित्सक आदि की एक ग्राम्य स्तरीय पर्यवेक्षण कमेटी का गठन किया जाना था। ग्राम्य स्तरीय पर्यवेक्षण कमेटी द्वारा ऑगनबाड़ी केन्द्रों द्वारा दी जा रही सेवाओं की गुणवत्ता सम्बन्धित सूचना प्राप्त होनी थी और परियोजना के बहुत से निष्पादन संकेतकों की मासिक सूचना उपलब्ध करायी जानी थी। एसपीएमयू द्वारा किसी भी परियोजना क्षेत्र में ग्राम्य स्तरीय पर्यवेक्षण कमेटी का गठन नहीं किया गया।

सीडीपीओ एवं डीपीओ द्वारा अपने क्षेत्र के ऑगनबाड़ी के संचालन के अनुश्रवण हेतु की गयी यात्राओं का विवरण नमूना जॉच किये गये किसी भी जिलों/विकास खण्डों में उपलब्ध नही पाया गया। सम्प्रेक्षा द्वारा भौतिक सत्यापन में पाया गया कि 134 में से 31 (23 प्रतिशत) ऑगनबाड़ी केन्द्र बन्द पाये गये। इसके अतिरिक्त 103 ऑगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों की सामान्य उपस्थिति 40 के विरूद्व औसतन 11 पाई गयी।

यह स्पष्ट है कि एसपीएमयू द्वारा न तो परियोजना का समुचित अनुश्रवण किया गया न ही ग्राम्य स्तरीय पर्यवेक्षण कमेटी गठित की गयी।

3.5.34 निष्कर्ष

वर्ष 1999–2000 में राज्य में लागू समेकित बाल विकास सेवाये–तृतीय परियोजना तीन मुख्य सेवाओं यथा पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा को उपलब्ध कराने के उद्देश्य में असफल रही क्योंकि परियोजना को कार्यान्वित करने में बहुत सी त्रुटियॉ एवं दोष थे। नई परियोजनाओं में से 106 ऑगनबाड़ी केन्द्र मार्च 2006 तक संचालित नही थे। स्थापना पर व्यय कुल परियोजना लागत का 56 प्रतिशत था। मूल स्तर पर सेवाओं के प्रदान करने में बहुत सी खामियॉ थी। बच्चों की वृद्वि का अनुश्रवण वस्तुतः नहीं किया गया था, पूरक आहार की आपूर्ति अनियमित थी और आधारभूत संरचना समय से सुनिश्चित नहीं की गयी थी। परियोजना के आवश्यक अवयव जैसे सूचना, शिक्षा संचार एवं सामुदायिक सहभागिता, अभिनव किया कलाप, महिला मण्डल का गठन और ग्राम्य स्तरीय पर्यवेक्षण कमेटी का गठन आदि की उपेक्षा की गयी थी और परियोजना का अनुश्रवण कमजोर था। परियोजना की भौतिक व वित्तीय प्रगति धीमी थी।

संस्तुतियाँ

- एसपीएमयू को डीपीओ और सीडीपीओ के माध्यम से ऑगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों के वृद्वि अनुश्रवण प्रणाली के पर्यवेक्षण की प्रभावी प्रकिया को सुनिश्चित किया जाना चाहिये क्योंकि परियोजना में अन्य सेवाओं के प्रदान करने का यह मुख्य आधार है ।

- शासन द्वारा एसपीएमयू के परामर्श से पुष्टाहार के लिये आवश्यक धन का अनुमान समय से कर लिया जाना चाहिये।
- परियोजना के अर्न्तगत वास्तविक सेवा निष्पादन की माप हेतु मापदण्ड आधारित निष्पादन निर्धारण प्रणाली का समावेश किया जाना चाहिये।
- एसपीएमयू को अभिनव कियाकलापों के अवयवो को वांछित महत्व देना चाहिये जिससे कार्यकर्ताओं के कौशल में वृद्वि सुनिश्चित की जा सके और उचित प्रबन्ध प्रणाली को संस्थापित किया जा सके।
- प्रशिक्षण, पोषण, स्वास्थ्य और सामाजिक जागरण के लिये विशेषज्ञों की सेवाये ली जानी चाहिए।
- प्रतिरक्षण एवं स्वास्थ्य जॉच कार्यक्रम को सशक्त बनाने के लिये परियोजना एवं ऑगनबाड़ी केन्द्रों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की स्थानीय इकाई के साथ उचित समन्वय के साथ कार्य करना चाहिये।
- सूचना, शिक्षा, संचार एवं सामुदायिक सहभागिता अभियानों का प्रभावशाली अनुसरण करने की अत्यन्त आवश्यकता है।
- अनुश्रवण तन्त्र को शासन स्तर और एसपीएमयू, दोनो स्तरो पर समग्र रुप से धारण किया जाना चाहिये और परियोजना के कार्यकलापो के सभी पहलुओ' को आच्छादित करते हुए मजबूत किया जाना चाहिये।

शासन ने दिसम्बर 2005 में वार्ता के दौरान समीक्षा में अंकित तथ्यों एवं आंकड़ों तथा संस्तुतियों को स्वीकार किया । यह भी कहा कि वर्ष 2005–06 में निष्पादन के भौतिक तथा वितीय, दोनों सूचकों में यथेष्ठ प्रगति की गई थी।

अध्याय – चार

लेन–देनों की लेखापरीक्षा
कपटपूर्ण आहरण / दुर्विनियोजन / गबन / हानि
निष्फल / निरर्थक व्यय एवं अधिक भुगतान
संविदात्मक बाध्यता का उल्लंघन / ठेकेदारों को अनुचित लाभ
परिहार्य व्यय
निष्क्रिय निवेश / निष्क्रिय स्थापना / निधि का
अवरोधन / उपकरणों के प्रतिस्थापन में
विलम्ब / व्यावर्तन / निधियों का अपव्यय
निरन्तरता प्रकरण एवं अन्य

अध्याय – 4

लेनदेनों की लेखापरीक्षा

विभागों तथा स्वायत्त निकायों के लेनदेनों की लेखापरीक्षा, उनकी क्षेत्र रचनायें संसाधनों के प्रबन्धन में अनियमितता, नियमितता, आधिक्य एवं मितव्ययिता के मानदण्डों के अनुपालन में असफलता के विभिन्न उदाहरणों को उजागर करती है इन्हें वृहत् उद्देश्य शीर्षों के अन्तर्गत अनुवर्ती प्रस्तरों में वर्गीकृत किया गया है :

4.1 कपटपूर्ण आहरण/दुर्विनियोजन/गबन/हानि/अधिक भुगतान

लोक निर्माण विभाग

4.1.1 बिट्यूमिन का संदिग्ध दुर्विनियोग

80.72 लाख रुपये मूल्य के बिट्यूमिन का लेखांकन खण्ड के स्टाक लेखा में नहीं किया गया। स्टाक के दुर्विनियोग के लिए विभाग द्वारा जिम्मेदारी निर्धारित नहीं की गयी थी

वित्तीय नियमों[1] के अनुसार भण्डार के दैनिक लेन–देन (प्राप्ति एवं निर्गम) की प्रविष्टि केन्द्रीय भण्डार की भण्डार–पंजी में दर्ज की जानी चाहिए और भण्डार प्राप्ति एवं निर्गम का मासिक सारांश मात्रा एवं मूल्य दोनों प्रदर्शित करते हुए तैयार किया जाना चाहिए। खण्डीय मासिक लेखे में भी मूल्य लेखा प्रदर्शित करना चाहिए। बिट्यूमिन, लोक निर्माण खण्ड का एक बड़ा भण्डार मद है, जिसे सार्वजनिक क्षेत्र के तेल कम्पनियों से अग्रिम भुगतान के विरुद्ध प्राप्त किया जाता है तथा विविध लोक निर्माण अग्रिम रजिस्टर के माध्यम से समायोजन की निगरानी की जाती है। प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने भी आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किये गये अग्रिमों के सापेक्ष बिट्यूमिन की प्राप्ति की निगरानी हेतु खण्डीय कार्यालय में मासिक सारांश तैयार किये जाने के सम्बन्ध में एक परिपत्र (मई 2000) निर्गत किया गया था।

अधिशासी अभियन्ता (ईई), प्रान्तीय खण्ड, लोनिवि, गोण्डा के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जॉच (फरवरी 2005) में प्रकाश में आया कि इण्डियन आयल कारपोरेशन (आईओसी) को 2.25 करोड़ रुपये का भुगतान 2000–01 के दौरान (1.63 करोड़ रुपये) तथा 2001–02 के मध्य (0.62 करोड़ रुपये) किया गया था। इसके विरूद्ध खण्ड के स्टाक लेखा में 1287.25 एमटी बिट्यूमिन, लागत 1.43 करोड़ रुपये मात्र प्राप्त किया गया दर्शाया गया था। शेष धनराशि 81.54 लाख रुपये के विरुद्ध बिट्यूमिन की प्राप्ति का विवरण न तो स्टाक लेखा में था और न ही खण्ड में इससे सम्बन्धित इनवाइस/कन्साइनी रिसीट चालान उपलब्ध था।

सम्बन्धित प्रकरण में जॉच करने पर आईओसी द्वारा सूचित किया गया कि नवम्बर 2000 से अप्रैल 2001 की अवधि में इस खण्ड को 80.72 लाख रुपये लागत का 626.96 एमटी बिटयूमिन निर्गत किया गया था। इस मात्रा को स्टाक लेखा में न दर्शाया जाना बिटयूमिन के दुर्विनियोग के जोखिम से परिपूर्ण था।

शासन ने वार्ता (दिसम्बर 2005) के दौरान तथ्यों एवं ऑकड़ों की पुष्टि की तथा सूचित किया कि मुख्य अभियन्ता, लोनिवि, फैजाबाद क्षेत्र को यह निर्देश दिया गया था (नवम्बर 2005) कि यथाशीघ्र जॉच कर जिम्मेदारी का निर्धारण करें। जॉच का परिणाम अपेक्षित था (जनवरी 2006)।

[1] वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-vi प्रस्तर 196 सपठित प्रस्तर 201 ए

4.2 निष्फल/निरर्थक व्यय एवं अधिक भुगतान

पर्यावरण विभाग

4.2.1 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने पर निष्फल व्यय

भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाये जाने पर 1 करोड़ रुपये का निष्फल व्यय।

आगरा स्थित ताजमहल को पर्यावरणीय संरक्षण प्रदान करने के लिये विभिन्न कार्यक्रमों के कियान्वयन हेतु शासन ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मिशन मैनेजमेन्ट बोर्ड (एमएमबी) का गठन किया (मई 1997) तथा कार्यक्रमों के पोषण के लिए ताज ट्रैपेजियम इनवायरन्मेन्टल प्रोटेक्सन फण्ड (फण्ड) बनाया (मई 1999)। यह कार्य इन्जिनियरिंग प्रोजेक्ट (इण्डिया) लिमिटेड (ईपीआई), नयी दिल्ली, को सौपा गया जिसमें विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की रचना के अतिरिक्त, साइट ले आउट, परियोजना की विस्तृत डिजाइन, लागत अनुमान, कालचक्र निर्धारण तथा निष्पादन संरचना का कार्य भी सम्मिलित था ।

निदेशक, पर्यावरण, लखनऊ के अभिलेखों की जांच (फरवरी 2005) में यह तथ्य प्रकाश में आया कि शासन ने एमएमबी की संस्तुति (अक्टूबर 2002) पर ईपीआई को इस फण्ड से 1 करोड़ रुपया ताज ट्रैपेजियम जोन (टीटीजेड)में प्रस्तावित इनवायरन्मेन्टल तथा प्रशासनिक केन्द्र(ईएसी)के निर्माण के लिये टेक्नोफिजिबिलिटी तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनाने हेतु अवमुक्त किया (नवम्बर 2002)। यह राशि ईपीआई को बिना किसी अनुबन्ध तथा बिना भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए अवमुक्त की गई। यद्यपि ताज नगरी फेज–दो में 25 एकड़ भूमि के क्षेत्र को चिन्हित कर लिया गया था परन्तु भूस्वामियों तथा शासन के बीच प्रतिकर के भुगतान में विवाद होने के कारण भूमि का सीमांकन नहीं किया जा सका, जिसके कारण स्थलीय सर्वेक्षण नहीं कराया जा सका (दिसम्बर 2002)। विभाग ने विवाद को सुलझाने अथवा ईपीआई को डीपीआर बनाने से रोके जाने का निर्देश देने के बजाय भूमि की अनुपलब्धता पर ध्यान न देकर ईपीआई को डीपीआर प्रस्तुत करने को कहा (अगस्त 2003)। ईपीआई ने यह मानते हुये कि ताज नगरी फेज–दो में इस उद्देश्य हेतु चिन्हित भूखण्ड पर ईएसी का निर्माण किया जायेगा डीपीआर बनाकर शासन को प्रस्तुत कर दिया (नवम्बर 2003)।

शासन द्वारा डीपीआर बनाने के कार्य को रोकने तथा चयनित भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने में बरती गयी निष्क्रियता के कारण एक करोड़ रुपये का निष्फल व्यय हुआ ।

शासन ने विचार विमर्श (सितम्बर 2005) के दौरान बताया कि ईपीआई को भूखण्ड के सीमांकन के अभाव में डीपीआर नहीं बनाना चाहिए था। इस प्रकार शासन ने निष्फल व्यय का उत्तरदायित्व ईपीआई पर निर्धारित करने का प्रयास किया। शासन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि धनराशि अवमुक्त किये जाने के एक माह के अन्दर ही भूमि उपलब्ध न होने का तथ्य शासन के संज्ञान में आ चुका था, फिर भी शासन ने ईपीआई को डीपीआर बनाने से नहीं रोका। इस प्रकार परियोजना से संबंधित शासन/विभाग के अनियत दृष्टिकोण के कारण डीपीआर बनाये जाने पर एक करोड़ रुपये का निष्फल व्यय हुआ ।

4.2.2 बैराज निर्माण पर निरर्थक व्यय

कोडल प्राविधानों की उपेक्षा करते हुए फण्ड की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना कार्य प्रारंम्भ करने से 1.55 करोड़ रुपये का निरर्थक व्यय

आगरा शहर की पेयजल आपूर्ति बढ़ाने के लिए यमुना नदी के किमी 9.6 पर 120.47 करोड़ रुपये की लागत से आगरा बांध के निर्माण की स्वीकृति (अप्रैल 2000) शासन ने

प्रदान की थी। ताजमहल की पर्यावरणीय सुरक्षा हेतु, राज्य एवं केंद्र सरकार के बराबर के योगदान से निर्मित ताज ट्रेपेजियम पर्यावरण सुरक्षा फण्ड (टीटीजेड) से उक्त कार्य पर व्यय किया जाना था। फण्ड का संचालन राज्य सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मिशन मैनेजमेन्ट बोर्ड (एमएमबी) द्वारा किया जा रहा था।

अधिशासी अभियंता (ईई), बांध निर्माण खण्ड, आगरा के अभिलेखों की जांच (अगस्त 2004 और अगस्त 2005) से स्पष्ट हुआ कि उक्त योजना हेतु सिंचाई विभाग के पास 15.65[1] करोड़ रुपये उपलब्ध थे । बैराज का कार्य वर्ष 2000–01 में प्रराम्भ कर दिया गया था तथा सिंचाई कार्यशाला खण्ड/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी को 11.17 करोड़ रुपये अग्रिम भुगतान के अलावा 4.48 करोड़ रुपये परियोजना पर व्यय किया गया था । परियोजना का कार्य एम एम बी के निर्देशों के अंतर्गत विभाग द्वारा बन्द कर दिया गया (अक्टूबर 2002) । एम एम बी ने परियोजना को टी टी जेड से असम्बद्ध करने का निर्णय लिया (अगस्त 2004) तथा निर्देश दिया कि टी टी जेड फण्ड से इस कार्य पर आगे व्यय न किया जाय और अवशेष धनराशि टी टी जेड को वापस कर दिया जाय। 4.48 करोड़ रुपये में से 1.55 करोड़ रुपये जो माडल स्टडी, सर्वे, टेस्टिंग इत्यादि पर व्यय किया गया था निरर्थक हो गया क्योंकि कार्य पुनः आरम्भ नहीं किया गया।

लेखा परीक्षा की टिप्पणी के उत्तर में ईई ने बताया (फरवरी–जून 2005) कि बांध निर्माण कार्य चालू रहने की प्रत्याशा में टी टी जेड द्वारा उपलब्ध कराये गये फण्ड से कार्य प्रारंभ कराया गया था । ई ई ने यह भी बताया कि अवशेष धनराशि के वापसी की कार्यवाही प्रगति पर है।

विचार–विमर्श के दौरान (अक्टूबर 2005) शासन ने लेखा परीक्षा के मन्तव्य को स्वीकार किया एवं विभाग को निर्देश दिये कि अवशेष धनराशि टी टी जेड को वापस कर दिया जाय। परियोजना पर कार्य पुनः प्रारम्भ किये जाने के संबंध में शासन ने कुछ नहीं बताया।

4.2.3 निरर्थक व्यय

चेक बन्धों का निर्माण त्रुटिपूर्ण परिकल्प एवं उचित सर्वेक्षण पर आधारित न होने के कारण 68.21 लाख रुपये का निरर्थक व्यय

वित्तीय नियमों के अनुसार किसी भूमि पर तब तक कोई कार्य प्रारंभ नहीं किया जाना चाहिए जब तक कार्य स्थल का विस्तृत सर्वेक्षण करने के उपरांत उसका विस्तृत परिकल्प एवं आकलन तैयार न कर लिया गया हो और सक्षम अधिकारी द्वारा कार्य की तकनीकी स्वीकृति न प्रदान की गयी हो।

बागपत एवं मुजफ्फरनगर के हिंडन कृष्णी दोआब क्षेत्र में घटते भूमिगत पानी के स्ट्रेटा को रोकने हेतु और कृषि कमांड क्षेत्र के 3750 हेक्टेअर में सिंचाई की क्षमता बढाने हेतु शासन ने (अनुमानित लागत 1.99 करोड़ रुपये) पानी एकत्र करने हेतु 12 चेक बंधों के निर्माण की स्वीकृति दिसंबर 2002 में प्रदान किया। अधीक्षण अभियंता (एसई), ड्रेनेज मण्डल, मेरठ ने हिंडन नदी के चैनेज किमी 0 से किमी 66 में इन बंधों के निर्माण हेतु 1.85 करोड़ रुपये की तकनीकी स्वीकृति मई 2003 में प्रदान की।

अधिशासी अभियंता (ईई), ड्रेनेज खण्ड, मुजफ्फरनगर के अभिलेखों से विदित हुआ (सितंबर 2004 एवं जुलाई 2005) कि चेक बंधों का निर्माण मई 2003 में प्रारंभ किया गया था। 12 बंधों में से केवल 3 पूर्ण किये गये (जून–सितंबर 2003) । जैसा कि ई ई द्वारा बताया गया कि वर्षा ऋतु में इन तीनों बंधों के किनारों के ऊपर से नदी के पानी का बहाव होने से यह बंधें अनुपयोगी हो गये । इसको दृष्टिगत रखते हुये मुख्य अभियंता ने अधीक्षण अभियंता की संस्तुति पर शेष 9 बंधों का निर्माण कार्य बंद कर

[1] टीटीजेड में राज्यांश से 15 करोड़ रुपये सिंचाई विभाग से ।

दिया (नवंबर 2003)। 12 चेक बंधों के निर्माण पर कुल 68.21 लाख रुपये का व्यय किया गया था।

सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रूड़की (आई आर आई) जिसे चेक बंधों की परिकल्प में परिवर्तन/सुधार हेतु प्रकरण संदर्भित किया गया था, बताया (फरवरी 2004) कि नदी के तेज बहाव को दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षा एवं किनारों को मजबूत करने के कार्यों को न कराये जाने के कारण हिंडन नदी के पानी का बहाव चेक बंधों के ऊपर से हुआ।

विभागीय अधिकारियों, यथा ईई/एसई द्वारा चेक बंधों की डिजाइन बनाते समय एवं परिकल्प का अनुमोदन करते समय ड्राइंग एवं साइट की वास्तविक स्थिति (नदी के बहाव) का ध्यान न रखने के कारण 68.21 लाख रुपये का संपूर्ण व्यय निरर्थक रहा।

वार्ता के दौरान (अक्टूबर 2005) शासन ने लेखा परीक्षा के मन्तवय को स्वीकार करते हुए उक्त चेक डैमों का निर्माण आई आर आई के निर्देशानुसार करने हेतु विभाग को निर्देशित किया। यदि आई आर आई से पहले ही परामर्श करके उसके अनुसार परिकल्प स्वीकृत कराया जाता तो 68.21 लाख रुपये का व्यय बचाया जा सकता था। शासन ने उन विभागीय अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं किया जिन्होंने साइट की वास्तविक स्थिति को ध्यान में न रखकर त्रुटिपूर्ण परिकल्प बनाया जिससे 68.21 लाख रुपये का निरर्थक व्यय हुआ।

कर एवं निबंधन विभाग

4.2.4. एप्लीकेशन साफ्टवेयर पर अपव्यय

व्यापार कर उ0प्र0 द्वारा त्रुटिपूर्ण साफ्टवेयर स्वीकार करने तथा सीएमसी द्वारा कमियों का सुधार न किये जाने से, 1.16 करोड. रुपये का अपव्यय हुआ

आयुक्त व्यापार कर उ0प्र0 (यूपीटीटी) ने एप्लीकेशन साफ्टवेयर (एएस) जिसमें पन्द्रह सब सिस्टम, जिसमें व्यापारियों का पंजीकरण, कर का निर्धारण एवं समाहरण, अवशेषो का समाहरण, व्यक्तिगत सूचना, प्रबन्ध सूचना, प्रशिक्षण, परिवाद एवं अपील का अनुश्रवण आदि सम्मिलित था, के रुपांकन एवं विकास हेतु सीएमसी लिमिटेड (सीएमसी) के साथ 1.20 करोड़ रुपये लागत का एक अनुबंध (सितम्बर 1996) निष्पादित किया। अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्यपूर्ति आदेश ज़ारी करने पर 60 लाख रुपये, साफ्टवेयर विशिष्टियां संबंधी अभिलेखों (एसआरएस) के प्रस्तुतीकरण पर 48 लाख रुपये तथा विभाग द्वारा पन्द्रह सब सिस्टम स्वीकारे जाने पर 12 लाख रुपये,भुगतान किया जाना था । यूपीटीटी द्वारा एएस स्वीकार किये जाने पर ही योजना पूर्ण मानी जानी थी ।

आयुक्त व्यापार कर के अभिलेखों की जांच (जुलाई 2004) से प्रकाश में आया कि अनुबंध के अनुसार यूपीटीटी से विचार–विमर्श के पश्चात सीएमसी को एसआरएस बनाना था । यह भी परिकल्पित था कि यूपीटीटी द्वारा एसआरएस के अनुमोदन के पश्चात सीएमसी एएस विकसित करेगा, जिसे परीक्षण के उपरान्त यूपीटीटी स्वीकार करेगा। फलस्वरूप यूपीटीटी ने एसआरएस के विकास में सीएमसी की सहायता के लिए पन्द्रह सब सिस्टम में प्रत्येक के लिए अध्ययन समूह गठित किया (नवम्बर 1996)। सीएमसी द्वारा प्रस्तुत एसआरएस यूपीटीटी ने स्वीकार किया (सितम्बर 1997)। यूपीटीटी ने बिना परीक्षण के सीएमसी द्वारा विकसित एएस इस शर्त के साथ स्वीकार कर लिया (मार्च 2000) कि सीएमसी, क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा संचालन के दौरान प्रकट दोषों का निराकरण उनके द्वारा सुझाये गये संशोधनों को कियान्वित कर परिशोधित करेगा । इसी बीच ए एस का सफल परिचालन सुनिश्चित किये बगैर सीएमसी को मार्च 1997 से अगस्त 2001[1] की अवधि में 1.16 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया तथा 24 लाख रुपये की बैंक गारंटी भी मार्च 1998 में वापस कर दी गई ।

[1] मार्च 1997– 24लाख रुपये, फरवरी 1998 – 60 लाख रुपये , मार्च 200[illegible]–24 लाख रुपये तथा अगस्त 2001– 8.50 लाख रुपये ।

यूपीटीटी के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा एएस के परीक्षण (जनवरी 2004) से प्रकाश में आया कि सार्टिंग,फिल्टरिंग,डाटा ट्रांसफर, सर्च तथा इण्टरफेस जैसे मौलिक आवश्यकतायें एएस में उपलब्ध नहीं थी जिनके अभाव में साफ्टवेयर का परिचालन नहीं किया जा सका।

इस प्रकार एसआरएस स्वीकार किये जाने से पूर्व 90 प्रतिशत धनराशि भुगतान की शर्त मानने, सशर्त एएस स्वीकार करने तथा इसके सफलतापूर्वक परिचालन से पूर्व बैंक गारंटी अवमुक्त करने से यूपीटीटी शासन के हितों को संरक्षित करने में असफल रहा । इस प्रकार अकियाशील एएस बनाने पर 1.16 करोड़ रुपये हुआ खर्च अपव्ययी सिद्ध हुआ ।

यह प्रकरण शासन को संदर्भित (जून 2005)किया गया था । शासन ने विचार–विमर्श (अक्टूबर 2005) के दौरान तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि किया तथा बताया कि प्रकरण सीएमसी के साथ विचाराधीन है । अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया।

4.3 संविदात्मक बाध्यता का उल्लंघन/ठेकेदारों को अनुचित लाभ/परिहार्य व्यय

सिंचाई विभाग

4.3.1 सिंचाई नहर प्रणालियों पर अलाभकारी व्यय

वित्तीय नियमों एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 की अवहेलना से 17.97 करोड रुपये का अलाभकारी व्यय

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा 4.4 में यह उल्लेख है कि यदि प्रस्तावित कार्य के कुछ भाग में वन भूमि आती है तो गैर वन भूमि/रीचेज पर भी कार्य तब तक प्रारंभ नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि वन भूमि के गैर वन उद्देश्यों के प्रयोग हेतु भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त न कर ली जाय। इसके अतिरिक्त वित्तीय नियमों में भी यह प्रावधान है कि किसी भूमि पर कोई कार्य तब तक प्रारंभ नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि उसे सक्षम प्रशासनिक अधिकारी द्वारा उचित ढंग से हस्तान्तरित न कर दिया जाय।

चार[1] खण्डों के अधिशासी अभियंताओं (ईईज) के अभिलेखों तथा अप्रैल एवं जून 2005 में प्राप्त की गई सूचनाओं की जांच में देखा गया कि सरयू नहर परियोजना के अंतर्गत आठ[2] नहरों के संरेखण में आने वाली वनभूमि/निजीभूमि के उपयोग के लिए वन विभाग से/भू–स्वामियों से बिना पूर्व अनुमति/अधिग्रहण किये बीच–बीच के रिचेज पर निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। इन नहरों में गैप होने के कारण धानेपुर रजवहा के प्रथम 3.580 किमी तक एवं सिसई रजवहा के 10.400 किमी तक को छोड़कर नहरों के अन्य भागों में गैप होने से उनकी समस्त लम्बाई में जल प्रवाह उपलब्ध नहीं कराया जा सका, फलस्वरूप कृषक वांछित सिंचाई सुविधा से वंचित रहे । इस प्रकार नहरों के अपूर्ण निर्माण पर 17.97 करोड़ रुपये का अलाभकारी व्यय हुआ । विवरण निम्नांकित है–

[1] सरयू नहर खण्ड–4, बहराइच (अगस्त 04), बाढ़ कार्य खण्ड, गोण्डा (दिसंबर 04), सरयू नहर खण्ड–4 गोण्डा (अगस्त 2004), सरयू नहर खण्ड–1, बस्ती (नया नाम सरयू नहर खण्ड–1, बांसी सिद्धार्थ नगर) (अक्टूबर 2001)

[2] राप्ति लिंक कैनाल किमी 0.000 से 21.400 (दिसम्बर 2001), सोहान्स माइनर किमी 0.000 से 6.800 (जून 2001), धानेपुर डिस्ट्रीब्यूटरी किमी 0.000 से 16.500 (मई 2000), एवं उसकी तीन अल्पिकायें (जैतपुर 4.5 किमी, त्रिलोकपुर 6.0 किमी, पुरसीधारी 4.4 किमी) सिसई डिस्ट्रीब्यूटरी किमी 0.000 से 21.000 (1996) एवं एक अल्पिका (मुदारा–4किमी)

खण्ड का नाम/नहरों का नाम तथा लम्बाई	कार्य प्रारंभ की तिथि / वन विभाग/ एसएलएओ को प्रस्ताव प्रेषण की तिथि	गैप की लंबाई/ गैप्स की संख्या/ (भू–खण्ड का प्रकार)	व्यय (करोड़ में)
1	2	3	4
सरयू नहर खण्ड–बहराइच राप्ती लिंक कैनाल, 21.400 किमी	दिसंबर 2001/जून 2002	1.185 किमी /2/ (वनभूमि)	13.97
बाढ़ खण्ड– गोण्डा सोहान्स अल्पिका, 6.800 किमी	जून 2001/जनवरी 2004	0.245 किमी / 2 / (वनभूमि)	0.59
सरयू नहर खण्ड–4 गोण्डा धानेपुर रजवहा एवं इसकी तीन अल्पिकायें 16.500 किमी एवं 14.900 किमी	मई 2000 / अप्रैल 2005	0.645 किमी / 2 / (गैर वनभूमि)	2.28
सरयू नहर खण्ड–1 बस्ती (नया नाम सरयू नहर खण्ड–1 सिद्धार्थनगर) सिसई रजवहा एवं उसके एक अल्पिका 21.000 किमी एवं 4.00 किमी	1996 / जुलाई 2004	0.300 किमी /1/ (गैर वनभूमि)	1.13
योग			17.97

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर ई ईज ने उत्तर में बताया कि विद्यमान गैप्स को पूर्ण करने के लिए भूमि अधिग्रहण के प्रयास किए जा रहे थे। ई ईज का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि गैर वनभूमि/वनभूमि के अधिग्रहण के लिए क्रमबद्ध प्रयास उनके द्वारा नहीं किये गये जो इस तथ्य से स्पष्ट था कि वांछित भूमि का अधिग्रहण प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव संबंधित वन विभाग/विशेष भू अध्याप्ति अधिकारियों को कार्य प्रारंभ की तिथि से डेढ़ वर्षों से आठ वर्षों की अवधि में प्रषित किया गया। वांछित वन भूमि एवं गैर वन भूमि का अभी भी अध्याप्ति नहीं किया गया था(सितम्बर 2005)।

इस प्रकार खण्डों द्वारा नहरों के निर्माण का कार्य वन–संरक्षण अधिनियमों/वित्तीय नियमों के विपरीत प्रारम्भ किये जाने एवं भूमि हस्तांतरण/अधिग्रहण के प्रस्तावों के प्रेषण में विलम्ब के कारण 17.97 करोड़ रुपये का अलाभकारी व्यय, नहर के पूर्ण रूप से न चलने के कारण हुआ। इसके अतिरिक्त कृषकों को सिंचाई के वांछित लाभ से वंचित किया गया।

शासन द्वारा वार्ता (अक्टूबर 2005) के दौरान लेखा परीक्षा के तथ्यों एवं आकड़ों को स्वीकार किया गया एवं यह निर्देश दिये गये कि वांछित भूमि/वनभूमि के हस्तांतरण हेतु आवश्यक कार्यवाही तत्काल की जाये तथा विलंब से प्रस्ताव प्रषित करने के संबंध में जांच की जाय तथा जिम्मेदारी का निर्धारण किया जाय। प्रकरण में वांछित कार्यवाही अभी भी अपेक्षित थी (जनवरी 2006)।

4.3.2 त्रुटिपूर्ण नियोजन से निष्फल व्यय

त्रुटिपूर्ण नियोजन एवं रजवहा के सतह निर्धारण में दूरदृष्टि के अभाव से 6.36 करोड़ रुपये का निरर्थक व्यय

कृषि योग्य समादेश क्षेत्र 15121 हेक्टयेर में सिंचाई सुविधा हेतु गिलौला रजवहा 30.60 किमी और अलीनगर रजवहा 15.800 किमी लम्बाई हेतु, शीर्ष पर क्रमशः 4.25 एवं 2.37

क्यूमेक्स जल प्रवाह के लिए, निर्माण कार्य वर्ष 1993–94 में प्रारम्भ किया गया था। बस्ती शाखा के किमी 1.85 पर दायें एवं बायें किनारे से ये रजवहे निकलने थे।

अधिशासी अभियंता (ईई), सरयू नहर खण्ड प्रथम, बलरामपुर के अभिलेखों की जांच (जुलाई 2004 एवं जून 2005) से स्पष्ट हुआ कि बस्ती शाखा के पूर्ण प्रवाह क्षमता की प्रत्याशा में रजवहों की सतह को बस्ती शाखा की सतह से 2.7 मीटर ऊपर रखा गया था। बस्ती शाखा अभी तक कभी पूर्ण प्रवाह क्षमता के साथ नहीं चल सकी थी, जिससे पूर्ण प्रवाह क्षमता के आधार पर निर्मित रजवहे एवं अल्पिकाएं संचालित नहीं हो सकी थी। इस समस्या के समाधान के लिए मुख्य अभियंता (सरयू) ने मार्च 2002 में बस्ती शाखा के किमी 1.90 पर क्रास रगूलेटर के निर्माण का निश्चय किया । केंद्रीय डिजाइन डाइरेक्टोरेट, लखनऊ के प्रश्नों का समाधान न करने से क्रास रेगूलेटर की डिजाइन स्वीकृत नहीं की गयी थी। उक्त दो रजवहों एवं इसकी 11 अल्पिकाओं के निर्माण पर अप्रैल 1993 से जुलाई 2005 तक किया गया कुल व्यय 6.36 करोड़ रुपया अलाभकारी सिद्ध हुआ।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित करने पर ईई ने उत्तर में बताया कि बस्ती शाखा निर्मित पूर्ण प्रवाह क्षमता पर कभी नहीं चली और अब केवल बस्ती शाखा के किमी 1.90 पर क्रास रेगूलेटर के निर्माण से ही उक्त रजवहों से सिंचाई हो सकती है। यह स्पष्ट है कि सक्षम अधिकारी डिजाइन की स्टेज पर उक्त समस्या का पूर्वाभास नहीं कर सके थे। इसके अतिरिक्त जनवरी 2006 तक क्रास रेगूलेटर की डिजाइन को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका था।

इस तरह रजवहों की सतह के निर्धारण में त्रुटिपूर्ण नियोजन एवं क्रास रेगूलेटर के डिजाइन को अंतिम रूप न देने से 6.36 करोड़ रुपये का व्यय अलाभकारी रहा । इसके अतिरिक्त लाभार्थियों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का मूल उद्देश्य भी प्राप्त नहीं किया जा सका।

वार्ता के दौरान (अक्टूबर 2005) शासन ने लेखा परीक्षा के मन्तव्य को स्वीकार किया एवं प्रमुख अभियंता को निर्देश दिया कि क्रास रेगूलेटर निर्माण किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही तत्काल करें। क्रास रगूलेटर की डिजाइन एवं निर्माण पर अंतिम निर्णय लिया जाना तथा उपरोक्त वर्णित चूकों के परिपेक्ष्य में जिम्मेदारी का तय किया जाना प्रतीक्षित था (जनवरी 2006)।

4.3.3 जल सेतु पर अलाभकारी व्यय

वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार भारत सरकार की स्वीकृति के बिना जलसेतु निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के फलस्वरूप 3.64 करोड़ रुपये का अलाभकारी व्यय

वन संरक्षण अधिनियम 1980 (अधिनियम) में यह उल्लेख है कि यदि प्रस्तावित कार्य के कुछ भाग में वन भूमि आती है तो कार्य गैर वन भूमि/रिचेज पर भी तब तक प्रारम्भ नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि वन भूमि के गैर वन उद्देश्यों के प्रयोग हेतु भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त न कर ली जाय।

अधीक्षण अभियंता (एसई), सिंचाई निर्माण वृत्त–।।।, आगरा के द्वारा खारी नदी के ऊपर फतेहपुरसीकरी शाखा के किमी 32.400 पर जलसेतु एवं पहुंच चैनेल के निर्माण हेतु उ.प्र. प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) ओखला नई दिल्ली के पक्ष में 9.65 करोड़ रुपये लागत में एक मेमोरेण्डम आफ अन्डरस्टैडिंग मार्च 2003 में गठित किया गया । कार्य का समापन मार्च 2005 तक होना था।

अधिशासी अभियंता (ईई), सिंचाई निर्माण खण्ड, मथुरा के अभिलेखों की जांच (मार्च 2005)में पाया गया कि जलसेतु के निर्माण का कार्य गैर वन भूमि पर मार्च 2003 में प्रारम्भ किया गया। मार्च 2005 तक 3.64 करोड़ रुपये निर्माण पर व्यय किया गया। उक्त समरेखन में पड़ने वाली 1.16 हेक्टेयर वन भूमि के अधिग्रहण न करने के कारण

सितम्बर 2005 तक 240 मीटर लम्बाई में जलसेतु के पहुंच चैनेल का निर्माण अपूर्ण था। इससे जलसेतु पर 3.64 करोड़ रुपये का व्यय अलाभकारी रहा।

लेखा परीक्षा में इंगित करने पर ईई ने बताया (मार्च 2005) कि निर्माण कार्य गैर वन भूमि पर प्रारम्भ किया गया एवं वन भूमि प्राप्त करने से संबंधित प्रस्ताव क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, आगरा को मार्च 2005 में भेजा गया। वस्तुतः वन भूमि प्राप्त करने का प्रस्ताव कार्य आरम्भ होने के दो वर्षों के बाद भेजा गया एवं गैर वन भूमि पर भी निर्माण अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल था।

शासन ने वार्ता (अक्टूबर 2005) के दौरान लेखापरीक्षा के मन्तव्य को स्वीकार किया एवं विभाग को यह निर्देश दिये गये कि वन भूमि के हस्तान्तरण की प्रकिया विलम्ब से प्रारम्भ करने के संबंध में जाचं करते हुए जिम्मेदारी निर्धारण किया जाय तथा वन भूमि के हस्तांतरण की कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित की जाये। प्रकरण में शासन की जांच आख्या एवं कृत कार्यवाही अभी भी प्रतीक्षित है (जनवरी 2006)।

4.3.4 गंगा बैराज के निर्माण पर परिहार्य व्यय

गंगा बैराज के निर्माण हेतु ठेकेदार को विलम्ब से ड्राइंग की आपूर्ति करने के कारण 3.04 करोड़ रुपये का परिहार्य व्यय

शासन के वित्तीय नियमों में प्रावधानित है कि कोई कार्य तब तक न प्रारंभ किया जाय जब तक कार्य का सम्यक विस्तृत डिजाइन एवं प्राक्कलन स्वीकृत न हो जाय तथा कार्य को अनुबंध पर सौंपे जाने से पूर्व खंडीय अधिकारी द्वारा पूर्ण ड्राइंग जिसमें वांछित कार्य के सामान्य आयाम सन्निहित हो अवश्य तैयार की जानी चाहिये।

अधीक्षण अभिंयता (एसई), बैराज निर्माण वृत्त, आगरा द्वारा 47.85 करोड़ रुपये की लागत पर गंगा बैराज का निर्माण कार्य एक ठेकेदार को आवंटित किया गया (अगस्त 1995) जिसे अगस्त 2000 तक पूर्ण किया जाना था । अनुबंध की शर्तों में यह प्रावधानित था कि श्रम एवं पी ओ एल की लागत में वृद्धि का समायोजन अनुबंधित समय के अंतर्गत अनुमन्य होगा।

अधिशासी अभियंता (ईई) बैराज निर्माण खंड–।।, कानपुर के अभिलेखों की नमूना जांच (दिसम्बर 2004/अगस्त 2005) में विदित हुआ कि बैराज के ब्रिज की ड्राइंग की तैयारी का कार्य वर्ष 1992 से सिंचाई अनुसंधान संस्थान (आई आर आई) रूड़की से पत्राचार में था। ठेकेदार को ड्राइंग जुलाई 2000 में ही उपलब्ध करायी जा सकी एवं वह भी मुख्य अभियंता (सीई) रामगंगा के बिना अनुमोदन के । मुख्य अभियंता का अनुमोदन जनवरी 2002 में प्राप्त हुआ। अनुमोदित ड्राइंग की विलंब से उपलब्धता के कारण निर्माण कार्य नियत समय से पूर्ण नहीं किया जा सका क्योंकि अनमोदित ड्राइंग कार्य पूर्णता की नियत तिथि से दो वर्षों के उपरांत ठेकेदार को दिये गये जिसमें कार्य की मात्रा में परिवर्तन भी था। विलंब का एक कारण विभाग द्वारा ठेकेदार को सामग्री की विलंबित आपूर्ति थी। मुख्य अभियंता द्वारा ठेकेदार को जून 2004 तक समयवृद्धि स्वीकृत कर प्रकरण को नियमित किया गया। विभाग द्वारा निर्माण कार्य पर दिसंबर 2004 तक 65.49 करोड़ रुपये की धनराशि का व्यय किया गया एवं विभाग को बढे हुये समय के लिये श्रम एवं सामग्री की मूल्यवृद्धि के कारण 3.04 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि का ठेकेदार को भुगतान करना पड़ा (दिसम्बर 2004)।

लेखा परीक्षा में इस विंदु को इंगित किये जाने पर ईई द्वारा यह बताया गया कि प्रतिपूर्ति का भुगतान अनुबंध में सन्निहित शर्तों के अधीन बढे हुये समय के लिये मूल्य वृद्धि के कारण किया गया । उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि विलम्ब से सामग्री उपलब्ध कराया जाना, ड्राइंग्स के अनुमोदन में विलंब एवं उसके परिणामस्वरूप कार्य क्षेत्र में परिवर्तन विभाग के कारण हुआ।

इस प्रकार बैराज की डिजाइन का समय से अंतिम रूप न देने व अनुमोदन न करने, मूल कार्य क्षेत्र में परिवर्तन एवं ठेकेदार को विलंब से विभागीय सामग्री उपलब्ध किये जाने के फलस्वरूप 3.04 करोड़ रुपये का परिहार्य व्यय किया गया।

वार्ता के दौरान (अक्टूबर 2005) शासन ने स्थिति को स्वीकार करते हुये प्रमुख अभियंता को ड्राइग के फाइनलाईजेशन में हुए विलंब के कारणों की जांच कर विभागीय उत्तर प्रधान महालेखाकार को भेजने हेतु निर्देशित किया । प्रकरण में वांछित कार्यवाही अभी भी प्रतीक्षित है (जनवरी 2006)।

4.3.5. दो पुलों के निर्माण पर निष्फल व्यय

ग्राम सड़क पुलों पर सम्पर्क मार्गों के निर्माण न होने से 1.37 करोड़ रुपये का निष्फल व्यय

केन्द्रीय जल आयोग ने 5.700 किमी लंबी हथिनी कुण्ड लिंक चैनेल एवं किमी 2.940 एवं किमी 4.800 पर संपर्क मार्गों के साथ दो ग्राम सड़क पुल (वीआरबीज) का निर्माण, की स्वीकृति दी थी (फरवरी 2000)। ये सभी कार्य मार्च 2003 तक पूर्ण होने थे।

अधिशासी अभियंता (ईई), यमुना लिंक चैनेल निर्माण खण्ड, सहारनपुर के अभिलेखों की जांच में (सितम्बर/दिसम्बर 2004) पाया गया कि प्रोजेक्ट के लगभग सभी कार्य जून 2003 तक पूर्ण हो गये थे। यद्यपि 1.37 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित (जनवरी 2003) दो वीआरबीज का उपयोग उनके सम्पर्क मार्गों के निर्मित न होने से नहीं किया जा सका था। ईई द्वारा उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड जो कि सम्पर्क मार्ग का निर्माण कर रहा था को संपर्क मार्ग से संबंधित कार्य को रोकने की सलाह दी गयी थी (अप्रैल 2003) क्योंकि वी आर बीज पर निर्मित कांक्रीट स्लैब की सेटिंग हेतु 28 दिन की आवश्यकता थी तथा इसके पूर्व पुल का प्रयोग करना असुरक्षित था। दिसम्बर 2005 तक संपर्क मार्गों का निर्माण अपूर्ण था। अतएव संपर्क मार्गों के निर्माण न होने से पुल का उपयोग निर्माण के दो साल के बाद भी नहीं हो पा रहा था।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित (दिसंबर 2004 एवं जून 2005) किये जाने पर ईई ने बताया कि वीआरबीज के कांक्रीट स्लैब के पूर्व में सेट न होने एवं उसके बाद इस प्रोजेक्ट के लिए आवंटित 1.45 करोड़ रुपये की धनराशि को अन्य प्रोजेक्ट पर व्यावर्तित करने से संपर्क मार्गों का निर्माण नहीं किया जा सका था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि वी आर बीज बनने के दो साल बाद भी संपर्क मार्गों का निर्माण कार्य खण्ड द्वारा पूर्ण न करने से पुलों के निर्माण पर 1.37 करोड़ रुपये का किया गया व्यय निष्फल रहा।

शासन ने वार्ता के दौरान (अक्टूबर 2005) लेखा परीक्षा के तथ्यों को स्वीकार करते हुए विभाग को निर्देश दिया कि वी आर बीज के पहुंच मार्गों का निर्माण तीन माह के अंदर पूर्ण कर लिया जाय । शासन के निर्देशों का अनुपालन दिसम्बर 2005 तक प्रतीक्षित था।

4.3.6 अतिरिक्त परिहार्य व्यय

कच्ची रोड पर कार्टेज की अतिरिक्त दर निर्धारित करते समय लोडिंग एवं अनलोडिंग की दरें न घटाने के परिणामस्वरूप 1.21 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय

गंगा बैराज के दाहिने मार्जिनल बन्ध, दाहिने गाइड बन्ध और दाहिने एफ्लक्स बन्ध के मध्य काउन्टर टेरेस के निर्माण हेतु अधीक्षण अभियंता (एसई), बैराज निर्माण वृत्त, कानपुर द्वारा दो अनुबंध तथा एक मेमोरैन्डम आफ अन्डरस्टैंडिंग (अगस्त 2001 एवं फरवरी 2002) 3 ठेकेदारों के साथ 8.46 करोड़ रुपये की लागत के लिए गठित किये गये।

अधिशासी अभियंता (ईई), बैराज निर्माण खण्ड–I, कानपुर के अभिलेखों की जांच (जुलाई 2004 एवं जुलाई 2005) में देखा गया कि कार्य सितम्बर 2001 में प्रारम्भ किया गया जिसका समापन 12 माह के अन्दर होना था । निर्माण में मिट्टी का कार्य भी

सम्मिलित था। मिट्टी के कार्य के दर में तीन किमी तक की लीड एवं लोडिंग/अनलोडिंग चार्जेज सम्मिलित था। आवश्यक मात्रा में मिट्टी पास में उपलब्ध न होने के कारण तीन किमी दूरी से कच्चे रास्ते से उक्त मिट्टी को लाना था इसलिए मिट्टी के कार्य की दर को पुनरीक्षित करना पड़ा (अप्रैल 2004) । कच्चे रोड से ढुलाई हेतु 30 प्रतिशत अतिरिक्त जोड़ कर दर पुनरीक्षित करते समय एसई ने लोडिंग/अनलोडिंग चार्जेज को नहीं घटाया था । विभाग के अन्य वृत्तों में लागू शड्यूल आफ रेट्स (एस ओ आर) के अनुसार 30 प्रतिशत अतिरिक्त ढुलाई, लोडिंग एवं अनलोडिंग चार्जेज को छोड़कर, कच्चे रास्ते से मिट्टी की ढुलाई पर देय था । इसके परिणामस्वरूप ठेकदारों को विभाग द्वारा 1.21 करोड़ रुपये अधिक भुगतान किया गया।

कार्टेड मिट्टी हेतु ऊंची दर दिये जाने से खण्ड को 1.21 करोड़ रुपये अधिक व्यय करना पड़ा (मई/जून 2005)।

शासन द्वारा वार्ता (अक्टूबर 2005) के दौरान लेखापरीक्षा के मन्तव्य को स्वीकार किया गया एवं विभाग को निर्देश दिया गया कि सिंचाई विभाग के समस्त राजस्व मण्डलों में लागू होने वाले सभी एस ओ आर के निर्धारण में एकरूपता लाने हेतु एक कमेटी का गठन किया जाये । शासन ने यद्यपि दोषी अधिकारियों के विरूद्ध 1.21 करोड़ रुपये अधिक व्यय करने हेतु कोई भी कार्यवाही नहीं की।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

4.3.7 : उच्च दरों पर औषधियों का क्रय किये जाने से अधिक व्यय

दर अनुबंध की दरों की तुलना में अधिक दर पर मेसर्स उत्तर प्रदेश ड्रग्स एवं फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड. (यूपीडीपीएल) से औशधियों का क्रय किये जाने से 3.89 करोड़ रुपये का अधिक व्यय

महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0 लखनऊ (डीजीएमएचएस) के अधीन कार्यरत केन्द्रीय औषधि भण्डार (सीएमएसडी) औषधियों जिसमें जीवन रक्षक औषधियां भी सम्मिलित है का क्रय आवश्यकता के आधार पर करता है तथा इन्हें मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (सीएमओ) को वितरित करता है। मुख्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा दर अनुबन्ध पर क्रय की जाने वाली औषधियों की दर भी समय समय पर इसके द्वारा निर्धारित किया जाता है ।

निदेशक, सीएमएसडी के अभिलेखों की जांच (जून 2004 और अप्रैल 2005) में पाया गया कि शासन द्वारा औषधियों के क्रय हेतु जुलाई 1992 में निर्धारित की गयी नीति के अनुसार सार्वजनिक एवं निजी औषधि निर्माण करने वाले प्रतिष्ठानों से औषधियों का क्रय दर अनुबंध पर किया जाना था । मे0 उत्तर प्रदेश ड्रग एवं फार्मास्युटिकल लिमिटेड. (यूपीडीपीएल) को इस शर्त पर वरीयता प्रदान की जानी थी कि इसके द्वारा दी गयी दर, न्यूनतम दर देने वाले निविदा दाता के दर से 10 प्रतिशत से अधिक न हो। यूपीडीपीएल की प्रदत्त दरें ड्रग प्राइसेज कन्ट्रोल आर्डर (डीपीसीओ)के अन्तर्गत निधारित दरों के 77 प्रतिशत तक सीमित रखी जानी थी । शासन ने वर्ष 1996 से 2005 की अवधि में यूपीडीपीएल से 39 औषधियों के क्रय हेतु आदेश निर्गत किये (अक्टूबर 96 से जनवरी 2003)। वर्ष 2003–04 की अवधि में यूपीडीपीएल से छः औषधियॉ क्रय की गयी थी, जिनकी दरें केन्द्रीय औषधि भण्डार द्वारा उन्हीं औषधियों के लिये खुले बाजार से दर अनुबंध के आधार पर क्रय किये जाने हेतु निर्धारित की गयी दरों से बहुत अधिक थी (44 प्रतिशत से 324 प्रतिशत तक)। वर्ष 2004–05 में भी पॉच औषधियां वर्ष 2003–04 में निर्धारित दर अनुबंध से बहुत उच्च दरों पर क्रय की गयी (वर्ष 2004–05 में कोई दर अनबंध नहीं किया गया था) । फलस्वरूप उन औषधियों के क्रय के लिये यूपीडीपीएल को वर्ष 2003–05 की अवधि में 3.89 करोड़ रुपये का परिहार्य भुगतान किया गया (परिशिष्ट 4.1)। इसका परिणाम यूपीडीपीएल को प्रच्छन्न परिदान देना हुआ।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर शासन ने बताया (सितम्बर 2005) कि पुनर्वासन के दृष्टिकोण से औषधियों का क्रय यूपीडीपीएल से किया गया । शासन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि यूपीडीपीएल के विगत कुछ वर्षों के लेखे से प्रकट होता है कि इसका शुद्ध लाभ (नेट वर्थ) सतत् ऋणात्मक रहा है। यदि शासन का मन्तव्य यूपीडीपीएल को व्यवहार्य रुप से सहायता प्रदान करना था तो इसे कम्पनी की वित्तीय पुनर्संरचना द्वारा किया जाना चाहिये था।

प्रकरण पर शासन से विचार विमर्श किया गया (सितम्बर 2005) जिसमें शासन ने यह स्वीकार किया कि यूपीडीपीएल से उच्च दरों पर औषधियों का क्रय किया जाना प्रच्छन्न रूप से परिदान था। शासन ने इस प्रचलित पद्धति को समाप्त करने के लिये अपनाये जाने वाली कोई सुधारात्मक कार्यवाही नहीं सूचित किया।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

4.3.8 : सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन के निर्माण पर निष्फल व्यय

शासन द्वारा मेडिकल /पैरामेडिकल स्टाफ की स्वीकृति/ नियुक्ति न किये जाने से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण पर 1.14 करोड़ रुपये का निष्फल व्यय।

शासन ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सा0स्वा0के0) पर विशिष्ट चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मानक निर्धारित किये (मई 1999) जिसके अनुसार फिजीशियन, सर्जन, गाइनोकालोजिस्ट, पेडियाट्रीशियन, रेडियोलाजिस्ट, डेन्टल सर्जन और पैथोलाजिस्ट (प्रत्येक का एक पद) की स्वीकृति होनी थी। इन विशेषज्ञों के अतिरिक्त तीन स्टाफ नर्स, एक्सरे तकनीशियन, फार्मेसिस्ट, डेन्टल हाईजिनिस्ट, डार्करूम असिस्टैन्ट, लैब टेक्नीशियन और लैब अटेन्डेंट (प्रत्येक का एक पद) भी स्वीकृत होने थे ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी (मु0चि0अ0) बलिया के अभिलेखों की जांच (जून 2005) में पाया गया कि सोनवानी, जनपद बलिया में 1.14 करोड़ रुपये लागत से एक सा0स्वा0के0 का निर्माण करके विभाग को जुलाई 2001 में हस्तगत कराया गया। सा0स्वा0के0 के संचालन हेतु आवश्यक पदों की स्वीकृति तथा आवर्तक एवं अनावर्तक व्यय का प्रस्ताव अगस्त 2004 में शासन को प्रेषित किया गया परन्तु शासन ने सितम्बर 2005 तक पदों की स्वीकृति नहीं प्रदान की थी।

इस प्रकार सा0स्वा0के0 पर आवश्यक मेडिकल एवं पैरामेडिकल स्टाफ की स्वीकृति/ नियुक्ति न किये जाने से चार वर्षों के व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी सा0स्वा0के0 को संचालित नहीं किया जा सका और इसके निर्माण पर 1.14 करोड़ रुपये का व्यय अलाभकारी रहा इसके अतिरिक्त रोगियों को विशिष्ट चिकित्सा सुविधा से वंचित रखा गया ।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (दिसम्बर 2004) शासन ने उत्तर में बताया (सितम्बर 2005) कि पदों के सृजन हेतु आदेश शीघ्र निर्गत कर दिये जायेगें जो प्रतीक्षित थे (दिसम्बर 2005)।

लोक निर्माण विभाग

4.3.9 अलाभकारी व्यय

पहुँच मार्ग पूर्ण न होने के कारण 9.20 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित सेतु का उपयोग नहीं हो सका

शासन ने मथुरा जनपद में वृन्दावन–मांट मार्ग पर यमुना नदी पर सेतु निर्माण हेतु 22.36 करोड़ रुपये स्वीकृत किया (मार्च 1996)। सेतु का निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम को सौंपा गया था (1996) जबकि पहुँच मार्ग, गाइड बन्ध एवं सुरक्षात्मक कार्यों

का निर्माण वृन्दावन एवं मांट की तरफ क्रमशः अधिशासी अभियन्ता (ईई) प्रान्तीय खण्ड (पीडी), मथुरा एवं ईई, निर्माण खण्ड–। (सीडी–।), मथुरा द्वारा किये जाने थे।

ईई, पीडी एवं सीडी–। मथुरा के अभिलेखों की जॉच (दिसम्बर 2004 एव जून 2005) मे प्रकाश में आया कि प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (मार्च 1996) से गणना करने पर सेतु के निर्माण हेतु स्थल के चयन में 20 माह और तकनीकी स्वीकृति के प्रदान करने में 45 माह विलम्ब हुआ। यद्यपि सिंचाई शोध संस्थान, रूड़की द्वारा स्थल चयन हेतु एक माडल अध्ययन जून 1995 में किया गया था, अधीक्षण अभियन्ताओं (एसईज) के एक दल ने स्थल निरीक्षण किया और माडल अध्ययन में सुझाये गये स्थल से भिन्न स्थल प्रस्तावित किया (अप्रैल 1996)। एसईज के दल के सुझाव को मुख्य अभियन्ताओ (सीईज) के दल द्वारा स्वीकार नहीं किया गया, जिनका मत था कि स्थल वहीं होना चाहिए जो माडल अध्ययन में सुझाये गये थे। सीईज कमेटी की संस्तुति को शासन द्वारा इस तर्क पर ठुकरा दिया गया कि कमेटी द्वारा स्थल का निरीक्षण नहीं किया गया था। सीईज कमेटी ने स्थल का निरीक्षण किया (नवम्बर 1997) और अधीक्षण अभियन्ताओं की कमेटी के प्रस्ताव (अप्रैल 1996) की ही पुष्टि की। पहुॅच मार्गों के निर्माण की तकनीकी स्वीकृति (8.45 करोड़ रुपये) दिसम्बर 1999 में प्रदान की गयी। स्थल चयन एवं संरेखण निर्धारण में देरी के कारण भूमि अधिग्रहण में देरी हुई और विभाग द्वारा सीधे निगोशिएशन के जरिये भूमि प्राप्त की गयी (मार्च 1999 से सितम्बर 2001)।

सेतु मार्च 2002 में 9.20 करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण कर लिया गया था लेकिन पहुॅच मार्ग के निर्माण का कार्य जो मार्च 2001 में प्रारम्भ किया गया था, जून 2005 तक अपूर्ण रहा। अवमुक्त धनराशि 8.66 करोड़ रुपये मार्च 2004 तक उपयोग किया गया दर्शाया गया था। भूमि अधिग्रहण एवं पहुॅच मार्ग निर्माण के लिए अवमुक्त (1998–2004) धनराशि 8.66 करोड़ रुपये के विरूद्ध वास्तविक व्यय मात्र 5.14 करोड़ रुपये था। शेष धनराशि 3.52 करोड़ रुपये जिसे इस कार्य पर व्यय दर्शायी गयी थी, अन्य कार्यों पर व्यावर्तित कर दी गयी थी क्योंकि इसके पक्ष में कोई व्यय विवरण यथा अनुबन्ध, बाउचर इत्यादि लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया जा सका।

कार्य प्रारम्भ में देरी के परिणामस्वरूप आगणन को बढ़ी लागत 7.20 करोड़ रुपये (22.36 करोड़ रुपये से 29.56 करोड़ रुपये) के लिए पुनरीक्षित करना पड़ा। 29.56 करोड़ रुपये के लिए पुनरीक्षित वित्तीय स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की गयी (अक्टूबर 2004) लेकिन तकनीकी स्वीकृति जून 2005 तक प्रतीक्षित थी।

शासन द्वारा वार्ता (दिसम्बर 2005) के दौरान तथ्यों एवं ऑकड़ों की पुष्टि की गयी तथा यह कहा गया कि भूमि अधिग्रहण में देरी के कारण विलम्ब हुआ। शासन द्वारा 3.52 करोड़ रुपये की धनराशि का व्ययावर्तन भी स्वीकार किया गया तथा यह कहा गया कि मामले की जॉच की जा रही थी।

इस प्रकार पहुॅच मार्गो का निर्माण पूरा न होने के कारण (अद्यतन व्यय 5.14 करोड रुपये) 9.20 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित सेतु का उपयोग नहीं हो सका।

4.3.10 अपूर्ण सेतु पर निष्फल व्यय

पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति तथा निधि अवमुक्त करने में विलम्ब के कारण अधूरे सेतु एवं पहुॅच मार्गो पर किया गया 2.49 करोड़ रुपये का व्यय निष्फल रहा

शासन द्वारा मदनापुर सिकन्दरपुर परोर मार्ग पर बैगुल नदी पर एक आरसीसी सेतु एवं पहुॅच मार्गों के निर्माण कार्य की स्वीकृति (अक्टूबर 1994) धनराशि 1.89 करोड़ रुपये (सेतु 1.50 करोड़ रुपये, पहुॅच मार्ग 38.50 लाख रुपये) हेतु प्रदान की गयी थी।

अधिशासी अभियन्ता (ईई) निर्माण खण्ड–।, लोक निर्माण विभाग, शाहजहॉपुर के अभिलेखों की जॉच (अगस्त 2003 एवं सितम्बर 2004) से प्रकाश में आया कि सेतु निर्माण का कार्य उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड (यूपीएसबीसी) को सौंपा गया

था। सेतु निर्माण का अधिकांश कार्य 2.06 करोड़ रुपये व्यय करके मार्च 2000 में पूर्ण किया गया था, किन्तु धन के अभाव में सेतु के एप्रोच स्लैब निर्माण का कार्य (दिसम्बर 2005) तक पूरा नहीं हो सका था। इसके अतिरिक्त खण्ड द्वारा 1997–99 की अवधि में 41.98 लाख रुपये व्यय करके पहुँच मार्गों का निर्माण मात्र टाप कोट स्तर तक किया गया था। आबंटित धन के अपर्याप्त होने के कारण पहुँच मार्गों पर सतह लेपन का कार्य सम्पादित नहीं किया जा सका था। सेतु एवं पहुँच मार्गों के अवशेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु 2.68 करोड़ रुपये का एक पुनरीक्षित प्राक्कलन शासन को प्रस्तुत किया गया था (अगस्त 2001)। शासन की स्वीकृति प्रतीक्षित थी (दिसम्बर 2005)। स्वीकृति में देरी का कारण स्पष्ट नहीं था।

इस प्रकार पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति में देरी के कारण अधूरे सेतु एवं पहुँच मार्गों पर किया गया व्यय 2.49 करोड़ रुपये निष्फल रहा। इसके अतिरिक्त पहुँच मार्गों पर केवल टाप कोट तक कार्य किया गया था जिसका कालान्तर में क्षरण होने की सम्भावना थी।

शासन द्वारा वार्ता (5 दिसम्बर 2005) में तथ्यों एवं ऑकड़ों की पुष्टि की गयी और यह भी सूचित किया गया कि सेतु यातायात हेतु खुला था अतः उस पर व्यय उपयोगी थी। शासन का उत्तर तथ्यों पर आधारित नहीं था क्योंकि यूपीएसबीसी द्वारा एप्रोच स्लौब का निर्माण अभी भी पूरा किया जाना था और जैसा कि ईई द्वारा सूचित किया गया था (12 दिसम्बर 2005) सेतु का प्रान्तीयकरण एवं यातायात के लिए खोला जाना शेष था।

4.3.11 परिहार्य व्यय

मोर्थ की विशिष्टियों के प्रतिकूल कार्य की एक मद पर 2.16 करोड़ रुपये का परिहार्य व्यय किया गया

सडक परिवहन एवं राजमार्ग मन्त्रालय (मोर्थ) की विशिष्टियों के अनुसार वाटर बाउण्ड मैकाडम (डब्लूबीएम) बेस कोर्स के ऊपर प्रथम सतह लेपन (पी–।) तथा द्वितीय सतह लेपन (पी–2) के बीयरिंग कोर्स से लेपित किया जाना चाहिए। विशिष्टियॉ पी–। के ऊपर सेमी डेन्स बिटुमिनस कंक्रीट (एसडीबीसी) के लेपन की अनुमति नहीं देती।

प्रान्तीय खण्ड (पीडी) और निर्माण खण्ड (सीडी–।), लोनिवि, लखीमपुर के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जॉच (फरवरी 2005 एवं मई 2005) से प्रकाश में आया कि शासन द्वारा लखीमपुर–बिजुआ मार्ग (किमी 1 से 39)[1] के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 8.08 करोड़ रुपये की स्वीकृति मार्च 2002 में प्रदान की गयी थी। मुख्य अभियन्ता (सीई), सेन्ट्रल जोन, लोनिवि, लखनऊ ने मार्ग के सात मीटर तक चौड़ीकरण तथा क्रस्ट को 23 से 31 सेंटीमीटर बढ़ाते हुए सुदृढ़ीकरण एवं सरफेस ड्रेसिंग पी–। एवं पी–2 से किये जाने की तकनीकी स्वीकृति सितम्बर 2002 में प्रदान की थी। दिसम्बर 2003 में शासन द्वारा यद्यपि एक पुनरीक्षित प्राक्कलन 9.79 करोड़ रुपये स्वीकृत किया गया था जिसमें विभागीय संस्तुति के आधार पर पूर्व में स्वीकृत पी–2 के प्रावधान को मात्र एक लोक प्रतिनिधि द्वारा बिना पी–2 की गयी सड़क पर की गयी यात्रा के कारण व्यक्त किये गये सामान्य असंतोष के आधार पर एसडीबीसी से प्रतिस्थापित कर दिया गया। मार्च 2005 तक विभाग ने मार्ग के एसडीबीसी कार्य पर 2.96 करोड़ रुपये का व्यय किया था। समान क्षेत्रफल पर पी–2 किये जाने की लागत मात्र 79.93 लाख रुपये आती। इस प्रकार विशिष्टियों के अनुरूप कार्य न करने व पी–2 के स्थान पर एसडीबीसी की सतह बिछाने के कारण 2.16 करोड़ रुपये (2.96 करोड़ रुपये – 79.93 लाख रुपये) का परिहार्य व्यय किया गया।

शासन ने वार्ता (दिसम्बर 2005) में तथ्यों एवं ऑकड़ों की पुष्टि की तथा बताया कि पी–2 की जगह एसडीबीसी किये जाने को अनावश्यक नहीं माना जाना चाहिये क्योंकि इससे मार्ग के क्रस्ट की मोटाई, स्थायित्व एवं राइडिंग क्वालिटी में सुधार हुआ। उत्तर

[1] पीडी लखीमपुर खीरी : किमी 21 से 39, सीडी–। लखीमपुर खीरी : किमी 1 से 20

मान्य नहीं था क्योंकि पी–। के उपर एसडीबीसी डाला जाना मोर्थ की विशिष्टियों के अनुरूप नहीं था जिनके पालन हेतु लोनिवि बाध्य था।

4.3.12 अतिरिक्त व्यय

महंगी सामग्री से मार्ग के सुदृढ़ीकरण किये जाने से 1.22 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय किया गया

इण्डियन रोड कांग्रेस (आईआरसी) की विशिष्टियों के अनुसार वाटर बाउण्ड मैकाडम (डब्लूबीएम) एवं बिल्ट अप स्प्रे ग्राउट (बीयूएसजी) की शक्ति समान है। समान मोटाई का डब्लूबीएम डाला जाना बीयूएसजी से सस्ता है।

शासन द्वारा भदोही–बाबतपुर मार्ग के ग्राम कपसेठी से भदोही रेलवे स्टेशन (किमी 29 से किमी 46) के वर्तमान मार्ग पर 40 सेमी कस्ट प्रदान करते हुए सुदृढ़ीकरण किये जाने हेतु 8.05 करोड़ रुपये की स्वीकृति (मार्च 2003) में प्रदान की गयी।

अधिशासी अभियन्ता (ईई) प्रान्तीय खण्ड (पीडी), लोनिवि, वाराणसी एवं ईई, पीडी, लोनिवि, संतरविदासनगर भदोही के अभिलेखों की जॉच (दिसम्बर 2004 एवं जुलाई 2005) से प्रकाश में आया कि मार्ग के सुदृढ़ीकरण की अभिकल्पना में कस्ट की मोटाई में वर्तमान 20 सेमी से 60 सेमी की वृद्धि प्रस्तावित की गयी थी। इसे प्राप्त करने हेतु तीन कोट डब्लूबीएम एवं एक कोट बीयूएसजी बिटुमिनस मैकाडम और सेमी डेन्स बिटुमिनस कंक्रीट प्रत्येक का एक कोट दिया जाना प्रस्तावित किया गया था। कार्य की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता, वाराणसी द्वारा प्रदान की गयी थी (जून 2003)।

पीडी, वाराणसी एवं पीडी, संतरविदासनगर द्वारा जुलाई 2003 से जून 2005 के मध्य इस कार्य हेतु आच्छादित मार्ग की कुल सतह क्षेत्रफल 124069 वर्गमीटर था। बीयूएसजी कार्य की लागत 2 करोड़ रुपये थी जबकि डब्लूबीएम की लागत 0.78 करोड़ रुपये होती। आईआरसी की विशिष्टियों में विहित है कि पेवमेण्ट की संरचना में बीयूएसजी का प्रयोग एकल कोर्स के रूप में किया जायेगा। इस प्रकार यह आवश्यक नही था कि इस कार्य में प्रावधानित बीयूएसजी लेयर के महंगे विकल्प का चुनाव किया जाता। डब्लूबीएम एक अतिरिक्त कोट के द्वारा वही शक्ति प्राप्त होती। इस प्रकार बीयूएसजी का एक कोट चुनकर विभाग द्वारा 1.22 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय किया गया जो मार्ग के कस्ट की शक्ति से बिना समझौता किये बचाया जा सकता था।

शासन ने वार्ता (दिसम्बर 2005) में तथ्यों एवं ऑकड़ों की पुष्टि की और अग्रेतर बताया कि कार्य को आईआरसी विशिष्टियों के अनुसार कराया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि आईआरसी विशिष्टियों के अनुसार बीएम से पूर्व बीयूएसजी बिछाया जाना आवश्यक नहीं था।

4.3.13 पत्थर ग्रिट की खपत पर अतिरिक्त परिहार्य व्यय

प्रमुख अभियन्ता के मनमाने निर्णय द्वारा मोर्थ की विशिष्टियों में विहित पत्थर ग्रिट की खपत के मानक से उच्च मानक निर्धारित किये जाने के फलस्वरूप सड़कों के लेपन कार्यों में मात्र दो खण्डों में 1.19 करोड़ रुपये का अतिरिक्त परिहार्य व्यय

प्रमुख अभियन्ता, लोनिवि, लखनऊ ने अपने निर्देशों (जुलाई 1998) में निरूपित किया था कि सभी निर्माण कार्य सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मन्त्रालय (मोर्थ) के मानकों/विशिष्टियों के अनुसार सम्पादित किये जाये जिसमें यह प्राविधानित था कि प्रथम सतह लेपन (पी–।) और द्वितीय सतह लेपन (पी–2) हेतु पत्थर ग्रिट खपत प्रति वर्गमीटर कमशः 0.015 घनमीटर एवं 0.010 घनमीटर होनी चाहिए।

अधिशासी अभियन्ताओं (ईई), प्रान्तीय खण्ड, लोनिवि, इलाहाबाद एवं फतेहपुर के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जॉच (मई 2004 एवं जुलाई 2004) में प्रकाश में आया कि उक्त मानकों के विपरीत खण्डों द्वारा मार्गो पर पी–। तथा पी–2 हेतु वर्ष 2002–05 में पत्थर ग्रिट प्रति वर्गमीटर की खपत कमशः 0.019 घनमीटर एवं 0.013 घनमीटर की

गयी थी। पी–1, पी–2 से सतह लेपन में खपत की गयी अधिक पत्थर ग्रिट की मात्रा के कारण 1.19 करोड़ रुपये का परिहार्य व्यय किया गया जिसका विवरण ***परिशिष्ट 4.2*** में अंकित है।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर दोनों खण्डों के अधिशासी अभियन्ताओं ने बताया कि पत्थर ग्रिट की खपत प्रमुख अभियन्ता के एतद् विषयक आदेश (फरवरी 1998 और जुलाई 1999) के अनुसार विनियमित की गयी थी।

प्रमुख अभियन्ता का मनमाना निर्णय जिसके अनुसार सतह लेपन कार्यों हेतु पत्थर ग्रिट की खपत मोर्थ विशिष्टियों में विहित मानकों से लगभग 26 से 30 प्रतिशत अधिक की गयी थी, जो किसी तकनीकी औचित्य से वंचित थी। लेखापरीक्षा में उठाई गयी आपत्तियों (नवम्बर 2004 तथा फरवरी 2005) के आधार पर अप्रैल 2005 में विभाग ने मोर्थ की विशिष्टियों के अनुसार मानक निर्धारित करते हुए पत्थर ग्रिट की खपत हेतु पुनः आदेश प्रसारित किया था। लोनिवि के सभी खण्डों द्वारा पत्थर ग्रिट की अधिक खपत पर अतिरिक्त व्यय की धनराशि पर्याप्त रूप से अधिक होगी।

शासन ने वार्ता (दिसम्बर 2005) के दौरान तथ्यों और ऑकड़ों की पुष्टि की तथा सूचित किया कि जुलाई 1998 का आदेश 1 अप्रैल 2005 से निरस्त किया जा चुका था। शासन का उत्तर लेखापरीक्षा की आपत्ति की पुष्टि करता है जिसके लिए दोषी अधिकारियों पर कोई जिम्मेदारी निर्धारित नहीं की गयी थी।

4.3.14 मार्ग के सुधार पर परिहार्य व्यय

स्वीकृत प्राक्कलन से अनधिकृत विचलन के कारण 52.62 लाख रुपये के परिहार्य व्यय एवं 66.49 लाख रुपये की धनराशि के व्यावर्तन के परिणाम स्वरूप बिलराया–परवारी मार्ग की 10 किमी लम्बाई में सुदृढ़ीकरण कार्य का अपूर्ण रहना

वित्तीय नियमों में विहित है कि कोई कार्य निष्पादन में स्वीकृत प्राक्कलन में खण्डीय अधिकारी द्वारा सक्षम अधिकारी (यहॉ मुख्य अभियन्ता) के पूर्व अनुमोदन के बिना कोई ढॉचागत बड़ा परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कार्य की लागत/डिजाइन में बड़ें परिवर्तनों हेतु तकनीकी स्वीकृति के लिए एक पुनरीक्षित प्राक्कलन प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

अधिशासी अभियन्ता (ईई), प्रान्तीय खण्ड, लोनिवि उरई (जालौन) के अभिलेखों की जॉच में (नवम्बर 2004) प्रकाश में आया कि बिलराया–पनवारी मार्ग का सुदृढ़ीकरण 4.96 करोड़ रुपये की लागत से मार्च 2002 में शासन द्वारा स्वीकृत किया गया था। इस कार्य की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता (सीई), लोनिवि, झॉसी क्षेत्र द्वारा फरवरी 2003 में प्रदान की गयी थी। तकनीकी स्वीकृति में अन्य कार्यों के साथ प्रोफाइल करेक्टिव कोर्स (पीसीसी) बिल्ट अप स्प्रे ग्राउट (बीयूएसजी) से किये जाने के उपरान्त सुदृढ़ीकरण कोर्स के रूप में बिटुमिनस मैकाडम (बीएम) एवं सेमी डेन्स बिटुमिनस कंक्रीट (एसडीबीसी) का प्रावधान था।

अग्रेतर जॉच में देखा गया कि कार्य सम्पादन के समय खण्डीय अधिकारी द्वारा स्वीकृत प्राक्कलन से विचलन कर पीसीसी कार्यों हेतु बीयूएसजी के बदले अनधिकृत रूप से वाटर बाउण्ड मैकाडम (डब्लूबीएम) का प्रयोग किया गया। डब्लूबीएम की प्रयुक्त मात्रा (10303.77 घनमीटर) आवश्यकता से काफी अधिक थी। फलतः सम्पादित की गयी पीसीसी के लागत में बहुत अधिक अन्तर था। स्वीकृत धनराशि 37.93 लाख रुपये के सापेक्ष अन्तिम लागत 90.55 लाख रुपये आयी (बीयूएसजी 1984.125 घनमीटर)।

उक्त के अतिरिक्त, उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार कुल व्यय मात्र 4.30 करोड़ रुपये था जबकि कुल अवमुक्त (2002–04) धनराशि 4.96 करोड़ रुपये को कार्य पर मार्च 2004 के अन्त तक व्यय दर्शाया गया था। खण्डीय अधिकारी द्वारा 66.49 लाख रुपये के व्यय के सापेक्ष कोई अभिलेखीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।

इसे इंगित किये जाने पर ईई ने बताया (जुलाई 2005) कि पीसीसी हेतु सामग्री में परिवर्तन तकनीकी स्वीकृति के साथ संलग्न तकनीकी टिप्पणी के आधार पर किया गया था। ईई का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि नोट में यह उल्लिखित था कि पीसीसी हेतु मात्रा का अन्तिम रूप से आकलन करके अनुमोदित करा लिया जाये, और अनुमोदित विशिष्टियों से किसी प्रकार के विचलन की अनुमति नहीं थी।

इस प्रकार सक्षम अधिकारी के बिना अनुमोदन के अनुमोदित विशिष्टियों से विचलन के कारण खण्ड द्वारा 52.62 लाख रुपये का अतिरिक्त परिहार्य व्यय किया गया और 66.49 लाख रुपये व्यावर्तित करने के कारण स्वीकृत 37 किमी के सापेक्ष मात्र 27 किमी मार्ग का सुदृढ़ीकरण कराया जा सका। विशिष्टि में अनधिकृत परिवर्तन एवं निधि के व्यावर्तन हेतु दायित्व का निर्धारण नहीं किया गया था।

शासन ने वार्ता (दिसम्बर 2005) में सूचित किया कि सीई, झाँसी क्षेत्र को प्रकरण की जाँच तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध दोष आरोपित करने हेतु निर्देशित (नवम्बर 2005) किया जा चुका है। जाँच का परिणाम जनवरी 2006 तक प्रतीक्षित था।

4.3.15 परिहार्य व्यय

कार्य की एक मद जो आईआरसी की विशिष्टियों के अनुरूप नहीं था, पर 89.67 लाख रुपये का परिहार्य व्यय किया गया

इण्डियन रोड कांग्रेस (आईआरसी) द्वारा फलेक्सिबेल पेवमेण्ट के डिजाइन हेतु निर्गत दिशा–निर्देशों में विहित था कि बिटुमिनस मैकाडम कोर्स (बीएम) का प्रयोग केवल उन मार्गो तक ही सीमित रखा जाये जो पाँच मिलियन मानक ऐक्सिल (एमएसए) से कम ट्रैफिक वहन करने हेतु डिजाइन किये गये हों। डेन्स बिटुमिनस मैकाडम (डीबीएम) कोर्स उन मार्गों हेतु अनुशंसित है जो पाँच एमएसए से अधिक ट्रैफिक वहन करने हेतु डिजाइन किये गये हैं। दिशा–निर्देशों में यह भी विहित है कि डीबीएम सतह की मोटाई का निर्धारण करने हेतु 7 एमएम डीबीएम को 10 एमएम डीबीएम के समतुल्य समस्त व्यवहारिक उद्देश्यों हेतु लिया जा सकता है।

अधिशासी अभियन्ता (ईई), प्रान्तीय खण्ड, लोनिवि, आजमगढ़ के अभिलेखों की जाँच (जनवरी 2005) में प्रकाश में आया कि जुलाई 2001 में शासन ने लखनऊ–बलिया राज्य राजमार्ग (एसएच–34) के किमी 240 से 259.600 के सुदृढ़ीकरण हेतु 8.42 करोड रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की थी। कार्य की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता (सीई) ने जून 2002 में प्रदान की जिसमें बीएम 75 एमएम तथा 50 एमएम की दो सतहें प्रावधानित थी जबकि मार्ग का सुदृढ़ीकरण 6 एमएसए यातायात वहन करने हेतु डिजाइन किया गया था।

अधीक्षण अभियन्ता, लोनिवि, आजमगढ़ द्वारा निष्पादित अनुबन्ध (दिसम्बर 2001) के सापेक्ष दिसम्बर 2001 और मार्च 2003 के मध्य कुल लागत 4.51 करोड़ रुपये में कार्य पूर्ण कर दिया गया था।

विभाग द्वारा आईआरसी के दिशा–निर्देशों का पालन न करने एवं डीबीएम की जगह बीएम का प्रयोग किये जाने के कारण 89.67 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय किया गया जैसा कि तालिका में दर्शाया गया है।

क्रम संख्या	बिटुमिनस सतह का प्रकार	मात्रा (क्यूबिक मीटर में)	दर (प्रति क्यूबिक मीटर में)	लागत (रुपयें में)
1.	बी एम	18882	2393	45184626
2.	डी बी एम	13218	2740	36217320
अधिक व्यय				**8967306**

शासन ने वार्ता (दिसम्बर 2005) में तथ्यों की पुष्टि की और बताया कि जैसाकि आईआरसी 81 में प्रदिष्ट है डीबीएम के पूर्व भी 5 सेमी बीएम की न्यूनतम सतह आवश्यक थी जिसके ऊपर आईआरसी 37 के अनुसार एक वियरिंग कोर्स दिया जायेगा। अतः वर्तमान प्रकरण में बीएम की दो सतहें दिया जाना सबसे किफायती विकल्प था।

उत्तर तर्कसंगत नही था क्योंकि उदघृत आईआरसी 81 में 5 सेमी बीएम की न्यूनतम सतह उन प्रकरणों में प्रदिष्ट थी जहॉ अतिरिक्त बिटुमिनस कस्ट 5 सेमी से कम हो। आलोच्य प्रकरण में सड़क डिजाइन 5 एमएसए से अधिक यातायात वहन करने हेतु की गयी थी जिसमें वांछित अतिरिक्त कस्ट मोटाई 5 सेमी से अधिक थी। इसके अतिरिक्त, वियरिंग कोर्स का कार्य आईआरसी 37 में विहित विशिष्टि के अनुरूप नहीं किया गया था। इस प्रकार पूरी कस्ट की मोटाई में डीबीएम डाला जाना न केवल किफाइती होता बल्कि इससे मार्ग स्थायित्व में भी वृद्धि होती।

4.3.16 एक मार्ग पर परिहार्य व्यय

सम्यक नियोजन के अभाव एवं महंगी विशिष्टियों के प्रयोग के परिणामस्वरूप 77.28 लाख रुपये का परिहार्य व्यय

आधारभूत नियम यह है कि कार्य का प्राक्कलन इस प्रकार बनाया जाये कि संसाधन के न्यूनतम उपयोग द्वारा अधिकतम संभाव्य परिणाम प्राप्त हो सके।

अधिशासी अभियन्ता (ईई), प्रान्तीय खण्ड, लोनिवि, इटावा के अभिलेखों की जॉच (जनवरी 2005) में यह प्रकाश में आया कि सैफई तहसील मुख्यालय को नगला कहारी होते हुए सैफई हवाई पट्टी से जोड़ने वाले सैफई से सैफई हवाई पट्टी मार्ग (9.420 किमी) की मरम्मत हेतु शासन द्वारा 2.46 करोड़ रुपये की स्वीकृति (अक्टूबर 2003) में प्रदान की गयी थी। जॉच में निम्न तथ्य प्रकाश में आए :

- शासन की स्वीकृति में स्पष्ट निर्देश था कि प्रश्नगत कार्य का प्रारम्भ और कार्य पर व्यय तब तक न किया जाये जब तक सक्षम अधिकारी द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान न कर दी जाये। उक्त निर्देशों की उपेक्षा करते हुए तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हाने से पूर्व ही खण्ड द्वारा अक्टूबर 2003 में कार्य कर दिया गया था एवं जनवरी 2004 में इसकी तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पूर्व 1.36 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका था।
- शासन की उक्त स्वीकृति में अग्रेतर यह भी उल्लेख था कि समस्त कार्यों का निष्पादन भूतल परिवहन एवं राजमार्ग मन्त्रालय (मोर्थ) द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार कराया जाये। आगणन में स्वीकृत कार्य मदों में सुदृढ़ीकरण के लिए बीएम[1] (50मिमी) तथा एसडीबीसी[2] (25मिमी) मार्ग की पूरी लम्बाई में बिछाये जाने का प्रावधान सम्मिलित था। कार्य 2.39 करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण किया गया था (मार्च 2004)। शासन द्वारा प्रदत्त स्वीकृति मात्र मार्ग के मरम्मत हेतु थी तथापि विभाग द्वारा बीएम और एसडीबीसी से सुदृढ़ीकरण कार्य किया गया। मार्ग के सुदृढ़ीकरण का कार्य अनावश्यक था क्योंकि मार्ग अन्य जिला मार्ग की श्रेणी का था तथा यातायात घनत्व बहुत कम था। इसके अतिरिक्त पेवमेण्ट की सुदृढ़ता से समझौता किये बिना वाटर बाउण्ड मैकाडम (डब्लूबीएम) की 75 मिमी मोटाई की सतह बिछा कर उतनी ही मोटाई की कस्ट प्राप्त की जा सकती थी। क्योंकि मोर्थ की विशिष्टियों[3] के अनुसार बीएम की मजबूती डब्लूबीएम की तुलना में 1.5 गुना अधिक होती है। परिणामस्वरूप कम लागत की विशिष्टियों को लागू कर 77.28 लाख रुपये[4] के परिहार्य व्यय से बचा जा सकता था।

[1] बिटुमिनस मैकाडम
[2] सेमी डेन्स बिटुमिनस कंक्रीट
[3] आईआरसी –81–1997 के प्रस्तर 7.4 के अनुसार
[4] आगणन में डब्लूबीएम की विश्लेषित दर के आधार पर

ईई द्वारा यह उत्तर में बताया गया कि यह अति विशिष्ट व्यक्तियों का क्षेत्र था और कार्य को कम समय में पूर्ण किया जाना था, अतः कम समय लेने वाली विशिष्टि अपनायी गयी और सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किये बिना ही कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था। शासन ने वार्ता (दिसम्बर 2005) में विभाग के उत्तर की पुष्टि करते हुए अग्रेतर बताया कि कार्य हेतु अन्तरिम तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता द्वारा अक्टूबर 2003 में प्रदान कर दी गयी थी।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि नियमित तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता, कानपुर क्षेत्र द्वारा जनवरी 2004 में प्रदान की गयी और अतिविशिष्ट क्षेत्र हेतु कोई अलग विशिष्टि नहीं बनी थी। पुनः अतिशीघ्रता का आधार लेकर बीएम डालने की बात नहीं बनती थी क्योंकि उसी मार्ग के जल–प्लावित भागों में पहले से चल रहे डब्लूबीएम कार्यों के साथ–साथ कार्य को व्यवस्थित करके बाधा अवधि को कम किया जा सकता था।

4.4 निष्क्रिय निवेश/निष्क्रिय स्थापना/निधि का अवरोधन/उपकरणों के प्रतिस्थापन में विलम्ब/व्यावर्तन/निधियों का अपव्यय

खाद्य एव रसद विभाग

4.4.1 शासकीय धन को भाासकीय खाते से अलग रोके रखना

अन्नपूर्णा योजना के संचालन हेतु स्वीकृत 9.08 करोड़ रुपये की धनराशि को व्यपगत होने से बचाने के लिए कोषागार से आहरित कर वित्तीय नियमों की अवहेलना करके बैंक में जमा किया गया।

वित्तीय नियमों के अनुसार शासन की विशेष स्वीकृति के बिना राज्य कर्मचारी राजकीय खाते से धन आहरित कर बैंक में जमा नहीं कर सकता । ये नियम आहरण अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए भी उत्तरदायी ठहराते हैं कि वर्ष के दौरान जिस धन के उपयोग की संभावना न हो उसे अविलम्ब समर्पण किया जाय ताकि सक्षम अधिकारी द्वारा इसका विनियोग अन्य कार्यों पर किया जा सके ।

आयुक्त, खाद्य एवं रसद, उ0प्र0 लखनऊ के अभिलेखों की जांच (जुलाई 2004 तथा जून 2005) से प्रकाश में आया कि केन्द्र प्रायोजित अन्नपूर्णा योजना (अप्रैल 2000 से प्रारम्भ) जिसमें 65 वर्ष से अधिक आयु के चयनित नागरिकों को 10 किलोग्राम निःशुल्क अनाज वितरित किया जाना था, के संचालन हेतु वर्ष 2002–03 के अन्त में अप्रयुक्त अवशेष 5.26 करोड़ रुपये थे। वर्ष 2003–05 के मध्य शासन द्वारा 44.06 करोड रुपये (वर्ष 2003–04 : 22 करोड रुपये, वर्ष 2004–05 : 22.06 करोड रुपये) अवमुक्त किये गये जिसके विरुद्ध 40.24 करोड़ रुपये व्यय किये गये (वर्ष 2003–04 : 19.31 करोड़ रुपये, वर्ष 2004–05 : 20.93 करोड़ रुपये) तथा अवशेष 9.08 करोड़ रुपये(वर्ष 2003–04 : 7.95 करोड़ रुपये, वर्ष 2004–05 : 1.13 करोड़ रुपये) की धनराशि को व्यपगत होने से बचाने के उद्देश्य से आयुक्त के भारतीय स्टेट बैक, जवाहर भवन शाखा, लखनऊ के बचत खाते में जमा किये गये। इस धनराशि को अक्टूबर 2005 तक राजकोष में लौटाया नहीं गया था ।

आयुक्त ने उत्तर में बताया (जुलाई 2004) कि उक्त धनराशि को बैंक बचत खाते में मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन के निर्देश (अप्रैल 2000) से जमा किया गया। आयुक्त का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उक्त निर्देश केन्द्र सरकार से वित्तीय वर्ष 2003–04 से पूर्व सीधे प्राप्त धनराशि के सम्बन्ध में था ।

प्रकरण शासन को जनवरी 2005 में संदर्भित किया गया । प्रकरण के तथ्यों तथा ऑकड़ों पर शासन से विचार विमर्श (अक्टूबर 2005) किया गया । शासन ने तथ्यों एवं ऑकडों को स्वीकार करते हुये वित्त विभाग से प्रकरण पर परामर्श लेकर उत्तर प्रेषित करने को कहा। जनवरी 2006 तक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

वन विभाग

4.4.2 कार्पस निधि के निवेश न किये जाने के फलस्वरुप ब्याज की हानि।

कार्पस निधि में निवेश न करने के कारण विभाग को 1.05 करोड़ रुपये की हानि

माननीय उच्चतम न्यायालय ने बाण सागर परियोजना, मिर्जापुर के लिए सिंचाई विभाग को वन भूमि स्थानांतरित करने का आदेश दिया था (अप्रैल 2003)। इस भूमि में कैमूर वन्य जीव विहार (केडब्लूएस), मिर्जापुर के अन्तर्गत आने वाली 71.97 हेक्टेयर भूमि सम्मिलित थी। स्थानांतरण इस शर्त के अधीन था कि प्रदेश सरकार भारतीय वन्य जीव परिषद (आईबीडब्लूएल) के सुझावों का पालन करेगी जिसमें अन्य बातों के साथ साथ यह निर्दिष्ट था कि 65.15 करोड़ रुपये की धनराशि सिंचाई विभाग द्वारा वन विभाग को दी जायेगी तथा वन विभाग इस धनराशि में से 10 करोड़ रुपये की धनराशि कैमूर वन्य जीव प्रबंधन ट्रस्ट निधि (कार्पस निधि) के रुप में सृजित करेगी जिसका निवेश सरकारी बॉन्ड/प्रतिभूति में अथवा बैंक में किया जायेगा। वन विभाग द्वारा इस धनराशि से अर्जित ब्याज का उपयोग प्रभाग की प्रबन्ध योजना के अंतर्गत सन्निहित विकास कार्यों के निष्पादन एवं शेष पूर्ति में किया जाना था जिसे नियमित बजट प्रावधान से नही किया जा सकता था।

प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव वन प्रभाग (केडब्लूएफडी) मिर्जापुर, के अभिलेखों की जॉच (मार्च 2005) में पाया गया कि सिंचाई विभाग द्वारा प्रभाग को 25.15 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध करायी गई थी (मई 2003) जिसमें कॉर्पस निधि हेतु 10 करोड़ रुपये की धनराशि सम्मिलित थी। वन विभाग ने निधि को सृजित करने तथा धनराशि को बॉन्ड/प्रतिभूति/बैंक में निवेश करने के स्थान पर धनराशि को वन निक्षेप में जमा कर दिया जहॉ यह धनराशि अवरुद्ध पड़ी रही (मई 2005)। जैसा कि अभिलेखों में देखा गया प्रबंधन ट्रस्ट के सदस्यों के नामांकन में देरी एवं निधि के लिए नियमो एवं उपबंधों के गठन न होने के कारण कार्पस निधि सृजित नहीं की जा सकी।

धनराशि का निवेश बॉण्ड/प्रतिभूति/बैंक आदि में न होने के कारण वन विभाग जून 2003 से मई 2005 तक अर्जित होने योग्य ब्याज 1.05[1] करोड़ रुपये से वंचित रहा। केडब्लूएफडी ने केडब्लूएस के निमित्त अपनी प्रबन्ध योजना (2003–05) में 95.57 लाख रुपये के विकास कार्यो की योजना बनायी जिसके सापेक्ष मात्र 22.40 लाख रुपये की धनराशि बजट से अवमुक्त एवं उपयोग की गयी। इस प्रकार कॉर्पस निधि सृजित न किये जाने तथा इसका निवेश ब्याज अर्जित करने वाले उपायों पर न किये जाने के कारण वन विभाग 1.05 करोड़ रुपये की धनराशि से वंचित रहा, जिसका उपयोग नियोजित विकास कार्यों में किया जा सकता था।

इस सन्दर्भ में इंगित किये जाने पर शासन ने उत्तर में (अक्टूबर 2005) तथा वार्ता (नवम्बर 2005) में बताया कि सैद्धान्तिक रूप से वन भूमि के स्थानान्तरण की स्वीकृति देते हुये भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गयी पांच अन्य शर्तो में से कार्पस निधि का सृजन भी एक शर्त है तथा अन्य शर्तो के पूर्ण किये बिना कार्पस निधि का सृजन उचित नहीं होगा। अन्य सभी शर्तो के पूर्ण होने पर इसका सृजन किया जायेगा। उत्तर स्वीकार्य नही था, क्योकि अन्य शर्तो का पूर्ण किया जाना कार्पस निधि के सृजन में कोई बाध्यता नहीं थी, जबकि अपेक्षित धनराशि वन निक्षेप के अन्तर्गत पहले से ही सुलभ थी जिसका कोई ब्याज भी अर्जित नही हो सका जिसके फलस्वरूप अन्ततः विभाग को मई 2005 तक 1.05 करोड़ रुपये के ब्याज से वंचित रहना पड़ा।

1– दो वर्षो के लिए स्थायी जमा पर 5.25 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज की गणना की गयी ।

श्रम विभाग

4.4.3 दन्त उपकरणों पर निष्क्रिय निवेश

कर्मचारी राज्य बीमा योजना चिकित्सालयों में दन्त उपकरणों के कय पर 79.61 लाख रुपये के निवेश का विशेषज्ञों की नियुक्ति न किये जाने से निष्क्रिय रहना ।

निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ईएसआई) उ0प्र0, कानपुर ने दस ईएसआई चिकित्सालायों[1] में परिवर्द्धित दन्त चिकित्सा सेवाओं को उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से 79.61 लाख रुपये मूल्य के डेन्टल चेयर, डेन्टल एक्सरे मशीन, अल्ट्रासोनिक स्केलर्स और हैन्ड इन्स्ट्रूमेन्ट्स के सेट, प्रत्येक के दस नग कय किया (मार्च–99) । कय के लिए यह शर्त थी कि इन उपकरणों के संचालन हेतु उनके स्थापना के पूर्व राज्य सरकार दन्त चिकित्सक नियुक्त करेगी । उपकरण अप्रैल 1999 से मार्च 2000 के मध्य प्राप्त किये गये और सितम्बर 2000 तक स्थापित किये गये।

निदेशक, ईएसआई कानपुर के अभिलेखों की जॉच (फरवरी–2003) और दस चिकित्सालयों से इकट्ठा की गई सूचनाओं (जून–2005) में पाया गया कि लखनऊ, अलीगढ़, जाजमऊ और आजाद नगर स्थित चिकित्सालयों को उपलब्ध कराये गये उपकरणों का कोई उपयोग नहीं किया जा सका क्योंकि किसी नियमित अथवा अंशकालिक डेन्टल सर्जन तथा डेन्टल टेक्नीशियन की नियुक्ति नहीं की गयी थी (जून–2005) । किदवई नगर (कानपुर) तथा रेनूकूट (सोनभद्र) स्थित चिकित्सालयों में मई 2001 से अंशकालिक डेन्टल सर्जन कमशः नौ माह एवं तीन माह हेतु उपलब्ध कराये गये थे । सहारनपुर, बरेली, साहिबाबाद और आगरा स्थित चिकित्सालयों में अंशकालिक डेन्टल सर्जन एक वर्ष के लिए ही (16 मई 2001 से 15 मई 2002) नियुक्त रहे। अंशकालिक विशेषज्ञों की एक वर्ष की प्रारम्भिक नियुक्ति की समाप्ति पर रोगियों को दन्त सुरक्षा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु उपकरणों के उपयोग किये जाने के लिए शासन द्वारा कोई सेवा विस्तार नहीं दिया गया।

इस प्रकार इन चिकित्सालयों में डेन्टल सर्जनों की नियुक्त न किये जाने से 79.61 लाख रुपये के कय किये गये उपकरण निष्क्रिय रहे इसके अतिरिक्त रोगियों को परिवर्द्धित दन्त चिकित्सा सेवायें उपलब्ध कराये जाने का उद्देश्य भी अप्राप्त रहा।

शासन ने विचार विमर्श (अक्टूबर 2005) के दौरान बताया कि आवश्यक विशेषज्ञों की संविदा के आधार पर नियुक्ति किये जाने का प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है ।प्रकरण में जनवरी 2006 तक अन्तिम कार्यवाही प्रतीक्षित थी ।

नगर विकास विभाग

4.4.4 शासनादेशों के अनुपालन न किये जाने के कारण धनराशि अवरूद्ध रहना

शासनादेशों के अनुपालन न किये जाने से 6 करोड़ रुपये का अवरूद्ध रहना।

नगर पालिका परिषद, (न0पा0प0) मुजफ्फरनगर को सीमेंट ककीट सड़क के निर्माण एवं खुले हुए नालों के स्थान पर ह्यूम पाइप बिछाने के लिये 2 करोड़ रुपये का ब्याज रहित ऋण तथा नगरपालिका परिषद, फिरोजाबाद को सीवर लाइनों के बिछाने एवं पेयजल की व्यवस्था हेतु 4 करोड़ रुपये का ब्याज रहित ऋण शासन ने इन जनपदों के जिला अधिकारियों के माध्यम से स्वीकृत किया (फरवरी, 2004) । इन कार्यो को मार्च, 2004 तक पूर्ण कर लिया जाना था। स्वीकृत धनराशि को नगर पालिका परिषदों के वैयक्तिक लेखे खाते (वै0 ले0 खा0) में रखा जाना था जिनका अनुमोदन कार्य

[1] कानपुर जनपद के आजादनगर, किदवई नगर और जाजमऊ, सोनभद्र, बरेली, सहारनपुर शाहिबाबाद, अलीगढ़, आगरा और जनपद लखनऊ का सरोजनी नगर

प्रारम्भ के पूर्व लिया जाना अपेक्षित था । धनराशियों के उपयोग न होने की अवस्था में इन्हें कोषागार में वापस कर दिया जाना था।

जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर के अभिलेखों (अक्टूबर 2004) तथा जिलाधिकारी फिरोजाबाद के अभिलेखों की जॉच (मई, 2005) में पाया गया कि संबंधित जिलाधिकारियों द्वारा धनराशियों के उपयोग किये जाने की रुपरेखा निर्धारित किये बिना नगर पालिका परिषदों के वै0ले0खा0 में धनराशि हस्तान्तरित (मार्च, 2004) कर दी गयी थी । ये धनराशियॉ उपयोग में नहीं लायी जा सकी क्योंकि न0पा0प0 मुजफ्फरनगर द्वारा खुले नालों के स्थान पर ह्यूम पाइप बिछाने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया तथा न0पा0प0 फिरोजाबाद ने धनराशि को ऋण के स्वरुप में लेने के स्थान पर अनुदान के रुप में अवमुक्त करने का अनुरोध किया था। कार्यों का न तो निष्पादन किया गया न ही शासन के निर्देशों के अनुसार धनराशि को कोषागार को वापस किया गया, फलस्वरुप न0पा0प0 के वै0ले0खा0 में दिसम्बर 2005 तक धनराशि अवरूद्ध थी ।

इस प्रकार शासन के आदेशों का अनुपालन न किये जाने के कारण 6 करोड़ रुपये (2 करोड़ रुपये : न0पा0प0 मुजफ्फरनगर; 4 करोड़ रुपये : न0पा0प0, फिरोजाबाद) परिषदों के वै0ले0खा0 में अवरूद्ध थी ।

शासन ने विचार विमर्श (दिसम्बर 2005) के दौरान बताया कि निर्माण कार्यों को प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है। ।

नगर विकास विभाग

4.4.5 राजकीय राजस्व को बैंक में अवरूद्ध रखना

माघ मेला अधिनियम का उल्लंघन करके माघ मेला फण्ड बनाने के परिणामस्वरूप 2.14 करोड़ रुपये के राजकीय राजस्व को शासकीय खाते से बाहर निरूद्ध रखा जाना।

इलाहाबाद माघ मेला अधिनियम, 1940 के अनुसार मेला सम्बंधी प्राप्तियॉ/व्यय शासकीय खाते में जमा किया/नामे डाला जायेगा।

प्रभारी अधिकारी, माघ मेला , इलाहाबाद के अभिलेखों की जॉच (अक्टूबर 2004 व जून 2005) से प्रकाश में आया कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन करते हुए शासन द्वारा (अप्रैल 2000) निर्णय लिया गया कि माघ मेला क्षेत्र, इलाहाबाद से प्राप्त समस्त राजस्व राज्य कोषागार के बजाय 'माघ मेला फण्ड' नाम से एक राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गये खाते में रखा जायेगा। इस प्रकार प्राप्त राजस्व का उपभोग, माघ मेला के आकस्मिक व्यय पर किया जायेगा ।

प्रभारी अधिकारी, माघ मेला, इलाहाबाद ने उपरोक्त आदेश का अनुपालन करते हुए फरवरी 2000 से मई 2005 के मध्य 2.33 करोड़ रुपये पंजाब नेशनल बैंक में किराया व अन्य आय से सम्बंधित प्राप्त राजस्व जमा किया, जिसमें से मात्र 18.91 लाख रुपये (0.63 लाख रुपये : वर्ष 2003–04 : 18.28 लाख रुपये : वर्ष 2004–05) का ही उपयोग आकस्मिक व्यय पर किया गया । 2.14 करोड़ रुपये अवशेष धनराशि बैंक खाते में अप्रयोज्य पड़ी रही ।

इस प्रकार, अनाधिकृत माघ मेला फण्ड का सृजन तथा माघ मेला प्राप्तियों को बैंक में जमा करने के परिणामस्वरूप राजकीय धन को शासकीय खाते से बाहर अनियमित रूप से अवरूद्ध रखा गया ।

शासन ने उपरोक्त तथ्यों एवं ऑकड़ों की पुष्टि करते हुए कहा (अक्टूबर 2005) कि प्रकरण में शासन स्तर पर अभी तक (दिसम्बर 2005) कोई निर्णय नहीं लिया गया।

4.5 नियमितता एवं अन्य प्रकरण

शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)

4.5.1 अनुदान का अनियमित रूप से अवमुक्त किया जाना

उन स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों, जो कि अनुदान की शर्तों को समय से पूरा करने में विफल रहे के विरुद्ध शिक्षा विभाग द्वारा कार्यवाही आरम्भ करने में विफलता के परिणामस्वरूप 2.10 करोड़ रुपये तथा उस पर उपार्जित व्याज 81.07 लाख रुपये की वसूली न होना ।

प्राइवेट प्रबंधतंत्र/संस्थाओं द्वारा अनसर्व्ड[3] क्षेत्र में स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों की स्थापना करने को प्रोत्साहित करने के लिए शासन ने यह निश्चय किया (मई–1999) कि एक संकाय के डिग्री कालेज की स्थापना हेतु 30 लाख रुपये तथा एक से अधिक संकाय वाले डिग्री कालेज की स्थापना हेतु 50 लाख रुपये का अनुदान उपलब्ध कराया जाय। महाविद्यालयों को अनुदान की राशि तीन किस्तों में दी जानी थी जिसका उपयोग विद्यालय भवन का निर्माण, पुस्तकालय की स्थापना तथा उपकरणों के क्रय पर किया जाना था । प्रत्येक किस्त का उपयोग चार माह में कर लिया जाना था । अनुदान अवमुक्त किये जाने की अन्य शर्तों के साथ यह भी शर्त थी कि विद्यालय भूमि शासन के नाम बंधक रहेगी जिससे शासन से प्राप्त फंड सुरक्षित रहे । अनुदान का दुरुपयोग करने अथवा निर्माण कार्य प्रारम्भ करने में 6 माह से अधिक विलम्ब करने पर आवश्यक रूप से 16 प्रतिशत की दर से व्याज के साथ अनुदान की वसूली भू राजस्व की भॉति की जानी थी ।

शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा), इलाहाबाद (डीई) जिन्हें इस अनुदान के उपयोग का अनुश्रवण करना था के लेखा अभिलेखों की जॉच (मार्च–2005) में पाया गया कि 1999 से 2004 की अवधि में अनुदान के प्रथम किस्त के रूप में 55 डिग्री कालेजों को 5.90 करोड़ रुपये अवमुक्त किया गया था । शिक्षा निदेशक ने 19 डिग्री कालेजों को अनुदान की द्वितीय किस्त की धनराशि को दिये जाने हेतु संस्तुति नहीं प्रदान की थी (फरवरी–2005) क्योंकि इन विद्यालयों द्वारा प्रथम किस्त की प्राप्त धनराशि 2.10 करोड़ रुपये के आवश्यक उपयोगिता प्रमाण–पत्र नहीं प्रेषित किया गया था । इनमें सें 14 डिग्री कालेजों ने जिन्हें 1.50 करोड़ रुपये उपलब्ध कराया गया था, उनके द्वारा भूमि का वांछित बंधक प्रपत्र भी नहीं प्रेषित किया गया था । बंधक प्रपत्र/उपयोगिता प्रमाण–पत्र की मार्च 2005 तक की स्थिति परिशिष्ट 4.3 में दर्शायी गयी है । विभाग द्वारा दोषी 19 विद्यालयों के विरुद्ध 2.10 करोड़ रुपये की उपयोगिता सुनिश्चित किये जाने अथवा 81.07 लाख रुपये वार्षिक व्याज की धनराशि के साथ वसूली संबंधी शासनादेश में अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गयी ।

संप्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर शिक्षा निदेशक ने बताया (मार्च 2005) कि अनुदान की वसूली का प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया है । उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि दोषी इकाईयों के विरुद्ध निर्धारित अवधि में अनुदान की धनराशि का उपयोग सुनिश्चित कराने अथवा संबंधित जिलाधिकारियों के द्वारा वसूली का प्रमाण–पत्र निर्गत करने में डी0ई0 असफल रहे । इस प्रकार 19 दोषी इकाईयों से 2.91 करोड़ रुपये की वसूली कराने में विभाग असफल रहा ।

शासन ने विचार विमर्श (अक्टूबर–2005) में बताया कि आवश्यक बंधक प्रपत्र और उपयोगिता प्रमाण–पत्र विद्यालयों से एकत्र किये जा रहे है यद्यपि कोई भी अभिलेख इस संबंध में प्रस्तुत नहीं किया गया ।

[3] 16 किमी. के परिक्षेत्र में डिग्री कालेज का न होना।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा श्रम विभाग

4.5.2 राजकीय आवासों के आवंटियों से विद्युत देयों की वसूली न किया जाना

राजकीय आवासीय भवनों के विद्युत देयकों का भुगतान 1.51 करोड़ रुपये राजकोष से किया गया और आवंटियों से धनराशि की वसूली नहीं की गयी ।

शासनादेश (मई 2003) के अनुसार राजकीय आवासीय भवनों के विद्युत देयकों का भुगतान राजकोष से नही किया जाना चाहिए। आवासीय भवनों के आवंटियों को स्वतः विद्युत मीटर का प्रबन्ध कर विद्युत देयकों का भुगतान अप्रैल 2003 से करना था। उन प्रकरणों में जहॉ पर आवासीय एवं अनावासीय राजकीय भवनों हेतु एक ही पावर कनेक्सन था, आहरण एवं वितरण अधिकारी (डीडीओ) का यह दायित्व था कि, जब तक कि अलग से विद्युत मीटर नहीं लगते, आवंटियों के वेतन बिल से निर्धारित दरों[1] से विद्युत देयकों की वसूली करते।

मुख्य चिकित्साअधिकारी (मु0चि0अ0) कानपुर नगर, गाजियाबाद, पडरौना और लखीमपुर खीरी के अभिलेखों की जॉच (मई–सितम्बर 2005) में पाया गया कि मुख्य चिकित्साअधिकारियों के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा अन्य चिकित्सालयों के आवासीय भवनों के 673[2]आवंटियों ने न तो मीटर ही लगवाया और न ही मुख्य चिकित्साअधिकारियों द्वारा निर्धारित दर से इन आवंटियों के वेतन बिलों से विद्युत देयकों की कटौती की गयी । अप्रैल 2003 से जून 2005 की अवधि में इन 673 आवंटियों से निर्धारित दर से 95.36 लाख रुपये विद्युत देयकों की वसूली के विरुद्ध मुख्य चिकित्साअधिकारी, गाजियाबाद द्वारा 47 आवंटियों के वेतन बिल से केवल 0.49 लाख रुपये की कटौती सम्बन्धित अवधि में की गयी थी तथा अवशेष राशि की वसूली लंबित रही (जुलाई, 2005)। 94.87 लाख रुपये अवशेष विद्युत देयकों का भुगतान राजकोष से किया गया था ।

इसी प्रकार कर्मचारी राज्य बीमा योजना (क.रा.बी.यो.) कानपुर के सम्बद्व पॉच चिकित्सालयों[3] के अभिलेखों की जांच (फरवरी 2005) और अतिरिक्त एकत्रित सूचनाओं(अगस्त 2005) से प्रकाश में आया कि इन पांच चिकित्सालयों के 481 आवासीय भवनों[4] के आवंटियों ने न तो अपने से आवासीय इकाइयों में मीटर ही लगवाया और न ही इनके वेतन बिल से निर्धारित दरों पर विघुत देयकों की सम्बन्धित चिकित्सा अधीक्षकों / मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों (चि0अ0/मु0चि0अ0) ने जिनके प्रशासकीय नियंत्रण में ये आवास थे , कोई वसूली ही की थी । इन 481 आवंटियों के वेतन बिल से निर्धारित दर से अप्रैल 2003 से जुलाई 2005 की अवधि में 59.85 लाख रुपये विद्युत देयकों की वसूली के सापेक्ष केवल 3.74 लाख रुपये की ही संबंधित चिकित्सा अधीक्षकों /मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों ने संबंधित अवधि में वसूल किया और शेष धनराशि वसूली हेतु अवशेष थी (जुलाई 2005)। वसूल न की गयी धनराशि 56.11 लाख रुपये का भुगतान राजकोष से किया गया ।

इस प्रकार विद्युत मीटरों को न लगाये जाने और विद्युत देयकों की वसूली न करके इसका भुगतान राजकोष से करना एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता थी साथ ही साथ 1.51 करोड़ रुपये के बकाये धनराशि का भी संग्रह हुआ ।

प्रकरण पर शासन से विचार–विमर्श हुआ (सितम्बर और अक्टूबर 2005)।चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के संबंध में शासन ने संबंधित मु0चि0अ0 के स्तर पर घटित भूल को स्वीकारा तथा सुधारात्मक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया जबकि श्रम विभाग के

[1] टाइप–एक : 161 रुपये प्रतिमाह, टाइप–दो : 537 रुपये प्रतिमाह, टाइप–तीन : 937 रुपये प्रतिमाह, टाइप–चार : 1243 रुपये प्रतिमाह,

[2] मु0चि0अ0 कानपुर नगरः 119 इकाइयॉ, मु0चि0अ0 गाजियाबादः 129 इकाइयॉ, मु0चि0अ0 पड़रौनाः 216 इकाइयॉ, और मु0चि0अ0 लखीमपुर खीरी : 209 इकाइयॉ

[3] किदवई नगर, आजदनगर, जाजमउ, सर्वादयनगर एवं पॉडू नगर स्थित चिकित्सालय ।

[4] किदवई नगरः100, आजादनगरः67, जाजमउः 108 ,सर्वोदयनगरः 42 एवं पाडंवनगरः 164

संबंध में शासन ने बताया कि आवंटियों से बकाये विद्युत देयकों की वसूली का प्रस्ताव शासन स्तर पर परीक्षणाधीन है ।

लोक निर्माण विभाग

4.5.3 कन्सल्टेन्सी फर्म को अविवेकपूर्ण भुगतान

त्रुटिपूर्ण अनुबन्ध निश्पादन के कारण सेवाओं में कमी तथा 29.15 करोड़ रुपये का अविवेकपूर्ण भुगतान

वित्तीय नियमों में व्यवस्था है कि अधिक महत्व के कार्यों से सम्बन्धित अनुबन्ध को विशेष रुप से राजकीय विधि अधिकारियों द्वारा तैयार किये जाने चाहिए तथा अनुबन्ध की पूर्ति हेतु निरुपवाद रुप से जमानत अवश्य ली जानी चाहिए।

कार्य अधीक्षक, विभागीय निर्माण इकाई (मार्ग), लोनिवि, लखनऊ के अभिलेखों की जांच (मई 2003) तथा सितम्बर 2004 से जून 2005 के मध्य मुख्य अभियन्ता (सीई), विश्व बैंक, लोनिवि, लखनऊ से प्राप्त की गयी सूचना से यह तथ्य प्रकाश में आया कि सीई द्वारा विश्व बैंक सहायतित स्टेट रोड प्रोजेक्ट–।।[1] के अंतर्गत महत्वपूर्ण स्टेट हाइवेज एवं मुख्य जिला मार्गों के उच्चीकरण एवं वृहद अनुरक्षण के लिए परामर्शदात्री सेवा प्रदान करने हेतु नीदरलैण्ड की एक कन्सलटेंसी फर्म के साथ पांच वर्षों के लिए एक अनुबन्ध 37.36 करोड़ रुपये लागत के लिए जून 1999 में गठित किया गया (फेज–। : 15.91 करोड़ रुपये तथा फेज–।। : 21.45 करोड़ रुपये)।

अनुबन्ध के अंतर्गत विहित कार्यों में फिजिबिलिटी स्टडी के आधार पर मार्गों चिन्हीकरण, विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना, कार्य के पैकेजों को तैयार करने में सहायता, कार्यदायी संस्थाओं का चयन तथा प्रोजेक्ट कार्य संपादन के दौरान लोनिवि से समन्वय स्थापित करना। समाविष्ट अनुबन्ध की शर्तों को विधि अधिकारियों से बिना परामर्श लिए जो वित्तीय नियमों के अनुसार आवश्यक था, अनुबन्ध का गठन किया गया। फर्म से कोई परफारमेंस सिक्यूरिटी नहीं ली गयी। अनुबन्ध के अनुसार भुगतान मैन–मन्थ के आधार के पर किया जाना था, भुगतान के लिए फर्म द्वारा किये गये कार्य के आकलन हेतु कोई मानक निर्धारित नही किया गया था।

फर्म का कार्य निष्पादन अनुबन्ध के 16 कार्य मदों (फेज–। : 15, फेज–।। : 1) में लोनिवि द्वारा संतोषजनक नहीं पाया गया तथा 39 कार्य मदों (फेज–। : 10, तथा फेज–।। : 29) पर फर्म द्वारा कार्य नहीं किया गया ***(परिशिष्ट 4.4)***। फर्म ने जुलाई 2003 में कार्य बन्द कर दिया। विभाग ने फर्म से कमियों को दूर करते हुए पुनरीक्षित डिजाइन एवं ड्राइंग प्रस्तुत करने हेतु निवेदन किया (मार्च 2004)। फर्म द्वारा विभाग के निवेदन का कोई उत्तर नहीं दिया गया। अतएव अनुबन्ध को समाप्त कर दिया गया (जून 2004)। अनुबन्ध में असंतोषजनक/अधूरे कार्य के लिए पेनाल्टी क्लाज न होने के कारण फर्म पर कोई पेनाल्टी नहीं लगायी जा सकी।

यह प्रकाश में आया कि कन्सल्टेंट फर्म को भुगतान, कार्य की गुणवत्ता एवं अनुमन्यता पर आधारित नहीं था क्योंकि ये पहलू अनुबन्ध में आच्छादित नहीं थे और भुगतान मैन–मन्थ के आधार पर किया गया था। परिमाणामस्वरूप कार्य संतोषजनक ढंग से किया गया यह सुनिश्चित किये बिना ही विभाग ने 29.15 करोड़ रुपये फर्म को भुगतान कर दिया।

इंगित किये जाने पर सीई ने उत्तर दिया (जून 2005) कि विश्व बैंक की गाइड लाइन्स के अनुसार तैयार किये गये अनुबन्ध की शर्तों के अंतर्गत मैन–मन्य आधार पर भुगतान किया गया।

[1] फेज ।– अपग्रेडेशन 400 किमी, मेजर मेन्टीनेन्स 800 किमी
फेज ।।– अपग्रेडेशन 600 किमी, मेजर मेन्टीनेन्स 1700 किमी

उत्तर अमान्य था क्योंकि विश्व बैंक की गाइड लाइन्स की परिधि में ही अनुबन्ध की शर्तें स्थानीय आवश्यकताओं और विधि के अनुसार संशोधनीय थी। इसके अतिरिक्त शासन के हितों की रक्षा के लिए विश्व बैंक प्रोक्योरमेण्ट गाइडलाइन्स के सेक्शन 4.6 में उल्लिखित प्राविधान के तहत निगोशिएसन करके परफार्मेंस पर आधारित भुगतान की शर्तों को संशोधित किया जा सकता था ।

इस प्रकार अनुबन्ध में भुगतान को कार्य के भौतिक प्रगति पर आधारित होने के बारे में स्पष्ट शर्तों का अभाव व परफारमेन्स सिक्यूरिटीज न लेने के कारण फर्म को 29.15 करोड़ रुपये का भुगतान अविवेकपूर्ण था।

शासन ने वार्ता (दिसम्बर 2005) में सूचित किया कि इस प्रकरण का उत्तर बाद में दिया जायेगा। शासन का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जनवरी 2006)।

4.5.4 मार्ग के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण में अनुपयुक्त सामग्री का प्रयोग

मार्ग के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण कार्य में अनुपयुक्त सामग्री के प्रयोग से 4.48 करोड़ रुपये का अधोमानक कार्य

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (मोर्थ) की विशिष्टियों एवं समय समय पर निर्गत विभागीय निर्देशों (जून 1974 एवं फरवरी 1984) के अनुसार मार्ग के पेवमेण्ट के सोलिंग कोट का निर्माण उचित साइज की पत्थर गिटटी से किया जाना चाहिए। सोलिंग कोट हेतु ईंट अनुमोदित सामग्री नहीं है। इसके अतिरिक्त ईंट की दलन क्षमता (140 किग्रा/वर्गसेमी) पत्थर रोड़ी (650 किग्रा/वर्गसेमी) की तुलना में कम है। इसलिए मार्ग के पेवमेण्ट के बेस कोर्स हेतु ईंट को उपयुक्त सामग्री नहीं माना जाता है।

अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोनिवि, गोण्डा के अभिलेखों की जांच (फरवरी 2005) में प्रकाश में आया कि फरेन्दा–जरवल मार्ग, राज्य राजमार्ग–।ए (किमी 157 से किमी 170 तथा किमी 173 से किमी 180) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की स्वीकृति (जुलाई 2001) 8.44 करोड़ रुपये की प्राक्कलित राशि हेतु दी गयी थी जिसकी तकनीकी स्वीकृति (अप्रैल 2002) मुख्य अभियंता (सीई), लोनिवि, फैजाबाद द्वारा प्रदान की गई थी।

कार्य के अन्तर्गत मार्ग की वर्तमान कस्ट मोटाई 29 सेमी से 45 सेमी बढ़ाया जाना तथा मार्ग की चौड़ाई 3.70 मीटर से 7.00 मीटर किया जाना शामिल था। चौड़ीकृत भाग में भी कस्ट की मोटाई 45 सेमी रखी जानी थी। कार्य मार्च 2004 में 9.07 करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण किया गया था। चौडीकृत भाग के कार्यों पर व्यय 4.48 करोड़ रुपये था। अग्रेतर जांच में पाया गया कि चौड़ीकृत भाग के सोलिंग कोट में उपयुक्त साइज की पत्थर की गिटटी के स्थान पर ईंट खड़ंजा (बीओई) डालकर वांछित कस्ट मोटाई प्राप्त की गयी थी।

इस प्रकार चौड़ीकृत भाग में 4.48 करोड़ रुपये की लागत से संपादित कार्य अधोमानक था क्योंकि सोलिंग कोट में उपयुक्त सामग्री की तुलना में बीओई लगाने से प्राप्त कस्ट की मजबूती, उपयुक्त सामग्री की मजबूती की तुलना में कम थी।

इसे इंगित किये जाने पर सीई ने बताया कि उखाड़ी गयी पुरानी ईंटों का प्रयोग मितव्ययिता के रूप में किया गया था और मार्ग के चौड़ीकृत भाग की शक्ति पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं था क्यांकि पेवमेण्ट के मध्य भाग की तुलना में किनारों पर यातायात भार कम रहता है। शासन ने वार्ता (दिसम्बर 2005) में तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए सीई के उत्तर का समर्थन करते हुए यह भी सूचित किया कि विगत 50 वर्षों से लोनिवि द्वारा सोलिंग कोट में ईंट खड़ंजे का प्रयोग किया जा रहा था क्योंकि यह अनुमोदित तकनीकी विशिष्टियों के अनुरूप था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि सोलिंग कोट में बीओई का प्रावधान विशिष्टियों के अनुरूप नहीं था। मार्ग के चौड़ीकरण वाले भाग में कस्ट की मोटाई मार्ग के मध्य भाग के बराबर होनी चाहिये।

ग्राम्य विकास विभाग

4.5.5 प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना निधि की अनियमित अवमुक्ति /उपयोग ।

उ0 प्र0 जल निगम के प्रखण्डों को 41.10 करोड़ रुपये अनियमित अवमुक्त जिसमें 16.43 करोड़ रुपये उन कार्यो पर व्यय किये गये जो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (ग्रामीण पेय जल) में आच्छादित नहीं थे ।

प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (ग्रामीण पेय जल) (पीएमजीवाई) केन्द्र प्रायोजित योजना, के अंतर्गत शासन ने 41.10 करोड़ रुपये स्वीकृत किये (मार्च 2001) तथा प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम को इस धनराशि को वैयक्तिक लेखा खाते (पी0एल0ए0) में जमा किये जाने के निर्देश दिये। शासन के निर्देशों में अन्य के अतिरिक्त इसका भी प्राविधान था कि शासन की पूर्व स्वीकृति के बिना इस धनराशि में से कोई भी राशि व्यय न किया जाय। माह अक्टूबर 2001 में शासन ने प्रदेश के 70 जिलों में जनपदवार आवंटित करते हुए 41.10 करोड़ रुपये अवमुक्त किया तथा प्रबन्ध निदेशक, जल निगम को यह निर्देश दिया कि संबंधित जिला अधिकारियों (डीएम) को आवंटित राशि अवमुक्त कर दी जाय। शासन ने संबंधित जिला अधिकारियों को यह निर्देश भी दिये थे कि विनियोजित राशि के 25 प्रतिशत धनराशि का उपयोग जल संरक्षण, वर्षा जल हार्वेस्टिंग, भूमिगत जल रीचार्ज एवं जल अभाव/ सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में पेय जल स्रोतों का पोषण संबंधित योजनाओं/परियोजनाओं पर तथा अवशेष 75 प्रतिशत राशि का उपयोग ग्रामवासियों को शुद्ध पेय जल उपलब्ध कराने वाली ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की योजनाओं/परियोजनाओं से संबंधित निर्गत मार्ग निर्देशों (नवम्बर 2000) के अनुसार किया जायेगा ।

जिला विकास अधिकारी, जालौन, बांदा, जल निगम मुख्यालय तथा शासन के ग्राम विकास विभाग के अभिलेखों की जॉच (जनवरी–जुलाई 2005) से पता चला कि अध्यक्ष जल निगम ने सम्पूर्ण धनराशि 41.10 करोड़ रुपये सम्बन्धित जिला अधिकारियों को अवमुक्त न करके अपने प्रखण्डों को अनियमित ढंग से अवमुक्त किया (मई–दिसम्बर 2001) जिसमें से 6.16 करोड़ रुपये हैण्ड पम्पों के रख–रखाव पर व्यय किये गये। इसके अतिरिक्त 10.27 करोड़ रुपये (पी एम जी वाई के कुल आवंटन का पच्चीस प्रतिशत) जो जल संरक्षण, वर्षा जल हार्वेस्टिंग , भूमिगत जल रीचार्ज एवं जल अभाव/ सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में पेय जल स्रोतों के पोषण परियोजनाओं/ योजनाओं हेतु चिन्हित था, इन कार्यो पर कत्तई व्यय नहीं किया गया ।

शासन ने विचार–विमर्श (दिसम्बर, 2005) के दौरान तथ्यों तथा ऑकड़ों की पुष्टि की तथा अध्यक्ष उ0 प0 जल निगम द्वारा शासन के निर्देशों की अवहेलना स्वीकार की ।

अध्याय – पॉच

सरकारी विभागों में आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली

अध्याय–पाँच

माध्यमिक शिक्षा विभाग

5 माध्यमिक शिक्षा विभाग में आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली

एक संगठन के अन्तर्गत आन्तरिक नियन्त्रण वह प्रणाली है जो लक्ष्य को सुचारू रूप से प्राप्त करने के लिए अपनी गतिविधियो को चलाती है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली के मूल्यांकन में वित्तीय, परिचालन एवं अनुश्रवण नियन्त्रण की कमियॉ परिलक्षित हुई। वित्तीय वर्ष के अन्तिम चरणों में धनराशि को विलम्ब से समर्पण किया गया था। गरीब बालिकाओं के लिए प्रोत्साहन योजना पात्र लाभार्थियों का सर्वेक्षण किए बिना ही प्रारम्भ कर दी गयी तथा शासकीय नियमों/आदेशों का अनुपालन न करने से एक बैंक में कपट पूर्ण आहरण हुआ। अनुदानित विद्यालयों के सामान्य भविष्य निधि के अभिलेखों का समुचित रख रखाव न होने के कारण प्रत्याहरण का पूर्ण खतरा था। आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रबन्धन अपर्याप्त एवं वित्तीय अनियमितताओं के विरुद्ध आश्वासन प्रदान करने में सक्षम नहीं था।

मुख्य अंश

- **व्यय के अनुश्रवण के प्रभावी नियन्त्रण के अभाव में वित्त विभाग को कुल 309.14 करोड़ रुपये की बचत समय से समर्पण न करने के कारण सम्बन्धित वित्तीय वर्षों में दूसरे क्षेत्रों में प्रयुक्त नहीं हो पाई थी ।**

(प्रस्तर : 5.5.1)

- **56 लाख रुपये का कपटपूर्ण आहरण किया गया क्योंकि जिला विद्यालय निरीक्षक, कानपुर नगर न केवल अपने द्वारा परिचालित अनाधिकृत बैंक खाता को बन्द कराने में विफल रहे बल्कि चेक की अभिरक्षा के लिए निर्धारित प्रकिया का अनुपालन भी नहीं किया।**

(प्रस्तर : 5.5.2)

- **एक ही समय में दो जीपीएफ लेखाशीर्षों के संचालन की अनुमति प्रदान करने तथा जीपीएफ लेखाओं का जिला विद्यालय निरीक्षकों द्वारा रख रखाव न करने एवं खराब नियन्त्रण के फलस्वरूप अनुदानित विद्यालयों के 1.48 लाख रुपये कर्मियों के जीपीएफ लेखा से प्रत्याहरण होने का पूर्ण खतरा था।**

(प्रस्तर : 5.5.3)

- **कन्या विद्या धन योजना के अन्तर्गत जिला समितियॉ सही संख्या में पात्र लाभार्थियों का निश्चित समय में चयन करने में असफल रही जिसके कारण अवितरित प्रोत्साहन धनराशि 36.51 करोड़ रुपये एकत्रित हो गयी। लाभार्थियों के त्रुटिपूर्ण चयन के कारण 19.60 लाख रुपये प्रोत्साहन धनराशि केवल तीन जनपदों में ही 192 अयोग्य पात्रों को वितरित कर दी गयी।**

(प्रस्तर : 5.6.3)

- **विद्यालयों की गतिविधियों का पर्याप्त रूप से अनुश्रवण नहीं किया गया क्योंकि क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, उप निदेशक एवं जिला विद्यालय निरीक्षक निर्धारित मानकों के अनुसार भौक्षिक संस्थाओं का निरीक्षण करने में असफल रहे ।**

(प्रस्तर : 5.8)

➢ **विभाग में आन्तरिक लेखा परीक्षा की व्यवस्था नवजात स्तर पर थी तथा अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इसे प्रशिक्षित जनशक्ति, व्यवसायिक दक्षता एवं आवश्यक प्रणालियों से लैस होना वांछित था।**

(प्रस्तर : 5.9)

5.1 प्रस्तावना

आन्तरिक नियन्त्रण एक संगठन के अन्दर की वह प्रणाली है जो अपनी गतिविधियों से लक्ष्य को सुचारू रूप से प्राप्त करती है। एक स्वतः आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा नियमों, प्रावधानों एवं मैनुअल का दृढ़तापूर्ण अनुपालन मानकों एवं नियमों को लागू करने के बारे में विभाग को आवश्यक सुनिश्चितता प्रदान करते हैं जिससे वित्तीय सूचना की विश्वसनीयता एवं विभागीय परिचालन की प्रभावशीलता एवं गुणवत्ता प्राप्त होती है।

उच्च विद्यालयों, इण्टरमीडिएट, पत्राचार एवं व्यवसायिक शिक्षा के लिए परीक्षाओं का संचालन, पाठयक्रमों का निर्धारण राजकीय विद्यालयों की स्थापना एवं निजी विद्यालयों की मान्यता माध्यमिक शिक्षा विभाग के मुख्य कार्य हैं। माध्यमिक शिक्षा में जूनियर एवं सीनियर सेकेण्डरी स्तर अर्थात कक्षा 6 से 12 तक शामिल है।

प्रदेश में कुल 548 राजकीय, 4474 अनुदानित एवं 774 स्वयं वित्त पोषित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं इण्टरमीडिएट कालेज हैं। राजकीय विद्यालय का प्रबन्धन शिक्षा विभाग के पास है जबकि माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 द्वारा मान्यता प्राप्त अनुदानित संस्थाओं के शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों के वेतन भत्ते के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। स्ववित्त पोषित संस्थाओं को शासन से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाती है ।

5.2 संगठनात्मक ढॉचा

प्रधान सचिव माध्यमिक शिक्षा शासन स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। विभाग के शीर्ष पर निदेशक माध्यमिक शिक्षा (डीई) हैं जिनकी सहायता के लिये चार अपर निदेशक, तीन संयुक्त निदेशक (जेडी) एवं नौ उप निदेशक (डीडी) मुख्यालय स्तर पर हैं तथा एक जेडी एवं एक डीडी प्रत्येक 17 क्षेत्रीय कार्यालय में एवं एक जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) प्रत्येक जिले में नियुक्त हैं। वित्त नियन्त्रक (एफसी) वित्तीय प्रबन्धन में निदशक की मदद करते हैं तथा विभाग के मुख्य आन्तरिक लेखा परीक्षक भी होते हैं। सत्रह वित्त एवं लेखाधिकारी (एफओ) क्षेत्रीय स्तर पर कार्यरत हैं तथा इन पर व्यय के पूर्व जांच का दायित्व है। ये विभागीय आन्तरिक लेखा परीक्षा के लिए भी उत्तरदायी हैं।

5.3 लेखापरीक्षा का आच्छादन

लेखा परीक्षा द्वारा 2002–05 की अवधि का प्रधान सचिव माध्यमिक शिक्षा, डीई, आठ जेडी,[1] एफएओ तथा डीआईओएस[2] (प्रत्येक नमूना जांच परिक्षेत्र से एक) के कार्यालयों की नमूना जॉच जुलाई 2005 से नवम्बर 2005 की अवधि में की गयी ।

5.4 लेखापरीक्षा की विधि

शासन एवं विभाग की गतिविधियों की लेखा परीक्षा करने के अतिरिक्त प्रत्येक क्षेत्र से एक डीआईओएस का नमूना जॉच के लिये बजट आवंटन पर आधारित पीपीएस[3] सैम्पलिंग विधि द्वारा चयन किया गया था। डीआईओएस स्तर पर एसआरएस[4] सैम्पलिंग विधि से एक राजकीय विद्यालय एवं दो अनुदानित संस्थाओं का चयन किया गया था।

[1] इलाहाबाद, आजमगढ़, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, मेरठ तथा वाराणसी

[2] इलाहाबाद, आजमगढ़, झांसी, कानपुर, लखनऊ, जे पी नगर, अमरोहा, मेरठ तथा वाराणसी

[3] प्रोबेब्लिटी प्रपोशनल टू साइज

[4] सिम्पुल रैन्डम सैम्पलिंग

समीक्षा समाप्ति के पश्चात निष्कर्षों पर शासन के साथ दिसम्बर 2005 में समापन गोष्ठी की गयी जिसमें समीक्षा की आपत्तियों तथा संस्तुतियों पर विचार विमर्श किया गया था। इस गोष्ठी में जो विचार व्यक्त किया गया था उसे समीक्षा के अन्तिमीकरण में सम्मिलित किया गया ।

लेखापरीक्षा परिणाम

5.5 वित्तीय नियन्त्रण

2002-05 की अवधि में विभाग का बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत थी:

तालिका 1

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	आवन्टन	व्यय	समर्पण
2002.03	2033.78	1938.54	95.24
2003.04	2307.38	2158.27	149.11
2004.05	2351.27	2286.48	64.79
	6692.43	**6383.29**	**309.14**

5.5.1 निधियों का विलम्ब से समर्पण

वित्तीय वर्ष के अन्तिम चरण में 309.14 करोड़ रुपये की धनराशि का समर्पण

बजट मैनुअल के अनुसार वर्ष में सभी सम्भावित बचतो को नियन्त्रण अधिकारी द्वारा प्रत्येक वर्ष कम से कम 25 जनवरी तक वित्त विभाग को सूचित कर दिया जाना चाहिए अन्यथा इसकी अवहेलना एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता मानी जाएगी।

यद्यपि अनुदानित संस्थाओं में 8427 शिक्षकों के पद खाली थे परन्तु नियन्त्रण अधिकारी ने 2002–05 के किन्हीं भी वर्षों में होने वाली बचतों का समयानुसार आकलन करने में असफल रहे जिसके फलस्वरूप इन वर्षों के अन्तिम चरण में कुल 270.29 करोड़ रुपये का समर्पण किया गया। इसी प्रकार निर्माण कार्य विद्यालयों के उच्चीकरण एवं विषय विशेषज्ञ के मानदेय के मदों के अन्तर्गत कुल 38.85 करोड़ रुपये का समर्पण वर्ष के अन्तिम चरण में किया गया। व्यय के अनुश्रवण के लिए प्रभावी नियन्त्रण के अभाव में सम्भावित बचतों का आकलन नहीं किया जा सका एवं वित्त विभाग को सम्बन्धित वर्षों में दूसरे सेक्टरों में उपयोग के लिए समय पर समर्पित नहीं किया जा सका।

5.5.2 कपटपूर्ण आहरण

शासन ने सारे बैंक खातों को बन्द करने एवं इनकी शेष राशियों को शासकीय खज़ाने में डालने के निर्देश दिये थे (मार्च 1999)। इसके विपरीत निम्नलिखित नमूना जॉच वाले जनपदों में छात्रवृत्ति, सामूहिक बीमा एवं मानदेयों की अवितरित राशि को रखने के लिए बैंक खाते संचालित थे :

तालिका –2

कमांक	पदनाम/स्थान	बैंक का नाम/लेखा संख्या	अन्तिम शेष (लाख रुपये में)तिथि
1	जेडी, वाराणसी	भारतीयस्टेटबैंक(एसबीआई)/1000063016	11.67/23.7.2005
2	डीआईओएस, वाराणसी	एसबीआई/ 0063462	24.05/9.7.2005
3	एसोसिएट डीआईओएस, वाराणसी	भारतीय ओवरसीज बैंक (आईओबी)/767	4.86/10.9.2005
4	डीआईओएस, आजमगढ़	एसबीआई /109047793	80.88/21.9.2005
5	डीआईओएस, जे पी नगर (अमरोहा)	एसबीआई/0100050055 इलाहाबाद बैंक/जेन/8965	3.05/28.4.2005 3.70/28.6.2005
6	डीआईओएस, मेरठ	आईओबी /2249	37.65/19.10.2005
7	डीआईओएस, कानपुर नगर	एसबीआई /100/0100125	अनुपलब्ध
8	डीआईओएस, झांसी	एसबीआई 0100000672 एवं 01000050246	17.13 एवं 6.05/1.12.2005

डीआईओएस कानपुर नगर के अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक[1] के जाली हस्ताक्षर से 56 लाख रुपये की धनराशि 6 चेकों[2]

[1] श्री उमेश चन्द्र त्रिपाठी, श्री अखिलेश पाण्डेय

[2] चेक संख्या: तिथि: धनराशि:–338096: 9.6.2003: .5,15,725 रुपये : 338097 : 1.8.2003: 11,75,427 रुपये – 338098: 21.8.2003: 9,51,781 रुपये – 338100: 29.11.2003: 15,45,500 रुपये – 349048: 14.2.2004: 3,55,000 रुपये – 349049: 11.2.2004: 10,52,000– कुल: 55,95,453 रुपये

के माध्यम से इनके चालू खाते से जो उपर्युक्त शासनादेश की अवहेलना करके संचालित किया जा रहा था; कपटपूर्वक निकाल (जून 2003 से फरवरी 2004) ली गयी। डीआईओएस द्वारा तीन वरिष्ठ लिपिकों तथा सम्बन्धित बैंक कर्मचारियों के विरूद्ध पुलिस में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई (मार्च 2004)। यद्यपि ये वरिष्ठ लिपिक निलम्बित किए गए (मार्च 2004) तथा विभाग द्वारा आरोप पत्र दाखिल न किए जाने की दशा में इन्हें पुनः बहाल कर दिया गया (दिसम्बर 2005)। आगे जॉच में यह भी पाया गया कि चेक बुक डीआईओएस के बदले इन तीनों लिपिकों की अभिरक्षा में रखी गयी थी। इसके अतिरिक्त लम्बे समय से बैंक में पड़ी सामूहिक बीमा आदि के अनक्लेम्ड/शेष राशियों की वार्षिक आधार पर समीक्षा नहीं की गयी थी। चेक बुकों की अभिरक्षा के लिए निर्धारित नियमों का अनुपालन एवं अधिशेषों की समीक्षा नहीं किए जाने से कपटपूर्ण आहरण को बढ़ावा मिला ।

5.5.3 जीपीएफ लेखा शीर्षों में अन्तर

डीआईओएस द्वारा जीपीएफ अवशेषों को शीर्ष 8338 से 8009 में स्थानान्तरित करने के शासकीय आदेश का अनुपालन एवं जीपीएफ अभिलेखों का रख रखाव न करने के कारण डीआईओएस एवं कोषागार के अवशेषों में भिन्नता हुयी।

अनुदानित संस्थाओं के शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों के सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) लेखा विभाग द्वारा लेखा शीर्ष 8338 क्षेत्रीय निधि के अन्तर्गत रखे जाते थे। शासन ने वर्ष 2002–03 से जीपीएफ लेखा शीर्ष 8009 सामान्य भविष्य निधि के अन्तर्गत रखने के आदेश जारी किया (मार्च 2002) जिससे कि जीपीएफ लेखा का ठीक से अनुश्रवण हो सके। शासन ने फिर भी डीआईओएस एवं ट्रेजरी स्तर पर 8338 के अन्तर्गत जीपीएफ की शेष राशियों (31.3.2002 को) का मिलान कराए बिना अपने नये आदेश (अगस्त 2002) में 8009 खाते के साथ साथ 8338 के संचालन की भी अनुमति प्रदान कर दी।

नमूना जॉच वाले जनपदों के अभिलेखों की जॉच में देखा गया कि 2002–03 से डीआईओएस द्वारा लेखाओं के रख रखाव के लिये शीर्ष 8009 का संचालन किया गया परन्तु शीर्ष 8338 के अन्तर्गत जमा कुल 381.65[1] करोड़ रुपये (31.3.2002 तक) का अवशेष शीर्ष 8009 में स्थानान्तरित नहीं किया गया फलस्वरूप 2002–03 से दोनों लेखा शीर्ष साथ साथ संचालित किए जा रहे थे। यद्यपि अभिदाताओं द्वारा आहरण 8338 से किया जा रहा था परन्तु कटौतियॉ शीर्ष 8009 में जमा की गयी थीं।

एक अभिदाता के सही–सही जमा शेषों का आकलन करने के लिये डीआईओएस द्वारा जीपीएफ ब्राडशीट एवं लेजर का रख रखाव करना आवश्यक होता है क्योंकि अनुदानित संस्थाओं के लिये वे आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन डीआईओएस द्वारा फिर भी इन अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया। जॉच में यह भी पाया गया कि डीआईओएस द्वारा अनुदानित संस्थाओं के जीपीएफ आहरणों की संस्तुति केवल संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर ही कर दिया जाता था। परिणामस्वरूप जबकि कानपुर नगर में अप्रैल 2002 से मार्च 2004 की अवधि में लेखा शीर्ष 8338 के अन्तर्गत कोषागार से 21.58[2] करोड़ रुपये की धनराशि आहरित की गयी थी परन्तु डीआईओएस के जीपीएफ भुगतान पंजिका के अनुसार केवल 16.37 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदर्शित हो रही थी जिससे दोनों शीर्षों में 5.25 करोड़ रुपये का अन्तर था। इसी प्रकार आज़मगढ़ एवं झांसी में 28.92 करोड़ रुपये एवं 11.80 करोड़[3] रुपये शीर्ष 8338 के अन्तर्गत कोषागार से 2002–05 की अवधि में आहरित किए गए थे परन्तु दोनों डीआईओएस के जीपीएफ भुगतान पंजिका के अनुसार केवल 16.55

[1] (करोड़ रूपयों में) इलाहाबाद– 62.19, आजमगढ़–50.36,कानपुर नगर–51.24,लखनउ–37.82,जेपीनगर–6.34,मेरठ–77.37 तथा वाराणसी–77.20, झांसी–19.13

[2] आहरित राशि 31.3.2002 एवं 31.3.2004 के जीपीएफ के अन्तिम शेषों के अन्तर की राशि है (51.24 करोड़ रुपये – 29.66 करोड़ रुपये = 21.58 करोड़ रुपये)

[3] आजमगढ़:31.3.2002 को शेष 50.36 करोड़ रुपये : 31.3.2005 को शेष 21.44 करोड़ – अन्तर : 28.92 करोड़ झांसी :31.3.2002 का शेष 11.80 करोड़ रुपये 31.3.2005 का शेष 9.72 करोड़ रुपये – अन्तर 2.08 करोड़ रुपये

करोड़ रुपये एवं 9.72 करोड़ रुपये ही आहरित किये गए थे जिससे कमशः 12.37 करोड़ रुपये एवं 2.08 करोड रुपये का अन्तर परिलक्षित था।

इस प्रकार डीआईओएस स्तर पर जीपीएफ लेखों का रख–रखाव न होने एवं सम्पूर्ण प्रदेश के अनुदानित संस्थाओं के कुल 1.48 लाख शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों से सम्बन्धित 8338 के शेषों को 8009 में स्थानान्तरित न करने से जीपीएफ लेखाओं में प्रत्याहरण का पूर्ण खतरा था । डीआईओएस द्वारा लेन देनों को कोषागार अभिलेखों से मिलान का प्रयास नहीं किया गया जो कि व्यवस्था की नियन्त्रण प्रणाली में एक गम्भीर कमजोरी का द्योतक था। शासन द्वारा उत्तर (दिसम्बर 2005) में कहा गया कि अवशेषों को सत्यापन के उपरान्त 8009 में हस्तान्तरित कर दिया जायेगा।

5.5.4 व्यय विवरणों का प्रेषण

व्यय विवरण के प्रेषण न करने के कारण शासन 54.99 करोड़ रुपये के केन्द्रीय अनुदान से वंचित रहा ।

भारत सरकार (केन्द्र) द्वारा नेशनल फिटनेस कोर (एनएफसी) का एक एकीकृत प्रोग्राम प्रारम्भ किया गया था (1965) तथा राज्य सरकार द्वारा इसे उच्च एवं मध्य स्तर के स्कूलों में समान रूप से लागू करने के लिए अंगीकार किया गया।

एनएफसी के 802 इन्स्ट्रक्शनल स्टाफ जिनका भुगतान केन्द्र द्वारा किया जाता था और जो राज्य के स्कूलों में सेवारत थे, को राज्य में स्थानान्तरित (1972) कर शारीरिक ट्रेनिंग इंस्ट्क्टर के कैडर पर संविलीन कर दिया गया। केन्द्र ने फिर भी इन कर्मचारियों के वेतन भत्ते के भुगतान का दायित्व इनकी सेवानिवृत्ति तक अपने ऊपर लेना स्वीकार किया। इन कर्मचारियों को वेतन भत्तों के भुगतान की प्राप्ति के लिए शिक्षा विभाग द्वारा केन्द्र को प्रत्येक वर्ष व्यय विवरण भेजा जाना तय किया गया विभाग 1972–2004 की अवधि तक व्यय विवरण भेजने में असफल रहा परिणामतः 54.99 करोड़ रुपये की धनराशि केन्द्र से प्राप्त नहीं की जा सकी। इस प्रकार अपर निदेशक (व्यवसायिक शिक्षा) जो कि प्रोग्राम को संचालित करा रहे थे के द्वारा व्यय विवरण के प्रेषण के अनुश्रवण में कमी बरती गयी जिससे राज्य 54.99 करोड़ रुपये के केन्द्रीय अनुदान से वंचित रहा।

उत्तर में शासन ने उपर्युक्त तथ्यों को स्वीकार किया (दिसम्बर 2005) तथा कहा कि 2003–04 से व्यय विवरण निरन्तर प्रेषित किये जा रहे थे।

5.6 परिचालन नियन्त्रण

समुचित परिचालन नियन्त्रण इस बात के लिये आवश्यक होता है कि न केवल अधिष्ठान के प्रबन्धन से सम्बन्धित किया कलाप समुचित रूप से सम्पादित हैं। बल्कि सन्तोषप्रद शिक्षा के लक्ष्य प्राप्त करने के लिये विभाग की विभिन्न योजनाएं सुचारू रूप से चले। विभाग के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं जैसे कम्प्यूटर शिक्षा की प्रगति; बालिकाओं की शिक्षा के उत्थान हेतु कन्या विद्या धन एवं विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति योजनाएं संचालित हो रही थीं। विभाग में परिचालन नियन्त्रण की समीक्षा में निम्न तथ्य प्रकाश में आए :

5.6.1 कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने वाली योजना में विलम्ब

कम्प्यूटर शिक्षा कार्यक्रम दो वर्ष तक विलम्बित रहा तथा कम्प्यूटर स्थापना के उपरान्त भी संचालित नहीं किये जा सके।

शैक्षिक सत्र 2003–04 से विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा के विकास के लिये 40.35 करोड़ रुपये की तीन केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाएं[1] मार्च 2002 में राज्य में प्रारम्भ की गयी। इन योजनाओं के अनुसार कम्प्यूटर की स्थापना के पूर्व विद्युत कनेक्शन, आवश्यक सुरक्षा एवं उपयुक्त स्थान का होना आवश्यक था। उ0प्र0 डेवलपमेन्ट सिस्टम कारपोरेशन लिमिटेड (यूपी डेस्को)[2] द्वारा कम्प्यूटर स्थापना का कार्य किया जाना था जबकि कम्प्यूटर कक्ष का निर्माण कार्य का निष्पादन उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम द्वारा

[1] 150 विद्यालयों में क्लास प्रोजेक्ट स्कीम– 10 करोड़ रुपयेः 5 विद्यालयों में कम्प्यूटर साक्षरता योजना– 0.25 करोड़ रुपये : 11वें वित्त आयोग के अन्तर्गत 70 विद्यालयों में कम्प्यूटर साक्षरता योजना– 30.10 करोड़ रुपये

[2] एक उ0प्र0 सरकार का उपक्रम

होना था। इसके लिए अगस्त 2004 से अपैल 2005 की अवधि में 32.56 करोड़ रुपये यूपीडेस्को को दिये गए तथा नवम्बर 2002 से अप्रेल 2005 की अवधि में निगम को 7.79 करोड़ रुपये दिया गया ।

डीई के अभिलेखों की जॉच में परिलक्षित हुआ कि शासन तथा निदेशालय स्तर पर क्रय प्रकिया के अन्तिमीकरण में विलम्ब के कारण विभाग समय से योजना चालू करने में असफल रहा। इसके अतिरिक्त कम्प्यूटर स्थापना के लिये सर्वेक्षण नहीं किया गया। 39 विद्यालयों के प्रधानाचार्यों ने सुरक्षा कारणों विद्युत तथा स्थान नहीं रहने के कारण इस योजना को लागू करने से इन्कार किया। इसके उपरान्त भी विभाग द्वारा 3.18 करोड़ रुपये मूल्य का कुल 950 कम्प्यूटर क्रय किये गये जो अधिकांशतः स्थापित नहीं किए गए थे। पुनश्च, कम्प्यूटर की स्थापना की प्रगति का अनुश्रवण किसी भी स्तर पर नहीं किया गया जिससे स्थापना कार्य बाधित हुआ तथा 225 विद्यालयों में से केवल 95 विद्यालयों में कम्प्यूटरों की स्थापना हुई। आगे जॉच में यह भी पाया गया कि निर्मित कक्षों का आन्तरिक क्षेत्र जो कि विद्यालयों द्वारा अधिग्रहीत किया गया था उनकी क्षमता एक साथ में 50 कम्प्यूटर के परिचालन के लिए उपयुक्त नहीं थी जिसे नमूना जॉच वाले विद्यालयों[1] के प्रधानाचार्यों द्वारा भी स्वीकार किया गया कि 50 कम्प्यूटरों में से 25 का प्रयोग कक्ष मे नहीं किया जा सकता था। इन सभी विद्यालयों में एयरकण्डीशनर तथा कम्प्यूटर स्टेशनरी की आपूर्ति नहीं की गयी थी जिसके कारण कम्प्यूटर कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किया जा सका (दिसम्बर 2005)।

यह सम्बन्धित डीआईओएस जिन्हें कम्प्यूटर स्थापना का अनुश्रवण करना था, अपर निदेशक (व्यवसायिक शिक्षा) जो प्रोजेक्ट लागू करने के पूर्ण प्रभारी थे एवं डीई जो निश्चित माइलस्टोन के अनुरूप कार्य प्रगति के अनुश्रवण में असफल थे, से लेकर सम्पूर्ण विभाग की नियन्त्रण की पूर्ण असफलता को प्रदर्शित करता था।

शासन ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2005) में यह स्वीकार किया कि निर्मित कक्ष त्रुटिपूर्ण थे तथा आवश्यकता के अनुरूप डिजाइनों को बदल दिया जाएगा तथा कहा कि कम्प्यूटर शिक्षा को चलाने के लिये आवश्यक स्टेशनरी आदि को प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रावधानित किया जा रहा था।

5.6.2 अक्रियाशील छात्रवृत्ति योजनाएं

विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का कार्यान्वयन नहीं हुआ क्योंकि चालीस वर्ष पुरानी चयन प्रकिया की अव्यवहारिक शर्तों का संशोधन नहीं किया गया था।

गरीब परिवार के 4550 हाई स्कूल उत्तीर्ण मेधावी छात्रों जिनकी आमदनी 25000 रुपये से कम थी; को उनके कक्षा 11 एवं 12 के अध्ययन की अवधि में 60 रुपये प्रतिमास की दर से छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए 1962 में राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना लागू की गयी थी। इसका व्यय केन्द्र तथा राज्य द्वारा 60:40 के अनुपात में वहन किया जाता था। यह देखा गया कि पात्रता निर्धारण एवं छात्रवृत्ति की दर की सुनिश्चित्ता के लिए आय की सीमा कभी पुर्ननिर्धारित नहीं की गयी तथा इसे बदलते मूल्य स्तर के सापेक्ष नहीं रखा गया जिसके परिणामस्वरूप जबकि यह योजना आंशिक रूप से वर्ष 2002–03 तक चली परन्तु 2003–04 से प्रदेश में यह अक्रियाशील हो गयी ।

इसी प्रकार, प्रदेश में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के कक्षा 11 एवं 12 के बच्चों के लिए 50 रुपये प्रतिमास की दर से 1962 से छात्रवृत्ति प्रारम्भ की गयी थी। इसके अन्तर्गत शिक्षकों जिनकी वार्षिक आमदनी 25000 रुपये प्रति वर्ष से कम थी; के बच्चे पात्र थे। विभाग ने छात्रवृत्ति के लिये पात्रता सीमा को पुर्ननिर्धारित नहीं किया इससे यह अव्यवहारिक हो गया।

उत्तर में विभाग द्वारा बताया गया (दिसम्बर 2005) कि राष्ट्रीय छात्रवृत्ति की आय सीमा एक लाख रुपये तक बढ़ा दी गयी है तथा भविष्य में योजना लागू होगी।

[1] राजकीय जुबिली इण्टर करलेज लखनउ, राजकीय इण्टर कालेज इलाहाबाद, आजमगढ़, झांसी,कानपुरनगर,जे पी नगर, मेरठ तथा वाराणसी

इस प्रकार, विभाग द्वारा छात्रवृत्ति योजनायें उचित रूप से नियन्त्रित नहीं की गयी। यद्यपि यू0पी0 बजट मैनुअल के अनुसार विभागाध्यक्ष को योजनाओं की समीक्षा करनी चाहिए एवं बदलते परिपेक्ष्य के अनुसार वर्तमान नियमों में संशोधन करना चाहिए।

5.6.3 कन्या विद्या धन योजना

पात्र लाभार्थियों की संख्या निर्धारित करने में विभाग असफल रहा फलस्वरूप 36.51 करोड़ रुपये की धनराशि अवितरित रही।

छात्राओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश में सितम्बर 2004 से कन्या विद्याधन योजना प्रारम्भ की गयी थी। इस योजना के अन्तर्गत 2004 में यू0पी0 बोर्ड से बारहवीं कक्षा के उत्तीर्ण बालिकाओं को 20,000 रुपये की धनराशि प्रदान करनी थी। योजना को लागू करने से पहले, शासन ने सर्वेक्षण एवं पात्र लाभार्थियों के पहचान के लिए 10 लाख रुपये की धनराशि आवंटित (2003–04) की थी। एक चयन समिति जिसके अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट तथा डीआईओएस, मुख्य विकास अधिकारी तथा दो प्रधानाध्यापक सदस्य थे, प्रत्येक जनपद में लाभार्थी पात्रों के चयन के उत्तरदायी थी। प्राथमिकता उन बालिकाओं को देनी थी जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय गरीबी रेखा (बीपीएल) के नीचे थी तथा उसके बाद गरीबी रेखा से क्रमिक उपर के आय वालों को दिया जाना था। शासन ने इस योजना के लिए डीई को (2004–05) में 200 करोड[1] रुपये (एक लाख लाभार्थियों के लिए) प्रदान किया ।

डीई के अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि धनराशि की उपलब्धता रहते हुए भी पात्र लाभाथियों के चयन के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया तथा इस उद्देश्य के लिए प्राप्त दस लाख रुपये की धनराशि को मार्च 2004 में समर्पित कर दिया गया। एक लाख के विरूद्व जनपदों से 96942 बीपीएल उम्मीदवारों की सूची प्राप्त हुयी तथा केवल 92597 उम्मीदवारों के लिए 185.19 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान की गयी। शेष 4345 बीपीएल उम्मीदवारों को 8.69 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि नहीं दी गयी इसके बदले 7403 गरीबी रेखा से ऊपर के उम्मीदवारों को 14.81 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त कर दी गयी। नमूना जॉच के लिए चयनित जनपदों में 2698 बीपीएल उम्मीदवारों को इस योजना के लाभ से वंचित रखा गया ***(विस्तृत विवरण परिशिष्ट 5.1)***।

जिला समिति, वितरण स्तर पर समय से पात्र लाभार्थियों के आय प्रमाण पत्र के सत्यापन में असफल रही जिसके फलस्वरूप जनपदों में 36.51 करोड़ रुपये की धनराशि अवितरित रह गई। लाभार्थियों के त्रुटिपूर्ण चयन के कारण इलाहाबाद, लखनऊ तथा झांसी से शिकायतें प्राप्त हुयीं एवं जॉच अधिकारी के सत्यापन पर 192 लाभार्थी अपात्र ज्ञात हुए। न तो धनराशि 19.60 लाख रुपये वसूल की गयी, न ही कोई कार्यवाही प्रारम्भ हुई (नवम्बर 2005)।

शासन ने उत्तर में तथ्यों को स्वीकार किया और कहा कि अपात्र लाभार्थियों से धनराशि की वसूली की कार्यवाही की जा रही थी।

5.7 जनशक्ति नियन्त्रण

विभाग के जनशक्ति नियन्त्रण की समीक्षा में निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आए :–

5.7.1 शिक्षकों की तैनाती में असन्तुलन

शिक्षकों की कमी/आधिक्य की तैनाती में असन्तुलन के समायोजन में जेडी तथा डीआईओएस विफल रहे।

राज्य सरकार ने छात्रों की संख्या के आधार पर शिक्षकों की आवश्यकता का मानक (1999) निर्धारित किया था (कक्षा 6 से 8 के लिए 1.5 शिक्षक प्रति 60 छात्र; कक्षा 9 से 10 के लिए 1.5 शिक्षक प्रति 65 छात्र तथा कक्षा 11 से 12 के लिए 2 शिक्षक प्रति 80 छात्र)। इण्टरमीडिएट एजूकेशन एक्ट 1921 के अनुसार विद्यालयों में शिक्षकों के आधिक्य को सरप्लस घोषित करना चाहिए तथा उनको सम्बन्धित जनपदों या क्षेत्रों के उन विद्यालयों में तैनात किया जाना चाहिए जहॉ शिक्षकों की संख्या मानक से कम हो।

[1] सितम्बर 2004 –25 करोड़ रुपये: दिसम्बर 2004– 25 करोड रूपयें: मार्च 2005– 150 करोड़ रुपये

निर्धारित मानक के अनुसार कानपुर नगर के 109 अनुदानित विद्यालयों में 2002–05 के लिए शिक्षकों की आवश्यकता निम्न प्रकार से दी गयी है :

तालिका 3

वर्ष	आवश्यकता से अधिक शिक्षक (संख्या)		आवश्यकता से कम शिक्षकों की तैनाती (संख्या)	
	स्कूल	आधिक्य	स्कूल	कमी
2002.03	33	216	57	462
2003.04	47	309	50	440
2004.05	46	352	52	396

डीआईओएस के लिए आवश्यक था कि वे प्रत्येक विद्यालय का निरीक्षण वर्ष में एक बार करें तथा कम या अधिक छात्रों के कारण शिक्षकों के असन्तुलन की स्थिति को ज्ञात करें। जेडी को भी अपने क्षेत्र में आवधिक निरीक्षण करना चाहिए था तथा क्षेत्र में असन्तुलन का समायोजन करना चाहिए था।

डीआईओएस एवं क्षेत्रीय जेडी जो इस असन्तुलन को दूर करने के उत्तरदायी थे, ऐसा करने में असफल रहे जिससे कि कुछ विद्यालयों में शिक्षक सरप्लस थे तथा कुछ में कम थे।

शासन ने अपने उत्तर में बताया (दिसम्बर 2005) कि यह नियम 1980 के पहले के नियुक्त शिक्षकों के लिए ही लागू था।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि अनुच्छेद 4 हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट कालेज (शिक्षकों एवं स्टाफ के वेतन भत्तों का भुगतान) एक्ट 1971 के अनुसार डीआईओएस इस सम्बन्ध में किसी भी विद्यालय का निरीक्षण कर असन्तुलन की स्थिति पर आवश्यक कार्यवाही कर सकते थे।

5.8 विद्यालयों का अपर्याप्त निरीक्षण

क्षेत्रीय एवं जनपदीय अधिकारियों ने भौक्षिक संस्थाओं का निरीक्षण, विभागीय शिक्षा संहिता के प्रावधानों के अनुसार नहीं किया।

शैक्षिक पर्यवेक्षण, निरीक्षण एवं शैक्षणिक गतिविधियों के नियन्त्रण के लिए क्षेत्रीय जेडी, डीडी एवं डीआईओएस उत्तरदायी थे। विभागीय शिक्षा संहिता के अनुसार जेडी एवं डीडी प्रत्येक वर्ष में 120 दिन माध्यमिक संस्थाओं का निरीक्षण करेंगे जबकि डीआईओएस को जनपद के सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों का निरीक्षण वर्ष में एक बार करना चाहिए।

यह पाया गया कि डीई ने फील्ड कार्यालयों के निरीक्षण कार्यों का अनुश्रवण नहीं किया क्योंकि इनके कार्यालय में इससे सम्बन्धित कोई विवरण का रखरखाव नहीं किया गया था। नमूना जॉच वाले जनपदों में निरीक्षण विश्लेषण में पाया गया कि (***परिशिष्ट 5.2***) जेडीज द्वारा विभिन्न जनपदों में निरीक्षण केवल 1 से 43 दिनों एवं डीडी द्वारा शून्य से 35 दिनों का किया था। डीआईओएस द्वारा विद्यालयों का निरीक्षण सभी जनपदों में नगण्य था।

5.9 आन्तरिक लेखापरीक्षा

विभाग ने आन्तरिक लेखा परीक्षा के लिए मैनुअल,दिशा निर्देशों एवं योजना तैयार नहीं किया गया।

शासन द्वारा निदेशक विभागीय लेखा का नाम बदल कर निदेशक आन्तरिक लेखापरीक्षा (डीआईए) कर दिया गया (जनवरी 2003) एवं उनको आन्तरिक लेखा परीक्षा की नीतियों, लेखापरीक्षा मानकों, स्टाफ के ट्रेनिंग, लेखापरीक्षा के अनुश्रवण एवं आन्तरिक लेखापरीक्षा को पूर्ण रूपेण प्रभावी करने के दायित्वों एवं कर्तव्यों का भार सौंप दिया।

माध्यमिक शिक्षा विभाग में आन्तरिक लेखापरीक्षा इकाईं (आईएयू) एफसी के नियन्त्रण में क्रियाशील है। आईएयू को 17 क्षेत्रीय आन्तरिक लेखापरीक्षा इकाइयों (आरआईएयू) में विभाजित किया गया था तथा प्रत्येक क्षेत्र में एफएओ उस क्षेत्र के आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रोग्राम को चलाने के लिए उत्तरदायी थे।

विभाग द्वारा आन्तरिक लेखापरीक्षकों के प्रशिक्षण के लिए कोई प्रणाली विकसित नहीं की गयी थी, फलस्वरूप 107 लेखापरीक्षकों में से किसी को भी प्रशिक्षण नहीं दिया गया।

5.9.1 लेखापरीक्षा नियोजन में कमी

एफसी, लेखापरीक्षा करने तथा इसको नियोजित करने के लिए आन्तरिक लेखापरीक्षा मैनुअल के दिशा निर्देशों को बनाने के उत्तरदायी थे तथा कार्यों के वार्षिक कैलेण्डर भी उनके द्वारा बनाया जाना था। अभिलेखों से ज्ञात हुआ कि एफसी द्वारा इन क्षेत्रों में न तो कोई कार्य किया गया न ही इस सम्बन्ध में आरआईएयू को कोई दिशा–निर्देश निर्गत किया गया था। डीआईए ने विभाग से आन्तरिक लेखापरीक्षा इकाई का वार्षिक कैलेण्डर तथा कार्य योजना प्रेषित करने को कहा था (मार्च 2004) परन्तु आवश्यक सूचनाओं के रख रखाव न होने के कारण ये उनको प्रेषित नहीं किए गए।

आन्तरिक लेखापरीक्षा की मुख्यालय इकाई ने केवल शिकायती प्रकरणों को लिया। यद्यपि 2002–05 में 319 शिकायती प्रकरणों की विशेष लेखापरीक्षा की गयी परन्तु किसी भी प्रकरण में प्रतिवेदनों के आधार पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

आईएयू के पास सभी क्षेत्रों के आरआईएयू द्वारा आच्छादित इकाईयों की कुल संख्या उपलब्ध नहीं थी। फिर भी नमूना जॉच के जनपदों में लेखापरीक्षा आच्छादन की स्थिति निम्नवत थी :–

तालिका– 4

वर्ष	विद्यालयों की कुल संख्या	लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तावित विद्यालयों की संख्या	लेखापरीक्षा द्वारा आच्छादित विद्यालयों की संख्या
2002.03	3095	277	122
2003.04	3096	303	119
2004.05	3100	352	175

2002–05 की अवधि में लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तावित इकाइयों की संख्या केवल 9 प्रतिशत से 11 प्रतिशत थी। आन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा इन इकाइयों का वास्तविक आच्छादन 44 प्रतिशत (2002–03) से लेकर 50 प्रतिशत (2004–05) था। कानपुर तथा आज़मगढ़ जनपदों में उचित संख्या में लेखापरीक्षकों की नियुक्ति नहीं होने का कारण किसी भी इकाई में लेखापरीक्षा नहीं की गयी।

5.9.2 आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों पर पश्चातवर्ती कार्यवाही न होना

आरआईएयू के अभिलेखों से यह तथ्य प्रकाश में आया कि सम्प्रेक्षित संस्थाओं से एक भी प्रकरण में आईएआर का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। उत्तर प्राप्त करने के लिए कोई अनुस्मारक भी जारी नहीं किए गए साथ ही, रिपोर्ट की प्रतिलिपि एफसी को प्रेषित नहीं की गयी। आरआईएयू ने भी नियन्त्रण अभिलेखों जिसमें लेखापरीक्षा की तिथि, प्रतिवेदनों की निर्गत तिथि तथा प्रतिवेदनों में लेखा परीक्षा प्रस्तरों का विवरण आदि इंगित हो, का रख रखाव नहीं किया था।

डीआईए के दिशा निर्देश के अनुपालन में एफसी ने आन्तरिक लेखापरीक्षा के वर्ष 2003–04 से 2004–05 के लिए त्रैमासिक रिपोर्ट निम्नवत दिया:–

तालिका – 5

वर्ष	आवश्यक त्रैमासिक रिपोटों की संख्या	प्रस्तुत त्रैमासिक रिपोटों की संख्या	रिपोर्टों में सम्मिलित किये गये प्रकरणों की संख्या	आपत्तियों की धनराशि (करोड़ रुपये मे)
2003.04	4	2	8	3.86
2004.05	4	4	31	16.31

त्रैमासिक रिपोर्ट भेजते समय केवल मुख्यालय इकाई से सम्बन्धित आईएआर की स्थिति ली गयी थी लेकिन 17 आरआईएयू का उल्लेख नहीं किया गया। डीआईए (जुलाई 2005) ने कहा चूँकि प्रतिवेदनों से सम्बन्धित अनुपालन आख्या/उत्तर प्रतीक्षित थे अतः शासन को भेजे न जा सके।

निष्कर्ष

माध्यमिक शिक्षा विभाग में आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था, वित्तीय, परिचालन एवं जनशक्ति प्रबन्ध नियन्त्रण के परिपेक्ष्य में सन्तोषजनक नही थी। बहुत से प्रकरणों में सम्भावित बचतों को समय से आकलित नहीं किया गया था जिससे इन्हें वर्ष के अन्तिम चरण में समर्पित किया गया। कमजोर नियन्त्रण एवं स्वीकृत नियमों का अनुपालन न करने से बैंक खाते से कपटपूर्ण आहरण किया गया एवं अनुदानित संस्थाओं के जीपीएफ लेखा में व्यपहरण का खतरा था। लाभार्थी पात्रों के सर्वेक्षण के बिना कन्या विद्या धन योजना लागू करने के परिणामस्वरूप अपात्र उम्मीदवारों को प्रोत्साहन राशि बॉटी गयी। शैक्षिक संस्थाओं के निरीक्षण में कमी थी। आन्तरिक लेखा परीक्षा इकाई का किया कलाप अभी भी नवजात स्तर पर था तथा विभाग को अपनी वित्तीय सूचनाओं की विश्वसनीयता एवं व्यवस्था तथा कार्यवाही की पर्याप्तता पर विश्वास दिलाने में अक्षम था।

संस्तुतियॉ

- जिला विद्यालय निरीक्षकों में जहाँ अवितरित छात्रवृत्ति की धनराशि आदि रखने के लिए बैंक खाते संचालित हैं वहाँ, कपटपूर्ण आहरण से बचाने के लिए नकदी के लेन देन से सम्बन्धित नियमों को प्रभावी रूप से लागू किया जा सकता है। सभी अनाधिकृत बैंक खातों को तुरन्त बन्द किया जाना चाहिए।

- अनुदानित संस्थाओं के जीपीएफ लेखाओं के रख–रखाव की व्यवस्था एवं मुख्य शीर्ष 8009 में स्थानान्तरित किए गए शेषों की शासन द्वारा विस्तृत समीक्षा की आवश्यकता है।

- छात्रवृत्ति योजनाओं की आवधिक समीक्षा की जानी चाहिए।

- कन्या विद्याधन योजना में उम्मीदवारों की पात्रता का निर्धारण विद्यालय स्तर पर सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

- अनुदानित शैक्षिक संस्थाओं की अनुश्रवण गतिविधियों को शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है क्योंकि इस क्षेत्र में नियन्त्रण में कई कमजोरियॉ पायी गयीं।

- सभी स्तरों पर विद्यालयों का निरीक्षण स्वीकृत मानकों के आधार पर किया जाना चाहिए ।

ये सभी बिन्दु शासन को सन्दर्भित (नवम्बर 2005) किए गए तथा दिसम्बर 2005 में विचार विमर्श किया गया। शासन द्वारा तथ्यों तथा आंकड़ों की पुष्टि की गयी एवं संस्तुतियों को स्वीकार किया गया।

(नरेन्द्र सिंह)
प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)
उत्तर प्रदेश

इलाहाबाद
दिनांक 12 मार्च 2006

प्रतिहस्ताक्षरित

वि. ना. कौल

(विजयेन्द्र नाथ कौल)
भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक 13 मार्च 2006

परिशिष्ट

परिशिष्ट– 1.1

(संदर्भ : प्रस्तर 1.4 एवं 1.8; पृष्ठ 4 व 14)

31 मार्च 2005 को उत्तर प्रदेश सरकार की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त सार

(करोड़ रुपये में)

31.3.2004 को	देयतायें		31-3-2005 को
52871.57	**आन्तरिक ऋण**		**64591.37**
23024.31	ब्याज भारित बाजार ऋण	26317.84	
44.21	ब्याज भार रहित बाजार ऋण	43.07	
3.66	जीवन बीमा निगम से ऋण	(-)3.57	
8101.40	अन्य संस्थानों से ऋण	9329.07	
21728.68	विशेष प्रतिभूति जारी	28910.17	
(-)30.69	भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	(-)5.21	
28027.30	**केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम**		**24614.05**
654.31	1984–85 से पहले का ऋण	519.77	
5288.51	आयोजनेतर ऋण	1043.07	
21787.44	राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	22753.26	
1.48	केन्द्रीय आयोजनागत योजनओं के लिए ऋण	1.37	
307.01	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं के लिए ऋण	308.03	
(-)11.45	केन्द्र सरकार से अर्थोपाय अग्रिम	(-)11.45	
13533.50	**अल्प बचतें, भविष्य निधियां आदि**		**15343.38**
10957.23	**जमा**		**10750.86**
13850.38	**आरक्षित निधियां**		**16101.73**
630.11	**रिजर्व बैंक में जमा**		**98.02**
119870.09	**योग**		**131499.41**
31 मार्च 2004 को	**परिसम्पत्तियां**		**31 मार्च 2005 को**
43856.56	**अचल सम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय**		**49509.90**
11247.25	कम्पनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	12310.47	
32609.31	पूंजीगत परिव्यय	37199.43	
7709.44	**ऋण एवं अग्रिम**		**8060.79**
3082.16	विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	3370.51	
4733.35	अन्य विकास ऋण	4811.95	
(-)106.07	सरकारी कर्मचारियों को ऋण एवं विविध ऋण	(-)121.67	
924.14	**आकस्मिकता निधियां**		**891.77**
45.20	**आरक्षित निधियों में निवेश**		**45.20**
5.66	**अग्रिम**		**5.74**
1104.54	**उचंत एवं विविध कोष**		**103.87**
719.31	**प्रेषण कोष**		**625.08**
434.45	**रोकड़**		**193.36**
0.59	कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	0.64	
14.62	विभागीय रोकड़ शेष	12.37	
(-)0.30	स्थायी अग्रिम	0.34	
419.54	रोकड़ शेष निवेश	180.01	
65070.79	**सरकारी लेखों में घाटा**		**72063.70**
18583.14	(।) चालू वर्ष का राजस्व घाटा	6992.91	
46487.65	(।।)कुल घाटा	65070.79	
119870.09	**योग**		**131499.41**

परिशिष्ट– 1.2

(संदर्भ : प्रस्तर 1.4; पृष्ठ 4)

वर्ष 2004–05 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

(करोड़ रुपये में)

प्राप्तियां			संवितरण				
2003-04	**खण्ड क– राजस्व**	**2004-05**	**2003-04**		**आयोजनेतर**	**आयोजनागत**	**योग 2004-05**
31637.96	I. राजस्व प्राप्तियां	**37617.44**	**50221.11**	I. राजस्व व्यय	**39512.26**	**5098.09**	**44610.35**
13601.22	कर राजस्व	15692.67	**19540.53**	सामान्य सेवायें	**22692.09**	**69.34**	**22761.43**
2282.08	कर भिन्न राजस्व	2720.29	**10354.35**	सामाजिक सेवायें	**9621.41**	**3468.31**	**13089.72**
13272.97	संघीय करों में राज्यांश	15055.20	6254.58	शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	6319.82	952.64	7272.46
569.22	आयोजनेत्तर अनुदान	334.90	1753.85	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1401.02	636.23	2037.25
1346.53	राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	2399.95	528.19	जल आपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	100.34	464.30	564.64
565.94	केन्द्रीय तथा केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं हेतु अनुदान	1414.43	20.92	सूचना एवं प्रसारण	16.95	1.36	18.31
			787.21	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	654.01	716.87	1370.88
			108.24	श्रम तथा श्रमिक कल्याण	104.66	10.73	115.39
			878.22	समाज कल्याण तथा पोषण	1000.72	686.18	1686.90
			23.14	अन्य	23.89	-----	23.89
			18969.70	**आर्थिक सेवायें**	**5415.83**	**1560.44**	**6976.27**
			1342.36	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध कियाकलाप	1026.26	370.85	1397.11
			1654.62	ग्राम्य विकास	1022.41	677.95	1700.36
			27.00	विशेष क्षेत्रीय कार्यकम	----	36.37	36.37
			1480.41	सिंचाई एवं बाढ़ नियत्रण	1368.65	211.69	1580.34
			215.39	उद्योग एवं खनिज	87.98	101.46	189.44
			13438.68	ऊर्जा	1307.06	136.83	1443.89
			709.22	परिवहन	516.52	0.89	517.41
			19.31	विज्ञान, तकनीक एवं पर्यावरण	2.10	3.50	5.60
			82.71	सामान्य आर्थिक सेवायें	84.85	20.90	105.75
			1356.53	**सहायक अनुदान एवं अंशदान**	**1782.93**	------	**1782.93**
18583.15	**II-राजस्व घाटा खण्ड ख को प्रेषित**	**6992.91**	-------	**II. खण्ड ख को अग्रणीत राजस्व अधिशेष**			
50221.11	**योग**	**44610.35**	**50221.11**	**योग**			**44610.35**

	खण्ड ख– अन्य						
(-)32.59	III. स्थायी अग्रिम एवं रोकड़ शेष निवेश सहित प्रारम्भिक रोकड़ शेष	(-)196.25		III. भारतीय रिजर्व बैंक से प्रारम्भिक अत्याहरण			
			9320.35	**IV. पूंजीगत परिव्यय**	**1034.62**	**4618.73**	**5653.35**
			224.03	**सामान्य सेवायें**	**39.07**	**216.36**	**255.43**
			328.86	**सामाजिक सेवायें**	**10.52**	**485.70**	**496.22**
			61.18	शिक्षा, खेलकूद, कला एंव संस्कृति	------	106.62	106.62
			142.72	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4.04	213.60	217.64
			65.13	जल आपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	6.28	121.49	127.77
			-------	सूचना एवं प्रसार	------	-----	-----
			49.72	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	----	34.50	34.50
			4.62	समाज कल्याण तथा पोषण	-----	4.50	4.50
			5.49	अन्य	0.20	4.99	5.19
			8767.46	**आर्थिक सेवायें**	**985.03**	**3916.67**	**4901.70**
			173.34	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध क्रियाकलाप	877.24	77.09	954.33
			381.56	ग्राम्य विकास	-----	508.64	508.64
			307.95	विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	----	319.19	319.19
			740.98	सिंचाई एवं बाढ़ नियत्रण	----	878.66	878.66
			6234.81	ऊर्जा	-----	1046.18	1046.18
			11.11	उद्योग एवं खनिज	0.28	(-)10.66	(-)10.38
			903.92	परिवहन	109.62	1082.55	1192.17
			------	विज्ञान तकनीक एवं पर्यावरण	(-)2.54	-----	(-)2.54
			13.79	सामान्य आर्थिक सेवायें	0.43	15.02	15.45
2003-04	**प्राप्तियां**	**2004-05**	**2003-04**	**संवितरण**			**2004-05**
12497.76	**V-ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली**	**277.63**	**1242.37**	**V. संवितरण ऋण तथा अग्रिम**			**628.98**
87.35	उद्योग एवं खनिज से	132.07	360.72	विद्युत परियोजनाओं को		288.34	
35.19	सरकारी कर्मचारियों से	34.74	18.64	सरकारी कर्मचारियों को		19.39	
12375.22	अन्य से	110.82	863.01	अन्य को		321.25	
-----	**VI.अधोनीत राजस्व अधिशेष**	-------	**18583.15**	**VI. अधोनीत राजस्व घाटा**			**6992.91**
22109.53	**VII. लोक ऋण प्राप्तियां**	**17463.25**	**8987.43**	**VII. लोक ऋण की अदायगी**			**9156.70**

19028.87	अर्थोपाय अग्रिमों एवं अत्याहरण से भिन्न आन्तरिक ऋण	14596.90	2299.70	अर्थोपाय अग्रिम एवं अत्याहरण से भिन्न आन्तरिक ऋण	2902.57	
	अर्थोपाय अग्रिम के (रिजर्व बैंक) अन्तर्गत शुद्ध लेनदेन	25.48*		अर्थोपाय अग्रिम के अन्तर्गत शुद्ध लेनदेन	------	
3080.66	केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम (अर्थोपाय अग्रिम को छोड़कर)	2840.87	6687.73	केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	6254.13	
-----	भारत सरकार से अर्थोपाय से अग्रिम	-----	-----	भारत सरकार से अर्थोपाय अग्रिम	-----	
-----	**VIII. आकस्मिकता निधि को विनियोग**	------	------	**VIII. आकस्मिकता निधि को विनियोग**	-----	
52.11	**IX. आकस्मिकता निधि को स्थानान्तरित राशि**	**75.69**	**85.33**	**IX. आकस्मिकता निधि से व्यय**	----	**43.31**
46875.31	**X. लोक लेखा प्राप्तियां**	**45212.58**	**43479.74**	**X. लोक सेवा संवितरण**	-----	**40262.49**
3123.85	अल्प बचतें एवं भविष्य निधियां इत्यादि	3225.60	1321.74	अल्प बचतें एवं भविष्य निधियां इत्यादि	1415.72	
2222.00	आरक्षित निधियां	2710.30	19.86	आरक्षित निधियां	458.95	
24072.35	उचन्त एवं विविध	21787.00	24114.63	उचन्त एवं विविध	20785.91	
4696.67	प्रेषण	5095.29	4891.58	प्रेषण	5001.06	
12760.44	जमा तथा अग्रिम	12394.39	13131.93	जमा तथा अग्रिम	12600.85	
-----	**XI. भारतीय रिजर्व बैंक से अत्याहरण का अन्तिम अवशेष**		**(-)196.25**	**XI. अन्त में रोकड़ शेष**		**95.16**
			0.59	कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	0.18	
			(-)630.70	रिजर्व बैंक में जमा	(-)98.20	
			14.32	स्थानीय अग्रिमों सहित विभागीय रोकड़ शेष	12.71	
			419.54	रोकड़ शेष निवेश	180.01	
				लेनदेनों का प्रेषण	0.46	
81502.12	**योग**	**62832.90**	**81502.12**	**योग**		**62832.90**

* प्राप्तियां 20251 करोड़ रुपये एवं संवितरण 20225.52 करोड़ रुपये प्रदर्शित करता है।

परिशिष्ट– 1.3

(संदर्भ : प्रस्तर 1.4; पृष्ठ 4)

वर्ष 2004–05 के लिए निधियों के स्रोत एवं उपयोग

(करोड़ रुपये में)

2003-04	स्रोत		2004-05
31637.96	**राजस्व प्राप्तियां**		**37617.44**
12497.76	**ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां**		**277.63**
13122.10	**लोक ऋण में वृद्धि**		**8306.55**
4690.08	–ब्याज सहित विपणन ऋण	3293.52	
36.86	–ब्याज रहित बाजार ऋण	(-)1.15	
(-)7.37	–जीवन बीमा से ऋण	(-)7.22	
12009.61	–अन्य संस्थाओं से ऋण	8409.17	
0.00	–अर्थोपाय अग्रिम (भारतीय रिजर्व बैंक)	25.48	
	केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम		
(-)134.53	–1984–85 के पहले के ऋण	(-)134.53	
(-)5437.57	–आयोजनेतर ऋण	(-)4245.44	
1966.75	–राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	965.81	
(-)0.12	–केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	(-)0.11	
(-)1.60	–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं के लिए आयोजनागत ऋण	1.02	
0.00	–केन्द्र सरकार से अर्थोपाय से अग्रिम	0.00	
3395.57	**लोक लेखो से शुद्ध प्राप्तियां**		**4950.09**
1802.11	–अल्प बचतों में वृद्धि	1809.88	
(-)371.49	जमा और अग्रिमों में वृद्धि	(-)206.46	
2202.14	–आरक्षित निधियों में वृद्धि	2251.35	
(-)42.28	–उचन्त एवं विविध लेनदेनों का शुद्ध प्रभाव	1001.09	
(-)194.91	–प्रेषण लेनदेनों का शुद्ध प्रभाव	94.23	
--	**–आकस्मिकता निधि से सम्बद्ध लेनदेनों का शुद्ध प्रभाव**		**32.38**
60653.39	**योग**		**51184.09**
2003-04	**उपयोग**		**2004-05**
50221.11	**राजस्व व्यय**		**44610.35**
1242.37	**विकास एवं अन्य उददेश्यों के लिए ऋण**		**628.98**
9320.35	**पूंजीगत व्यय**		**5653.35**
33.22	**आकस्मिकता निधि से सम्बंधित लेनदेनों का शुद्ध प्रभाव**		--
(-)163.66	**अन्तिम रोकड़ में घटाव**		**291.41**
60653.39	**योग**		**51184.09**

1 पूर्ववर्ती प्रदर्शकों में संक्षिप्त लेखों को वित्त लेखे में दिये गये विवरणों एवं टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाय।

2 सरकारी लेखे मुख्यतया रोकड़ आधारित होते हैं, सरकारी लेखों में घाटे जैसा कि रोकड़ की स्थिति परिशिष्ट 1.1 में दिखायी गयी है, सम्भूति आधारित वाणिज्यिक लेखाओं से भिन्न है। फलस्वरूप, देय या प्राप्य मद या ह्रास अथवा भण्डार लेखा में विचलन इत्यादि मद लेखे में अंकित नहीं है।

3 उचन्त एवं विविध अवशेष में ऐसे निर्गत चेक जिनका भुगतान नहीं किया गया राज्य की ओर से किये गये भुगतान एवं अन्य लम्बित समाधान सम्मिलित है।

परिशिष्ट–1.4

(संदर्भ : प्रस्तर 1.4 एवं 1.8; पृष्ठ 4 व 14)

राज्य सरकार के वित्त के समयबद्ध आंकड़े

(करोड़ रुपये में)

	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
भाग अ– प्राप्तियां					
1. राजस्व प्राप्तियां	**24743**	**25598**	**27821**	**31638**	**37617**
(I) कर राजस्व	*10980(44)*	*10330(40)*	*12767(46)*	*13601(43)*	*15693(42)*
बिक्री कर / व्यापार कर	*6118(56)*	*6163(59)*	*7124(56)*	*7684(56)*	*8888(57)*
राज्य आबकारी	*2239(20)*	*1961(19)*	*2555(20)*	*2472(18)*	*2686(17)*
वाहन पर कर	*543(05)*	*503(5)*	*619(5)*	*677(5)*	*776(5)*
मुद्रांक एवं पंजीकरण शुल्क	*1270(11)*	*1429(14)*	*2079(16)*	*2296(17)*	*2682(17)*
भू–राजस्व	*70(1)*	*73(1)*	*64(1)*	*118(1)*	*102(1)*
अन्य कर	*740(7)*	*260(2)*	*326(2)*	*354(3)*	*559(3)*
(II) कर भिन्न राजस्व	*1945(8)*	*1787(7)*	*1913(7)*	*2282(7)*	*2720(7)*
(III) केन्द्रीय करों में राज्यांश	*9045(37)*	*10189(40)*	*10832(39)*	*13273(42)*	*15055(40)*
(IV) भारत सरकार से सहायक अनुदान	*2773(11)*	*3292(13)*	*2309(8)*	*2482(8)*	*4149(11)*
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	---	-----	---	-----	-----
3. कुल राजस्व एवं ऋण रहित पूंजीगत प्राप्तियां (1+2)	**24743**	**25598**	**27821**	**31638**	**37617**
4. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	**296**	**366**	**219**	**12498**	**278**
5. लोक ऋण प्राप्तियां	**9251**	**11383**	**12390**	**22110**	**17463**
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफट छोड़कर)	*6734(73)*	*7936(70)*	*9282(75)*	*19029(86)*	*14597(84)*
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफट के अंतर्गत शुद्ध लेनदेन	---	*690(6)*	---	----	*25(0)*
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	*2517(27)*	*2757(24)*	*3108(25)*	*3081(14)*	*2841(16)*
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (3+4+5)	**34290**	**37347**	**40430**	**66246**	**55358**
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियां	**92**	**81**	---	**52**	**76**
8. लोक ऋण प्राप्तियां	**37567**	**36965**	**37327**	**46875**	**45213**
9. राज्य की कुल प्राप्तियां (6+7+8)	**71949**	**74393**	**77757**	**113173**	**100647**
भाग ब–व्यय					
10. राजस्व व्यय	**31030(88)**	**31793(89)**	**32939(88)**	**50221(83)**	**44610(88)**
आयोजनागत	*3686(12)*	*3561(11)*	*3575(11)*	*3276(7)*	*5098(11)*
आयोजनेत्तर	*27344(88)*	*28232(89)*	*29364(89)*	*46945(93)*	*39512(89)*
सामान्य सेवायें (ब्याज भुगतान सहित)	*15155(49)*	*16178(51)*	*15583(47)*	*19540(39)*	*22761(51)*
आर्थिक सेवायें	*5572(18)*	*5350(17)*	*5883(18)*	*18970(38)*	*6976(16)*
सामाजिक सेवायें	*9219(30)*	*9337(29)*	*10308(31)*	*10354(21)*	*13090(29)*
सहायक अनुदान एवं अंशदान	***1084(3)***	***928(3)***	***1165(4)***	***1357(3)***	*1783(4)*
11. पूंजीगत व्यय	**3268(9)**	**3556(10)**	**3794(10)**	**9320(15)**	**5653(11)**
आयोजनागत	*2862(88)*	*2671(75)*	*3361(89)*	*3437(37)*	*4618(82)*
आयोजनेतर	*405(12)*	*885(25)*	*433(11)*	*5883(63)*	*1035(18)*
सामान्य सेवायें	*106(3)*	*128(4)*	*330(9)*	*224(2)*	*255(4)*
आर्थिक सेवायें	*2900(89)*	*3217(90)*	*3176(84)*	*8767(94)*	*4902(87)*
सामाजिक सेवायें	*261(8)*	*211(6)*	*288(7)*	*329(4)*	*496(9)*
12. ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण	**918(3)**	**526(1)**	**804(2)**	**1242(2)**	**629(1)**
13. योग (10+11+12)	**35216**	**35875**	**37537**	**60783**	**50892**
14. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	**2573**	**2942**	**6226**	**8988**	**9157**
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफट छोड़कर)	*509(20)*	*1509(51)*	*1811(29)*	*2300(26)*	*2903(32)*
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफट के अंतर्गत शुद्ध लेनदेन	*534(21)*	----	*777(12)*	----	---
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	*1530(59)*	*1433(49)*	*3638(59)*	*6688(74)*	*6254(68)*
15. आकस्मिकता निधि से विनियोग	---	-----	---	---	----
16. समेकित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	**37789**	**38817**	**43763**	**69771**	**60049**
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	**414**	**10**	**69**	**85**	**43**
18. लोक लेखा संवितरण	**32147**	**35397**	**34359**	**43480**	**40262**
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	**70350**	**74224**	**78191**	**113336**	**100354**
भाग स– घाटा					
20. राजस्व घाटा (1–10)	**6287**	**6195**	**5118**	**18583**	**6993**
21. राजकोषीय घाटा (3+4+13)	**10177**	**9911**	**9497**	**16647**	**12997**
22. प्रारम्भिक घाटा (21–23)	**2725**	**1691**	**2437**	**6523**	**1124**

मद द–अन्य आंकड़े					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	7452	8220	7060	10124	11873
24. राजस्व बकाया (कर एवं कर भिन्न राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता)	7152(55)	6589(54)	5891(40)[1]	6376(40)	7922(43)
25. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	3839	2039	759	2835	3540
26. अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट (दिवसों की संख्या)	312	179	203	247	256
27. अर्थोपाय अग्रिम/ ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	40	26	33	44	49
28. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी)	180948	187141[2]	202904	217573	235678
29. बकाया ऋण (वर्षान्त)	80331	92982	102485	119240	131401
30. बकाया प्रतिभूतियां (वर्षान्त)	7421	6997	6270	3601	10354
31. प्रतिभूति की गयी अधिकतम धनराशि (वर्षान्त)	16934	11013	10840	10549	22770
32. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	47	89	27	24	35
33. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूंजी	6052	8053	2073	2336	5804
34. राजस्व उत्प्लावकता/राज्य का अपना कर	1.457	(-)1.731	2.802	0.903	1.848

[1] व्यापार कर एवं मनोरंजन कर शामिल है। राजस्व शीर्षों के आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

[2] वर्ष 2001–02 एवं 2003–04 के सरा घउ का आंकड़ा अस्थायी है।

परिशिष्ट– 1.5

(संदर्भ : प्रस्तर 1.4; पृष्ठ 4)

अध्याय 1 में प्रयुक्त शब्दों की सूची तथा उनकी गणना के लिए आधार

भाब्द	गणना के आधार
प्राचल की उत्प्लावकता	प्राचलन की वृद्धि दर स रा घ उ वृद्धि
प्राचल (एक्स) की उत्प्लावकता अन्य प्राचल (वाई) के संदर्भ में	प्राचल (एक्स) की वृद्धि दर प्राचल (वाई) की वृद्धि दर
वृद्धि दर (आर ओ जी)	[(वर्तमान वर्ष की धनराशि/ विगत वर्ष की धनराशि)–1] X 100
प्रवृत्ति/ औसत	पांच वर्षों से अधिक की वृद्धि दर [लाजेस्ट (1996–97 की धनराशि : 2001–02 की धनराशि) – 1] X 100
अंश में बदलाव/ प्राचलन की बदलाव दर	राजस्व अथवा व्यय, जैसा कि प्रकरण हो के प्राचल में पांच वर्षों से अधिक, प्रतिशतता अंशों की प्रवृत्ति
विकास पर व्यय	सामाजिक सेवायें + आर्थिक सेवायें
आकलित ब्याज दर (राज्य द्वारा भुगतान किया गया औसत ब्याज)	ब्याज भुगतान/ [(विगत वर्ष की राजकोषीय देयतायें + वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयतायें) / 2] X 100
ब्याज विस्तार	स रा घ उ वृद्धि – आंकलित ब्याज दर
दिये गये ऋण से ब्याज प्राप्ति का प्रतिशत	प्राप्त ब्याज [(प्रारम्भिक अवशेष + ऋण एवं अग्रिम का अंतिम अवशेष)/ 2] X 100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्तियां – राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + शुद्ध ऋण एवं अग्रिम – राजस्व प्राप्तियां – विविध पूंजीगत प्राप्तियां
प्रारम्भिक घाटा	राजकोषीय घाटा – ब्याज भुगतान
वर्तमान राजस्व से शेष (बी सी आर)	राजस्व प्राप्तियों – समस्त आयोजनागत अनुदान तथा आयोजनेतर राजस्व व्यय जिसमें 2048– कमी अथवा ऋण के परिहार्य हेतु विनियोग के अंतर्गत डेबिट शामिल नहीं है।

परिशिष्ट -1.6

(संदर्भ : प्रस्तर 1.7.2 ; पृष्ठ 14)

विभागवार/वर्षवार प्रकरणों का विघटन जिनमें अंतिम कार्यवाही दिसम्बर 2005 तक लम्बित थी

विभाग का नाम	5 वर्षों तक	5 से 10 वर्ष	10 से 15 वर्ष	15 से 20 वर्ष	20 से 25 वर्ष	25 वर्षों से अधिक	कुल
कृषि	3 (8.91)	-	1 (0.16)	1 (0.18)	-	-	5 (9.25)
पशुधन	1 (3.20)	2 (0.56)	8 (2.14)	4 (0.64)	-	1 (0.02)	16 (6.56)
शिक्षा	-	1 (5.00)	-	-	-	-	1 (5.00)
वित्त	-	-	-	1 (0.67)	-	-	1 (0.67)
मत्स्य	-	-	6 (2.21)	1 (0.50)	1 (0.50)	-	8 (3.21)
खाद्य एवं आपूर्ति	1 (3.06)	-	3 (7.09)	6 (19.64)	-	-	10 (29.79)
सिचाई	-	1 (1.60)	-	-	-	-	1 (1.60)
न्यायिक	-	-	-	1 (0.66)	-	-	1 (0.66)
भूमि अध्याप्ति	-	-	-	-	-	3 (331.44)	3 (331.44)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	-	3 (5.80)	4 (2.24)	10 (10.95)	1 (0.30)	-	18 (19.29)
पुलिस	-	-	1 (1.21)	-	2 (2.50)	2 (1.04)	5 (4.75)
पी ए सी	-	1 (47.48)	-	1 (0.51)	-	-	2 (47.99)
पी डब्ल्यू डी	1 (0.98)	1 (3.23)	-	-	-	-	2 (4.21)
राजस्व	-	-	-	2 (1.40)	1 (0.41)	-	3 (1.81)
ग्राम्य विकास	-	2 (0.63)	1 (1.01)	4 (0.74)	2 (0.42)	3 (1.04)	12 (3.84)
समाज कल्याण	-	-	1 (0.25)	-	1 (0.65)	1 (0.05)	3 (0.95)
प्राविधिक शिक्षा	1 (11.59)	-	-	-	-	-	1 (11.59)
कुल	**7 (27.74)**	**11 (64.30)**	**25 (16.31)**	**31 (35.89)**	**8 (4.78)**	**10 (333.59)**	**92 (482.61)**

(कोष्ठकों में संख्या रुपये लाख में इंगित करती है।)

परिशिष्ट– 1.7

(संदर्भ : प्रस्तर 1.7.2; पृष्ठ 14)

दिसम्बर 2005 की समाप्ति तक चोरी, दुर्विनियोजन/दुर्घटना से सम्बन्धित प्रकरणों से सम्बंधित मामलों के विभाग–वार विवरण

विभाग का नाम	चोरी के प्रकरण		दुर्विनियोजन/सरकारी सामग्री की हानि		अग्नि/दुर्घटना	
	प्रकरणों की संख्या	धनराशि (रुपये लाख में)	प्रकरणों की संख्या	धनराशि (रुपये लाख में)	प्रकरणों की संख्या	धनराशि (रुपये लाख में)
कृषि	3	1.81	2	7.44	-	-
पशुधन	11	1.79	2	3.22	3	1.55
शिक्षा	1	5.00	-	-	-	-
वित्त	1	0.67	-	-	-	-
मत्स्य	4	1.38	3	1.72	1	0.10
खाद्य एवं आपूर्ति	1	1.01	9	28.78	-	-
सिचाई	-	-	1	1.60	-	-
न्यायिक	-	-	1	0.66	-	-
भूमि अध्याप्ति	-	-	3	331.44	-	-
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	12	7.13	5	11.76	1	0.40
पुलिस	-	-	4	4.36	1	0.39
पी ए सी	-	-	2	47.99	-	-
पी डब्ल्यू डी	1	0.98	1	3.23	-	-
राजस्व	-	-	3	1.81	-	-
ग्राम्य विकास	7	1.71	5	2.14	-	-
समाज कल्याण	-	-	3	0.95	-	-
प्राविधिक शिक्षा	-	-	1	11.59	-	-
कुल	**41**	**21.48**	**45**	**458.69**	**6**	**2.44**

परिशिष्ट–2.1

(संदर्भ : प्रस्तर 2.2 एवं 2.3.2; पृष्ठ 23 व 25)

विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत प्रावधानों के विरूद्ध बचतों का विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	कुल प्रावधान	व्यय	बचत
अ. राजस्व–दत्तमत					
1.	1	आबकारी विभाग	32.88	29.68	3.20
2.	4	उद्योग विभाग (खनन एवं खनिज)	18.50	13.22	5.28
3.	5	उद्योग विभाग (हथकरघा एवं ग्रामीण उद्योग)	50.03	49.89	0.14
4.	6	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	53.10	42.33	10.77
5.	7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	19.12	19.03	0.09
6.	8	उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री)	57.49	47.48	10.01
7.	10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (उद्यान तथा रेशम विकास)	65.66	63.86	1.80
8.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	778.10	757.76	20.34
9.	12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	139.79	105.41	34.38
10.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	1175.45	939.46	235.99
11.	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	1001.28	815.07	186.21
12.	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुपालन)	210.08	187.75	22.33
13.	16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	15.13	14.12	1.01
14.	17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	31.43	26.36	5.07
15.	18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	49.61	33.81	15.80
16.	19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण एवं अन्य व्यय)	5.15	4.42	0.73
17.	20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	0.83	0.78	0.05
18.	21	खाद्य एवं रसद विभाग	130.35	118.07	12.28
19.	23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	59.24	57.22	2.02
20.	24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	33.93	19.20	14.73
21.	26	गृह विभाग (पुलिस)	2482.28	2398.59	83.69
22.	27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	138.16	125.12	13.04
23.	28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन एवं अन्य व्यय)	60.37	50.81	9.56
24.	30	गोपनीय विभाग (राजस्व विशेष सतर्कता निदेशालय तथा अन्य व्यय)	1.29	1.13	0.16
25.	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	335.17	333.77	1.40
26.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	919.72	893.64	26.08
27.	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	138.04	124.52	13.52
28.	34	चिकित्सा विभाग (होमियोपैथी)	61.81	59.77	2.04
29.	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	593.63	419.55	174.08
30.	36	चिकित्सा विभाग (लोक स्वास्थ्य)	197.46	164.77	32.69
31.	37	नगर विकास विभाग	251.97	210.26	41.71
32.	38	नागरिक उड्डयन विभाग	6.77	6.76	0.01
33.	39	भाषा विभाग	4.08	3.87	0.21
34.	40	नियोजन विभाग	42.31	37.90	4.41
35.	41	निर्वाचन विभाग	75.22	73.81	1.41
36.	42	न्याय विभाग	295.67	286.42	9.25
37.	43	परिवहन विभाग	34.51	30.34	4.17
38.	44	पर्यटन विभाग	11.36	10.77	0.59
39.	45	पर्यावरण विभाग	82.55	2.43	80.12
40.	46	प्रशासनिक सुधार विभाग	1.17	1.02	0.15
41.	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	129.59	113.81	15.78
42.	48	मुस्लिम वक्फ विभाग	198.17	185.82	12.35
43.	49	महिला एवं कल्याण विभाग	801.37	738.73	62.64
44.	50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	197.57	178.50	19.07
45.	51	राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के संबंध में राहत)	412.74	392.30	20.44
46.	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	697.36	576.14	121.22
47.	53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	0.33	0.12	0.21

48.	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	535.51	458.83	76.68
49.	57	लोक निर्माण विभाग (संचार–पुल)	4.00	3.52	0.48
50.	59	लोक निर्माण विभाग (सम्पत्ति निदेशालय)	24.14	22.12	2.02
51.	60	वन विभाग	127.70	125.17	2.53
52.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	1964.92	1807.97	156.95
53.	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्तें तथा पेंशन)	3161.40	2535.26	626.14
54.	63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	61.43	51.49	9.94
55.	64	वित्त विभाग (राज्य लाटरी)	0.67	0.61	0.06
56.	65	वित्त विभाग (लेखापरीक्षा, अल्प बचतें आदि)	64.70	57.59	7.11
57.	66	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	0.89	0.84	0.05
58.	67	विधान परिषद् सचिवालय	11.34	9.87	1.47
59.	68	विधान सभा सचिवालय	28.34	25.29	3.05
60.	70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	16.95	16.91	0.04
61.	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	4995.75	4732.70	263.05
62.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	2342.14	2304.91	37.23
63.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	618.88	575.40	43.48
64.	75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षणिक शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्)	43.59	37.35	6.24
65.	76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	82.55	76.61	5.94
66.	77	श्रम विभाग (सेवायोजन)	86.09	70.22	15.87
67.	78	सचिवालय प्रशासन विभाग	155.36	142.91	12.45
68.	79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण)	643.31	584.52	58.79
69.	80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	774.56	764.85	9.71
70.	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	10.47	7.54	2.93
71.	82	सतर्कता विभाग	11.49	11.04	0.45
72.	83	समाज कल्याण विभाग (विशेष कम्पोनेन्ट योजना अनुसूचित जातियों के लिए)	1154.36	860.01	294.35
73.	84	सामान्य प्रशासन विभाग	28.91	28.82	0.09
74.	86	सूचना विभाग	27.14	18.23	8.91
75.	87	सैनिक कल्याण विभाग	16.51	14.19	2.32
76.	88	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	1.94	1.88	0.06
77.	89	संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर)	187.73	178.69	9.04
78.	90	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजी कर)	35.17	31.92	3.25
79.	91	संस्थागत वित्त विभाग (टिकट एवं पंजीकरण)	83.87	80.97	2.90
80.	92	सांस्कृतिक विभाग	15.82	15.78	0.04
81.	93	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	593.69	569.91	23.78
82.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	781.42	779.09	2.33
		योग (अ)	**30790.56**	**27768.60**	**3021.96**
ब. पूंजीगत–दत्तमत					
83.	1	राज्य उत्पाद कर	0.18	0.14	0.04
84.	2	आवास विभाग	40.00	25.99	14.01
85.	3	उधोग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	5.89	4.15	1.74
86.	7	उधोग विभाग (भारी तथा मध्यम उद्योग)	86.43	66.96	19.47
87.	8	उधोग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री)	1.20	1.13	0.07
88.	9	ऊर्जा विभाग	1291.08	1228.33	62.75
89.	10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (उद्यान तथा रेशम विकास)	3.45	3.38	0.07
90.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	88.53	70.43	18.10
91.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	723.10	657.35	65.75
92.	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	0.66	0.65	0.01
93.	18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	9.47	9.41	0.06
94.	22	खेलकूद विभाग	18.73	17.75	0.98
95.	23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	7.62	6.25	1.37
96.	25	गृह विभाग (कारागार)	75.25	50.44	24.81
97.	26	गृह विभाग (पुलिस)	221.38	112.58	108.80
98.	27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	2.25	1.17	1.08
99.	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	8.58	4.84	3.74
100.	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	2.65	2.37	0.28

101.	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	6.38	3.17	3.21
102.	37	नगर विकास विभाग	190.00	178.81	11.19
103.	38	नागरिक उड्डयन विभाग	42.23	38.21	4.02
104.	40	नियोजन विभाग	570.00	565.30	4.70
105.	42	न्याय विभाग	30.66	19.37	11.29
106.	43	परिवहन विभाग	2.95	1.88	1.07
107.	44	पर्यटन विभाग	25.61	24.41	1.20
108.	45	पर्यावरण विभाग	80.00	13.62	66.38
109.	48	मुस्लिम वक्फ विभाग	6.25	0.50	5.75
110.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	4.55	4.00	0.55
111.	50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	42.56	31.90	10.66
112.	53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	0.01	00.00	00.01
113.	57	लोक निर्माण विभाग (संचार–पुल)	115.18	108.09	7.09
114.	60	वन विभाग	55.28	53.59	1.69
115.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	58.00	19.39	38.61
116.	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्तें तथा पेंशन)	100.00	33.16	66.84
117.	67	विधान परिषद् सचिवालय	0.87	0.44	0.43
118.	68	विधान सभा सचिवालय	1.92	1.02	0.90
119.	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	1.53	1.26	0.27
120.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	9.12	9.11	0.01
121.	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	3.73	0.53	3.20
122.	83	समाज कल्याण विभाग (विशेष कम्पोनेन्ट योजना अनुसूचित जाति के लिए)	435.77	336.26	99.51
123.	89	संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर)	7.51	6.58	0.93
124.	92	सांस्कृतिक विभाग	31.17	29.82	1.35
125.	93	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	99.52	70.43	29.09
126.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	1177.14	1020.78	156.36
		योग (ब)	**5684.39**	**4834.95**	**849.44**
स. राजस्व–भारित					
127.	1	राज्य उत्पाद कर	0.03	00.00	0.03
128.	2	आवास विभाग	29.62	25.47	4.15
129.	3	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	0.04	00.00	0.04
130.	4	उद्योग विभाग (खनन एवं खनिज)	0.01	00.00	0.01
131.	10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (उद्यान तथा रेशम विकास)	0.39	0.37	0.02
132.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	0.05	0.04	0.01
133.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	0.11	0.05	0.06
134.	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुपालन)	0.03	0.02	0.01
135.	18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	10.48	7.65	2.83
136.	20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग एवं लोक लघु अधिकरण)	11.76	10.92	0.84
137.	21	खाद्य एवं रसद विभाग	180.01	151.00	29.01
138.	23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	0.17	0.02	0.15
139.	24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	1.03	0.69	0.34
140.	25	गृह विभाग (कारागार)	0.08	00.00	0.08
141.	26	गृह विभाग (पुलिस)	0.54	0.03	0.51
142.	29	गोपनीय विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	3.17	2.78	0.39
143.	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	0.08	0.05	0.03
144.	36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	0.07	0.05	0.02
145.	42	न्याय विभाग	52.79	51.83	0.96
146.	50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	0.04	00.00	0.04
147.	51	राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के संबंध में राहत)	410.80	00.00	410.80
148.	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	0.04	00.00	0.04
149.	58	लोक निर्माण विभाग (संचार–सड़क)	0.05	0.01	0.04
150.	60	वन विभाग	0.09	00.00	0.09
151.	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्तें तथा पेंशन)	3.59	0.62	2.97
152.	63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	0.06	00.00	0.06
153.	66	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	106.72	99.36	7.36

154.	67	विधान परिषद् सचिवालय	0.31	0.22	0.09
155.	68	विधान सभा सचिवालय	0.50	0.45	0.05
156.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	0.03	00.00	0.03
157.	89	संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर)	4.62	4.44	0.18
158.	93	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	0.30	00.00	0.30
159.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	381.94	0.01	381.93
		योग (स)	**1199.55**	**356.08**	**843.47**
द. पूंजीगत–भारित					
160.	2	आवास विभाग	72.77	31.09	41.68
161.	21	खाद्य एवं रसद विभाग	1400.01	925.00	475.01
162.	23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	0.20	00.00	0.20
163.	24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	4.93	2.76	2.17
164.	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	0.53	0.43	0.10
165.	58	लोक निर्माण विभाग (संचार–सड़क)	5.50	2.72	2.78
166.	93	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	0.02	00.00	0.02
167.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	4.00	1.27	2.73
		योग (द)	**1487.96**	**963.27**	**524.69**
		कुल योग (अ) +(ब) +(स) +(द)	**39162.46**	**33922.90**	**5239.56**

परिशिष्ट – 2.2

(संदर्भः प्रस्तर 2.2 व 2.3.4; पृष्ठ 23 व 25)

अनुदानों/भारित विनियोगों से अधिक व्यय

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम/भारित विनियोग	कुल अनुदान/विनियोग	व्यय	आधिक्य
		अ. राजस्व–दत्तमत			
1	2	आवास विभाग	56.09	60.82	4.73
2	3	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	49.01	59.94	10.93
3	9	ऊर्जा विभाग	1824.38	1849.36	24.98
4	22	खेलकूद विभाग	20.28	20.32	0.04
5	25	गृह विभाग (जेल)	112.62	113.19	0.57
6	55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	43.58	44.11	0.53
7	58	लोक निर्माण विभाग (संचार–सड़क)	810.16	819.71	9.55
8	85	लोक उद्यम विभाग	1.44	1.53	0.09
		योग (अ)	**2917.56**	**2968.98**	**51.42**
		ब. पूंजीगत–दत्तमत			
9	4	उद्योग विभाग (खनन एवं खनिज)	------	0.63	0.63
10	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुपालन)	7.81	7.94	0.13
11	16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	1.60	1.89	0.29
12	21	खाद्य एवं रसद विभाग	4933.00	5368.23	435.23
13	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	161.58	192.74	31.16
14	34	चिकित्सा विभाग (होमियोपैथी)	2.92	3.82	0.90
15	55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	29.53	161.70	132.17
16	58	लोक निर्माण विभाग (संचार–सड़क)	989.03	990.66	1.63
17	59	लोक निर्माण विभाग (सम्पत्ति निदेशालय)	5.00	6.19	1.19
18	79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण)	4.77	6.91	2.14
		योग (ब)	**6135.24**	**6740.71**	**605.47**
		स. राजस्व–भारित			
19	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	1.36	4.63	3.27
20	55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	1.73	1.77	0.04
21	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	13352.11	13875.58	523.47
		योग (स)	**13355.20**	**13881.98**	**526.78**
		द. पूंजीगत–भारित			
22	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	27692.10	28407.76	715.66
		योग (द)	**27692.10**	**28407.76**	**715.66**
		कुल योग	**50100.10**	**51999.43**	**1899.33**

परिशिष्ट – 2.3

(संदर्भ : प्रस्तर 2.3.2; पृष्ठ 25)

प्रत्येक प्रकरण में एक करोड़ रुपये से अधिक बचतों का विवरण जो कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से भी अधिक थीं

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदानों का विवरण	कुल प्रावधान	बचत की धनराशि (कुल प्रावधानों की प्रतिशतता कोष्ठक
		राजस्व–दत्तमत		
1.	4	उधोग विभाग (खनन एवं खनिज)	18.50	5.28 (29)
2.	6	उधोग विभाग (हथकरघा उधोग)	53.10	10.77 (20)
3.	8	उधोग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री)	57.49	10.01 (17)
4.	12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	139.79	34.38 (25)
5.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	1175.45	235.99 (20)
6.	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	1001.28	186.21 (19)
7.	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुपालन)	210.08	22.33 (11)
8.	17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	31.43	5.07 (16)
9.	18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	49.61	15.80 (32)
10.	24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उधोग)	33.93	14.73 (43)
11.	28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन एवं अन्य व्यय)	60.37	9.56 (16)
12.	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	593.63	174.08 (29)
13.	36	चिकित्सा विभाग (लोक स्वास्थ्य)	197.46	32.69 (17)
14.	37	नगर विकास विभाग	251.97	41.71 (17)
15.	43	परिवहन विभाग	34.51	4.17 (12)
16.	45	पर्यावरण विभाग	82.55	80.12 (97)
17.	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	129.59	15.78 (12)
18.	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	697.36	121.22 (17)
19.	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	535.51	76.68 (14)
20.	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्तें तथा पेंशन)	3161.40	626.14 (20)
21.	63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	61.43	9.94 (16)
22.	65	वित्त विभाग (लेखापरीक्षा, लघु बचतें आदि)	64.70	7.11 (11)
23.	67	विधान परिषद् सचिवालय	11.34	1.47 (13)
24.	68	विधान सभा सचिवालय	28.34	3.05 (11)
25.	75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षणिक शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्)	43.59	6.24 (14)
26.	77	श्रम विभाग (सेवायोजन)	86.09	15.87 (18)
27.	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	10.47	2.93 (28)
28.	83	समाज कल्याण विभाग (विशेष कम्पोनेन्ट योजना अनुसूचित जाति के लिए)	1154.36	294.35 (25)
29.	86	सूचना विभाग	27.14	8.91 (33)
30.	87	सैनिक कल्याण विभाग	16.51	2.32 (14)
		योग	**10018.98**	**2074.91**
		पूंजीगत–दत्तमत		
31.	2	आवास विभाग	40.00	14.01 (35)
32.	3	उधोग विभाग (लघु उधोग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	5.89	1.74 (30)

33.	7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	86.43	19.47 (23)
34.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	88.53	18.10 (20)
35.	23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	7.62	1.37 (18)
36.	25	गृह विभाग (कारागार)	75.25	24.81 (33)
37.	26	गृह विभाग (पुलिस)	221.38	108.80 (49)
38.	27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	2.25	1.08 (48)
39.	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	8.58	3.74 (44)
40.	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	6.38	3.21 (50)
41.	42	न्याय विभाग	30.66	11.29 (37)
42.	43	परिवहन विभाग	2.95	1.07 (36)
43.	45	पर्यावरण विभाग	80.00	66.38 (83)
44.	48	मुस्लिम वक्फ विभाग	6.25	5.75 (92)
45.	50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	42.56	10.66 (25)
46.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	58.00	38.61 (67)
47.	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्तें तथा पेंशन)	100.00	66.84 (67)
48.	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	3.73	3.20 (86)
49.	83	समाज कल्याण विभाग (विशेष कम्पोनेन्ट योजना अनुसूचित जाति के लिए)	435.77	99.51 (23)
50.	93	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	99.52	29.09 (29)
51.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	1177.14	156.36 (13)
		योग	**2578.89**	**685.09**
		राजस्व–भारित		
52.	2	आवास विभाग	29.62	4.15 (14)
53.	18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	10.48	2.83 (27)
54.	21	खाद्य एवं रसद विभाग	180.01	29.01 (16)
55.	51	राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के संबंध में राहत)	410.80	410.80 (100)
56.	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्तें तथा पेंशन)	3.59	2.97 (83)
57.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	381.94	381.93 (100)
		योग	**1016.44**	**831.69**
		पूंजीगत–भारित		
58.	2	आवास विभाग	72.77	41.68 (57)
59.	21	खाद्य एवं रसद विभाग	1400.01	475.01 (34)
60.	24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	4.93	2.17 (44)
61.	58	लोक निर्माण विभाग (संचार–सड़क)	5.50	2.78 (51)
62.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	4.00	2.73 (68)
		योग	**1487.21**	**524.37**
		कुल योग	**15101.52**	**4116.06**

परिशिष्ट 2.4

(संदर्भ : प्रस्तर 2.3.4; पृष्ठ 25)

1990–91 से 2003–04 तक से सम्बन्धित विगत वर्षों में प्रावधान के सापेक्ष अधिक व्यय

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	अनुदान/विनियोग की संख्या	अनुदान/विनियोग	आधिक्य की धनराशि	धनराशि जिसके लिए स्पष्टीकरण पी. ए.सी. को प्रस्तुत किया गया
1990-91	55	राजस्व–दत्तमत 1,4,10,11,14,15,22,24,26,27,32,33,34,35,36,37,42,43,52, 56,57,63,72,73,74,75,76,77,78,81,82,83,84,93 पूंजीगत–दत्तमत 16,42,43,47,59,73,76,79 अगणित अनुदान राजस्व–भारित 2,6,7,21,42,60,62,65,67 पूंजीगत–भारित 7,52,55	2450.89	28.86
1991-92	56	राजस्व–दत्तमत 8,22,29,33,34,36,37,41,42,44,56,66,71,72,73,74 75,76,78,81,82,83,84,85,88,90,93,94 पूंजीगत–दत्तमत1,8,10,13,23,27,32,35,47,52,63,73,76,79,86, 92 राजस्व–भारित 2,7,11,40,55,59,65,67,74,89 पूंजीगत–भारित 52,55	1158.06	22.37
1992-93	81	राजस्व–दत्तमत 1,8,9,10,11,12,13,21,23,24,25,35,36,37,38,39,41, 42,43,44,47,48,49,50,51,52,56,57,62,64,67,72, 77,81,83,85,87,89,90,91,93 पूंजीगत–दत्तमत3,12,13,15,16,18,19,21,27,35,38,49,55,58,63 ,73,77,80,94,95 राजस्व–भारित 2,16,24,26,28,37,42,46,52,55,65,66,67,72,78,88,94 पूंजीगत–भारित24,51,52	1815.56	96.01
1993-94	73	राजस्व–दत्तमत 10,15,16,17,18,22,23,25,27,28,29,32,33,34,35,36,37,43,5 0,52,53,54,55,56,57,58,70,73,81,83,85,89,90,91,93 पूंजीगत–दत्तमत 4,12,15,16,17,18,21,28,33,38,40,43,50,55,58,69, 73,80,94 राजस्व–भारित 7,20,28,29,37,46,47,52,58,65,78,88 पूंजीगत–भारित 18,23,26,42,52,61,95	930.59	207.63
1994-95	58	राजस्व–दत्तमत 1,5,9,10,23,25,35,4144,48,50,51,52,56,57,58,59,62,64,67 ,70,73,78,81,83,85,90,91,93 पूंजीगत–दत्तमत 3,8,9,12,13,15,20,22,25,26,42,55,57,58,60,69,72, 77,80,94,95 राजस्व–भारित 1,24,29,42,61 पूंजीगत–भारित 26,52,58,	2011.01	85.36
1995-96	43	राजस्व–दत्तमत 2,9,14,16,36,43,47,48,55,58,62,66,70,75,81,83,84,93,94 पूंजीगत–दत्तमत 5,7,13,33,49,50,53,55,58,59,72,94 राजस्व–भारित 26,29,42,71,72,73,95 पूंजीगत–भारित 2,5,24,26,52	621.43	247.95
1996-97	27	राजस्व–दत्तमत 2,35,39,51,56,58,59,62,64,70,83,93,94, पूंजीगत–दत्तमत 4,32,40,55,58,60,65,81,94,95 राजस्व–भारित 95 पूंजीगत–भारित 26,51,52	711.95	345.47
1997-98	16	राजस्व–दत्तमत 28,35,56,58,64,66,78,81,90 पूंजीगत–दत्तमत 11,34,42,55 पूंजीगत–भारित 2,52,61	590.21	203.26

1998-99	27	राजस्व–दत्तमत 1,4,9,10,27,50,51,58,66,78,81,87,89,90 पूंजीगत–दत्तमत 21,38,45,55,58,65,80,95 राजस्व–भारित 42,66,89 पूंजीगत–भारित 52,61	730.56	240.66
1999-2000	21	राजस्व–दत्तमत 4,12,14,23.51,66,78,81,90 पूंजीगत–दत्तमत 10,21,36,55,63,92 राजस्व–भारित 47,73,89 पूंजीगत–भारित 52,61,75	8785.95	347.56
2000-2001	17	राजस्व–दत्तमत 12,32,59,62,81,90,93,94 पूंजीगत–दत्तमत 36,55,59,93 राजस्व–भारित 3,48,52,72 पूंजीगत–भारित 61	843.87	
2001-02	29	राजस्व–दत्तमत 90,94 पूंजीगत–दत्तमत 10,21,42,55,73 राजस्व–भारित 2,12,13,17,26,27,28,31,33,34,36,52,55,65,72,75,76,77, 80,91 पूंजीगत–भारित 21,52	668.62	
2002-03	27	राजस्व–दत्तमत 5,27,39,46,51,55,58,62,94 पूंजीगत–दत्तमत 10,21,40,55,58,72,77,92 राजस्व–भारित 2,10,47,48,49,52,78 पूंजीगत–भारित 2,52,61	5532.40	
2003-04	16	राजस्व–दत्तमत 12, 39, 91, 94 पूंजीगत–दत्तमत 3, 10, 21, 23, 32, 34, 35, 55 राजस्व–भारित 52, 55 पूंजीगत–भारित 52, 61	3644.99	
योग			**30496.09**	**1825.13**

परिशिष्ट– 2.5

(संदर्भ : प्रस्तर 2.3.6; पृष्ठ 26)

अनुदान जिनमें प्राप्त अनुपूरक प्रावधान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुये

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	प्राप्त अनुपूरक प्रावधान	बचत
		राजस्व–दत्तमत		
1.	4	उद्योग विभाग (खनन एवं खनिज)	0.07	5.28
2.	8	उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री)	1.48	10.01
3.	10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (उद्यान एवं रेशम विकास)	0.93	1.80
4.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	105.34	235.99
5.	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	23.45	186.21
6.	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुपालन)	9.16	22.33
7.	17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	4.28	5.07
8.	18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	2.40	15.80
9.	26	गृह विभाग (पुलिस)	44.20	83.69
10.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	1.03	26.08
11.	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	0.45	13.52
12.	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	0.12	174.08
13.	36	चिकित्सा विभाग (लोक स्वास्थ्य)	2.77	32.69
14.	37	नगर विकास विभाग	15.02	41.71
15.	40	नियोजन विभाग	1.97	4.41
16.	41	निर्वाचन विभाग	0.90	1.41
17.	42	न्याय विभाग	2.66	9.25
18.	43	परिवहन विभाग	2.97	4.17
19.	47	तकनीकी शिक्षा विभाग	0.26	15.78
20.	50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	0.46	19.07
21.	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	12.10	121.22
22.	53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	0.17	0.21
23.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	0.05	156.95
24.	63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	1.05	9.94
25.	65	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, लघु बचतें आदि)	1.81	7.11
26.	67	विधान परिषद सचिवालय	1.22	1.47
27.	76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	0.28	5.94
28.	77	श्रम विभाग (सेवायोजन)	2.63	15.87
29.	78	सचिवालय प्रशासन विभाग	1.04	12.45
30.	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	0.19	2.93
31.	83	समाज कल्याण विभाग (विशेष कम्पोनेन्ट योजना अनुसूचित जातियों के लिए)	255.66	294.35
32.	86	सूचना विभाग	3.44	8.91
33.	89	संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर)	2.08	9.04
34.	93	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	1.00	23.78
		योग	**502.64**	**1578.52**
		पूंजीगत–दत्तमत		
35.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	13.51	65.75
36.	23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	0.14	1.37
37.	26	गृह विभाग (पुलिस)	80.38	108.80
38.	27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	1.05	1.08
39.	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	3.03	3.21
40.	42	न्याय विभाग	0.66	11.29
41.	67	विधान परिषद सचिवालय	0.42	0.43
42.	68	विधान सभा सचिवालय	0.82	0.90
43.	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	0.06	3.20
44.	83	समाज कल्याण विभाग (विशेष कम्पोनेन्ट योजना अनुसूचित जातियों के लिए)	21.05	99.51
45.	89	संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर)	0.67	0.93
46.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	98.13	156.36
		योग	**219.92**	**452.83**
		राजस्व–भारित		

47.	2	आवास विभाग	3.61	4.15
48.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	0.01	0.06
49.	23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	0.01	0.15
50.	51	राजस्व विभाग (प्राकृतिक आपदा के सम्बंध में राहत)	232.99	410.80
51.	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते एवं पेंशन)	0.10	2.97
52.	93	सिचाई विभाग (अधिष्ठान)	0.01	0.30
53.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	0.01	381.93
		योग	**236.74**	**800.36**
		पूंजीगत–भारित		
54.	2	आवास विभाग	23.15	41.68
55.	93	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	0.02	0.02
		योग	**23.17**	**41.70**
		कुल योग	**982.47**	**2873.41**

परिशिष्ट– 2.6

(संदर्भ : प्रस्तर 2.3.7; पृष्ठ 26)

आधिक्य व्यय के आच्छादन हेतु अपर्याप्त अनुपूरक अनुदान

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान संख्या एवं अनुदान का नाम	अनुपूरक प्रावधान	अधिक व्यय
(ब) अपर्याप्त अनुपूरक अनुदान				
	राजस्व–दत्तमत			
1.	2	आवास विभाग	10.81	4.73
2.	3	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	6.06	10.93
3.	9	ऊर्जा विभाग	291.57	24.98
4.	22	खेलकूद विभाग	2.34	0.04
5.	25	गृह विभाग (कारागार)	0.11	0.57
6.	55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	2.53	0.53
7.	58	लोक निर्माण विभाग (संचार–सडकें)	181.76	9.55
		योग	**495.18**	
	पूंजीगत–दत्तमत			
8.	15	कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुपालन)	0.67	0.13
9.	21	खाद्य एवं रसद विभाग	1337.41	435.23
10.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	36.53	31.16
11.	55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	8.98	132.17
12.	58	लोक निर्माण विभाग (संचार–सडकें)	50.00	1.63
		योग	**1433.59**	**600.32**
	राजस्व–भारित			
13.	55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	0.20	0.04
14.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें एवं अन्य व्यय)	107.02	523.47
		योग	**107.22**	**523.51**
	पूंजीगत–भारित			
15.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें एवं अन्य व्यय)	12248.75	715.66
		योग	**12248.75**	**715.66**
		कुल योग (अ)	**14284.74**	**1890.82**
(ब) प्रकरण जहां अनुपूरक अनुदानों के मांग की प्रत्याशा नही थी				
	राजस्व–दत्तमत			
1.	85	लोक उद्यम विभाग	शून्य	0.09
		योग	**भून्य**	**0.09**
	पूंजीगत–दत्तमत			
2.	4	उद्योग विभाग (खनन एवं खनिज)	शून्य	0.63
3.	16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	शून्य	0.29
4.	34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी)	शून्य	0.90
5.	59	लोक निर्माण विभाग (सम्पत्ति निदेशालय)	शून्य	1.19
6.	79	समाज कल्याण विभाग ,विकलांगों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याणद्ध	शून्य	2.14
		योग	**भून्य**	**5.15**
	राजस्व भारित			
7.	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	शून्य	3.27
		योग	**भून्य**	**3.27**
		कुल योग (ब)	**भून्य**	**8.51**

परिशिष्ट–2.7

(संदर्भ : प्रस्तर 2.3.9 ; पृष्ठ 26)

बचतों का विवरण जो अभ्यर्पित नहीं की गई

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदानों का विवरण	बचतें	अभ्यर्पण	बचत जो अभ्यर्पित नहीं की गई	
					पूर्ण	आंशिक
	(अ) आंशिक अभ्यर्पण का विवरण					
		राजस्व–दत्तमत				
1.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	20.34	0.01		20.33
2.	12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	34.38	6.02		28.36
3.	26	गृह विभाग (पुलिस)	83.69	79.25		4.44
4.	28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन एवं अन्य व्यय)	9.56	2.24		7.32
5.	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	174.08	79.64		94.44
6.	40	नियोजन विभाग	4.41	1.69		2.72
7.	50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	19.07	14.86		4.21
8.	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	121.22	23.85		97.37
9.	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	76.68	10.34		66.34
10.	65	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, लघु बचतें आदि)	7.11	1.41		5.70
11.	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	263.05	146.35		116.70
12.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	43.48	2.01		41.47
13.	75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षणिक शोध एवं प्रशिक्षण परिषद)	6.24	4.55		1.69
14.	76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	5.94	2.04		3.90
15.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	2.33	0.31		2.02
		योग	**871.58**	**374.57**		**497.01**
		पूंजीगत–दत्तमत				
16.	26	गृह विभाग (पुलिस)	108.80	105.97		2.83
17.	27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	1.08	0.08		1.00
18.	50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	10.66	0.67		9.99
19.	57	लोक निर्माण विभाग (संचार–पुल)	7.09	5.10		1.99
		योग	**127.63**	**111.82**		**15.81**
		पूंजीगत–भारित				
20.	2	आवास विभाग	41.68	18.53		23.15
		योग	**41.68**	**18.53**		**23.15**
		कुल योग	**1040.89**	**504.92**		**535.97**
	(ब) प्रकरण जहां बचतें अभ्यर्पित नहीं की गई					
		राजस्व–दत्तमत				
1.	4	उद्योग विभाग (खान एवं खनन)	5.28		5.28	
2.	6	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	10.77		10.77	
3.	10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (उद्यान तथा रेशम विभाग)	1.80		1.80	
4.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्रामीण विकास)	235.99		235.99	
5.	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	186.21		186.21	
6.	16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	1.01		1.01	
7.	17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	5.07		5.07	
8.	21	खाद्य एवं रसद विभाग	12.28		12.28	
9.	23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	2.02		2.02	
10.	24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	14.73		14.73	
11.	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	1.40		1.40	
12.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	26.08		26.08	
13.	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	13.52		13.52	
14.	36	चिकित्सा विभाग (लोक स्वास्थ्य)	32.69		32.69	
15.	37	नगर विकास विभाग	41.71		41.71	
16.	41	निर्वाचन विभाग	1.41		1.41	
17.	45	पर्यावरण विभाग	80.12		80.12	
18.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	62.64		62.64	

19.	51	राजस्व विभाग (प्राकृतिक आपदा के सम्बंध में राहत)	20.44		20.44	
20.	59	लोक निर्माण विभाग (सम्पत्ति निदेशालय)	2.02		2.02	
21.	60	वन विभाग	2.53		2.53	
22.	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन)	626.14		626.14	
23.	68	विधान सभा सचिवालय	3.05		3.05	
24.	77	श्रम विभाग (सेवायोजन)	15.87		15.87	
25.	79	समाज कल्याण विभाग (विकलांगों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण)	58.79		58.79	
26.	80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	9.71		9.71	
27.	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	2.93		2.93	
28.	83	समाज कल्याण विभाग (विशेष कम्पोनेंट योजना अनुसूचित जातियों के लिए)	294.35		294.35	
29.	86	सूचना विभाग	8.91		8.91	
30.	87	सैनिक कल्याण विभाग	2.32		2.32	
31.	93	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	23.78		23.78	
		योग	**1805.57**		**1805.57**	
		पूंजीगत–दत्तमत				
32.	3	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	1.74		1.74	
33.	7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	19.47		19.47	
34.	9	ऊर्जा विभाग	62.75		62.75	
35.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	18.10		18.10	
36.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	65.75		65.75	
37.	23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	1.37		1.37	
38.	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	3.74		3.74	
39.	37	नगर विकास विभाग	11.19		11.19	
40.	38	नागरिक उड्डयन विभाग	4.02		4.02	
41.	40	नियोजन विभाग	4.70		4.70	
42.	44	पर्यटन विभाग	1.20		1.20	
43.	45	पर्यावरण विभाग	66.38		66.38	
44.	60	वन विभाग	1.69		1.69	
45.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	38.61		38.61	
46.	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन)	66.84		66.84	
47.	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	3.20		3.20	
48.	83	समाज कल्याण विभाग (विशेष कम्पोनेंट योजना अनुसूचित जातियों के लिए)	99.51		99.51	
49.	92	सांस्कृतिक विभाग	1.35		1.35	
50.	93	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	29.09		29.09	
		योग	**500.70**		**500.70**	
		राजस्व–भारित				
51.	21	खाद्य एवं रसद विभाग	29.01		29.01	
52.	51	राजस्व विभाग (प्राकृतिक आपदा के सम्बंध में राहत)	410.80		410.80	
53.	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन)	2.97		2.97	
		योग	**442.78**		**442.78**	
		पूंजीगत–भारित				
54.	21	खाद्य एवं रसद विभाग	475.01		475.01	
55.	24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	2.17		2.17	
		योग	**477.18**		**477.18**	
कुल योग			**3226.23**		**3226.23**	

परिशिष्ट– 2.8

(संदर्भ : प्रस्तर 2.3.9; पृष्ठ 26)

बचतें जो मार्च 2005 में अभ्यर्पित की गई

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदानों का विवरण	धनराशि
	राजस्व–दत्तमत		
1	2	आवास विभाग	1.51
2	8	उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री)	10.01
3	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुपालन)	23.10
4	18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	16.81
5	27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	12.60
6	42	न्याय विभाग	16.63
7	43	परिवहन विभाग	4.13
8	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	15.43
9	48	मुस्लिम वक्फ विभाग	12.16
10	58	लोक निर्माण विभाग (संचार–सड़कें)	8.72
11	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	168.16
12	63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	9.05
13	67	विधान परिषद सचिवालय	1.47
14	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	69.77
15	78	सचिवालय प्रशासन विभाग	12.28
16	89	संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर)	8.91
17	90	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	3.17
18	91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	11.97
		योग	**405.88**
	राजस्व–भारित		
19	2	आवास विकास	4.16
20	18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	2.83
21	42	न्याय विभाग	1.88
22	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	321.27
23	66	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	7.35
24	94	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	381.93
		योग	**719.42**
	पूंजीगत–दत्तमत		
25	2	आवास विभाग	14.01
26	7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	19.47
27	25	गृह विभाग (कारागार)	24.81
28	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	3.25
29	42	न्याय विभाग	17.86
30	43	परिवहन विभाग	1.07
31	48	मुस्लिम वक्फ विभाग	5.75
32	55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	2.77
33	58	लोक निर्माण विभाग (संचार–सड़कें)	286.68
34	94	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	329.08
		योग	**704.75**
	पूंजीगत–भारित		
35	58	लोक निर्माण विभाग (संचार–सड़कें)	2.61
36	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	336.41
37	94	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	2.71
		योग	**341.73**
		कुल योग	**2171.78**

परिशिष्ट–2.9

(संदर्भ : प्रस्तर 2.5; पृष्ठ 27)

व्यय का बाहुल्य

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान	कुल व्यय	मार्च में व्यय	कुल व्यय का मार्च माह से व्यय का प्रतिशत
1	2045–वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	45.81	41.98	24.90	59
2	2217–शहरी विकास	203.01	204.66	99.85	49
3	2245–प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	1810.22	392.28	347.33	89
4	2402–मृदा तथा जल संरक्षण	237.89	231.76	142.21	61
5	2575–अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	40.50	36.37	32.37	89
6	2705–कमाण्ड क्षेत्र विकास	130.16	100.13	43.82	44
7	2801–ऊर्जा	1324.33	1258.83	511.02	41
8	2810–अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत	15.19	15.06	6.95	46
9	2851–ग्राम तथा लघु उद्योग	151.97	134.38	59.32	44
10	2853–अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	13.50	13.22	5.67	43
11	3054–सड़क तथा सेतु	641.29	777.84	495.40	64
12	3452–पर्यटन	11.36	10.77	5.84	54
13	3453–विदेश व्यापार तथा निर्यात संवर्धन	2.05	15.55	15.07	97
14	4055–पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	221.38	112.58	82.51	73
15	4059–लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	120.89	61.94	29.51	48
16	4070–अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	78.20	53.30	43.83	82
17	4202–शिक्षा, खेलकूद, कला तथा सांस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	140.35	107.51	45.55	42
18	4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ पर पूंजीगत परिव्यय	242.12	215.16	142.09	66
19	4216–आवास पर पूंजीगत परिव्यय	*24.47*	*27.54*	*11.03*	*40*
20	4225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	44.45	34.51	32.61	94
21	4235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	5.05	4.50	4.00	89
22	4250–अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	5.19	4.78	2.35	49
23	4403–पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	7.82	6.84	4.31	63
24	4415–कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय	5.46	7.15	3.17	44
25	4575–अन्य विशेष क्षेत्र के कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	384.50	319.19	127.96	40
26	4702–लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	76.84	58.68	32.08	55
27	4801–बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	958.55	1046.18	839.24	80
28	5053–नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय	42.23	38.21	25.94	68
	योग	**6984.78**	**5330.90**	**3215.93**	**60**

परिशिष्ट - 3.1

(सन्दर्भ : प्रस्तर 3.1.11; पृष्ठ 33)

भारत सरकार से प्राप्त विभिन्न गर्भनिरोधक साधनों की उपलब्धता की स्थिति

कन्डोम

(सख्या लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	भारत सरकार से प्राप्ति	योग	इकाईयों को निर्गत	अंतिम अवशेष
2000-01	19.73	1214.70	1234.43	1225.29	9.13
2001-02	9.13	1331.02	1340.15	1203.66	136.48
2002-03	136.48	1640.29	1776.78	1189.66	587.12
2003-04	587.12	1103.91	1691.02	1451.51	239.51
2004-05	239.51	715.15	954.66	734.29	220.37
योग	**19.73**	**6005.07**		**5804.41**	**220.37**

कापर टी

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	भारत सरकार से प्राप्ति	योग	इकाईयों को निर्गत	अंतिम अवशेष
2000-01	2.87	20.53	23.40	19.51	3.89
2001-02	3.89	29.00	32.89	23.94	8.95
2002-03	8.95	24.84	33.79	22.72	11.07
2003-04	11.07	22.70	33.77	24.36	9.41
2004-05	9.41	13.73	23.14	16.86	6.28
योग	**2.87**	**110.80**		**107.39**	**6.28**

गर्भनिरोधक गोलियॉ

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	भारत सरकार से प्राप्ति	योग	इकाईयों को निर्गत	अंतिम अवशेष
2000-01	33.12	134.91	168.03	115.34	52.69
2001-02	52.69	116.27	168.96	111.91	57.05
2002-03	57.05	128.42	185.47	113.65	71.82
2003-04	71.82	93.98	165.80	110.99	54.81
2004-05	54.81	82.31	137.12	93.24	43.88
योग	**33.12**	**555.89**		**545.13**	**43.88**

परिशिष्ट - 3.2

(सन्दर्भ : प्रस्तर 3.1.18; पृष्ठ 37)

वर्ष 2000–05 की अवधि में प्रतिरक्षण के सन्दर्भ में लक्ष्य एवं उपलब्धियॉ

वर्ष	डीपीटी		गर्भनिरोधक गोलिया		बीसीजी		मिजिल्स	
	लक्ष्य	उपल.	लक्ष्य	उपल.	लक्ष्य	उपल.	लक्ष्य	उपल.
	लाभार्थियों की संख्या (लाख में)							
2000-01	54.63	56.15 (103)	54.63	56.72 (104)	54.63	54.68 (100)	54.63	52.72 (97)
2001-02	53.49	55.23 (103)	53.49	55.22 (81)	53.49	55.51 (75)	53.49	51.85 (97)
2002-03	54.60	55.61 (102)	54.60	55.60 (102)	54.60	56.04 (103)	54.60	52.20 (97)
2003-04	56.73	49.68 (88)	56.73	53.17 (94)	56.73	55.88 (99)	56.73	50.25 (89)
2004-05	54.41	53.46 (98)	54.41	54.71 (101)	54.41	55.59 (102)	54.41	48.65 (90)

परिशिष्ट - 3.3

(सन्दर्भ : प्रस्तर 3.1.18; पृष्ठ 37)

(I) निदेशालय स्तर पर वर्ष 2000–05 के दौरान विभिन्न टीकों के भण्डारण की स्थिति

डीपीटी वैक्सीन

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्ति	योग	वितरण	अंतिम अवशेष
	खुराक (लाख में)				
2000-01	12.13	86.36	98.49	88.89	9.60
2001-02	9.60	44.26	53.86	44.74	9.12
2002-03	9.12	38.51	47.63	46.20	1.43
2003-04	1.43	61.92	63.35	53.44	9.91
2004-05	9.91	78.00	87.91	71.67	16.24
योग		**309.05**		**304.94**	

ब. बीसीजी वैक्सीन

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्ति	योग	वितरण	अंतिम अवशेष
	खुराक (लाख में)				
2000-01	6.33	203.77	210.10	168.10	42.00
2001-02	42.00	91.38	133.38	126.09	7.29
2002-03	7.29	167.99	175.28	126.40	48.88
2003-04	48.88	76.62	125.50	109.88	15.62
2004-05	15.62	113.60	129.22	118.71	10.51
योग		**653.36**		**649.18**	

स. मिजिल्स वैक्सीन

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्ति	योग	वितरण	अंतिम अवशेष
	खुराक (लाख में)				
2000-01	18.97	104.07	123.04	99.08	23.96
2001-02	23.96	62.90	86.86	76.49	10.37
2002-03	10.37	88.93	99.30	77.55	21.75
2003-04	21.75	78.76	100.51	86.80	13.71
2004-05	13.71	73.12	86.83	73.73	13.10
योग		**407.78**		**413.65**	

क. डी टी वैक्सीन

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्ति	योग	वितरण	अंतिम अवशेष
	खुराक (लाख में)				
2000-01	102.15	221.00	323.15	263.17	59.98
2001-02	59.98	239.54	299.52	243.76	55.76
2002-03	55.76	216.80	272.56	243.89	28.67
2003-04	28.67	159.44	188.11	183.60	4.51
2004-05	4.51	206.36	210.87	203.68	7.19
योग		**1043.14**		**1138.10**	

य. टीटी वैक्सीन

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्ति	योग	वितरण	अंतिम अवशेष
	खुराक (लाख में)				
2000-01	13.72	386.97	400.69	282.98	117.71
2001-02	117.71	222.02	339.73	263.36	76.37
2002-03	76.37	210.40	286.77	224.16	62.61
2003-04	62.61	146.19	208.80	191.85	16.95
2004-05	16.95	303.04	319.99	254.43	65.56
योग		**1268.62**		**1216.78**	

(II) सम्प्रेक्षित जनपदों में वर्ष 2000–05 की अवधि में विभिन्न टीकों के अंतिम अवशेष

अ डीपीटी वैक्सीन

वर्ष	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
	संख्या लाख में				
आजमगढ	NIL	0.28	0.66	0.50	0.39
बरेली	0.38	0.16	0.49	NIL	0.57
बुलन्दशहर	0.34	0.06	NIL	NIL	NIL
गोरखपुर	0.93	0.59	NIL	0.05	0.42
हरदोई	0.69	0.54	0.30	NIL	0.26
लखनऊ	NA	0.30	0.05	0.03	0.01
महाराजगंज	0.73	0.70	0.76	0.52	0.33
मुजफ्फरनगर	0.23	0.16	0.09	NIL	NIL
मिर्जापुर	0.02	0.08	0.03	0.05	0.02
प्रतापगढ	0.21	0.17	0.14	0.02	0.05
रायबरेली	0.73	0.44	0.16	NIL	0.07
शाहजहॉपुर	0.27	0.72	0.26	0.04	0.18
सीतापुर	0.21	0.90	0.16	0.02	0.24
योग	**4.74**	**5.10**	**3.10**	**1.23**	**2.54**

ब. बीसीजी वैक्सीन

वर्ष	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
	संख्या लाख में				
आजमगढ	NIL	0.04	0.34	NIL	0.34
बरेली	0.17	0.06	0.02	0.04	0.04
बुलन्दशहर	0.02	0.05	0.09	0.14	0.03
गोरखपुर	0.47	0.23	0.50	NIL	0.20
हरदोई	0.30	0.10	0.11	0.13	0.24
लखनऊ	NA	0.03	0.22	0.45	NIL
महाराजगंज	0.58	0.26	0.40	NIL	0.47
मुजफ्फरनगर	0.03	0.12	0.19	0.14	0.12
मिर्जापुर	0.01	0.01	0.02	NIL	0.01
प्रतापगढ	0.15	0.01	0.23	0.16	0.38
रायबरेली	NIL	0.12	0.21	0.14	0.04
शाहजहॉपुर	NIL	0.04	0.03	0.13	0.27
सीतापुर	0.05	0.11	0.11	0.08	0.27
योग	**1.78**	**1.18**	**2.46**	**1.41**	**2.41**

स. मिजिल्स वैक्सीन

वर्ष	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
	संख्या लाख में				
आजमगढ	0.12	3.67	0.18	0.40	0.12
बरेली	0.05	NIL	0.08	NIL	0.19
बुलन्दशहर	0.02	NIL	0.11	0.14	0.19
गोरखपुर	0.08	0.18	0.09	0.02	0.02
हरदोई	0.15	0.11	0.14	0.05	0.08
लखनऊ	NA	0.06	0.02	0.29	0.12
महाराजगंज	0.02	0.25	0.31	0.05	0.04
मुजफ्फरनगर	0.17	NIL	0.12	0.13	0.18
मिर्जापुर	NIL	0.03	NIL	0.05	0.02
प्रतापगढ	0.21	0.07	0.04	0.06	0.01
रायबरेली	0.15	0.02	0.08	0.33	0.10
शाहजहॉपुर	0.11	0.16	0.05	0.05	0.09
सीतापुर	0.10	0.02	0.20	0.09	0.10
योग	**1.18**	**4.57**	**1.42**	**1.66**	**1.26**

द. टीटी वैक्सीन

वर्ष	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
	संख्या लाख में				
आजमगढ	0.24	0.46	0.71	0.72	1.34
बरेली	0.29	0.80	0.03	0.18	0.93
बुलन्दशहर	0.22	0.16	0.34	NIL	.014
गोरखपुर	0.18	0.36	0.42	NIL	0.68
हरदोई	0.77	0.70	0.24	0.06	0.85
लखनऊ	NA	0.82	0.21	NIL	0.30
महाराजगंज	NIL	1.04	1.10	0.25	0.46
मुजफ्फरनगर	NIL	0.08	0.10	0.08	0.20
मिर्जापुर	0.02	0.10	0.01	0.06	0.03
प्रतापगढ	0.45	0.23	0.24	0.07	0.39
रायबरेली	0.08	0.21	0.19	NIL	0.53
शाहजहॉपुर	0.25	0.21	0.28	0.08	0.71
सीतापुर	0.18	0.55	0.44	0.02	0.73
योग	**2.68**	**5.72**	**4.31**	**1.52**	**7.29**

परिशिष्ट 3.4

(संदर्भः प्रस्तर 3.2.3 पृष्ठ 42)

कार्यकारी सारांश

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के कार्यशीलता की स्थिति को समझने के लिये वृहद् उपभोक्ताओं, वादियो, उत्पादकों/सेवा प्रदाताओं, अशासकीय संगठनों तथा निर्दिष्ट प्रयोगशालाओं को सर्वेक्षण में आच्छादित किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य में नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तृत कुल 3485 उपभोक्ताओं से संपर्क किया गया। 534 वादियों के अतिरिक्त, 10 उत्पादकों/सेवा प्रदाताओं, एक प्रयोगशाला तथा दो अशासकीय संगठनों का साक्षात्कार किया गया। सर्वेक्षण जुलाई के द्वितीय सप्ताह से अगस्त 2005 के तीसरे सप्ताह तक किया गया ।

सर्वेक्षण के निष्कर्ष

- कुल 58 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (सी पी एक्ट) की जानकारी को महत्व दिया। करीब 82 प्रतिशत उपभोक्ता अधिकारों से जागरूक नहीं थे तथा 88 प्रतिशत अब भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से अनभिज्ञ थे ।

- नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों के सभी उपभोक्ताओं के लाभ के लिये अधिनियम का महत्व है परन्तु केवल 6 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या ने ही इसके बारे में सुना है।

- उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिये क्या सरकार ने कोई प्रयास किया है के उत्तर में केवल 18 प्रतिशत ने सकारात्मक उत्तर दिया शेष 82 प्रतिशत लोगों में नकारात्मक राय थी अथवा उनको इसकी जानकारी नहीं थी।

- जागरूकता के प्रचलित संसाधन इलेक्ट्रॉनिक तथा प्रिन्ट मीडिया से क्रमशः 69 तथा 48 प्रतिशत संज्ञानित थे तथा संज्ञानित उपभोक्ताओं में से मात्र 0.2 प्रतिशत ही अशासकीय संगठनों से अधिनियम के बारे में जान पाये थे।

- संज्ञानित वृहद् उपभोक्ताओं में से लगभग 35 प्रतिशत अधिनियम के बारे में पिछले 2 वर्षों से जानते थे जबकि अधिनियम विगत 10 वर्षों से अस्तित्व में है।

- सर्वोपरि केवल 13 प्रतिशत ही किसी प्रतितोष अभिकरण के अस्तित्व के बारे में जागरूक रिपोर्ट किये गये इन जागरूक लोगों में अधिकार तथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अधिक जानकार थे।

- प्रतितोष अभिकरण से जागरूक लोगों में 21 प्रतिशत अपने जिले के जिला फोरम की स्थिति नहीं जानते थे।

- लगभग 93 प्रतिशत उपभोक्ता शिक्षित थे। उनकी मासिक घरेलू आय औसतन 7083 रुपये थी। यह अन्तर्निहित है कि प्रतितोष अभिकरणों द्वारा प्रदान की गयी सुविधायें नगरीय क्षेत्रों के शिक्षित नागरिकों द्वारा प्रयोग की जाती थी वह भी समुदाय के मध्य/निचले स्तर द्वारा।

- अधिकांश वाद (81 प्रतिशत) सेवाओं के विरूद्ध थे जैसे विद्युत (27 प्रतिशत), संचार सेवायें (20 प्रतिशत), बैंकिंग (18 प्रतिशत) तथा बीमा (17 प्रतिशत)।
- अधिकांश वादी प्रतितोष अभिकरणों के बारे में इलेक्टानिक माध्यम (47 प्रतिशत), मुद्रण माध्यम से (49 प्रतिशत) तथा अन्य माध्यमों यथा मित्रों/संबंधियों (72 प्रतिशत) से जानकारी पाये। अशासकीय संगठन जागृति के लिये प्रसिद्ध स्रोत नहीं थे (सम्पूर्ण का 21 प्रतिशत)
- केवल 12 प्रतिशत वादियों ने वाद दायर करने हेतु स्टाम्प पेपर का प्रयोग किया था तथा अधिकांश वादों (11 प्रतिशत) ने वकीलों/अभिकर्ताओं नें उन्हे ऐसा करने का सुझाव दिया था।
- साक्षात्कारित 33 प्रतिशत वादियों ने न्यायालय शुल्क जमा करना सूचित किया।
- वादों के विभिन्न स्तरों पर लिया गया समय का विश्लेषण दर्षाता है कि औसतन एक वाद के पंजीयन में 3 दिन तथा नोटिस भेजने में 25 दिन लगे, नोटिस प्रेषण के 30 दिन बाद प्रथम सुनवाई हुई।
- वाद के निपटान में औसतन 7.5 सुनवाई वांछित थी। लगभग 61 प्रतिशत वाद 8.7 सुनवाई के बाद भी नहीं निपटे थे और इनमें से अधिकांष विद्युत सेवा (24 प्रतिशत) के विरूद्ध थे।
- एक वाद के निपटारे में औसतन 13 माह व्यतीत हुआ।
- 37 प्रतिशत वाद ऐसे थे जिसमें डिक्री निर्णीत की गयी थी और क्षतिपूर्ति पाना शेष था। औसतन क्षतिपूर्ति पाना लगभग 21 महीने से बकाया था। जो क्षतिपूर्ति प्राप्त हुई वह भी औसतन 3 महीनों के भीतर।
- औसतन वादी को निपटान हेतु 1719 रुपये व्यय करना पड़ा। व्यक्तिगत रूप से जिन्होने अधिवक्ताओं की सेवाएं ली ; अधिवक्ता शुल्क औसतन 1261रुपये वहन करना पड़ा।
- उत्पादक तथा सेवा प्रदाता उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रति अच्छी तरह सचेत थे इसके विपरीत बहुत से उपभोक्ता अधिनियम तथा प्रतितोष अभिकरण से संज्ञानित नहीं थे।
- वादियों ने प्रतितोष प्रणाली को आसान परन्तु द्रुतगामी नहीं पाया। बहरहाल, उत्पादकों, सेवा प्रदाताओं की राय में प्रणाली न तो आसान व द्रुतगामी थी न अल्पव्ययी।

परिशिष्ट 3.5

(संदर्भ प्रस्तर 3.2.11 पृष्ठ 45)

उपभोक्ता न्यायालय में आवश्यक पदों, स्वीकृत पदों और तैनात व्यक्तियों की एक तुलना

	राज्य आयोग			जिला फोरम		
पदों का नाम	**वांछित पद**	**स्वीकृत पद**	**पदेन व्यक्ति**	**वांछित पद**	**स्वीकृत पद**	**पदेन व्यक्ति**
निबंधक	1	1	1			
अतिरिक्त निबंधक	1					
उप निबंधक	1					
प्रमुख निजी सहायक	1					
सहायक निबंधक	1	1	1			
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	1	1				
कार्यालय अधीक्षक	2	2	1			
लेखाकार	2					
रोकड़िया	1					
स्हायक लेखाधिकारी	1	1				
निजी सचिव		2	1	70		
सहायक प्रशासनिक अधिकारी				70		
रीडर	1	4	1	70	70	53
लाइब्रेरियन	1					
निजी सचिव/वैयक्तिक सहायक	2					
कम्प्यूटर संचालक	1					
लेखा परीक्षक	4					
सहायक लेखाकार	7	2	2	70		
वरिष्ठ सहायक	2	1	1			
वरिष्ठ लिपिक	10	1	1	70		
नाजिर कम स्टोर लिपिक	1	1	1	1		
आषुलिपिक	7	5	3	70	70	49
कनिष्ठ लिपिक	29	9	4	70	70	59
वाहन चालक	3	3				
दफ्तरी	2					
चपरासी	23	12	7	140	70	58
अर्दली	7	5	1	70	70	53
फर्राश	1					
दूरभाष सहायक	2	2	2			
चौकीदार	2	1	1	2	3	1
सफाईकर्मी	2	1	1			
सफाईकर्मी सह चौकीदार				70		
माली	2					
योग	125	56	32	770	353	273

परिशिष्ट 3.6

(संदर्भ प्रस्तर 3.2.17 पृष्ठ 48)

दिनांक 31.3.2005 तक धारा 25(3) के तहत स्थिति

फोरम का नाम	दायर वाद	जारी वसूली प्रमाण पत्र	धनराशि	सूचित वसूली	धनराशि	वसूली पूर्ण नहीं हुई	धनराशि
बलिया	436	10		1		9	
एटा	30	20		10		10	
गाजीपुर	206	1	13500	शून्य	शून्य	1	13500
रायबरेली	249	26		शून्य	शून्य	26	
जी बी नगर	162	18		1		17	
बहराइच	241	25		शून्य	शून्य	25	
महोबा	58	1	13125	शून्य	शून्य	1	13125
इलाहाबाद	334	23		10		13	
उन्नाव	14	14		शून्य	शून्य	14	
प्रतापगढ़	339	17	1580000	4	46000	13	1534000
लखनऊ-I	450	5	623655	1	50000	4	573655
लखनऊ-II	385	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
हरदोई	815	20		19		1	
बस्ती	37	12		1		11	
बाराबंकी	216	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
योग	**3972**	**192**		**47**		**145**	

परिशिष्ट 3.7

(संदर्भ प्रस्तर 3.2.18 पृष्ठ 49)

दिनांक 31.3.2005 तक धारा 27(1) के तहत स्थिति

फोरम का नाम	दायर वाद	दण्डारोपित	सूचित दण्ड वसूली	वसूली पूर्ण नहीं हुई	जारी गिरफ्तारी वारण्ट	गिरफ्तारी वारण्ट प्रवर्तन	क्षतिपूर्ति वसूली
जी बी नगर	06	06	03	03	6	3	3
रायबरेली	09	07	शून्य	07	1	शून्य	शून्य
इलाहाबाद	02	02	01	01	2	1	1
कानपुर	06	06	06	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
लखनऊ-I तथा-II	185	शून्य	शून्य	शून्य	146	शून्य	शून्य
हरदोई	36	29	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बस्ती	67	10	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
योग	**365**	**54**	**15**	**11**	**155**	**4**	**4**

परिशिष्ट 3.8

(संदर्भ : प्रस्तर 3.3.10 पृष्ठ 57)

वर्ष 2000–05 के दौरान लक्ष्य, दिये गये एवं पूर्ण किये गये आवासीय भवनों का विवरण

योजना वर्ष	वा0का0यो0 में अनुमोदित / लक्षित इकाईयों की संख्या	प्रारम्भ किये गये एवं पूर्ण किये गये कार्यों का वर्षवार विवरण										प्ररम्भ की गई इकाईयों की कुल संख्या (स्तम्भ दो के सापेक्ष प्रतिशत)	मार्च 2005 तक निर्मित इकाईयों की कुल संख्या	स्तम्भ दो के सापेक्ष कमी (प्रतिशत में)
		2000-01		2001-02		2002-03		2003-04		2004-05				
		प्रारम्भ की गई इकाईयों की संख्या	निर्मित इकाईयों की संख्या	प्रारम्भ की गई इकाईयों की संख्या	निर्मित इकाईयों की संख्या	प्रारम्भ की गई इकाईयों की संख्या	निर्मित इकाईयों की संख्या	प्रारम्भ की गई इकाईयों की संख्या	निर्मित इकाईयों की संख्या	प्रारम्भ की गई इकाईयों की संख्या	निर्मित इकाईयों की संख्या			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2000-01	**2145**	40	40	1256	1234	588	549	51	35	1	-	**1936 (91)**	**1858**	**287 (13)**
2001-02	**2853**	-	-	-	-	1649	829	734	शून्य	230	130	**2613 (92)**	**959**	**1894 (66)**
2002-03	**2289**	-	-	-	-	608	288	576	शून्य	18	शून्य	**1202 (53)**	**288**	**2001 (87)**
2003-04	**1413**	-	-	-	-	-	-	-	-		शून्य	शून्य	शून्य	**1413 (100)**
2004-05	**3567**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	शून्य	शून्य	**3567 (100)**
योग	**12267**	40	40	1256	1234	2845	1666	1361	35	240	130	**5751 (47)**	**3105**	**9162 (75)**

परिशिष्ट 3.9

(संदर्भ : प्रस्तर 3.3.10 पृष्ठ 57)

वर्ष 2000–05 की अवधि में जनपदवार भवनों की कमी एवं निर्माण हेतु प्रस्तावों का विवरण

क्रम संख्या	जनपद का नाम	01 अप्रैल 2000 को कमी	पर्सपेक्टिव प्लान में अनुमोदित इकाईयां (01 अप्रैल 2000 तक की कमी के सापेक्ष प्रतिशत)	वर्ष 2000–05 की अवधि में निर्मित इकाईयां	31 मार्च 2005 तक कमी
1	अलीगढ़	369	26 (7)	20	349
2	अम्बेदकर नगर	364	100 (27)	20	344
3	बरेली	400	118 (30)	108	292
4	गाजीपुर	239	80 (33)	शून्य	239
5	गोरखपुर	549	88 (16)	शून्य	549
6	जौनपुर	323	80 (25)	शून्य	323
7	लखनऊ	1605	52 (3)	52	1553
8	मेरठ	859	98 (11)	98	761
9	मुरादाबाद	240	70 (29)	शून्य	240
10	प्रतापगढ़	325	20 (6)	13	312
11	सहारनपुर	895	136 (15)	136	759
12	वाराणसी	481	20 (4)	शून्य	481
	योग	**6649**	**888 (49)**	**447 (50)**	**6202**

परिशिष्ट 3.10

(संदर्भ : प्रस्तर 3.2.10 पृष्ठ 57)

वर्ष 2000–05 के दौरान लक्ष्य, दिये गये एवं पूर्ण किये गये अनावासीय भवनों का विवरण

योजना वर्ष	वा0का0यो0 में अनुमोदित/लक्षित इकाईयों की संख्या	प्रारम्भ किये गये एवं पूर्ण किये गये कार्यों का वर्षवार विवरण										प्ररम्भ की गई इकाईयों की कुल संख्या (स्तम्भ दो के सापेक्ष प्रतिशत)	मार्च 2005 तक निर्मित इकाईयों की कुल संख्या	स्तम्भ दो के सापेक्ष कमी (प्रतिशत में)
		2000-01		2001-02		2002-03		2003-04		2004-05				
		प्रारम्भ की गई इकाईयों की संख्या	निर्मित इकाईयों की संख्या	प्रारम्भ की गई इकाईयों की संख्या	निर्मित इकाईयों की संख्या	प्रारम्भ की गई इकाईयों की संख्या	निर्मित इकाईयों की संख्या	प्रारम्भ की गई इकाईयों की संख्या	निर्मित इकाईयों की संख्या	प्रारम्भ की गई इकाईयों की संख्या	निर्मित इकाईयों की संख्या			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2000-01	**249**	2	2	48	44	121	54	19	11	-	-	**190 (76)**	**111**	**138 (55)**
2001-02	**407**	-	-	1	-	275	180	2	1	1	शून्य	**279 (69)**	**181**	**226 (56)**
2002-03	**259**	-	-	-	-	21	13	27	1	2	शून्य	**50 (19)**	**14**	**245 (95)**
2003-04	**223**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	शून्य	**223 (100)**
2004-05	**228**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	शून्य	**228 (100)**
योग	**1366**	2	2	49	44	417	247	48	13	3	शून्य	**519 (38)**	**306**	**1060 (78)**

परिशिष्ट 3.11

(संदर्भ : प्रस्तर 3.4.7 पृष्ठ 67)

लेखाओं में भिन्नता

(करोड़ रुपये में)

क्रं0 सं0	मद का नाम	वर्ष	गत वर्ष के अनुसार अन्तिम अवशेष	अगले वर्ष में लिया गया प्रारम्भिक अवशेष	भिन्नता
1.	प्रारम्भिक अवशेष एवं अन्तिम अवशेष प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	2002-03	40.33	19.94	**20.39**
2.	प्रारम्भिक अवशेष एवं अन्तिम अवशेष प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	2003-04	29.40	30.30	**0.90**
3.	बैंक समाधान विवरण	2004-05	दिनांक 31.3.05 अनुसार रोकड़ वही का अन्तिम अवशेष 5.89 करोड़ रुपये बैंक विवरण के अनुसार (खाता सं015786) अन्तिम अवशेष 7.11 करोड़ रूपये	---	**1.22**
4.	रोकड़ बही के अवशेष एवं बैंक विवरण के अवशेष के अनुसार 31. 3.94 केपूर्व की भिन्नता	--	--	--	**18.03**
5.	बैंक द्वारा धनराशि डेविट की गयी जिसका विवरण संस्थान केपास उपलब्ध नहीं	---	---	--	**87.50**
6.	पी0एल0ए0 जी0पी0एफ0	2003-04	जी0पी0एफ0 पी0एल0ए0 में जमा के अनुसार रोकड़ बही के अनुसार	13.80 11.36	**2.44**

परिशिष्ट 3.12

(संदर्भ : प्रस्तर 3.4.21 पृष्ठ 72)

औषधि का अधिक भण्डारण

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	वर्ष के दौरान कुल उपभोग	एक माह की आवश्यकता (न्यूनतम भण्डारण आवश्यकता 1/12 स्तम्भ-2)	वर्ष के अन्त में भण्डार का अन्तशेष	अधिक भण्डारण (4 - 3)	न्यूनतम आवश्यकता के विरूद्ध अधिक भणरण प्रतिशत में (5/3X100)
1	2	3	4	5	6
2000-01	14.33	1.19	3.74	2.55	214.29
2001-02	21.50	1.79	5.16	3.37	188.29
2002-03	24.55	2.05	4.95	2.90	141.46
2003-04	32.69	2.72	3.86	1.14	42.28
2004-05	37.46	3.12	5.21	2.09	66.99

परिशिष्ट 3.13

(संदर्भ : प्रस्तर 3.4.22 पृष्ठ 73)

समय एवं लागत में वृद्धि

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	निर्माण संस्था	मूल लागत	कार्य प्रारम्भ की तिथि	मार्च, 2005 तक व्यय	संशोधित लागत	लागत में वृद्धि	स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	पेडि याट्रिक वार्ड/शवगृह	सी0 एण्ड डी एस0 उ0प्र0 जल निगम	223.79	8/97	182.65	480.79	257.00	कार्य प्रगति में
2	वैलनेस/ई.आर.एस.	सी0 एण्ड डी एस0 उ0प्र0 जल निगम	108.77	4/02	108.77	194.78	86.01	पूर्ण
3	सी0बी0एम0आर0	सी0 एण्ड डी एस0 उ0प्र0 जल निगम	100.44	8/03	99.86	121.35	20.91	कार्य प्रगति पर
4	टेली मेडिसीन	सी0 एण्ड डी एस0 उ0प्र0 जल निगम	629.43	10/03	500.00	956.22	326.79	कार्य प्रगति पर
5	श्रुति आडिटोरियम	यू0पी0आर0एन0एन0 (निर्माण निगम)	450.00	4/96	852.70	890.15	440.15	पूर्ण
6	बाउन्ड्री वाल	सी0एण्डडी0एस0 उ0प्र0 जल निगम	226.64	8/04	94.30	386.58	159.94	कार्य प्रगति पर
	योग		**1739.07**	**----**	**1838.28**	**3029.87**	**1290.80**	

परिशिश्ट 3-14

(सन्दर्भ : प्रस्तर 3.5.1, पृष्ठ 80)

आई सी डी एस ।।। परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न हस्तक्षेप

परियोजना के संघटक					
सेवा वितरण			कार्यकम प्रोत्साहन		
सेवा गुणवत्ता सुधार	किशोरी शक्तिकरण	कर्मचारी नियोजन और आधारभूत संरचना	प्रबन्ध और संस्थात्मतक विकास	सूचना, शिक्षा एवं संचार और सामुदायिक प्रेरणा	• अनुश्रवण मूल्यांकन • संचालन शोध अध्ययन, • निरन्तर सामाजिक • मूल्यांकन साफ़टवेयर विकास • मासिक रिपोर्ट उत्पादन
(अ) उपकरणों, बर्तनो, दवा, स्कूल पूर्ण शिक्षा की सामाग्रीयों को ऑगनबाड़ी केन्द्रों को आपूर्ति ।	(अ) आयरन फोलिक एसिड (आई एफ ए) टेबलेट्स का वितरण	(अ) बाल विकास परियोजना अधिकारियों के कार्यालय सह गोदाम और ऑगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण और ऑगनबाड़ी केन्द्रों में हैण्डपम्प की स्थापना।	(अ) वाहनों, उपकरणों, फर्नीचर और अन्य मदों का क्रय ,राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई और जिले स्तर पर स्टाफ का प्रबन्धन		
(ब) सेवाओं का पैकेज वृद्वि अनुश्रवण, अनुपूरक, पोषाहार, प्रतिरक्षण सेवायें, शिक्षा, प्रारम्भिक शिशु शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाये, आरोग्य एवं सफाई	(ब) पोषाहार और स्वास्थ्य शिक्षा (स)अनुपूरक पुष्टाहार	(ब) ऑगनबाड़ी कार्यकत्रियों और ऑगनबाड़ी सहायिकाओं को मानदेय (स) ब्लाक स्तर पर वेतन भत्ते, उपकरण, फर्नीचर, वाहन तथा आकस्मिक व्यय	ब) अभिनव क्रियाकलाप,अध्ययन यात्रा,गुणवत्ता सुधार हेतु स्वतंत्र अभिव्यक्ति (फ्रेक्वी) कार्यकम, पुरस्कार एवं प्रोत्साहन और प्रशिक्षण।		

परिशिष्ट 3-15

(सन्दर्भ : प्रस्तर 3.5.12, पृष्ठ 84)

अधिप्राप्ति की स्थिति

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	मदें	परियोजना में प्राविधान	1999–2000		2000–01		2001–02		2002–03		2003–04		2004–05		कुल योग	
			लक्ष्य	व्यय	लक्ष्य	व्यय	लक्ष्य	व्यय	लक्ष्य	व्यय	लक्ष्य	व्यय	लक्ष्य	व्यय	व्यय	प्रतिशत
1	बर्तन व किट्स	1255.50	513.00	0	337.50	0	405.00	589.93	0	351.29	0	2.59	0	.0.32	944.13	75.20
2	वजन मशीन एवं डिस्पले बोर्ड[1]	607.50	384.75	0	101.25	0	121.50	309.19	0	61.71	0	0	0	0	370.90	61.05
3	वाहय अन्तरंग सामग्री	223.42	89.92	0	121.50	0	12.00	0	0	199.17	0	0	0	0	199.17	89.15
4	दवा बाक्स	101.25	64.13	0	16.87	0	20.25	0	0	91.71	0	0	0	0	91.71	90.58
5	स्टेशनरी एवं वृद्वि चार्ट	364.50	128.85	0	33.75	17.60	105.30	48.65	81.00	5.55	16.20	0	0	0.23	72.03	19.76
	योग	**2552.17**	**1180.65**	**0**	**610.87**	**17.60**	**664.05**	**947.77**	**81.00**	**776.31**	**16.20**	**2.59**	**0**	**0.55**	**1677.94**	**65.75**
ब वार्शिक अधिप्राप्ति																
8	प्रारम्भिक शिशु शिक्षा किट्स	911.25	141.75	0	162.00	0	202.50	63.99	202.50	69.51	202.51	35.63	0	0	169.13	18.56
9	दवा किट्स	1004.40	153.90	0	121.50	0	243.00	0	243.00	179.62	243.00	0	0	0	179.62	17.88
10	**स्टेशनरी बदलाव**	324.00	16.20	0	40.50	43.63	89.10	44.62	89.10	1.02	89.10	55.66	0	72.90	217.83	67.23
	योग	**2239.65**	**311.85**	**0**	**324.00**	**43.63**	**534.60**	**108.61**	**534.60**	**250.15**	**534.61**	**91.29**	**0**	**72.90**	**566.58**	**25.31**
स द्विवार्शिक अधिप्राप्ति																
11	किटनाशक टेबलेट्स	702.50	79.15	0	126.40	0	165.65	0	165.65	23.45	165.65	3.57	0	0	27.02	3.85
	योग	**702.50**	**79.15**	**0**	**126.40**	**0**	**165.65**	**0**	**165.65**	**23.45**	**165.65**	**3.57**	**0**	**0**	**27.02**	**3.85**
	महायोग	**5494.32**	**1571.65**	**0**	**1061.27**	**61.23**	**1364.30**	**1056.38**	**781.25**	**1049.91**	**716.46**	**97.45**	**0**	**73.45**	**2271.54**	**41.34**
महिला सशक्तीकरण																
12	**आई एफ ए सप्लीमेंट**	**218.19**	**37.80**	**0**	**62.37**	**0**	**39.34**	**0**	**39.34**	**66.88**	**39.34**	**0**	**0**	**0**	**66.88**	**30.65**

[1] डिस्पले बोर्ड क्रय नही किया गया

परिशिष्ट 3-16

(सन्दर्भ : प्रस्तर 3.5.27, पृष्ठ 91)

नवीन कियाकलापों के तहत वर्षवार आवंटन एवं व्यय

क्रम संख्या	मद	1999–2000		2000–2001		2001–2002		2002–2003		2003–04		2004–2005		योग	
		लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति
1	अभिनव कियाकलाप	200	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	200	--
2	अध्ययन भ्रमण	2	--	6	--	6	0.38	6	11.78	5	--	--	4.34	25	16.50
3	**फेक्वी**	10	--	10	--	10	2.59	10	3.42	10	0.04	--	4.63	50*	10.68
4	पुरस्कार एवं प्रोत्साहन	3	--	3	--	3	--	3	0.95	3	--	--	0.95	15	1.90
5	**योग**	**215**	**--**	**19**	--	**19**	**2.97**	**19**	**16.15**	**18**	**0.04**	**--**	**9.92**	**290**	**29.08**
6	आई ओ सी	100	--	100	--	100	83.17	100	49.20	100	43.67	--	57.02	500	233.06
7	अनुश्रवण साफटवेयर का विकास	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--
8	डाटा इन्ट्री प्रासेसिंग और अनुश्रवण रिपोर्ट का उत्पादन	63.19	--	111.79	--	111.80	4.17	111.80	21.65	111.80	10.60	--	8.71	510.38	45.13
9	संचालन शोध अध्ययन	115	--	25	--	25	31.64	15	15.30	15	--	--	1.76	195	48.70
10	पर्यवेक्षको की गतिशीलता	50	--	--	--	--		--	0.93	--	--	--	--	50	0.93

* भारत सरकार के पत्रांक एफ संख्या.8-1/2005-डब्लूबीपी दिनांक: 21.07.2005 द्वारा घटाकर रु 25 लाख कर दिया गया।

परिशिष्ट – 3.17

(सन्दर्भ : प्रस्तर 3.5.32, पृष्ठ 92)

परियोजना के अन्तर्गत मुद्रित सामाग्रियों के वितरण की स्थिति

कम संख्या	विवरण	वर्ष	मुद्रण की संख्या	आपूर्ति किया गया	अभियुक्ति
1	**फुलवारी समाचार पत्रिका** (त्रैमासिक)	2002 (दो संस्करण)	70000 प्रत्येक	**सभी जिलों को**	चार के स्थान पर दो संस्करण
		2003 (दो संस्करण)	80.000 प्रत्येक	**सभी जिलों को**	चार के स्थान पर दो संस्करण
		2004 (एक संस्करण)	80.000	**सभी जिलों को**	चार के स्थान पर एक संस्करण
		2005	शून्य	**सभी जिलों को**	
2	पोषण एवं स्वास्थ्य निर्देशिका	2002	70000	**सभी जिलों को**	
3	पोषण स्वास्थ्य परामर्श पुस्तिका	2003	20000	33 आईसीडीएस– ।।।जिलों को	
4	किशोरी पुस्तिका बढ़ती बच्ची के लिए पोषण	2004–05	40.000	33 आईसीडीएस– ।।।जिलों को	
5	***पोषण स्वास्थ्य कार्ड***	2002	3700800	33 आईसीडीएस जिलों को (100 प्रति ऑगनबाड़ी केन्द्रों)	

परिशिष्ट 4.1

(संदर्भ – प्रस्तर 4.3.7 : पृष्ठ 104)

यू पी डी पी एल को परिहार्य भुगतान

(दर रुपये में)

क्रम संख्या	औषधि का नाम	वर्ष	यू पी डी पी एल की दर[1] (प्रति 10 x10)	सीएमएसडी के दर अनुबन्ध पर निर्धारित दर (प्रति 10 x10)	दर से आधिक्य (प्रति 10 x10)	कय की गई मात्रा (प्रति 10 x10)	अधिक व्यय
1	कैप एमाकसलीन 250 मिग्रा.	2003.04	130	80	50	1,00,000	50,00,000
		2004.05	93	80	13	2,10,000	27,30,000
2	टैब सिप्रोफलाक्ससिन हाइड्रोक्लाराइड 250 मिग्रा.	2003.04	236	59	177	50,000	88,50,000
		2004.05	236	59	177	20,000	35,40,000
3	टैब सिप्रोफलाक्ससिन हाइड्रोक्लाराइड 500 मिग्रा.	2003.04	457.50	108	349.50	16,000	55,92,000
		2004.05	457.50	108	349.50	10,000	34,95,000
4	टैब नारफलाक्ससिन हाइड्रोक्लोराइड 400 मिग्रा.	2003.04	141.80	62.40	79.40	20,000	15,88,000
		2004.05	141.80	62.40	79.40	35,000	27,79,000
5	टैब नारफलाक्ससिन 200 मिग्रा.	2003.04	70	48.50	21.50	40,000	8,60,000
		2004.05	70	48.50	21.50	60,000	12,90,000
6	कैप डाक्सीसिलीन हाइड्रोक्लोराइड 100 मिग्रा.	2003.04	105.40	43.20	62.29	51,200	31,89,248
	योग (अ)					2003-04	2,50,79,248
	योग (ब)					2004-05	1,38,34,000
	कुलयोग (अ+ब)						3,89,13,248

[1] डी पी सी ओ दरों का 77 प्रतिशत

परिशिष्ट 4.2

(सन्दर्भ : प्रस्तर 4.3.13 पृष्ठ 108)

खपत की गयी अतिरिक्त ग्रिट की लागत

निष्पादित कार्य		खण्ड द्वारा पत्थर ग्रिट की खपत (घनमीटर में)	मोर्थ विशिष्टि के अनुसार पत्थर ग्रिट की वांछित खपत (घनमीटर में)	अधिक खपत की गयी पत्थर ग्रिट (घनमीटर में)	दर (प्रति घनमीटर में) (रूपये में)	परिहार्य व्यय (करोड़ रूपये में)
प्रथम सतह लेपन	फतेहपुर	21935	17317	4618	850	0.39
	इलाहाबाद	9918	7830	2088	722	0.15
द्वितीय सतह लेपन	फतेहपुर	14973	11518	3455	830	0.29
	इलाहाबाद	20759	15969	4790	756	0.36
योग						**1.19**

परिशिष्ट 4.3

(सन्दर्भ : प्रस्तर 4.5.1; पृष्ठ 116)

बन्धक पत्र/उपभोग प्रमाणपत्र की स्थिति

वर्ष	डिग्री कालेज जिन्हें निधि निर्गत की गयी		डिग्री कालेज जिन्हे बिना बन्धकपत्र एवं उपभोग प्रमाणपत्र के निधि निर्गत की गयी		डिग्री कालेज जिन्हें बन्धक पत्र प्राप्त होने एवं बिना उपभोग प्रमाणपत्र के निधि निर्गत की गयी	
	कालेजों की संख्या	धनराशि (लाख रूपये में)	कालेजों की संख्या	धनराशि (लाख रूपये में)	कालेजों की संख्या	धनराशि (लाख रूपये में)
1999-2000	5	60	2	30	1	10
2000-2001	8	90	2	20	2	20
2001-2002	14	150	1	10	--	--
2002-2003	15	160	4	40	--	--
2003-2004	13	130	5	50	2	30
योग	**55**	**590**	**14**	**150**	**5**	**60**

परिशिष्ट 4.4

(संदर्भ : प्रस्तर 4.5.3 पृष्ठ 118)

ठेकेदार द्वारा किये गये कार्य के परफार्मेंस का विवरण

अः फेज –1 का कार्य योजना

अनुबंध की मद संख्या	कार्य का विवरण	स्टेटस (स्थिति)
5.1.2	राज्य की सामाजिक–आर्थिक प्रोफाइल	
	मार्ग दुर्घटना	नहीं किया गया
5.1.4	फिजिबिलिटी स्टेज का सर्वेक्षण व अन्वेषण मार्ग दुर्घटना विश्लेषण व मार्ग सुरक्षा आडिट	नहीं किया गया
5.2.5	सर्वेक्षण व अन्वेषण 1. मार्ग व सेतु की इन्वेंटरी 2. विस्तृत टोपोग्राफिक सर्वेक्षण 3. पेवमेंट जांच 4. जीओ टेक्निकल जांच 5. हाइड्रोलाजिक स्टडीज	 असंतोषजनक असंतोषजनक असंतोषजनक असंतोषजनक असंतोषजनक
5.4	टास्क–4 एप्रेजल पैकेजेज की विस्तृत इन्जीनियरिंग डिजाइन 1. कार्यों का सत्यापन 2. वर्तमान मार्गों का विवरण 3. क्रास–सेक्शंस 4. इंटर सेक्शंस डिजाइन 5. संरेखण डिजाइन	 असंतोषजनक असंतोषजनक असंतोषजनक असंतोषजनक असंतोषजनक
5.4.6	पेवमेंट डिजाइन 1. पेवमेंट स्ट्रक्चर 2. ट्राफिक लोड	 असंतोषजनक असंतोषजनक
5.4.7	सेतु एवं ड्रेनेज स्ट्रक्चर डिजाइन	नहीं किया गया
5.5	टास्क–5 कम्प्यूटरीकृत वित्तीय प्रबंधन सिस्टम 1. प्रोजेक्ट के वित्तीय प्रबंधन आवश्यकताओं का चिन्हीकरण 2. प्रोजेक्ट वित्तीय प्रबंधन सिस्टम की डिजाइन 3. कम्प्यूटरीकृत प्रोजेक्ट वित्तीय प्रबंधन सिस्टम का विकास (पीएफएमएस) 4. यूजर मैनुअल तैयार किया जाना 5. लागू किया जाना 6. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम के साथ इन्टिग्रेशन	 नहीं किया गया नहीं किया गया नहीं किया गया नहीं किया गया नहीं किया गया नहीं किया गया
5.6	टास्क–6 मार्ग मेन्टीनेन्स प्रबंधन का अध्ययन	
	एसेट रजिस्टर	नहीं किया गया

ब: फेज –2 का कार्य योजना

अनुबंध की मद संख्या	कार्य का विवरण	स्टेटस (स्थिति)
6.1	फेज–2 का इन्सेप्शन	
	1. विस्तृत इन्जीनियरिंग डिजाइन	असंतोषजनक
6.3	प्रोजेक्ट प्रबंधन एवं मानीटरिंग सपोर्ट	नहीं किया गया
6.3.1	1. प्रोजेक्ट प्रबंधन मानीटरिंग एवं प्रबंधन सूचना सिस्टम	नहीं किया गया
	2. सिस्टम का विश्लेष्ण एवं आवश्यकताओं का चिन्हीकरण	
	3. प्रस्तावित प्रबंधन सूचना सिस्टम	नहीं किया गया
	4. स्टैन्डर्ड फार्म्स विकसित करना	
	5. स्टैन्डर्ड फार्म्स एवं प्रकिया स्थापित करना	नहीं किया गया
	6. वित्तीय प्रबंधन	नहीं किया गया
	7. दावा एवं विवाद	नहीं किया गया
		नहीं किया गया
		नहीं किया गया
		नहीं किया गया
6.3.2	कन्सल्टेंसी सेवाओं का प्रोक्योरमेंट	नहीं किया गया
6.3.3	सिविल कार्यों के अनुबंधों का प्रोक्योरमेंट	
	1. महत्वपूर्ण टेंडर्स का चयन	नहीं किया गया
	2. ठेकेदारों का प्री–क्वालिफिकेशन	नहीं किया गया
	3. प्राप्त प्री–क्वालिफिकेशन डाक्यूमेंट्स का आकलन	नहीं किया गया
	4. चयनित कंपनीज को नोटिफिकेचन	नहीं किया गया
	5. टेंडर डाक्यूमेंट्स को तैयार करना	नहीं किया गया
	6. टेंडर आमंत्रण	नहीं किया गया
	7. टेंडर का आकलन	नहीं किया गया
	8. अनुबंध पर निगोशिएशन, अनुबंध एवं अनुबंध डाक्यूमेंट्स को एवार्ड करना	नहीं किया गया
	9. रिपोर्टिंग	नहीं किया गया
6.3.4	गुणवत्ता नियंत्रण पद्धति को स्टैंडर्डाइज करना	
	1. पुनरीक्षित आगणन	नहीं किया गया
	2. यूनिट रेट भुगतान	नहीं किया गया
6.3.5	निर्माण की सतत मानीटरिंग एवं आकलन	
	1. समय वृद्धि का आकलन	नहीं किया गया
	2. ठेकेदारों के विवादों के बाबत सलाह और अनुमोदन	नहीं किया गया
	3. कार्यों का प्रमाणीकरण	
	4. प्रोविजनल/फाइनल हैन्डओवर निरीक्षण	नहीं किया गया
		नहीं किया गया
6.3.6	डिजाइन हेतु लोनिवि के स्टैन्डर्ड डाक्यूमेंट्स, निर्माण स्टैन्डर्ड तथा विशिष्टियां, एवं टेंडर डाक्यूमेंट्स का अनुमोदन	नहीं किया गया
6.4	प्रोजेक्ट कम्प्लीशन/ट्रेनिंग एवं तकनीकी का हस्तांतरण	नहीं किया गया

परिशिष्ट.5.1

(सन्दर्भ : प्रस्तर 5.1: पृष्ठ 122)

कन्या विद्याधन योजना

क्रम संख्या	जनपद का नाम	बीपीएल उम्मीदवारों की संख्या जिनके लिए जनपदों से मांग की गयी थी	बीपीएल उम्मीदवारों की संख्या जिनके लिए डीई द्वारा धनराशि प्रदान की गयी थी	लाभ से वंचित उम्मीदवारों की संख्या
1	इलाहाबाद	4200	3800	400
2	आजमगढ	1583	1390	193
3	झांसी	1070	947	123
4	जे पी नगर	1497	1215	282
5	कानपुर	2741	1850	891
6	लखनउ	587	539	48
7	मेरठ	2365	2290	75
8	वाराणसी	2232	1546	686
	योग	16275	13577	2698

परिशिष्ट .5.2

(सन्दर्भ : प्रस्तर 5.8: पृष्ठ 128)

क्षेत्रीय कार्यालयों एवं विद्यालयों का अपर्याप्त निरीक्षण

क्षेत्रीय स्तर पर निरीक्षण	वास्तविक निरीक्षण (दिवसों में)					
	2002–03		2003–04		2004–05	
	जे डी डीआर	डी	जे डी आर	डी डी	जे डी आर	डी डी
लखनउ	1	रिक्त	4	रिक्त	8	रिक्त
इलाहाबाद	शून्य	रिक्त	शून्य	रिक्त	शून्य	रिक्त
कानपुर	शून्य	शून्य	2	शून्य	शून्य	24
आजमगढ	शून्य	रिक्त	शून्य	रिक्त	शून्य	रिक्त
मुरादाबाद	शून्य	शून्य	3	5	5	रिक्त
वाराणसी	शून्य	रिक्त	शून्य	रिक्त	शून्य	रिक्त
मेरठ	अनुपलब्ध	30	अनुपलब्ध	28	अनुपलब्ध	35
झांसी	अनुपलब्ध	शून्य	43	1	24	15

जनपद स्तर पर निरीक्षण	आच्छादित किए जाने वाले विद्यालयों की संख्या	वास्तविक आच्छादित विद्यालयों की संख्या		
		2002–03	2003–04	2004–05
लखनउ	197	शून्य	6	5
इलाहाबाद	180	शून्य	शून्य	10
कानपुर	113	शून्य	शून्य	शून्य
आजमगढ	97	शून्य	1	4
जे पी नगर	40	शून्य	शून्य	शून्य
वाराणसी	106	शून्य	शून्य	शून्य
मेरठ	86	शून्य	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
झांसी	60	शून्य	10	31

©
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
सर्वाधिकार सुरक्षित

2006

मूल्य : रु. 65 डालर 5

आर्मी प्रिंटिंग प्रेस, लखनऊ से मुद्रित
33, नेहरू रोड, सदर कैन्ट, लखनऊ–226 002
फोन : 2481164, 2483354